खण्ड-300, अंक-6
सोमवार, 27 अग्रहायण, शक संवत् 1894
(18 दिसम्बर, 1972 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 300 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९७३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, 18 दिसम्बर, 1972

विधान सभा की बैठक, सभा मंडप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य 361

अजब सिंह , श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानी, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमर नाथ दूबे, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम, श्री
आशा सिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्रनाथ दीक्षित, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए0सी0प्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैया लाल बाल्मीकि, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
करन सिंह, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्ण कान्त अवस्थी, श्री
कृष्णदत, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्णस्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ अग्रवाल, श्री
केशवराम, श्री (जिला बरेली)
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
के0एस0 मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गिरधारी लाल, चौधरी
गुलाब सिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोस्वामी राधाकृष्ण, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चंचल सिंह गिल, सरदार

चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्रप्रताप नारायण सिंह, कुंवर,
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह 'जूदेव', श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजी लाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर राम, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमाल सिंह, श्री
तेजपाल सिंह, 'कृष्ण', श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द्र, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
दल सिंगार यादव, श्री
दीपनारायण बन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकी नन्दन विभव, श्री
देव राम, श्री
देवेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्मसिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीमुद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैन सिंह, श्री
नैपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरन चन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बदन सिंह यादव, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बब्बन सिंह, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांके लाल, श्री
बिशन लाल यादव, श्री
बेनीं सिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)

भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरती)
भाभी यादव, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनोहर लाल, श्री
मन्साराम, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री ,
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महावीर सिंह चौहान, श्री (जिला अलीगढ़)
महीरजध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मनिवती देवी, श्रीमती
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुस्तफा कामिल किदवई, श्री
मुहम्मद नबी खां, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह, चौधरी
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री

राजितराम पांडेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
राम करन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
राम करन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर सिंह, श्री
राम कुमार दीक्षित, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
राम चरण सिंह, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, डाक्टर
राम दुलारे, श्री
राम दुलारे मिश्र, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
राम नगीना मिश्र, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारेशुक्ल, श्री
राम प्रसाद, श्री
र म प्रसाद देशमुख, श्री
रामवचन, श्री (जिला आजमगढ़, रानीं की सराय)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़ फूलपुर)
रामविलास पांडेय, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन पांडेय, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
रामलगन दूबे, श्री
रामलाल चतुर्वेदी, श्री
रामलाल भाई, श्री

राम लाल राही, श्री
राम शिरोमणि दूबे, श्री
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री
राम सिंह, खन्ना, श्री
राम सूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हर्ष मिश्र, श्री
राव अब्दुर्राफे खां, श्री
रितुराज सिंह, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मण स्वरूप, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह वैद्य, श्री
विजयपाल सिंह, श्री (जिला गोंडा)
विजयपाल सिंह, श्री (जिला बुलन्दशहर)
विजय बहादुर सिंह, श्री
विजय शंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शम्भू नारायण सिंह, श्री
शान्ति चरण पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पांडेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशंकर, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू लाल, श्री
शेर अली खां, श्री
शेर सिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह चौधरी, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल कनौजिया, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छुन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
संतोष कुमारी, श्रीमती
सैईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सत्तार अहमद अन्सारी, श्री
सन्त राम, श्री
सन्तूराम, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुखपाल पांडेय, श्री
सुखवीर, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री

सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सयद मुर्तजा अली खां, नवाब
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसराज, श्री (उर्फ हंसा)
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबुल्ला, बेगम
हरनारायण, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिदत्त कांडपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हीरा सिंह बोरा, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री
होती लाल अग्रवाल, श्री

नोटः—सामुदायिक विकास मंत्री, श्री बलदेव सिंह आर्य भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, 18 दिसम्बर, 1972

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

नैनी जेल में गोली से कैदियों की मृत्यु

**1—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया), श्री सच्चिदानन्द (जिला लखनऊ), श्री त्रिलोक चन्द्र (जिला बुलन्दशहर), श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर) तथा श्री राम गोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि 14 दिसम्बर, 1972 को नैनी जेल में गोली चलाये जाने के कारण 4 कैदियों की मृत्यु हो गई है, यदि हां, तो पूर्ण तथ्य क्या हैं ?

कारागार उपमंत्री (श्री राम पूजन पटेल)—

गत 13–14 सितम्बर की रात्रि को केन्द्रीय कारागार, नैनी के बंदीगण गुरु चरण, मिच्छन, शम्भूसिंह तथा मोहम्मद यासीन जब जेल से भाग रहे थे तो जेल कर्मचारियों द्वारा उन्हें रोकने के प्रयास में दोनों दलों में मुठभेड़ हुई, जिसमें बंदियों ने हथगोलों, व तमंचों का और जेल कर्मचारियों ने अपने बचाव तथा उन्हें रोकने के लिये लाठियों का प्रयोग किया । कथित चारों बन्दी जख्मी हुये और बाद में उनकी मृत्यु हो गई । मामले की जांच मैजिस्ट्रेट द्वारा हो रही है । अपराध अनुसंधान विभाग भी जांच कर रहा है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले इसमें एक शुद्धि कराना चाहता हूं । इसमें 14 दिसम्बर छपा है । इसके स्थान पर यह 14 सितम्बर होना चाहिये था ।

श्री अध्यक्ष—

एजेन्डा में गलत छप गया है। इसको मैं शुद्ध करा लूंगा ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

कारागार में कैदियों के पास सामान बड़ी छानबीन के बाद जाता है और कारागारके अन्दर बिना जेल अधिकारियों की अनुमति के कोई सामान नहीं पहुंचता । आपने स्वीकार किया है कि कैदियों की तरफ से हथगोले और तमंचों का इस्तेमाल हुआ । तो मंत्री जी यह बतलायेंगे कि वह किस हालत में जेल के अन्दर पहुंच गये और अगर पहुंच गये तो जेल अधिकरियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है?

कारागार मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)---

श्रीमन् यह बात सही है कि जब मिलाई होती है तो जो सामान जाता है उसकी छानबीन होती है और उसकी निगरानी भी रखी जाती है । लेकिन तमंचे और हथगोले किस प्रकार वहां पहुंचे, आया इसमें कोई कांस्पीरेसी थी या अधिकारियों की नेग्लीजेंस थी इसके लिये सी0 आई0 डी0 को इंक्वावारी दे दी गयी है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

यह सामान तो अन्दर पंहुच गया और साबित हो गया। अब ऐसी हालत में और क्या जांच होगी । अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष---

सी0 आई 0डी 0 यह जांच करेगी किसका दोष है। किसी को भी कैसे सजा दी जा सकती है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

क्या मंत्री जी यह बतलायेंगे कि चार कैदियों की मृत्यु हो गयी तो उनके शरीर पर लाठियों के अलावा अन्य हथियारों की भी चोट हैं ?

श्री स्वामीप्रसाद सिंह---

सिवाय लाठी के चोटों के और किसी हथियार की चोट नहीं है ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

अध्यक्ष जी, जेल में आजकल शराब, चरस, गांजा पंहुच जाता है। जेल में बहुत भ्रष्टाचार है । भ्रष्टाचार को मिटाने के लिये..

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

सारी गड़बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन के कारण होती है । सरकारी एजेन्सी के द्वारा शराब, गांजा भेजा जाता है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

आबकारी मंत्री जी के पास ही जेल विभाग भी है।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

माननीय सदस्य, अपना प्रश्न दुहरा दें ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

मंत्री जी ने यह मौके पर पाया है कि जेल में गांजा, चरस, शराब पंहुचती है । वहां जुआ होता है । इसके लिये कैदियों को पैसा खर्च करना पड़ता है और भ्रष्टाचार फैलता है । क्या मंत्री जी कानून में कोई परिवर्तन करेंगे जिससे यह भ्रष्टाचार मिट सके ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

श्रीमन्, जहां तक मुझे दो डेढ़ साल का अनुभव है, आजतक एक भी जेल के अन्दर कोई केस गांजे, अफीम, का नहीं मिला । अगर माननीय सदस्य सूचना दें तो उनके साथ चलने के लिये तैयार हूं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

क्या जो दो तीन लोग मरे उनका पोस्ट-मार्टम कराया गया ? यदि हां, तो क्या कोई बुलेट इंजरी भी थी या नहीं ? क्योंकि मेरी सूचना है कि बुलेट इंजरी थी ।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

हमारे स्वामी जी मालूम पड़ता है क्रिमिनल प्रैक्टिस के वकील हैं । वह सूचना आपको गलत मिली है, क्योंकि मेरे पास पोस्ट-मार्टेम रिपोर्ट है उसमें यही है कंट्यजंस, एबरेजन्स-काज आफ डेथ हेमरेज ड्यू टु कंट्यजंस एन्ड एबरेजंस यही है ।

श्री राम गोपाल संड---

क्या यह सही है कि उनको जेल के अधिकारियों ने ताली दे दी और वह दरवाजा खोला गया और वे लोग दो दीवार फांद चुके थे, आउटर दीवार फांद रहे थे तो बाकायदा गोलियां चलाई गयीं और बंदी उनसे मरे हैं ? एक तो मुसलमान कैदी था जिसको जेल के अन्दर ही दफन किया गया और जो दो हिन्दू थे उनको जेल में ही जला दिया गया, तो क्या इसकी जांच करायेंगे कि यह गलत रिपोर्ट आयी है आपके पास ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

इसमें अपराध अनुसंधान विभाग से यह जांच हो रही है कि ये हथगोले और देसी तमंचे कैसे आये और इनके आने के लिये या तो जेल कर्मचारियों की नेग्लीजेंस है या कोई कांस्पी-रेसी है ।

श्री राम गोपाल संड---

हथगोले तो उन्होंने फेंके ही और जेल के अधिकारियों की ताली उन्हें मिल गयी और जब आउटर दीवार पर चढ़ रहे थे तो बाकायदा पगली हुई, गोलियां चलायी गयीं और गोलियां पैर के नींचे नहीं लगी, ऊपर गोली लगीं ? तो मैंने जांच करने के लिये प्रश्न किया कि यह गलत रिपोर्ट क्यों आयी है और उन बंदियों के सम्बन्धियों को बिना सूचना दिये उनकी लाश दफ-नाई और जलायी क्यों गयीं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

पोस्टमार्टेम के बाद जो कार्यवाही होती है--पहले पंचायत नामा लिखा गया फिर पोस्ट-मार्टेम हुआ उसके बाद जो कार्यवाही होती है वह पुलिस करती है ।

श्री त्रिलोक चन्द्र---

मंत्री जी ने कहा कि जिस समय कैदी भाग रहे थे तो हथगोलों और तंमंचों का इस्ते-माल हुआ ? अगर हुआ तो जेल के कर्मचारियों में कोई घायल हुआ या नहीं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

हुआ !

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

अपराध अनुसंधान विभाग को जो जांच सौंपी गयी है तो किन-किन ईश्युओं पर सौपी गयी है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जांच जब सी0 आई0 डी0 को सौप दी जाती है तो उसमें कोई ईश्यू नहीं दिया जाता है, बल्कि पूरी जांच होती है कि कौन इसमें कलप्रिटस हैं या हथगोले को जो जेल में मिले और तमंचे मिले वह किसी कांस्पीपरेसी से आये या नेग्लीजेंस से आये और अगर उन्होंने मारा तो उन पर कौन सा आफेंस बनता है जेल वार्डर्स पर। उन्होंने जान बूझ कर मारा या सेल्फ डिफेंस लाइफ एंड प्रापर्टी में मारा। ये सब पूरी इंक्वायरी सी0 आई0 डी0 विभाग करता है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि पंचनामा कर के उनकी लाशें जलायीं गयीं या दफनायी गयीं। तो अधिकारियों ने ही उनकी लाशें जलायीं या दफनायीं और उनके घरवालों या सम्बन्धियों को सूचना नहीं दी ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया, क्या उनके सम्बन्धी वगैरह उपलब्ध नहीं थे और इसकी जांच कर ली गयी थी ?

श्री अध्यक्ष—

उनके सम्बन्धियों को लाशें दी गयीं या नहीं या उनको सूचना दी गयी या नहीं, इसका जवाब दीजिये।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

कायदा तो यह है कि पोस्ट मार्टम के बाद उनके सम्बन्धियों को सूचना दी जाती है लेकिन हमारे पास जो सूचना इस समय है उसमें इस बारे में सूचना नहीं है। अगर आप आज्ञा देंगे तो बाद में सूचना दे दूंगा।

श्री रामगोपाल संड—

माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया कि चारों बन्दियों के सम्बन्धी इलाहाबाद जिले के ही थे और वे जेल के फाटक पर पहुंचे भी मगर उन्हें लाशें न देकर तीन बन्दियों को जला दिया गया और एक को दफना दिया गया। तो क्या मंत्री जी स्वयं जेलर और डिप्टी जेलर को, जिनकी लापरवाही के कारण वह निरपराध बन्दी मारे गये, जांच करके मुअत्तिल करेंगे जिन्होंने गलतबयानी की ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन्, गलतबयानी जेल अधिकारियों ने की ऐसा तो अभी अपराध अनुसन्धान विभाग से या मैजिस्ट्रीरियल इन्क्वायरी से पता लगा नहीं। इतना जरूर है कि कुछ गवाहान बाकी रह गये है और जेल विभाग के कर्मचारी जिनकी ड्यूटी में नेगलीजेन्स थी उनको सस्पेंड कर दिया गया है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

बन्दियों के परिवार वालों को लाशें नहीं दी गयीं और यह बात भी सर्वमान्य है कि सिविल सर्जन ही जेल का सुपरिटेंडेंट हुआ करता है। तो सिविल सर्जन ने ही पोस्ट मार्टम किया है और यह आरोप सदन के अन्दर आ गया कि तीन लाशें जला दी गयीं और एक को दफना दिया गया। तो जिस व्यक्ति को दफनाया गया है क्या उसका पोस्ट मार्टम दोबारा किसी बाहरी सिविल सर्जन से कराकर इस सन्देह को दूर करेंगे कि मौतें गोली से हुई हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

हमारे माननीय सदस्य को गलतफहमी है। बड़ी जेलों के सुपरिटेंडेंट सिविल सर्जन नहीं हुआ करते हैं। नैनी जेल के सुपरिटेंडेंट हैकरवाल हैं और जिन सिविल सर्जन ने पोस्ट मार्टम किया है यह स्वतंत्र हैं। अगर आप कहें तो इतने दिनों के बाद उस लाश में अगर कुछ

बचा हो तो उसके लिये रिक्वेस्ट की जाय। वह मुसलमान था इसलिये लाश गाड़ दी गयी और बाकी हिन्दू थे इसलिये जला दी गयीं। यह बात नहीं है कि उनके घरवालों को लाशें नहीं दी गयीं। यह बिल्कुल असत्य है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न संख्या 2 श्री रूपनाथ सिंह यादव।

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के प्रश्न सं0 1 पर ही अनुपूरक प्रश्न करने के लिये खड़े होने पर) दो चीजें हैं। एक तो सी0 आई0 डी0 की इन्क्वायरी और मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी और इतने प्रश्न हो चुके। अब उसके बाद.....

(व्यवधान)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, उनकी लाशों को उनके रिश्तेदारों को नहीं दिया गया। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि उन लाशों को जलाने आदि के लिये लकड़ी आदि का खर्च कहां से हुआ वह और सामान कहां से आया ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया)

श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या इस पूरे मामले की जांच के लिये माननीय मंत्री जी इस सदन के माननीय सदस्यों की एक कमेटी बनायेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

सी0 आई0 डी0 की जांच तो हो रही है, माननीय सदस्यों की कोई कमेटी बनाने की आवश्यकता नहीं है।

कानपुर में जेल कर्मचारियों और छात्रों के बीच मुठभेड़

**2—श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दशहरे के दिन दिनांक 17-10-72-को जिला जेल कानपुर में छात्रों पर लाठी चार्ज किया गया था जिससे कुछ छात्रों को गंभीर चोटें पहुंची ? यदि हां, तो इसके क्या कारण थे और क्या सरकार न्यायिक जांच कराके दोषी अधिकारियों को दंडित करेगी ?

श्री राम पूजन पटेल—

17-10-72 को जिला जेल कानपुर में छात्रों पर कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ था, वरन एक छात्र द्वारा जेल अनुशासन भंग करने के कारण कुछ वार्डरों व जेल कर्मचारियों तथा छात्र बंदियों के बीच साधारण मुठभेड़ हुई जिसके कारण 2 छात्रों तथा 4 कर्मचारियों को साधारण चोटें आईं। इस घटना की मैजिस्टीरियल जांच 20-10-72 से हो रही है।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस मारपीट में कितने वार्डर व कर्मचारी शामिल थे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

इसमें 10 छात्र शामिल थे। 3 वार्डर और एक सहायक जेलर थे।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

जो दोषी कर्मचारी व अधिकारी जेल के थे, उनको अभी तक सस्पेन्ड क्यों नहीं किया गया ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

अभी यह निर्णय नहीं हो पाया है कि कौन दोषी थे।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

दो महीने जांच होते हुये हो गये। तो कौन अधिकारी जांच कर रहे हैं जांच और अब किस स्टेज पर है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जांच 20-10-72 से शुरू हुई थी। 36 गवाहों के बयान हो चुके हैं। शेष गवाहों के बयान लेना अभी बाकी है।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

अनुशासन भंग जो बताया गया तो वह किस प्रकार का अनुशासन भंग था तथा कर्मचारियों को किस चीज की चोटें लगी हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन्, अनुशासन भंग हुआ था। जो यह विद्यार्थी था इसके लिये यहां एक कनविक्ट यानी बन्दी खाना बनाता था। 5 बजे के बाद जब वह अपने बैरेक में जाने लगा तो महेश प्रताप सिंह भी उस बैरक में जाना चाहता था उसकी निगरानी जो वार्डर कर रहा था उसने ऐसा करने की इजाजत नहीं दी। उसने कहा कि बन्दी तो जायगा लेकिन आप उस बैरक में नहीं जायेंगे। आप जहां हैं वहां जाइये। इस पर महेशप्रताप सिंह ने वार्डर का गला पकड़ लिया। वार्डर ने डंडा मार दिया और मारपीट शुरू हो गयी।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

क्या कारागार मंत्री बतायेंगे कि, जैसा उन्होंने उत्तर में बताया, जेल के नियमों का उल्लंघन हुआ, और कोई जांच बैठाई हुई है, तो किन-किन धाराओं में उल्लंघन दिखाया गया और जांच में किन-किन की सत्यता प्रमाणित हुई और किनकी असत्यता प्रमाणित हुई ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

यही तो मैजिस्टीरियल इनक्वायरी हो रही है कि किन धाराओं का उल्लंघन हुआ है, किस पर आफेंस है, किस पर आफेंस नहीं है।

श्री राम करन सिंह (जिला गोरखपुर)—

जैसा कि मंत्री जी ने बताया 36 गवाहों के बयान हो चुके हैं, और कितने गवाहों के बयान से संतुष्ट होंगे, तब जांच खत्म होगी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

अभी तो मैजिस्ट्रेट भी नहीं जानता है। जब तक वह नहीं समझेगा कि पूरी इन्क्वायरी कर ली है तब तक वह गवाहों के बयान लेता जायगा।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

मैं जानना चाहता हूं कि क्या कारण है कि सरकार छात्रों को जेल में पिटवा रही है, दूसरे जो छात्र बी, ए० क्लास में थे उनको अधिकार था, जेल के किचेन घर में जा सकते थे, इसमें कौन सा उल्लंघन हो गया और यह घटना हो गयी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

पांच बजे जब बैरकें बन्द हो जाती हैं उसके बाद दूसरी बैरक में आदमी नहीं जा सकता है। जरा जेल मैनुअल देख लें।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो छात्रों की चोटों का मुआयना हुआ है उसमें चोटें ब्लंट वीपन से लिखी हुई हैं, क्या ब्लंट वीपन में लाठी भी आती है?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

इसमें श्रीमन्, महेशप्रताप सिंह को कंप्यूजन है और सिम्पिल इंजरीज बाई ब्लंट वीपन हैं, सख्त चीज से रगड़ने से और ब्लंट वीपन से साधारण चोटें आयी हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मंत्री जी यह आश्वासन देंगे, जब भी विद्यार्थियों में और अधिकारियों के ऐसे प्रश्न आते हैं, जो क्रिमिनल्स नहीं हैं, वह पोलिटिकल या सामाजिक हैं, ऐसे लोगों के साथ भविष्य में दुर्व्यवहार न हो इस प्रकार का आश्वासन सदन को देंगे?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

यह आश्वासन बराबर रहेगा कि कभी कोई इस तरह से मालट्रीटमेंट न हो।

श्री रूपनाथ यादव सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस घटना के बाद जेल के जरिये से आपके पास कोई शिकायती पत्र विद्यार्थियों का आया है? यदि हां, तो उसको पढ़ कर सुनायेंगे?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन्, ऐसा कोई शिकायती पत्र मेरे पास तो नहीं है।

नगरपालिकाओं का चुनाव तथा तदर्थ डिलिमिटेशन

** 3—श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

क्या यह सही है कि सरकार ने प्रदेश की उन नगरपालिकाओं को जिनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है या शीघ्र होने वाला है, का चुनाव न कराकर अपने नियंत्रण में लेने का निर्णय किया है यदि हां, तो क्यों तथा उसकी पूर्ण रूपरेखा क्या है?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बेनी सिंह)—

जी नहीं। शासन ने ऐसा कोई सामान्य निर्णय नहीं लिया है कि उन सभी नगरपालिकाओं को जिनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है या शीघ्र समाप्त होने वाला है का चुनाव न कराकर अपने नियंत्रण में ले लिया जाय। लेकिन चूंकि निर्वाचन विभाग ऐसी नगरपालिकाओं में जिनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है फौरन ही निर्वाचन करवाने में असमर्थ हैं इसलिये जरूरी समझा गया कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 में ऐसा प्राविधान किया जाय कि यदि किसी नगरपालिका का कार्यकाल समाप्त हो गया है और उसका कार्यकाल बढ़ाया नहीं गया है तो जब तक नये बोर्ड का संगठन नहीं हो बोर्ड का चार्ज एक प्रशासक को दिया जाय। और चूंकि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 में ऐसा कोई प्राविधान नहीं था कि जिन नगर पालिकाओं का कार्यकाल समाप्त हो गया हो तो बोर्ड का चार्ज किसके पास रहे इस लिये उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 22, 1972 द्वारा उपरोक्त ऐक्ट में धारा 10—एए बढ़ा कर इस कमी को दूर कर दिया गया है।

श्री विश्वनाथ कपूर—

जिन नगरपालिकाओं का कार्यकाल 15–20 दिन के अन्दर समाप्त हो रहा है और वहां चुनाव नहीं कराया गया है तो क्या सरकार उनको अपने हाथ में लेने जा रही है अथवा उनका कार्यकाल बढ़ाने जा रही है ?

श्री बेनी सिंह—

हर नगलपालिका का अलग-अलग सवाल है। अलग-अलग उस पर निर्णय होता है। बढ़ाने के काबिल होगी तो कार्यकाल बढ़ा दिया जायगा, नहीं काबिल होगी तो नहीं बढ़ाया जायगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

इस प्रश्न के अन्तर्गत जो नगरपालिकायें हैं उनमें कब तक चुनाव करा लिया जाएगा ?

श्री बेनी सिंह—

मैंने चुनाव आयोग को लिखा था कि हम 72 के अन्त तक चुनाव कराना चाहते हैं। उनका कहना था कि चुनाव कराने के लिये समय बहुत कम है। चूंकि वह नया डिलिमिटेशन कर रहे हैं और 71 की नयी सेन्सस रिपोर्ट आ रही है इसलिये उनके लिये संभव नहीं है कि डिलिमिटेशन जल्दी समाप्त हो जाय। उनको रिमांइंडर भी हम दे चुके हैं कि जल्दी से जल्दी डिलिमिटेशन करा दिया जाय ताकि हम चुनाव करा सकें।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

जब सरकारी बेंचेज की नगरपालिकाओं का चुनाव होना होता है तो बन्द नहीं होता लेकिन जब अपोजीशन की तरफ का चुनाव होना होता है तो बन्द कर दिया जाता है।

श्री बेनी सिंह—

अगर मेम्बर्स को ही जबाव देना है तो मुझे बैठ जाना चाहिये।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या इसके लिये आपने अनलिमिटेड टाइम छोड़ रखा है ?

श्री बेनी सिंह—

जब डिलिमिटेशन हो जायगा तो उसके हिसाब से वोटर्स लिस्ट बनेगी व कागजात बनेंगे। उसमें दो महीने लग जाते हैं। डिलिमिटेशन के बाद तो तीन महीने के अन्दर चुनाव हो जायंगे।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

टेनटेटिव प्रोग्राम आप बतला दें कि इतने समय के अन्दर वोटर्स लिस्ट बन जायगी और इतने समय के अन्दर चुनाव हो जायंगे और इसके साथ एक महीना ग्रेस का भी रख लें ?

श्री बेनी सिंह—

अन्दाज यही है जैसे ही डिलिमिटेशन हो कर वोटर्स लिस्ट आ जायगी चुनाव हो जायेंगे।

श्री अध्यक्ष—

आपका अन्दाज क्या है ?

श्री बेनी सिंह—

अन्दाज यही है जैसे ही डिलिमिटेशन लिस्ट बन जायगी वैसे ही हम दो तीन महीने के अन्दर चुनाव करा देंगे ।

श्री अध्यक्ष—

डिलिमिटेशन में कितना टाइम लगेगा ?

श्री बेनी सिंह—

यह मैं नहीं बतला सकता ।

श्री अध्यक्ष—

क्या भारत सरकार डिलिमिटेशन करा रही है ?

श्री बेनी सिंह—

भारत सरकार नहीं करवा रही है ।

श्री अध्यक्ष—

तब तो आप ही उसके लिये जिम्मेदार हैं ।]

श्री बेनी सिंह—

हर सेन्सस के बाद डिलिमिटेशन होता है । हर म्युनिसिपैलिटी का डिलिमिटेशन हो रहा है । उनसे बार बार कह रहे हैं कि जल्दी कर दीजिये । वह अपनी असमर्थता प्रकट कर रहे हैं

श्री अध्यक्ष—

इसमें फिर चाहे 10 साल लग जायं ?

श्री बेनी सिंह—

आप भी तो सरकार में रहे हैं.....

श्री अध्यक्ष—

आप अंदाज तो बता सकते हैं । वह तो आपके हाथ में है आप आर्डर दे सकते हैं कि इतने समय में हो जाना चाहिए ।

श्री बेनीसिंह—

मैं तो आर्डर दे रहा हूं कि जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिये । उसमें पहले सेन्सस रिपोर्ट बनती है उसके बाद उसमें आब्जेक्शंस आते हैं....

श्री अध्यक्ष—

आप यह बतायें कि आप कितना समय इक्सपेक्ट करते हैं ?

श्री रामधारी शास्त्री—

मान्यवर, इसके राजनीनितक कारण हैं इसलिए नहीं बता रहे हैं ।

श्री बेनी सिंह—

श्री मन्, मैंने अर्ज किया कि जैसे ही डीलिमिटेशन हो जायेगा वैसे ही वह भी हो जायेगा । क्योंकि दोनों काम एक साथ नहीं होते ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगी कि अगर किसी निश्चित अवधि के अन्दर कोई नगरपालिका अपना डीलिमिटेशन कराने की सिफारिश सरकार को नहीं करती तो क्या सरकार स्वयं ही उसका डीलिमिटेशन करके चुनाव की कार्यवाही प्रारम्भ करेगी ?

श्री बेनीसिंह---

अभीतक हमारे सामने ऐसा कोई सवाल नहीं आया है। जब ऐसा सवाल आयेगा, उस वक्त देख लिया जायेगा।

श्री रामधारी शास्त्री---

श्रीमन्,माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा कि चुनाव नहीं हो पाता और उसकी तैयारी नहीं हो पाती तो मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर नियमानुकूल किसी नगरपालिका का समय समाप्त हो रहा हो तो उसे कितने दिनों पहले चुनाव कार्यलय को सूचना देनी चाहिए ? अगर कोई नगरपालिका सूचना नहीं देती तो क्या साधारणतया उसका कार्यकाल बढ़ा दिया जाता है ?

श्री बेनी सिंह---

अगर किसी नगरपालिका के खिलाफ कोई शिकायत हो जैसे जांच आदि हो रही हो या इसी प्रकार की कोई शिकायत हो तो साधारणतया उसका समय नहीं बढ़ाया जा सकता है लेकिन जब केवल डीलिमिटेशन हो रहा हो तब समय बढ़ा सकते हैं।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)---

क्या माननीय मंत्री जी यह बातने कि कृपा करेंगे कि चुनाव कमीशन उत्तर प्रदेश सरकार के मातहत है तो क्या आप उसे निश्चित आदेश देंगे कि फलानी तारीख तक डीलिमिटेशन हो जाना चाहिए ?

श्री बेनीसिंह---

मैं यह नहीं समझता कि चुनाव कमीशन उत्तर प्रदेश सरकार के मातहत है। लेकिन मैंने उनको यह कहा था कि आप 31 दिसम्बर तक डीलिमेटेशन कर दें ताकि हम चुनाव करा सकें लेकिन वे न कर सके।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)---

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि आपने उनको कब पत्र लिखा और उस पर उन्होंने क्या उत्तर दिया जिसमें उन्होंने लिखा कि वे असमर्थ हैं ?

श्री बेनी सिंह---

उन्होंने लिखा कि सेन्सस रिपोर्ट जिस-जिस जिले की मिलती जाती है वैसे ही वे तैयार करते जाते हैं लेकिन 31 दिसम्बर तक के शार्ट नोटिस में वे नहीं बना पायेंगे.....

श्री हिम्मत सिंह---

उनका क्या पत्र आया था, उसे आप सदन को पढ़कर सुना दें।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री विश्वनाथ कपूर---

माननीय मंत्री जी ने कहा कि जिन नगरपालिकाओं की शिकायतें हैं उनको ले लेंगे और बाकी को छोड़ देंगे। तो मैं जानना चाहता हूं कि 15 जनवरी तक कौन-कौन सी नगरपालि-

काओं का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और उनमें से कौन– कौन सी नगरपालिकाओं को आप अपने अधिकार में लेने जा रहे हैं ?

श्री बेनी सिंह—

15 जनवरी तक खत्म होने वाली फैजाबाद, हाथरस और डिवाई, यही हैं।

श्री विश्वनाथ कपूर—

मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष—

किसका-किसका कार्य काल आप बढ़ा रहे हैं ?

श्री बेनी सिंह—

यह प्रश्न अभी सामने नहीं आया है। अलग-अलग प्रश्नों पर अलग-अलग विचार किया जायेगा

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस दिन जौनपुर नगरपालिका का कार्यकाल समाप्त हुआ उसी समय उसका कार्यकाल क्यों नहीं बढ़ाया गया और जिलाधीश ने बिना आदेश के उसे टेकओवर क्यों कर लिया ?

श्री बेनी सिंह—

इसके लिये सूचना की जरूरत है ताकि पूरी इत्तिला दी जा सके।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

इस बात को देखते हुए कि जिन नगरपालिका को टेक ओवर करने का आर्डर होता है वह सही तरीके से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास नहीं पहुंच पाता और नतीजा यह है कि डी० एम० मनमाने ढंग से जिसकी तबियत करती है चार्ज लेता है और जिसकी तबियत नहीं करती चार्ज नहीं लेता है, सरकार इस तरह की व्यवस्था करेगी कि जिस रोज किसी नगरपालिका को टेक-ओवर करने का आर्डर हो उसी रोज वह आर्डर जिलाधीश को चले जाया करें ?

श्री बेनी सिंह—

यह व्यवस्था जरुर करेंगे।

श्री बलवीर सिंह (जिला मेरठ)—

जिस वक्त किसी नगरपालिका के कार्यकाल को बढ़ाने का निर्णय लिया जाता है तो आबि-ट्रेरिली यह निर्णय ले लिया जाता है या उसका कोई आधार है ? यदि आधार है तो वह क्या है ?

श्री बेनी सिंह—

इस तरह के निर्णय करने में सब बातों को देखा जाता है। ऐसे थोड़ा सा डिस्क्रिशन तो रहता ही है।

श्री बलवीर सिंह—

आखिर किस आधार पर निर्णय किया जाता है?

श्री बेनी सिंह—

उनके खिलाफ शिकायत तो नहीं है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उसकी डिसिप्लीन क्या है, आदि-आदि बहुत सी चीजें देखी जाती हैं।

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)—

अभी माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि कार्यकाल समाप्त होने पर जौनपुर नगरपालिका को जब्त कर लिया गया लेकिन क्या यह बात सही है कि उनके कार्यकाल की भी अनियमितता की बहुत सी शिकायतें रही हैं ?

श्री बेनी सिंह—

अगर शिकायतें न होतीं तो उसका टाइम बढ़ा दिया जाता। शिकायतें रही हैं इसीलिए तो टाइम नहीं बढ़ाया गया।

(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ कपूर—

श्रीमन्, प्रश्नोत्तर करने वाले सदस्य को तीन चार प्रश्न करने की आज्ञा है लेकिन मुझे अभी केवल एक प्रश्न करने की ही आज्ञा मिली है। मैं कुछ और प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

मैंने श्री चन्द्रभान शर्मा को बुला लिया है।

प्रदेश में पेयजल योजना, सीवेज व ड्रेनेज की प्रगति

**4—श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस वित्तीय वर्ष 1972-73 में भारत सरकार से पेयजल योजना, सीवेज व ड्रेनेज के लिये कितना रुपया उत्तर प्रदेश के लिये प्राप्त हुआ और इस योजना के अन्तर्गत अब तक कितनें सर्किल और डिवीजन नये खोले गये और इनमें क्या-क्या प्रगति हुयी और कितने खुलने बाकी हैं और प्राप्त हुए रुपये में से कितना खर्च किया जा चुका है और कितना बाकी है ? क्या यह भी सच है कि इस योजना में प्राप्त हुआ रुपया अगर बचेगा तो वह लैप्स हो जायगा और भारत सरकार आगामी साल में उतना रुपया कटौती कर देगी ?

श्री बेनी सिंह—

1972-73 में त्वरित पेयजल कार्यक्रम के लिए भारत सरकार ने 225 लाख रूपया उत्तर प्रदेश को स्वीकृत किया है। इसमें से भारत सरकार ने 56 लाख रु0 की राशि अवमुक्त कर दी है। जो योजनाएं ली गई हैं उनके लिए तीन मंडल व 15 निर्माण शालाएं स्वायत्त शासन अभियन्त्रा विभाग में खोलने के लिए मंजूरी दे दी गई है।

योजना प्रगति पर है और अभी तक 78 लाख रुपया व्यय किया जा चुका है। बाकी धन भी इस वर्ष खर्च होने की पूरी आशा है।

भारत सरकार ने अपने एक पत्र में यह लिखा है कि यदि इस योजना का कार्यान्वयन संतोष जनक नहीं रहा तो योजना के लिए जो धन स्वीकृत किया गया है उसमें कटौती की जा सकती है लेकिन जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है पूरा रुपया खर्च होने की पूरी आशा है।

ड्रेनेज व सीवरेज योजना के लिए भारत सरकार से अलग से कोई धन प्राप्त नहीं हुआ है

श्री चन्द्रभान शर्मा—

श्रीमन मंत्री जी ने बताया कि 225 लाख रुपया मंजूर हुआ 55 लाख रुपया रिलीज हुआ और अब तक 78 लाख रुपया खर्च हुआ। अब केवल तीन महीने रह गये हैं और 169 लाख रुपया खर्च करना बाकी है और इस सिलसिले में जो सात सर्किल और 50 डिवीजन

अभी तक एस0 खुले है उनमें इज0 और ई0इज0 के पोस्टिंग्स नहीं हुए है, इसलिये रुपया खर्च नहीं हो पाया है और आपने कहा है कि यदि संतोषजनक कार्य नहीं हुआ तो इस धनराशि में कटौती कर दी जायेगी। इसकी जिम्मेदारी किस की होगी !

श्री बेनीसिह--

श्रीमन सवाल बहुत लम्बा है और इसमें कई सवाल है। एक-एक सवाल करें तो जवाब मिल जायेगा।

श्री चन्द्रभान शर्मा--

सात सर्किल और 50 डिवीजन खोले गये हैं, उनके अन्दर एक्जीक्यूटिव इंजीनियर और एस0ईज0 नहीं है जब कि काम के केवल तीन महीने रह गये हैं और फाइल आपकी मेज पर या कहीं और पड़ी हुई है। उनकी नियुक्ति क्यों नहीं की गई जिससे काम में डिले हो रही है ?

श्री बेनीसिह--

एस0ईज0 की नियुक्ति हो गई है।

श्री चन्द्रभान शर्मा--

कब हो गई है ?

श्री बेनी सिह--

अभी हाल में हुई है।

श्री चन्द्रभान शर्मा--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि भारत सरकार के आदेश हैं कि काम तेजी से कराइये तो पुराने डिवीजनों से काम क्यों कराया जा रहा है। नये डिवीजन से क्यों नहीं कराया जा रहा है ? जब कि पुराने का काम सफर हो रहा है और नये चालू नहीं हो पा रहे हैं।

श्री बेनी सिह--

श्रीमन्, मैं एक बात जानता हूं कि काम चाहे नये से कराऊं या पुराने से कराऊं लेकिन 225 लाख रुपया इस साल में खर्च होगा।

श्री चन्द्रभान शर्मा--

जबकि 9 महीनों में केवल 78 लाख रुपया खर्च हुआ है तो तीन महीने में इतना रुपया कैसे खर्च होगा ?

श्री अध्यक्ष--

जब 9 महीनों में कुल 78 लाख रुपया खर्च हुआ है और 1 करोड़ 50 लाख रुपया बाकी रह गया है वह तीन महीने में खर्च हो जायेगा ?

श्री बेनी सिह--

जी हां। (व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी--

इसमें सीमेंट में कितना बालू मिलेगा?

श्री बेनी सिह --

बालू तो श्रीमन्, गंगा जी से आता है। (व्यवधान)

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि हमारे यहां जो डिवीजन खुला है उसका कोई संगठन नहीं हुआ है और न असिस्टेंट इंजीनियर या जितना स्टाफ चाहिये या जितना पैराफरनेलिया चाहिये वह कुछ नहीं है, केवल डिवीजन खुल गया है जिससे काम की प्रगति बहुत कम है ? क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे ?

श्री बेनी सिंह

श्रीमन्, मैं पहले तो माननीय सदस्य को यह बता दूं कि इस योजना में गाजीपुर नहीं है, दूसरे जो बात उन्होंने जांच कराने की कही है वह करा लूंगा।

श्री बलबीर सिंह---

श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि देखने में यह आया है कि करीब-करीब सभी विभागों में या तो रुपया ब्लाक हो जाता है या सरेंडर हो जाता है जिससे काफी नुकसान पहुंचता है । अब केवल तीन महीने रह गये हैं तो कौन सा तरीका अपनाया जा रहा है जिससे यह रुपया इस्तेमाल हो सके ?

श्री बेनी सिंह---

कौन तरीका इस्तेमाल करने जा रहे हैं, यह तो आपके सामने आ जायगा । मैं तो यह जानता हूं कि खर्चा हो जायगा ।

श्री जगबीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने आपसे यह कहा कि यदि आप उसका कार्य करवा दें तो वे एक सर्किल और 6 डिवीजन का खर्चा वहन करने के लिये तैयार हैं लेकिन यहां से कोई उत्तर न जाने के कारण वे हरियाणा व पंजाब से कराने की बात कर रहे हैं ?

श्री बेनी सिंह---

मुझे तो ज्ञात नहीं है । यदि आपने कोई सूचना दी है तो मैं जांच करवा लूंगा ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किस आधार पर इस योजना का जनपदों में इस्तेमाल किया गया है और बलिया को क्यों नहीं लिया गया है ?

श्री बेनीसिंह---

कुछ जिले ऐसे थे जहां पर पानी की स्केयरसिटी थी । तो भारत सरकार ने 18-20 जिले कहे थे इनमें हम काम करना चाहते हैं। हमारे यहां से ऐसे जिलों की एक स्कीम बनाकर भेजी गयी। भारत सरकार ने 225 लाख रुपये की कुछ स्कीम मंजूर की और जो 10-12 जिले हैं, उनमें काम आरम्भ कर दिया है। भारत सरकार शत प्रतिशत खर्चा करती है और जिन जिलों की स्कीम मंजूर कर ली है, उन्हीं में हम काम कराते हैं ।

श्री लक्ष्मण स्वरूप (जिला मेरठ)---

भारत सरकार से हम यह शिकायत करते हैं हमारे प्रदेश को कम रुपया मिलता है लेकिन यदि वह रुपया अगर हमको मिलता है तो वह समय पर खर्च नहीं किया जाता है। तो क्या इससे हमारी अयोग्यता जाहिर नहीं होती है ?

श्री अध्यक्ष---

यह तो आप राय बता रहे हैं ।

श्री लक्ष्मण स्वरूप---

श्रीमन्, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है । जब 3 महीने ही शेष हैं तो किस प्रकार से यह रुपया इस्तेमाल कर सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष---

यह तो आप सिर्फ बता रहे हैं ।

श्री चन्द्र भान शर्मा---

क्या निश्चित रूप से आश्वासन देकर माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि सर्किल और डिवीजन्स को स्वीकृत करके उनमें कब तक अधिकारियों की नियुक्ति कर देंगे ?

श्री बेनी सिंह---

अगर आप पूरी डिटेल जानना चाहेंगे तो बाद में बता दूंगा । इस समय तो मेरे पास डिटेल नहीं है।

श्री चन्द्र भान शर्मा---

श्रीमन्, अब तक 9 महीने हो गये हैं । फाइल इनकी मेज पर पड़ी है । यह 3 महीने में पूरा करने का आश्वासन दे रहे हैं । आखिर यह किस तरह से पूरा होगा, इनसे आप जवाब दिलवाइये ?

श्री अध्यक्ष---

जब इनके पास जवाब ही नहीं तो कैसे दिलवा दूं।

श्री बेनी सिंह---

श्रीमन्, 3 महीने के अन्दर यह रुपया खर्च हो जायगा ।

श्री चन्द्र भान शर्मा---

मान्यवर, आप इस विषय पर 1/2 घंटे की चर्चा करवा दें । यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं 1 1/2 घंटे की चर्चा करवाने की सूचना दे दूं ?

श्री अध्यक्ष---

आप लिख कर दे दीजिये ?

[दि0 18 दिसम्बर, 1972 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

तारांकित प्रश्न

सुधार अधिकारियों एवं प्रोवेशन अधिकारियों से सम्बद्ध योजना

*1---श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)---

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि सुधार अधिकारियों एवं प्रोबेशन अधिकारियों के कार्यों में समानता है इसी कारण निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण प्रोबेशन एवं सुधार अधिकारियों के कार्यों को सुचारु रूप से चलाने हेतु कोई योजना शासन को भेजी है जिसमें लगभग पौने दो लाख की बचत का अनुमान है। यदि हां, तो उक्त के संबंध में शासन द्वारा क्या किया जा रहा है ?

समाज कल्याण उपमंत्री (श्री गुलाब सिंह)---

जी हां ।

प्रश्नगत प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है।

श्री राम लाल राही

सुधार अधिकारियों एवं प्रोबेशन अधिकारियों के बारे में योजना निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग, ने शासन को कब भेजी और है क्या माननीय मंत्रीजी सदन को अवगत कराने की कृपा करेंगे कि शासन ने उस पर क्या कार्यवाही की है ।

समाज कल्याण, राज्य मंत्री (बेगम हमीदा हबीबुल्ला)---

अध्यक्ष महोदय, वह हमारे विचाराधीन है। अक्तूबर, 1971 में वह वित्त विभाग में भेजा गया था ।

श्री राम लाल राही---

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि वह योजना क्या है क्या उसे सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

बेगम हमीदा हबीबुल्ला---

अध्यक्ष महोदय, अभी तो वह विचाराधीन है । अभी कैसे सदन में रख दें ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उस योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं उन पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे ?

बेगम हमीदा हबीबुल्ला---

अध्यक्ष महोदय, चूंकि रिफार्मेशन आफिसर और प्रोबेशन आफिसर का काम कुछ लगभग एक ही तरह का होता है---रिफार्मेशन आफिसर का काम सोलह वर्ष के बच्चों को और प्रोबेशन आफिसर का काम 24 वर्ष के बच्चों को देखना है और यह काम लगभग एक ही तरह का है इसलिये उसके एकीकरण करने की योजना तैयार की गई है....

श्री नित्यानन्द स्वामी---

श्रीमन्, पचास वर्ष के बच्चों को कौन देखता है ?

श्री अध्यक्ष---

वे पूछेंगे । क्या आपको उत्तर मिल गया ?

बेगम हमीदा हबीबुल्ला---

अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि इतना शोर हो रहा था मैं समझ नहीं पाई कि सवाल क्या था ?

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है कि जब सवाल समझ में ही नहीं आया तो उत्तर क्या दिया मंत्री जी ने ?

श्री अध्यक्ष---

जब आप हंसने लगे तो उन्हें समझ में आया कि वे ठीक समझीं ही नहीं सवाल....

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो योजना वित्त विभाग में विचाराधीन है उसकी मोटी-मोटी बातें क्या हैं ?

बेगम हमीदा हबीबुल्ला---

मान्यवर, उसकी मुख्य-मुख्य सिफारिशें ये हैं कि रिफार्मेशन आफिसर और प्रोबेशन आफिसर का काम एक साथ मिला रहे हैं। उसमें एक तो यह फायदा होगा क्योंकि काम एक सा है इसलिये अगर वह एक जगह मिला दिया जाय तो हमें 1,77,900 की बचत होगी और अभी हमारे पास 41 यूनिट हैं प्रोबेशन आफिसर के साथ और 26 और 28 अलग-अलग प्रोबेशन आफिसर और रिफार्मेशन आफिसर। और 70 लोगों की जरूरत है। अगर हम मिला देंगे तो उसमें हमारा काम भी एक जगह हो जायेगा बिल्डिंग भी एक जगह हो जायेगी और चूंकि काम एक ही है एक साथ करने से बचत भी होगी और काम भी सही तरीके से हो सकेगा।

श्री राम लाल राही---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह सत्य है कि दो वर्षों से अधिक हो चुका, सुधार अधिकारियों के पदों को चलते रहने की इजाजत नहीं दी जिससे उनके वेतन वगैरह मिलने में कठिनाई हो रही है। यदि हां, तो उनके स्वीकृत करने का आश्वासन माननीय मंत्री जी देंगी?

बेगम हमीदा हबीबुल्ला---

अक्तूबर, 1971 में विभाग द्वारा वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा गया था। उन्होंने अपनी रजामन्दी नहीं दी है इसलिये इस विषय में कोई निर्णय लिया जाना मुमकिन नहीं है।

श्री अध्यक्ष---

उनका कहना है कि दो आफिसर्स जो हैं उनको पैसा नहीं मिल रहा है। आप दिलाने की कोशिश करेंगी?

बेगम हमीदा हबीबुल्ला---

अध्यक्ष महोदय, जरूर उन्हें पे दिलाने का इन्तजाम किया जायेगा।

श्री राज मंगल पांडेय (जिला देवरिया)---

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि शासन को यह रिपोर्ट कब प्राप्त हुई है और शासन उससे सहमत है या नहीं और अगर सहमत है तो क्यों इतनी देरी हो रही है जबकि इसमें एक लाख सत्तर हजार की बचत होने की बात है?

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)---

श्रीमन्, यदि इसमें वाकई इतनी बचत होने की बात है तो शासन इसे शीघ्र मंजूर कर लेगा।

श्री राज मंगल पांडेय---

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मैंने पूछा कि कब रिपोर्ट आयी और शासन सहमत है या नहीं और अभी तक उसे कार्यान्वित क्यों नहीं किया गया?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

श्रीमन्, यह प्रश्न अभी ऊपर स्तर पर नहीं आ पाया होगा, इसमें आपस में विचार-विमर्श हो रहा होगा। लेकिन अगर वाकई में एक लाख सत्तर हजार की बचत की बात है तो मैं इसको निकलवा लूंगा।

श्री राज मंगल पांडेय—

मैंने यह पूछा कि शासन के पास रिपोर्ट कब आयी और क्या शासन उससे सहमत है और जब इतनी बचत होने की बात है तो इतनी देर क्यों लगी ?

बेगम हमीदा हबीबुल्ला—

मैंने जैसा कि अभी बताया, शासन के विचाराधीन है ।

श्री अध्यक्ष—

आपने कहा कि शासन ने वित्त विभाग को भेज दिया । तो आपने मंजूर करके भजा है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, यह समुचित उत्तर नहीं दे सकती हैं । इनको चिड़ियाघर में भिजवा दीजिए ।

(हंसी)

*2—श्री नेतराम सिंह, श्री राम निहोर राय तथा श्री राम बचन यादव—

[माननीय सदस्यों ने वापस लिया]

प्रदेश की कास्ट आफ लिविंग में वृद्धि को रोकने के उपाय

*3—श्री राम गोपाल संड—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश की कास्ट आफ लिविंग में वृद्धि रोकने के लिये पिछले 2 वर्ष में कौन-कौन से कदम उठाये गये हैं ? शासन इसमें कहां तक सफल हुआ है ?

खाद्य तथा रसद राज्य मंत्री (श्री यादवेन्द्र सिंह)—

आवश्यक सूचना †सदन के पटल पर रख दी गई है ।

श्री रामगोपाल सण्ड—

श्रीमन्, इन्होंने लिखा है कि शासन ने 35 जिलों में यह आदेश दिए हैं कि बड़े नगरों को या गांव के रहने वालों को अमुक मात्रा में राशन दिया जायगा, तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आपने पिछले महीने एक नयी राजाज्ञा निकाली है कि जिसमें कोई गरीब किसी कारण से पन्द्रह तारीख तक अपना राशन न ले सके तो वह लैप्स हो जायगा ? यदि हां, तो क्या उस आदेश को बदल कर यह आदेश देंगे कि पूरे महीने का राशन ले सके ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

जी नहीं ।

श्री रामगोपाल सण्ड—

आपने कहा है कि चीजों के दाम रोकने के लिए शासन ने 35 जिलों में राशनिंग कायम कर दी है परन्तु चूंकि एफ0 सी0 आई0 चावल नहीं दे रही है इसलिये दाम बढ़े । लेकिन आपने यह जो जबरदस्ती एक नयी राजाज्ञा निकाल दी कि कोई आदमी अगर पन्द्रह दिन तक नहीं ले पाता है—मान लीजिए किसी को 18 तारीख का वेतन मिलता है—तो वह 15 दिन का राशन उसे नहीं मिलेगा । आपने ऐसा आदेश किन कारणों से निकाला ?

---

†छापी नहीं गयी ।

श्री यादवेन्द्र सिंह---

एक साथ एक महीने का गल्ला देने का प्राविधान तो है नहीं। जब 15 दिन निकल गए तो यही हित में होता है कि वह लैप्स हो जाय।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

आखिर क्यों लैप्स हो जाय ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री रामगोपाल सण्ड---

क्या यह सही है कि अभी तक महीने में एक बार ले, चाहे दो बार ले, चाहे तीन बार लें, पूरा गल्ला और चीनी मिलती थी, लेकिन अब अगर 18 तारीख को जायेगा तो आधा ही मिलेगा ? यदि हां, तो जो ऐसी राजाज्ञा आपने मनमाने ढंग से निकाल दी है उसको बदलने की कृपा करेंगे ?

श्री यादवेन्द्र सिंह---

जो दूसरी राजाज्ञा निकाली गयी वह यह देखते हुए निकाली गयी कि ऐसी राजाज्ञा निकालना उपयुक्त है और अब उसकी उपयुक्तता को समझने के बाद फिर से बदलना मुनासिब नहीं लगता।

रजिस्ट्रेशन कार्यालयों में लेखपत्रों की फाईलिंग पद्धति

*4---श्री राम गोपाल संड तथा श्री रियासत हुसैन---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश निबन्धन विभाग में लेखपत्रों के फाइलिंग योजनान्तर्गत किन-किन श्रेणियों के अस्थाई निबंधन लिपिकों को कार्य से पृथक करने की योजना सरकार के विचाराधीन है तथा इसकी रूपरेखा क्या है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

प्रदेश के रजिस्ट्रेशन कार्यालयों में लेखपत्रों की फाईलिंग करने की प्रणाली अभी चालू नहीं की गई है, अतः किसी निबन्धन लिपिक को कार्य से पृथक करने का कोई प्रस्ताव फिलहाल शासन के विचाराधीन नहीं है। उक्त प्रणाली के अन्तर्गत प्रत्येक लेखपत्र के साथ उसकी एक सत्य प्रति भी प्राप्त की जायगी जिसका मूल प्रति से मिलान करके गार्ड फाइल में चिपका कर लेखपत्र अपेक्षाकृत शीघ्र वापस करना सम्भव हो सकेगा।

कासगंज, जिला एटा के स्कूलों में छात्रवृत्ति में विलम्ब

*5---श्री सियाराम (जिला एटा)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कन्या अनावती महाविद्यालय, कासगंज, जिला एटा की वर्ष 1970-71 व 1971-72 में हरिजन कल्याण विभाग, एटा द्वारा छात्रवृत्तियां स्वीकार हुई और क्या यह सच है कि यह छात्रवृत्तियां कालेज द्वारा अभी तक छात्राओं में 31 जुलाई, 1972 तक वितरण नहीं की गई है ? यदि हां, तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

खाद्य तथा रसद मंत्री (डाक्टर सीताराम)---

प्रश्नगत वर्षों में कन्या अन्तरवर्तीय महाविद्यालय कासगंज, एटा की छात्राओं को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों एवं अनावर्ती सहायता के सम्बन्ध में प्राप्त सूचना के अनुसार

नोटः---तारांकित प्रश्न संख्या 3 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

[डाक्टर सीताराम]

आवश्यक तथ्यों का विवरण, स्वीकृति एवं भुगतान की तिथियों सहित †संलग्न सूची 1 तथा 2 में दिया हुआ है। आंशिक भुगतान 31-7-72 के पूर्व कर दिया गया था, तथा शेष भुगतान बाद में किया जा चुका है। भुगतान में बिलम्ब होने का मुख्य कारण यह था कि उक्त विद्यालय ने जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित बिलों को ट्रेजरी से बहुत समय बाद कैश कराकर छात्रवृत्तियां बांटी। इस मामले में उक्त अधिकारी कहां तक जिम्मेदार ठहराया जा सकता है इसके बारे में आगे जांच की जा रही है।

*6--श्री सियाराम--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आजाद गांधी हायर सेकेन्ड्री स्कूल, कासगंज, जिला एटा, को वर्ष 1971-72 में हरिजन विभाग, एटा से छात्रवृत्तियां स्वीकार की गईं? क्या यह सच है कि छात्रवृत्तियां स्वीकृत होने के बाद भी इन छात्रवृत्तियों का वितरण 31 जुलाई, 1972 तक नहीं किया गया? यदि हां, तो सरकार ने छात्रवृत्तियां न देने के विरुद्ध संबंधित अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की?

डाक्टर सीताराम--

वर्ष 1971-72 में आजाद गांधी हायर सेकेंडरी स्कूल कासगंज (एटा) के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों एवं अनावर्ती सहायता के सम्बन्ध में प्राप्त सचना के अनुसार आवश्यक तथ्यों का विवरण, स्वीकृति एवं भुगतान की तिथियों सहित †संलग्न सूची 3 में दिया हुआ है। इस मामले में भी आंशिक भुगतान 31-7-72 के पूर्व कर दिया गया था तथा शेष भुगतान बाद में किया जा चुका है। भुगतान में बिलम्ब मुख्यतः इस कारण हुआ कि उक्त स्कूल ने भी प्रतिहस्ताक्षरित बिलों को बिलम्ब से कैश कराया। इसके अलावा एक प्रतिहस्ताक्षरित बिल स्कूल द्वारा खो दिया गया और उसके बारे में दुबारा कार्यवाही करने में भी काफी समय लगा। तथापि बिलम्ब से भुगतान होने में कहां तक जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी की जिम्मेदारी थी इसके बारे में आगे जांच की जा रही है।

बलरामपुर राज्य विद्युत् कम्पनी के कर्मचारियों की वरीयता

*7--श्री शचीन्द्रनाथ बख्शी (जिला वाराणसी)--

क्या विद्युत मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि दिनांक 13-5-64 को बलरामपुर राज्य विद्युत कम्पनी (निजी क्षेत्र) से लिये गये कर्मचारियों की वरीयता अभी तक निर्धारित नहीं की गई जबकि उन लोगों की सेवा की निरन्तरता स्वीकार कर ली गई है? यदि हां, तो वरीयता कब तक निर्धारित कर दी जायेगी?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

जी हां। वरीयता निर्धारित किये जाने का प्रश्न राज्य विद्युत परिषद् के विचाराधीन है।

*8--श्री राम सागर--

[व्यक्तिगत होने के कारण निरस्त]

---

†छापी नहीं गयी।

कोषागार अधिकारी के पद पर नियुक्ति

*9—श्री शचीन्द्रनाथ बख्शी तथा श्री राम सागर (जिला जौनपुर)—

क्या वित्त मंत्री कृपया यह बतलायेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश के कोषागार विभाग में पिछले 3 वर्ष के अन्तर्गत कितने कर्मचारी विभागीय पदोन्नति के द्वारा कोषागार अधिकारी के पद पर नियुक्त किये गये और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

पिछले तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश के कोषागार विभाग में 15 कर्मचारी कोषाधिकारी के पद पर विभागीय पदोन्नति द्वारा अस्थायी आधार पर नियुक्त किये गये। स्थायी रूप से पदोन्नति के लिए चयन संशोधित सेवा नियमावली के प्रकाशन के उपरान्त किया जायेगा ।

लखनऊ व हरदुआगंज (अलीगढ़) में मक्का का नीलाम

*10—श्री हिम्मत सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो मक्का 52 व 55 रुपया प्रति क्विंटल एफ0 सी0 आई0 ने इस वर्ष में खरीदी थी वही मक्का 69–70 रुपया प्रति क्विन्टल की दर से लखनऊ व हरदुआगंज, जिला अलीगढ़ में नीलाम की ? यदि हां, तो इस मक्का को तेजी से बेंचने का क्या कारण है ?

डाक्टर सीताराम—

भारतीय खाद्य नियम ने वर्ष 1970–71 में मूल्य संरक्षण योजना के अन्तर्गत रुपया 55.00 प्रति कुंतल की दर से मक्का खरीदा था । वर्ष 1972 में उन्होंने इसे 53.30 से लेकर 72.05 रुपया प्रति कुंतल की दर से लखनऊ व हरदुआगंज में नीलाम किया । यह मक्का खराब होने लगी थी और सस्ते गल्ले की दुकानों पर इसकी मांग नहीं थी ।

उक्त मक्का को खरीद के लगभग दो वर्ष बाद 1972 में बेचा गया था तथा खरीद मूल्य व संग्रहण की अवधि में हुए अन्य खर्चों, जैसे प्रशासनिक एवं संग्रह व्यय, मार्गगत एवं संग्रह हानियां, खरीद में लगाई गई धनराशि पर ब्याज, आदि को ध्यान में रखते हुए विक्रय मूल्य अधिक नहीं था ।

नीलाम भारत सरकार की स्वीकृति के उपरांत ही खाद्य निगम ने किया था।

तहसील डेरापुर, कानपुर के ग्रामों का विद्युतीकरण

*11—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1972 के 8वें सोमवार के लिये निर्धारित प्रश्न सं0 56 के उत्तर के संदर्भ में क्या विद्युत् मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा कानपुर जिले की डेरापुर तहसील के ग्रामों के विद्युतीकरण की जो योजना हिन्दुस्तान कार्मशियल बैंक के अन्तर्गत बनाई गई है, वह किस-किस विद्युत् लाइन की है । अलग-अलग कितनी लम्बा ; किन-किन गांवों के लिये है और उसकी कुल धनराशि क्या है तथा हिन्दुस्तान कार्मशियल बैंक को उक्त योजना कब भेजी गई और कब शुरू की जायगी ? बिलंब किये जाने के कारण क्या है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

डेरापुर तहसील, जिला कानपुर के ग्रामों के विद्युतीकरण की जो योजना हिन्दुस्तान कामशियल बैंक से प्राप्त होने वाले ऋण के आधार पर बनाई गई है, उसमें 129 किलोमीटर 11 के0 वी0 मुख्य लाइन 190 किलोमीटर 11 के0 वी0 अतिरिक्त लाइन तथा 192.20 किलोमीटर

एल0 टी0 लाइन बननी हैं । इनमें से 11 के0 वी0 मुख्य लाइनों का अलग-अलग ब्योरा संलग्नक–1 में दिया गया है।

इस योजना के अन्तर्गत 191 ग्रामों का विद्युतीकरण होना है, जिनकी सूची संलग्नक-2 में दी गई है । योजना की अनुमानित लागत 80.10 लाख रुपया है जिसमें से 50 लाख रु0 बैंक के ऋण तथा शेष 30.10 लाख रु0 परिषद् अपने संसाधनों से पूरा करेगा।

यह योजना हिन्दुस्तान कार्माशियल बैंक को 21 दिसम्बर, 1971 को 50 लाख रुपये की ऋण की स्वीकृति हेतु भेजी गई थी। बैंक ने उपर्युक्त ऋण की स्वीकृति 3 जुलाई, 1972 को दी तथा अन्य आवश्यक पूर्तियों के पश्चात् 15 सितम्बर, 1972 को बैंक से यह ऋण प्राप्त कर लिया गया है । इस योजना पर कार्य प्रारम्भ करने के आदेश दिये जा चुके हैं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे 728 पृष्ठ पर)

शाहजहांपुर में शराब के ठेकेदारों पर बकाया बिक्री-कर

*12—श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि शाजहांपुर में कितने शराब के ठेकेदार ऐसे हैं, जिन पर 10 हजार से अधिक शराब का बिक्री-कर दिनांक 11–9–72 तक बकाया है और उनसे वसूल न किये जाने के क्या कारण हैं?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

बिक्री-कर के बकायों के बारे में कोई सूचना किसी महीने के अन्तर्गत किसी तारीख विशेष की नहीं रखी जाती अतः 30 सितम्बर, 1972 तक के बकायों का विवरण ही दिया जा सकता है । उक्त विवरण के अनुसार दिनांक 30–9–1972 तक शाहजहांपुर में 7 शराब के ठेकेदार ऐसे थे जिन पर 10 हजार से अधिक का बिक्री-कर बकाया था । सभी ठेकेदारों से बकाया वसूल करने के लिये वसूली के प्रमाण-पत्र जिला के क्लेक्टर को इस आशय से जारी किये जा चुके हैं कि वह भू-राजस्व की भांति बिक्री-कर वसूल करने की कार्यवाही करें। बकाया की वसूली की कार्यवाही की जा रही है । वसूली की कार्यवाही उन्हीं मामलों में स्थगित है जहां बकायादार सक्षम अधिकारियों से रोक (Stay) के आदेश प्राप्त कर चुका है।

*13—श्री इन्द्रलाल—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

श्री पी० बी० बनर्जी मेन्स, अभियन्ता, मुरादाबाद के विरुद्ध आरोप

*14—श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई (जिला मुरादाबाद)—

क्या विद्युत् मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि श्री पी0बी0 बनर्जी, मेंस अभियंता कितने समय से मुरादाबाद में हैं ? क्या हाइड्रो इलेक्ट्रिक एम्प्लाइज यूनियन ने इनके दुर्व्यवहार के बारे में शिकायत की है, यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्री पी0बी0 बनर्जी अब निःसंवर्ग सहायक अभियंता हैं और यह विद्युत् खंड, मुरादाबाद में वर्ष 1959 से हैं ।

दुर्व्यवहार के संबंध में इनके विरुद्ध उक्त यूनियन की कोई शिकायत राज्य विद्युत् परिषद् को प्राप्त नहीं हुई है । अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

मुनि की रेती टिहरी गढ़वाल में श्री मेहरबान सिंह की बिजली से मृत्यु

*15—श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

क्या विद्युत् मंत्री को यह मालूम है कि मुनि की रेती टिहरी-गढ़वाल में 20 जून, 1972 को श्री मेहरबान सिंह पुत्र कल्याण सिंह की मृत्यु विद्युत् तार के लपेट में आने के कारण हुई है? यदि हां, तो क्या विद्युत् विभाग वाले मृतक के माता-पिता को सहायता देंगे?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जी हां। यह दुर्घटना नगरपालिका, ऋषिकेश के सप्लाई क्षेत्र में हुई है अतः मृतक के माता-पिता को सहायता देने का संबंध भी उन्हीं से है। विद्युत् विभाग से इसका कोई संबंध नहीं है।

टाउन एरिया कमेटी, अकबरपुर को विद्युत् विभाग द्वारा कनेक्शन

*16—श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

क्या विद्युत् मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि टाउन एरिया कमेटी, अकबरपुर, फैजाबाद ने अपने पत्र सं0 टा0ए0 194/1971-72(अ), दिनांक 8-11-71 द्वारा स्ट्रीट लाइट का जो विस्तार चाहा था उसका तखमीना विभाग ने कब दिया और कमेटी ने रुपया कब जमा किया और विद्युत् विभाग ने तार खींचकर कनेक्शन कब दिया? यदि अब तक कनेक्शन नहीं दिया, तो क्यों?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

टाउन एरिया कमेटी अकबरपुर ने अपने प्रश्नगत पत्र द्वारा स्ट्रीट लाइन का जो विस्तार चाहा उसका तखमीना माह नवम्बर, 1971 में तैयार किया गया जिसका पैसा दिनांक 30-3-72 को टाउन एरिया कमेटी ने चेक द्वारा जमा किया। विद्युत् विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही तथा तार बगैरह खींचकर कनेक्शन माह सितम्बर, 1972 के तृतीय सप्ताह में दिया गया।

*17—श्री जयराम वर्मा—

क्या मंत्री जी इस विषय में जिलाधिकारी, फैजाबाद द्वारा अधिशासी अभियंता, अनुरक्षण खंड, फैजाबाद को लिखे गये पत्र सं0 509-टी0ए0सी0, दिनांक 24, मार्च 1972 की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

प्रतिलिपि संलग्न है।

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 731 पर)

जिला सुल्तानपुर में कूप निर्माण की मांग

*18—श्री नेतराम सिंह (जिला एटा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम पुरे बेलखरिया, जिला सुल्तानपुर के हरिजनों का कोई प्रार्थना-पत्र कुएं के निर्माण के बारे में दिनांक 7-9-72 प्रश्नकर्त्ता की संस्तुति के साथ प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

डाक्टर सीताराम—

जी हां।

प्रत्येक जिले में अनुदानार्थी हरिजनों को पेयजल कूप के निर्माण हेतु अनुदान की स्वीकृति स्थानीय जिला हरिजन समाज कल्याण समिति की संस्तुतियों के अनुसार की जाती है अतः प्रश्नगत प्रार्थना-पत्र हरिजन एवं समाज कल्याण निदेशालय के माध्यम से जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी, सुल्तानपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया है ।

प्रदेश में विद्युत् की दरों में वृद्धि

*19—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या विद्युत् मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश आम व्यक्तियों द्वारा घर में प्रयोग होने वाली बिजली तथा किसानों द्वारा प्रयोग किये जाने वाली विद्युत् की दरों में हाल ही में की गई वृद्धि का विरोध प्रदेश भर में हुआ है और उनको इस विषय पर स्थान-स्थान से प्रतिवेदन मिले हैं । यदि हां, तो क्या सरकार अपने पूर्व निर्णय पर पुनर्विचार करके विद्युत् की दरों को पूर्ववत् करने पर विचार करेगी ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

प्रदेश में विद्युत् की सप्लाई राज्य विद्युत परिषद् द्वारा तथा निजी एवं म्युनिसिपल विद्युत् सप्लाई अधिष्ठानों द्वारा की जाती है ।

एक जनवरी, 1972 से राज्य विद्युत् परिषद् ने अपनी फुटकर तथा थोक विद्युत् सप्लाई की दरों में बढ़ोत्तरी की है इसके फलस्वरूप निजी एवं म्युनिसिपल विद्युत् अधिष्ठानों को भी अपनी दरों में वृद्धि करने की स्वीकृति शासन द्वारा दी गई । दरों में वृद्धि के विरुद्ध कोई विशेष विरोध की सूचना नहीं है । समय-समय पर जो आवेदन-पत्र प्राप्त होते रहते हैं, उनके यथोचित उत्तर दे दिये जाते हैं बिजली की परिवर्तित दरें सभी पहलुओं पर पूर्ण विचार करने के बाद ही लागू की गई हैं अतः अब उन्हें पूर्ववत् (कम) किये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

*20—श्री नित्यानन्द स्वामी—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

जनपद गोरखपुर में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों का निलम्बन

*21—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में सरकारी सस्ते गल्ले की कितनी दूकानों का निलम्बन जनवरी, 1971 से 20 जून, 1972 तक शिकायत पर किया गया । इनमें से कितने को बहाल किया गया और कितनों की सिक्योरिटी जब्त की गई?

डाक्टर सीताराम—

जनपद गोरखपुर में जनवरी, 1971 से 20 जून, 1972 तक 28 सरकारी सस्ते गल्ले की दुकाने निलम्बित की गईं । इनमें से 18 को बहाल किया गया तथा एक दुकान की सिक्योरिटी जब्त की गई ।

गोविन्द वल्लभ पन्त पालीटेक्निक, लखनऊ के छात्रावासों में मारपीट तथा क्षति

*22—श्री रूपनाथसिंह यादव—

क्या हरिजन सहायक मंत्री कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि 21 अगस्त, 1972 को गोबिन्द बल्लभ पन्त पालीटेक्निक लखनऊ के छात्रावास में आग लगा दी गयी और छात्रों में

मारपीट हो गई ? यदि हां, तो कितने छात्र घायल हुए हैं और कुल कितने कीमत के सामान जलकर नष्ट हो गये हैं ? सरकार ने अब तक उसमें क्या कार्यवाही की है और कितने लोग गिरफ्तार किये गये ?

डाक्टर सीताराम—

जी हां ।

प्राप्त सूचना के अनुसार 12 छात्रों को चोटें आयी थीं तथा अग्निकांड में अनुमानतः 15,000 रुपये के सामान की क्षति हुयी ।

निदेशक, हरिजन तथा समाज कल्याण उत्तर प्रदेश द्वारा तत्काल स्थानीय जांच कराई गई तथा उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर 24 विद्यार्थियों को निम्न प्रकार से दंडित किया गया :—

(1) 10 छात्रों को विद्यालय से निष्कासित किया गया ।

(2) 9 छात्रों को शिक्षा सत्र 1972–73 के लिये छात्रावास से निष्कासित करते हुये अनुशासन के 10 अंक काटे गये ।

(3) 5 छात्रों के केवल अनुशासन के 10 अंक काटे गये ।

इस संबंध में कोई गिरफ्तारी नहीं हुयी है ।

प्रश्नगत पालीटेक्निक कुछ समय के लिये बन्द कर दिया गया था, तथा 18–9–72 से पूर्ववत् सुचारुरूप से चल रहा है ।

तहसील मुसाफिरखाना, सुल्तानपुर में चीनी दुकानदारों के विरुद्ध आरोप

*23—श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुल्तानपुर जिले की मुसाफिरखाना तहसील में विकास क्षेत्र, जगदीशपुर व मुसाफिरखाना में जनवरी, 1972 से 5 सितम्बर, 1972 तक चीनी विक्रेताओं को कितनी चीनी अलग-अलग मास में वितरण के लिये दी गयी ? तथा कितनी प्रत्येक मास में बांटी गई व बांटने से बची हुई चीनी को क्या डिपाजिट कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्या अनियमितता बरतने वाले चीनी दुकानदार के विरुद्ध सरकार कोई कठोर कदम उठाने जा रही है ?

डाक्टर सीताराम—

सूचना सदन के पटल पर रख दी गयी है ।

कोई अनियमितता न होने के कारण किसी दुकानदार के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 732 पर)

बलरामपुर, जिला गोण्डा में विषैली शराब से व्यक्तियों की मृत्यु

*24—श्री विश्वनाथ कपूर—

क्या शासन को जानकारी है कि बलरामपुर, जिला गोण्डा में 16 जुलाई, 1972 को तीन व्यक्तियों की विषैली शराब ठेके की दुकान पर पीने के कारण मृत्यु हो गई है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तथा ऐसी घटना को रोकने हेतु क्या सरकार कोई कदम उठायेगी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

बलरामपुर जिला गोंडा में दिनांक 16 जुलाई, 1972 को विषैली शराब पीने से किसी की मृत्यु नहीं हुई है, वरन् तीन व्यक्तियों की मृत्यु ठेके की दुकान पर तथा शराब ले जाकर अन्यत्र मदिरापान से दिनांक 20 जुलाई, 1972 को लगभग 9–10 बजे सांयकाल हुई थी।

दुकान की समस्त शराब सील करके और उसमें से नमूने लेकर रसायनिक परीक्षक को भेजे गये हैं। इसी प्रकार मृत व्यक्तियों का बिसरा भी रसायनिक परीक्षक को जांच के लिये भेजा गया है।

इस प्रकार की घटनायें रोकने के लिये शासन द्वारा आवश्यक कार्यवाही की गयी है।

मिल मालिकों द्वारा नियंत्रित कपड़े के मूल्य में वृद्धि का विरोध

*25---श्री शम्भूनाथ चौधरी---

क्या सरकार को जानकारी है कि राज्य के मिल मालिकों द्वारा नियन्त्रित कपड़ों को निश्चित कीमत से ऊंचे भावों पर बेचने से नागरिकों को नियन्त्रित मूल्य पर कपड़ा मिलना दुर्लभ हो गया है? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या कर रही है और क्या यह सही है कि इस प्रकार की चोरबाजारी के खिलाफ सख्त कदम उठाने के संबंध में केन्द्र सरकार का कोई निर्देश राज्य सरकार को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो कब और निर्देश क्या है?

डाक्टर सीताराम---

मिल मालिकों द्वारा नियंत्रित कपड़े को निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचने की कोई शिकायत शासन को प्राप्त नहीं हुई। अतः उनके विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

नियंत्रित कपड़े के थोक एवं फुटकर व्यापारियों के विरुद्ध, जो अधिक मूल्य पर कपड़ा बेचते पकड़े जायं, कड़ी कार्यवाही करने के संबंध में दो बार, दिनांक 5 अगस्त, 1971 तथा 15 दिसम्बर, 1971 भारत सरकार से शासन को प्राप्त हुये। उनके परिपालन में समस्त जिलाधिकारियों को 16 अगस्त, 1971 तथा 22 दिसम्बर, 1971 को यह आदेश भेजे गये कि नियंत्रित कपड़े के उचित वितरण तथा छपे दामों पर बिक्री के लिये तुरन्त प्रभावशाली कार्यवाही करें और कानून का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तुएं अधिनियम, 1955 की धारा 7 के अन्तर्गत तुरन्त कार्यवाही करें।

श्री चिरंजी लाल के विरुद्ध हरिजनों के अनुदान का रुपया न बांटने का आरोप

*26---श्री राम प्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)---

क्या हरिजन सहायक मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 22–4–72 को निदेशक, हरिजन समाज कल्याण विभाग कब अलीगढ़ गये थे उन्होंने वहां के सुपरवाइजर श्री चिरंजी लाल को हरिजनों के अनुदान का रुपया जो मार्च में ही बंटना था न बांटने और अपने पास रखने के अपराध में पकड़ा? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

डाक्टर सीताराम---

जी हां।

बाद में इस मामले में समुचित जांच करने के उपरान्त प्रश्नगत सुपरवाइजर को दोषी नहीं पाया गया। अतः उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

विकास खण्ड कौड़ीराम,गोरखपुर में नलकूप लगने में विलम्ब

*27—श्रीमती मसाली देवी (जिला गोरखपुर)—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के अन्तर्गत कौड़ीराम विकास खंड में स्थित ग्राम बस्तुपार के कितने निवासियों ने व्यक्तिगत नलकूप लगाने के लिये प्रार्थना-पत्र दिये हैं तथा बिजली के जमानत की रकम तथा बी0 एल0 फार्म जमा करने के बाद भी कनेक्शन नहीं दिये गये हैं तथा बिलम्ब का क्या कारण है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जिला गोरखपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड कौड़ीराम में स्थित ग्राम वस्तुपार के तीन निवासियों ने नलकूप हेतु प्रार्थना-पत्र दिये हैं।

इनमें से एक निवासी को कनेक्शन 7 दिसम्बर, 1971 को दिया जा चुका है। दूसरे निवासी को तारीख 29-11-72 को कनेक्शन दिया जा चुका है। तीसरे निवासी को दिनांक 7-10-72 को पत्र लिखा जा चुका है कि वह जमानत की रकम एवं अनुबन्ध करके बी0 एल0 फार्म जमा करे। लेकिन उपभोक्ता ने अभी कार्यवाही पूर्ण नहीं की है।

दूसरे निवासी ने बी0 एल0 फार्म 29-4-72 को दिया था। लेकिन इनको लाइन बनाने पर उसी ग्राम के एक अन्य व्यक्ति को एतराज था और उसी कारण देर हुई।

*28—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

[20 वें गुरुवार के लिए तारांकित प्रश्न संख्या 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*29—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

उन्नाव जिले में सस्ते गल्ले की दुकानें खोलना

*30—श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले में गल्ले के अभाव को दूर करने और महंगाई को रोकने के लिये प्रत्येक तहसील में अब तक कितनी सस्ते गल्ले की दुकानें खोली जा चुकी हैं और उनसे कौन-कौन सा गल्ला किस-किस भाव पर जनता को दिया जाता है ?

डाक्टर सीताराम—

उन्नाव जिले में अब तक निम्नलिखित संख्या में सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानें तसीलवार खोली जा चुकी हैं :—

उन्नाव	तहसील	..	..	18
पुरवा	,,	..	..	29
सफीपुर	,,	..	..	9
हसनगंज	,,	..	..	9
			..	65

उक्त दूकानों पर गेहूं, आटा जनता को दिया जाता है जिनके भाव निम्नलिखित हैं:—

गेहूं	..	86 पैसा प्रति किलोग्राम
आटा	..	93 पैसा से 96 पैसा तक प्रति किलोग्राम।

(दूरी के अनुसार)

पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति देने का मापदंड

*31—श्री रूपनाथ सिंह यादव—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अनुसूचित जातियों के अतिरिक्त अन्य पिछड़ी जाति के 9 वीं कक्षा से लेकर विश्वविद्यालय के स्तर तक छात्रों का शैक्षिक उत्थान करने के लिये किस आधार पर छात्रवृत्ति वित्तीय वर्ष 1971–72 में दी गई है और क्या सामाजिक पिछड़ापन मापदन्ड है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस पर वर्ष 1972–73 में विचार करेगी ?

डाक्टर सीताराम—

इस प्रदेश में सन् 1958 में शासन द्वारा एक "अन्य पिछड़ी हुई जातियों" की सूची बनाई गई थी जिसमें 37 हिन्दू जातियां तथा 21 मुस्लिम जातियां सम्मिलित हैं। यह सूची सामाजिक पिछड़ापन के आधार पर बनाई गई थी। इन जातियों के छात्रों एवं छात्राओं को निम्नलिखित आधार पर छात्रवृत्तियां स्वीकृत की जाती हैं:—

(1) कक्षा 9 व 10 में 50 प्रतिशत छात्रवृत्तियां योग्यता (merit) के आधार पर, 25 प्रतिशत छात्राओं को तथा शेष 25 प्रतिशत निर्धनता के आधार पर स्वीकृत की जाती हैं।

(2) दशमोत्तर कक्षाओं में अन्य पिछड़ी जाति के छात्रों को केवल योग्यता के आधार पर स्वीकृत की जाती हैं। इन छात्रवृत्तियों के लिये धनराशि सीमित होने के फलस्वरूप कम आय के आधार पर वरीयता प्रदान की जाती है।

वर्ष 1971–72 में उपर्युक्त प्रणाली के अनुसार ही छात्रवृत्तियां स्वीकृत की गई थीं।

*32—श्री गजेन्द्र सिंह—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

जेल कर्मचारियों को कन्ट्रोल भाव पर शक्कर वितरण

*33—श्री सजीवन लाल—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश की जेलों के अन्दर जो सामान खरीदने की दुकान है उससे बंदियों, हवालातियों तथा कर्मचारियों को कन्ट्रोल भाव से शक्कर दी जाती है अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर सीतार म—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

राजकीय अनुमोदित विद्यालय, मुरादाबाद के रेडियोग्राम का उपयोग

*34—श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि राजकीय अनुमोदित विद्यालय, मुरादाबाद के बच्चों के मनोरंजन के हेतु जो रेडियो तथा रेडियो ग्राम मिला हुआ है उसका प्रयोग बच्चों के लिये न किया जाकर अधिकारियों के घर पर किया जाता है और बच्चों को उस सुविधा से वंचित रखा जाता है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

बेगम हमीदा हबीबुल्ला—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत रेडियोग्राम का प्रयोग किसी विभागीय अधिकारी के घर पर नहीं किया गया तथा उसका उपयोग मुरादाबाद के राजकीय पर्यवेक्षण गृह एवं अनुमोदित विद्यालय के संवासी बालकों के लिये किया जाता रहा है ।

अन्तिम प्रश्न नहीं उठता ।

कानपुर बिजली सप्लाई कम्पनी में गबन

*35—श्री केशव चन्द्र सिंह (जिला शाहजहांपुर)—

क्या विद्युत् मंत्री को ज्ञात है कि कानपुर बिजली सप्लाई कम्पनी में 1971–72 में चार लाख रुपया का कोई गबन हुआ है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

कानपुर विद्युत् संपूर्ति प्रशासन में कुछ गबन हुआ है । गबन की जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा की जा रही है । लेखों की जांच भी एक विशेष संपरीक्षण दल द्वारा की जा रही है ।

चीटा उद्योग हेतु प्राप्त शीरे की दर

*36—श्री रामधारी शास्त्री—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि चीटा उद्योग के नाम पर मार्च, 1972 से अगस्त, 1972 तक प्रदेश के किन-किन लोगों को चीनी मिलों से प्राप्त होने वाला कितना शीरा दिया गया है और किस दर पर ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

चीटा उद्योग के नाम पर मार्च, 1972 से अगस्त, 1972 तक प्रदेश में निम्नलिखित पांच इकाइयों को चीनी मिलों से प्राप्त होने वाला शीरा इनके सम्मुख दिखाई गई मात्रा में उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित मूल्य की दरों पर आवंटित किया गया:—

		कुन्तल
1—	श्री भोलानाथ तिवारी, चीटा मैन्युफैक्चर्स, बरहज, देवरिया	2,000
2—	सर्वश्री शिवचीटा वर्क्स, बहुआरा रोड, ताराचन्द भवन, खतौली	3,000
3—	सर्वश्री मोलेसेजचीटा मैन्युफैक्चर्स चौरी चौरा, गोरखपुर	20,000
4—	सर्वश्री पुर्वांचल ट्रेडर्स, मल्या विलियम, गोरखपुर	3,000
5—	सर्वश्री गोरखपुर सप्लाई कम्पनी, अलीनगर, गोरखपुर	7,526

कुल आवंटित 35,526 कुन्टल शीरा में से उक्त इकाइयों द्वारा केवल 28,456 कुन्टल शीरा उठाया गया है ।

*37—श्री रामधारी शास्त्री—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ये तथा चीटा उद्योगों में से अधिकांश कागजों और शीरा सस्ते दाम पर लेकर आठ रुपये प्रति क्विन्टल के भाव से बेंचा गया है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

शासन को कुछ शिकायतें ऐसी प्राप्त हुई हैं कि चीटा उद्योग को दिये जाने वाले शीरे का सामान्यतः उचित उपयोग नहीं होता । ऐसी ही कुछ शिकायतें उपर्युक्त इकाइयों

में से चार के बारे में भी प्राप्त हुई है । इस संबंध में आवश्यक जांच की जा रही है । फिलहाल चीटा उद्योग को शीरा आवंटन न करने का निर्णय लिया गया है ।

कानपुर जिले के कंजरों के पुनर्वास हेतु कार्यवाही

*38—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

विधान सभा के उपवेशन दिनांक 21-7-72 के तारांकित प्रश्न सं0 44-45 के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर जिले के ग्राम रसूलाबाद-बेरी महिपालपुर पिखनी-शंकरपुर-लड़वापुर-मंगलपुर के कंजर जाति के परिवारों को विमुक्ति जाति पुनर्वास योजना के अन्तर्गत बसाये जाने के संबंध में मकानों के नक्शे तथा स्टीमेट शासन को वर्ष 1971 में प्राप्त हुए हैं । यदि हां, तो इनके पुनर्वासन के संबंध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई और यदि नहीं, तो क्यों?

डाक्टर सीताराम—

प्रश्न में उल्लिखित पूर्व प्रश्न संख्या 44 के उत्तर में सूचित किया जा चुका है कि प्रश्नगत नक्शे इत्यादि शासन के हरिजन सहायक विभाग में प्राप्त नहीं हुए और वही स्थिति अब भी है ।

इस संबंध में यह सूचना भी प्राप्त हुई है कि जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी, कानपुर के कार्यालय में भारतीय अनुसूचित जाति गिहार सभा द्वारा 24-5-1971 को ग्राम-रसूलाबाद, पिलखनी, रनियाशंकरपुर, लड़वापुर व मंगलपुर के नक्शे इत्यादि तथा 11-10-1971 को बैरीमहिपालपुर के नक्शे इत्यादि प्रस्तुत किये गये थे । उपर्युक्त सभा से प्राप्त प्रस्तावों के संबंध में आवश्यक जांच करने के उपरान्त जिला-मजिस्ट्रेट ने उनका कार्यान्वयन संभव नहीं पाया । अतः जिलास्तर से प्रश्नगत नक्शे इत्यादि शासन को अग्रसारित नहीं किये गये ।

आगरा जेल में पेय जल कष्ट

*39—श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा, फतेहाबाद)—

क्या सरकार को मालूम है कि आगरा जिला जेल में कैदियों के लिये पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है और यह शिकायत इस जेल में स्वाधीनता से पहले की है। यदि हां, तो इस शिकायत को दूर करने की अभी तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी नहीं, पीने के पानी की व्यवस्था नगरपालिका से है । इस व्यवस्था में कुछ खराबी हो गई है जिसके सुधारने के लिये चालू वित्तीय वर्ष में 23,000 रु0 की स्वीकृति स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग को जिनके द्वारा कार्य किया जायगा, दी गई है।

*40—श्री रामनिहोर राय—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

प्रदेश में चावल मिलों से लेवी की दरों में भिन्नता

*41—कुंवर शिव महेन्द्र सिंह (जिला बिजनौर)—

क्या खाद्य व रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की निजी व खाद्य निगम के चावल मिलों से उनके उत्पादन पर ली जाने वाली लेवी की प्रतिशत कितनी है । क्या प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में इस लेवी की दरें भिन्न-भिन्न हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों है ?

डाक्टर सीताराम—

उत्तर प्रदेश चावल और धान (उगाहने का) आदेश, 1968 के अन्तर्गत 28 अक्तूबर, 1972 से लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों तथा निजी चावल मिलों से 80 प्रतिशत की दर से चावल उगाही किये जाने का प्राविधान है परन्तु राज्य सरकार ने लोक हित में निर्णय लेकर मेरठ, लखनऊ तथा कानपुर खाद्य क्षेत्र के सभी जिलों में (झांसी, जालौन व हमीरपुर को छोड़कर) उगाही की प्रतिशत 70 रखी है और गोरखपुर खाद्य क्षेत्र के सभी जिलों में तथा कानपुर खाद्य क्षेत्र के झांसी, जालौन व हमीरपुर जिलों में 35 प्रतिशत उच्च बासमती निर्यात किस्म के चावल के लिये उगाही की दर जो अब तक सभी क्षेत्रों में समान रूप से 40 प्रतिशत निर्धारित की गयी थी, 13 दिसम्बर, 1972 से 50 प्रतिशत निर्धारित की गयी है। भारतीय खाद्य निगम की चावल मिलों द्वारा केंद्र अथवा राज्य सरकार के लिये उत्पादित या निर्मित चावल पर उगाही से छूट है।

यह सही है कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में चावल की उगाही की दरें भिन्न हैं। उगाही की दरें निर्धारित करते समय उस क्षेत्र में चावल की पैदावार तथा खपत को ध्यान में रखा जाता है। गोरखपुर क्षेत्र में 35 प्रतिशत इसलिये है कि पूरब के लोगों में अपेक्षाकृत चावल का अधिक खर्च है।

नरौरा (बुलन्दशहर) में अणु विद्युत् केन्द्र की स्थापना

*42—श्री त्रिलोक चन्द—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नरौरा जनपद बुलन्दशहर में जो अणु विद्युत् केंद्र बनने जा रहा है क्या उसके प्रभाव से कुछ ग्रामों को वहां से हटाना पड़ेगा? यदि हां, तो वह गांव कौन-कौन से हैं तथा उनके पुनर्वास की व्यवस्था पर शासन द्वारा क्या विचार किया जा रहा है?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

भूमि अध्याप्ति का व्योरा जो परमाणु ऊर्जा आयोग से अपेक्षित है अभी शासन को प्राप्त नहीं हुआ है। प्रश्न के अन्य भाग नहीं उठते।

मेसर्स सुखबीर सिंह जर्लसिंह, जवाहर गंज मंडी, मुजफ्फरनगर के विरुद्ध जांच

*43—श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सच है कि मेसर्स सुखवीर सिंह जल सिंह, निवासी जवाहरगंज मंडी, शामली, जिला मुजफ्फरनगर ने सन् 1970–71 में और 1971–72 में एफ0 सी0आई0 और गवर्नमेंट की तरफ से गल्ले की खरीदारी की और इस सिलसिले में सरकार ने उनके खिलाफ अनियमिततायें, बेईमानी और भ्रष्टाचार पर जांच कराई? यदि हां, तो यह इन्क्वायरी रिपोर्ट क्या है और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई?

डाक्टर सीताराम—

वर्ष 1970–71 और 1971–72 में गेहूं की खरीदारी भारतीय खाद्य निगम और उत्तर प्रदेश सहकारी संघ ने की, राज्य सरकार ने नहीं। भारतीय खाद्य निगम ने गेहूं की खरीदारी के लिये क्रय एजेंट नियुक्त किये और उनके माध्यम से खरीदारी की। भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार उन्होंने मेसर्स सुखबीर सिंह जल सिंह, जवाहर गंज मंडी, शामली के विरुद्ध अनियमिततायें, बेईमानी और भ्रष्टाचार पर कोई जांच नहीं कराई।

असिस्टेन्ट इंजीनियर के रिक्त पद की पूर्ति की कार्यवाही

*44—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत् विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर के पद के लिये डाइरेक्ट रेक्रूटमेंट की और प्रोमोशन से भरे जाने के लिये 1-6-1972 को कितनी जगह खाली पड़ी थीं और कब से और उनको कब तक भरा जायगा ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के अधीन दिनांक 1 जून, 1972 को सहायक अभियंताओं के 128 पद रिक्त थे। इन में से 86 प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले स्नातक अभियंताओं को सहायक अभियंता के नियमित पदों पर नियुक्त कर दिया गया है। 12 स्नातक अभियंताओं की नियुक्ति के आदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा शीघ्र जारी किये जायेंगे। शेष पदों को अधीनस्थ विद्युत् एवं यांत्रिक अभियंत्रण सेवा के सदस्यों में से प्रोन्नति देकर भरें जाने की कार्यवाही राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा की जा रही है।

कानपुर में बिक्री-कर की बकाया

*45—श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी (जिला कानपुर), श्री शफीक अहमद खां (जिला बरेली) तथा श्री सच्चिदानन्द—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर में बिक्री कर का कुल कितना रुपया 1-4-72 से आज तक बकाया है और कितना रुपया ऐसा है जो पिछले 5 वर्ष से बकाया है, किन-किन पूंजीपतियों पर 25,000 (पच्चीस हजार) रुपये से अधिक बकाया है। क्या सरकार उनके नाम सूचित करने तथा रुपया न वसूल होने का कारण बताने की कृपा करेगी ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

कानपुर में 1-4-1972 से 31-7-72 तक (प्राप्त सूचना इसी तारीख तक उपलब्ध है) निकाली गई मांग में से 42.37 लाख रुपया बकाया है।

31-7-72 तक 5 वर्ष से पुरानी बिक्री-कर की धनराशि 2.31 करोड़ रुपये है।

25 हजार रुपयों से अधिक बकायेदारों की सूची संलग्न† है। बकायेदारों के विरुद्ध बकाया धनराशि तथा वसूली न होने के कारण अथवा उस संबंध में की जाने वाली कार्यवाही का विवरण भी सूची में दिया गया है।

*46—श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री शफीक अहमद खां तथा श्री सच्चिदानन्द—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर में विभिन्न बिक्री-कर अधिकारियों द्वारा कितने ऐसे बिक्री-कर के बकाये के नोटिस 1-4-72 से अब तक भेजे गये जिनका रुपया जमा था ? तथा क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

कानपुर में विभिन्न बिक्रीकर अधिकारियों द्वारा जितने बिक्री-कर के बकाये के नोटिस 1-4-1972 से अब तक जारी किये गये उनमें से कोई मामला ऐसा नहीं था जिसमें नोटिस जारी करने से पूर्व कर की धनराशि जमा हो जाने का समुचित प्रमाण उपलब्ध था।

---

†छापी नहीं गई।

नहवाई सबस्टेशन (इलाहाबाद) में ग्रामीण क्षेत्रों के लिये फीडर

*47—श्री विश्रामदास (जिला इलाहाबाद)—

क्या विद्युत मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि नहवाई सब स्टेशन और मेजा रोड सबस्टेशन तहसील मेजा, जिला इलाहाबाद से कितने फीडर ग्रामीण क्षेत्रों को दिये गये है और उन फीडरों पर माह जनवरी, 1972 से 30 सितम्बर, 1972 तक कितनी ट्रिपिंग ब्रेक डाउन तथा रोस्टारिंग में विद्युत वितरण कितने घंटे तक बन्द रहे और उसके निराकरण हेतु विद्युत परिषद् ने क्या कदम उठाये ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

नहवाई में ऐसा कोई सब स्टेशन नहीं है जहां से ग्रामीण क्षेत्रों के लिये 11 के0 वी0 के फीडर निकाले गये हों ।

मेजा रोड सब स्टेशन तहसील मेजा, जिला इलाहाबाद से तीन के0 वी0 11 के फीडर ग्रामीण क्षेत्रों को दिये गये हैं, जिनके नाम कोरांव, कोन्हार, तथा सिरसा फीडर है। इन पर जनवरी, 1972 से 30 सितम्बर, 1972 तक औसत रूप से प्रति माह लगभग 30 घंटे का विद्युत अवरोध ट्रिपिंग, ब्रेक डाउन व रोस्टेरिंग के कारण रहा ।

इन विद्युत अवरोधों को कम करने के लिये फीडरों को पेट्रोलिंग करके उनके दोष दूर किये गये जिससे कि विद्युत अवरोध न्यूनतम हो ।

असब (अलीगढ़) में बिजली से अग्निकाण्ड

*48—श्री रामप्रसाद देशमुख—

क्या सरकार बताने को कृपा करेगी कि दिनांक 6 अप्रैल, 1972 को ग्राम असब, अलीगढ़ में बिजली का तार टूटने से वहां के श्री राम आदि के खलिहानों में आग लग गयी जिसकी वजह से तमाम खलिहान जल कर भस्म हो गया? क्या उस क्षति की शिकायत सरकार को तथा वहां के संबंधित अधिकारी को की गयी थी कि यह तार कर्मचारियों नें डग्गी से काट दिये थे? यदि हां, तो उस संबंध मे सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

दिनांक 6-4-72 को ग्राम उसवा, अलीगढ़ में श्री श्रीराम आदि के खलिहानों में आग लगी परन्तु यह कहना कि आग विद्युत के तार टूटने से ही लगी सत्य नही है। आग लगने की शिकायत इस कार्यालय में 20-9-72 को प्राप्त हुई थी जिसकी जांच की गई थी तथा विभागीय कोई कर्मचारी दोषित नहीं पाया गया कर्मचारियों द्वारा डग्गी से बिजली तार काटें जाने की बात असत्य है एवं यह कार्य तकनीकी दृष्टि से भी संभव नहीं अतः किसी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

*49—श्री लालसा—

[विस्तृत होने के कारण निरस्त]

हापुड़ में बिक्री-कर कार्यालय की मांग

*50—श्री लक्ष्मण स्वरूप—

क्या वित्त मंत्री उन कारणों पर प्रकाश डालनें की कृपा करेंगे कि किस वजह से बिक्रीकर कार्यलय हापुड़ में स्थापित नहीं हो पाया है जब कि हापुड़ में बिक्रीकर कार्यालय स्थापित किये जानें के आदेश बहुत पहलें हो चुके थे और वहां से लगभग 50 लाख रुपया सेल्स टैक्स के रूप में प्रति वर्ष शासन को प्राप्त होता है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

हापुड़ मंडल का बिक्रीकर कार्यालय आरम्भ से ही मेरठ में स्थित रहा है। ऐसे कोई आदेश जारी नहीं किये गये थे कि हापुड़ मंडल का कार्यालय हापुड़ ही में स्थापित किया जाय।

गोंडा जिले में सप्लाई इंसपेक्टर द्वारा दुकानों पर लिखित निरीक्षण

*51—श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोन्डा जिले में इस समय कितने सप्लाई इन्सपेक्टर खाद्य एवं पूर्ति कार्यालय में हैं और उन्होंने चालू वर्ष के महीनों में कितनी दुकानों पर लिखित निरीक्षण किया इसमें कितनी अनियमित कार्य करते पायी गयीं और उन पर क्या कार्यवाही की गयी?

डाक्टर सीताराम—

इस समय जिला पूर्ति कर्यालय, गोण्डा में 6 सप्लाई इन्सपेक्टर हैं। इन लोगों ने जनवरी, 1972 से 15 नवम्बर, 1972 तक 1077 दुकानों का निरीक्षण किया। इनमें 28 दुकानें अनियमित कार्य करते पाई गयीं और उनके विरुद्ध निम्नलिखित कार्यवाही की गयी :—

(1) 22 दुकानें निरस्त की गयीं।

(2) एक दुकान को चेतावनी दी गयी।

(3) 2 दुकानें निलंबित की गयीं जिनमें से एक दुकान को जांच के उपरान्त पुनः स्थापित कर दिया गया है।

(4) 3 दुकानों की जांच जारी है।

जिला गोंडा में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें

*52—श्री गंगाप्रसाद (गोंडा)—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला गोण्डा में सरकारी सस्ते गल्ले तथा चीनी की फुटकर बिक्री की कितनी दुकाने किस-किस नाम से और किस-किस जगह हैं? इसमें कितने हरिजनों की हैं? क्या यह सही है कि इसमें अधिकांश दुकानें फर्जी हैं और जो कोटा उठाया है वह नगरपालिकाओं के आगत निर्गत रजिस्टर में दर्ज नहीं हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में उचित कार्यवाही करायेगी?

डाक्टर सीताराम—

गोण्डा जनपद में सरकारी सस्ते गल्ले व चीनी के फुटकर दुकानदारों के नाम तथा उनकी दुकानों के स्थान की तालिका† सदन की मेज पर रख दी गयी है। इनमें से चार दुकानें हरिजनों की हैं।

ऐसी कोई सूचना शासन को नहीं है कि यह दुकानें अधिकांश फर्जी हैं। जहां तक दुकानदार द्वारा कोटा उठाये जाने नगरपालिका के आगत निर्गत रजिस्टर में दर्ज न होने का संबंध है मुख्यतः जो वस्तु बाहर से नगर पालिका की सीमा के अन्दर लायी जाती है उसी वस्तु को नगरपालिका चुंगी लेने के उद्देश्य से अपने रिकार्ड में दर्ज करती है। मगर जो वस्तु नगरपालिका की सीमा से बाहर जाती है उस पर चुंगी न लगने के कारण आगत निर्गत रजिस्टर में दर्ज नहीं की जाती। ऐसी दशा में शहरी क्षेत्र में स्थिति चीनी के थोक बिक्रेताओं के यहां से ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्र के फुटकर दुकानदार द्वारा उठाया हुआ कोटा नगरपालिका के

†छापी नहीं गयी।

आगत निर्गत रजिस्टर में दर्ज नहीं होता। किन्तु एक शहरी क्षेत्र के सीमान्तर्गत स्थित सरकारी गोदाम अथवा चीनी के थोक बिक्रेता के यहां से शहरी क्षेत्र की सीमा के अन्दर गल्ला-चीनी ले जाने पर आयात करने वाली नगरपालिका के आगत निर्गत रजिस्टर में दर्ज होता है क्योंकि उस पर चुंगी लगती है।

*53—श्री धूम प्रसाद—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

अपर दोआबा मिल, शामली की डिस्टिलरी से हुई चोरी की जांच

*54—श्री चन्द्रभान शर्मा—

क्या सरकार को ज्ञात है कि अपर दोआबा मिल, शामली की डिस्टलरी से चोरी किये हुये सीरे की स्प्रिट बनाकर चोरी से बेचने की कोई रिपोर्ट सरकार के पास आई है? यदि हां, तो इस ओर सरकार क्या कदम उठा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी हां, इस संबंध में श्री अम्बिका प्रसाद बाजपेयी, प्रधान मंत्री भारतीय मिल मजदूर यूनियन, शामली की ओर से छपाये गये पत्र की एक प्रति गत जून, 1972 में शासन को प्राप्त हुई थी। आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के मुख्यालय के एक्साइज इंटेलीजेंस ब्यूरो के सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा डिस्टिलरी का आकस्मिक निरीक्षण दिनांक 20-7-72- को किया गया था तथा पाई गयी अनियमितताओं के लिये आसवनी एवं संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा रहा है जिसके पश्चात उचित कार्यवाही की जायेगी।

अन्धे व्यक्तियों को पेन्शन की मांग

*55—श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के अन्धे व्यक्तियों को मासिक पेन्शन दिये जाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो कब से पेन्शन दिये जाने का विचार है और कितना?

बेगम हमीदा हबीबुल्ला—

जी नहीं।

अन्य प्रश्न नहीं उठते।

जौनपुर जनपद के लाईन इन्सपेक्टरों के विरुद्ध जांच

*56—श्री उमानाथ सिंह (जिला जौनपुर)—

क्या विद्युत मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वाराणसी क्षेत्र के मुख्य अभियन्ता को जौनपुर जनपद के कितने लाइन इन्सपेक्टरों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें जुलाई मास से 15 अक्तूबर, 1972 तक प्राप्त हुई एवं उनमें अब तक क्या कर्यवाही हुई है?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

केवल एक लाइन इन्सपेक्टर के विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत प्राप्त हुई थी, जिस पर राज्य विद्युत परिषद द्वारा जांच की जा रही है।

मोहन मीकिन ब्रिवरीज का उत्पादन तथा बिक्री

*57—श्री रूपनाथ सिंह यादव तथा श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मोहन मीकिन ब्रिवरीज लि0 ने विगत कई वर्षों से अपनी निर्धारित क्षमता से अधिक शराब का उत्पादन एवं बिक्री किया? यदि हां, तो सरकार ने उसकेविरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की और यदि नहीं तो क्यों?

श्री स्वामीप्रसाद सिंह—

मोहन मीकिन ब्रिवरीज, लखनऊ का उत्पादन उनकी अनुज्ञापित उत्पादन क्षमता से कम और मोहन मीकिन ब्रिवरीज, गाजियाबाद का अधिक रहा है बिक्री की कोई सीमा निर्धारित नहीं है ।

उत्पादन क्षमता भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है और यू०पी० एक्साइज ऐक्ट के अन्तर्गत अनुज्ञापित सीमा से अधिक उत्पादन करने पर कोई कार्यवाही करने का प्राविधान नहीं है ।

बिहार और मध्य प्रदेश से विद्युत प्राप्ति

*58—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या विद्युत मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 18 अक्तूबर, 1972 को जो उत्तर प्रदेश को १ करोड़ यूनिट बिजली देने का मुआहिदा बिहार और मध्य प्रदेश सरकार से हुआ है उसके अनुसार कब से बिजली मिलने लगेगी और उत्तर प्रदेश को कितना धन इसके लिये दोनों प्रदेशों को देना पड़ेगा ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

बिहार और मध्य प्रदेश से 18-10-1972 को कोई मुआहिदा नहीं हुआ है बल्कि विद्युत् पहले ही से मिल रही है । अक्तूबर व नवम्बर, 1972 में करीब 12 लाख यूनिट प्रतिदिन दोनों प्रदेशों से मिले हैं । विद्युत की दर अभी तय नहीं है ।

लखनऊ के गल्ला व्यापारियों द्वारा हड़ताल

*59—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या सरकार को पता है कि लखनऊ में गल्ले के थोक व खुदरा व्यापारियों ने दिनांक 15 अक्तूबर, 1972 से पूर्ण हड़ताल कर रखी है, जिसके फलस्वरूप निम्न वर्ग के कर्मचारी व मजदूर भयंकर परेशानी में पड़ गये हैं ? यदि हां, तो उनकी मांगे क्या हैं और सरकार ने तुरन्त इस संकट से निपटने हेतु क्या उपचार किया ?

डाक्टर सीताराम—

जी हां। दिनांक 15 अक्तूबर, 1972 से गल्ले के थोक व फुटकर व्यापारियों ने हड़ताल की थी । उनकी हड़ताल कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम, खाद्यान्न पर लगे बहुसूत्रीय क्रय-कर, चावल पर लगी उगाही आदि के विरुद्ध थी। जनता को इससे उत्पन्न असुविधा को कम करने के लिये हड़ताल के दौरान राशन की दुकानों पर खाद्यान्न की समुचित मात्रा उपलब्ध रक्खी गयी और जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं थे उनको भी एक बार में दो किलो आटा लेने की सुविधा प्राप्त रही । इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय खाद्य नियन्त्रक, लखनऊ ने भी व्यापारियों की दिनांक 21 अक्तूबर, 1972 को एक गोष्ठी की और इसके बाद व्यापारी वर्ग हड़ताल वापस लेने के लिये तैयार हो गया ।

जनपद आजमगढ़ में सस्ते गल्ले व चीनी की दुकानों का निलम्बन

*60—श्री दर्लसिगार यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में 15 जून से 30 अक्तूबर, 1972 के बीच में कितने सस्ते गल्ले व चीनी की दुकानों को सस्पेंड किया गया है उनके संबंध में किस प्रकार के आरोप थे और उनमें से कितनी सस्ते गल्ले व चीनी की दुकानों को बहाल कर दिया गया है और क्यों ?

डाक्टर सीताराम—

प्रश्नगत अवधि में आजमगढ़ जनपद में 24 सस्ते गल्ले की दुकानें निलम्बित की गई, जिनमें से 10 दुकानों को बहाल किया गया। निलम्बित दुकानों के विरुद्ध आरोप तथा बहाल की गयी दुकानों के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखी गयी सूची† के स्तम्भ 3 व 4 में क्रमशः प्रदर्शित किये गये हैं।

विद्युत अनुरक्षण खंड, बस्ती में मेन्टीनेन्स पर खर्च

*61—श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती) तथा श्री राम करन सिंह—

क्या विद्युत मंत्री कृपया यह बताने का कष्ट करेंगे कि विद्युत अनुरक्षण खण्ड बस्ती में अधिशासी अभियंता ने 1970 से अक्तूबर, 1972 तक किस-किस तहसील में कितना-कितना रुपया मेन्टेनेन्स पर खर्च किया तथा उसका कब-कब भुगतान किया गया? क्या यह सही है कि विद्युत् मंत्री तथा अध्यक्ष, राज्य विद्युत परिषद्, उत्तर प्रदेश को जुलाई, और अगस्त, 1972 को प्रश्न कर्ता का इस सम्बन्ध में कोई शिकायती पत्र प्राप्त हुआ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जनपद बस्ती में खलीलाबाद, बस्ती, हरैया, डुरियागंज बांसी तथा नौगढ़ नाम की 6 तहसीलें हैं। नौगढ़ के अलावा बाकी पांच तहसीलों में एक-एक विद्युत् मेन्टीनेन्स उप खण्ड है। नौगढ़ तहसील का कार्य भी बांसी का उप खण्ड देखता है। अलग-अलग तहसील में मेन्टीनेन्स पर कितना खर्चा हुआ इसकी सूचना उपलब्ध नहीं है। उप खण्ड वार खर्चा उपलब्ध है जिसका खुलासा सन् 1970 से अक्तूबर 1972 तक संलग्न है। मेन्टीनन्स का खर्चा प्रतिदिन होता रहता है तथा खर्चों के बाउचर मिलने पर डिवीजन से भुगतान होता है अतः प्रतिदिन का विवरण देना सम्भव नहीं है।

प्रश्नकर्ता का एक शिकायत पत्र दिनांक 3 अगस्त, 1972 को प्राप्त हुआ है। इस पर जांच हो रही है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 733 पर)

शाहजहांपुर में देशी शराब के ठेकेदार पर सरकारी बाकाया

*62—श्री रामकुमार दीक्षित (जिला कानपुर)—

क्या आबकारी मंत्री को पता है कि शाहजहांपुर में देशी शराब के 7 ठेके एक ही व्यक्ति के नाम 1971-72 में हैं और उस पर 60 हजार रुपया आबकारी विभाग का बकाया है? यदि हां, तो उस संबंध में सरकार क्या उचित कार्यवाही कर रही है?

श्री स्वामीप्रसाद सिंह—

यह सही नहीं है कि शाहजहांपुर में देशी शराब के 7 ठेके एक ही व्यक्ति के नाम सन् 1971-72 में दिये गये हों और उस पर 60 हजार रुपया विभाग का बकाया हो।

बदायूं जिले में हरिजन पेय जलकूप तथा बिजली की व्यवस्था

*63—श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनपद बदायूं में दिनांक 15, सितम्बर, 1972 तक कितने हरिजन पेय जलकूपों का निर्माण हरिजन बस्तियों में किया गया और कितनी हरिजन बस्तियों में बिजली की रोशनी की व्यवस्था की गई?

---

†छापी नहीं गयी।

डाक्टर सीताराम--

प्रश्नगत हरिजन जनपद की बस्तियों में प्रथम पंचवर्षीय योजना से 15-9-71 तक कुल 244 पेयजल कपों का निर्माण किया गया तथा 94 हैंन्डपम्प लगाये गये। किसी हरिजन बस्ती मे विद्युतीकरण नहीं हुआ ।

कारागार विभाग में जे० टी० सी० प्रशिक्षित अध्यापक

*64--श्री शिवप्रसाद पांडिया (जिला रायबरेली)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कारागार विभाग में जे०टी० सी०प्रशिक्षित नियुक्ति स्थायी अध्यापकों को शिक्षा विभाग में नियुक्त करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

जी नहीं ।

श्री अनन्तराम जायसवाल, सदस्य, विधान सभा के शिकायती-पत्र की जांच

*65--श्रीमती मसाली देवी--

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के अन्तर्गत बांसगांव तहसील में स्थित बांसगांव और कौड़ीराम में थोक चीनी के बिक्रेताओं के विरुद्ध अनन्तराम जायसवाल, विधायक का कोई पत्र चीनी की चोरबाजारी करने के संबंध में 18 अप्रैल, 1972 से 15 सितम्बर, 1972 के बीच प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उपरोक्त के सबंध में सरकार की ओर से कौन सी कार्यवाही की जा रही है ?

डाक्टर सीताराम--

श्री अनन्तराम जायसवाल, सदस्य, विधान सभा का एक पत्र दिनांक 18 अप्रैल, 1972 को प्राप्त हुआ था जिस पर जांच के उपरान्त यथोचित विचार किया गया और उक्त पत्र में उल्लिखित बिक्रेताओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं समझी गई ।

शेरगढ़, डूंगरपुर तथा कावर, जिला बरेली में चीनी का वितरण

*66--श्री शफीक अहमद खां--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बरेली के ग्राम शेरगढ़, इस्लामपुर, डूंगरपुर कावर, में राशन कार्ड्स बन गये हैं और उन राशन कार्ड्स पर फी यूनिट एक किलो ग्राम सस्ती शकर की सरकारी दूकान से शकर भी दी जा रही है ? यदि हां, तो कितने समय से यह तरीका चल रहा है और कितने-कितने क्विंटल शकर दी जा चुकी है ?

डाक्टर सीताराम--

जिला बरेली के ग्राम डूंगरपुर तथा कावर में चीनी के वितरण के लिये राशन कार्ड्स माह मई, 1972 से बनाये गये हैं और ऐसे कार्डों पर प्रति यूनिट प्रति माह एक किलो चीनी अन्य नगरों की भांति वितरित की जा रही है । शेरगढ़ में चल रही एक चीनी के फुटकर बिक्रेता की दूकान को चीनी का निम्नलिखित कोटा दिया गया :

मई,	1972	..	..	49 क्विंटल
जून,	1972	..	..	51 क्विंटल
जुलाई,	1972	..	..	55 क्विंटल
अगस्त,	1972	..	..	60 क्विंटल
सितम्बर,	1972	..	..	64 क्विंटल
अक्तूबर,	1972	..	..	65 क्विंटल
नवम्बर,	1972	..	..	50 क्विंटल

ग्राम इस्लामपुर में राशन कार्ड नहीं बनाये गये हैं । वहां प्रधान की पर्चियों पर चीनी का वितरण होता है ।

शाहजहांपुर, बरेली, बदायूं में देशी शराब के ठेकेदारों पर सेल्स टैक्स का बकाया

*67—श्री रामप्रसाद (जिला रायबरेली)—

क्या वित्त मंत्री को पता है कि शाहजहांपुर, बरेली तथा बदायूं में शराब के देशी ठेकेदारों पर सन् 1966, 67, 68, 69, 70, 71 तथा 1972 का 2 लाख सेल्स टैक्स बकाया है । यदि हां तो उन बकायेदारों के नाम क्या हैं और आज तक वसूलयाबी क्यों नहीं हुई और शासन ने वसूलयाबी हेतु तुरन्त क्या कार्यवाही की?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

प्रश्नगत वर्षों में केवल 2-4-69 से 31-3-70 तक ही देशी शराब पर बिक्री कर देय था । शाहजहांपुर, बरेली तथा बदायूं में शराब के ठेकेदारों पर इस अवधि का 8.88 लाख रुपया बकाया है । बकायादारों के नाम क्या वसूलयाबी के नाम तथा वसूलयाबी हेतु की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न सूची † में है ।

शाहजहांपुर में शराब के ठेकेदारों पर आबकारी विभाग का बकाया

*68—श्री रामप्रसाद—

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर में देशी शराब के ठेके सन् 1967, 1968, 1969, 1970, 1971 तथा 1972 में किनके किनके नाम थे और उन पर आबकारी विभाग का कितना रुपया बकाया है और वसूल न होने का क्या कारण है और क्या यह भी सही है कि एक ही व्यक्ति ने सन् 1967 से 1972 तक अपने नाम से तथा अपने निकट संबंधियों के नाम से ठेके ले रखे हैं जिन पर 1 लाख 50 हजार आज तक बकाया है ?

श्री स्वामीप्रसाद सिंह—

शाहजहांपुर में देशी शराब के ठेके सन् 1967, 68, 69, 70, 71 तथा 72 में जिन व्यक्तियों के नाम थे, उनकी सूची संलग्न है । वर्ष 1967 तथा 68 में किसी पर कोई धनराशि बकाया नहीं है । वर्ष 1969, 70-71 की कुल बकाया धनराशि 56,480-00 रुपये है जिसका विवरण संलग्न† में दिया हुआ है । बकाया धनराशि वसूल न होने का कारण यह है कि ठेकेदार ने आखिरी माह की लाइसेंस फीस की किश्तें समय के अन्दर अदा न की । वसूली की कार्यवाही संबंधित तहसीलदारों द्वारा की जा रही है । इसके बारे में इस बात की सूचना उपलब्ध नहीं है कि कौन ठेकेदार किसका निकट संबंधी है। सन् 1967 से 78 तक खुदागंज की दुकान मंगली लाल के नाम ह लेकिन इस पर कोई धनराशि बकाया नहीं है।

जगदीशपुर व मुसाफिरखाना (सुल्तानपुर) में मिट्टी के तेल का वितरण

*69—श्री सूरजलाल गुप्त (जिला गोंडा)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुल्तानपुर जिले की मुसाफिरखाना तहसील में ब्लाक जगदीशपुर एवं मुसाफिरखाना में मिट्टी के तेल के कितने लाइसेंसदार हैं और जनवरी 1972 से 9 नवम्बर, 1972 तक कितना मिट्टी का तेल का स्टाक वितरण हेतु दिया गया तथा उपरोक्त स्टाक में जनता में कितना वितरण किया गया । क्या यह भी सच है कि काफी मात्रा में तेल का ब्लैक किया गया ? यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या पग उठाया है ? यदि नहीं तो क्यों ?

---

†छापी नहीं गई ।

डाक्टर सीताराम--

सुल्तानपुर जिले के मुसाफिरखाना तहसील में ब्लाक जगदीशपुर एवं मुसाफिरखाना में मिट्टी के तेल के कुल 74 लाइसेंसदार हैं । इनमें से 39 लाइसेंसदारों ने 1 जनवरी, 72 से 9 नवम्बर, 72 की अवधि में कुल 4,67,613 1/2 लीटर मिट्टी का तेल उठाया और 4,43,261 1/2 लीटर जनता में वितरित किया । तेल के ब्लैक किये जाने की कोई शिकायत अथवा सूचना नहीं है, अतः इस संबंध में किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर जल विद्युत् उपभोक्ता संघ की मांगों पर कार्यवाही

*70--श्री रामकुमार दीक्षित--

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 6 सितम्बर सन् 1972 को कानपुर जल विद्युत् उपभोक्ता संघ की ओर से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है । यदि हां, तो इस ज्ञापन में विद्युत् उपभोक्ताओं की मुख्य मांगें क्या हैं तथा शासन इस संदर्भ में क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

जी हां । ज्ञापन में दी गई मुख्य मांगों का ब्योरा संलग्न है । जनवरी, 1972 से कृषि कार्य के लिये विद्युत् सप्लाई की दरों को काफी सोच विचार के बाद लागू किया गया है। इन दरों में पहले ली जाने वाली मिनिमम गारन्टी समाप्त कर दी गई है तथा किसान जितनी बिजली खर्च करता है उतना ही दाम उससे लिया जाता हैं । केवल 3 रुपये प्रति हार्सपावर प्रति मास की दर से हार्सपावर चार्ज वसूल किया जाता हैं । ट्रांसफार्मर इत्यादि चोरी हो जाने पर उसको राज्य विद्युत परिषद द्वारा निःशुल्क लगाया जाता है । अतिवृष्टि एवं अनावृष्टि के कारण बिजली के देय धनराशि को माफ करना तो संभव नहीं है परन्तु किसानों को किस्तों में तथा बिजली फसल पर अदायगी की सुविधा प्रदान कर दी जाती है ।

प्रदेश में विद्युत की उपलब्धता में कमी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में रोस्टरिंग अवश्य की जाती है । रोस्टरिंग के अन्तर्गत 24 घंटे में किसान को 18 घंटे विद्युत उपलब्ध रहती है। भष्ट कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के लिये शासन सदैव प्रयत्न-शील है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 734 पर)

*71--श्री हिम्मत सिंह--

[3रे बुधवार के लिए प्र० सं० 29 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

नयी गेहूं की फ़सल को सरकार द्वारा खरीदारी

*72--श्री रामसिंह खन्ना (जिला बरेली)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नयी गेहूं की फसल पर सरकार किसान से सीधे गेहूं खरीदने की कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम--

अभी तक यह प्रथा रही है कि भारत सरकार नयी फसल बाजार में आने के पूर्व विभिन्न प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलाती है और इस सम्मेलन में विचार विमर्श करने के बाद खरीद नीति के बारे में निर्णय लिया जाता है। अतः खरीद योजना की बात अभी असामयिक है ।

वारा से भगवन्तनगर बिजली की लाइन

*73--श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)--

क्या विद्युत् मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता के दिनांक 3 मई, 1972 के पत्र के साथ विलास खेड़ा गोवापुर ग्राम आदि के गांवों के प्रधानों के हस्ताक्षरों युक्त कोई प्रार्थना

पत्र मिला है जिसमें उन्होंने वारा से भगवन्त नगर तक बिजली की लाइन बिछाने की प्रार्थना की है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

प्रश्नकर्त्ता का दिनांक 8–5–72 का पत्र प्राप्त हुआ था ।

वारा से ऊंचगांव होती हुई एक 1100 वोल्ट की लाइन भगवन्त नगर तक बनाई जा चुकी है और वर्तमान समय में चालू है, किन्तु वारा से सीधे भगवन्त नगर तक लाइन नहीं बनी है और इस वर्ष के कार्यक्रम में शामिल है ।

जिला पूर्ति अधिकारी, जौनपुर का स्थानान्तरण

*74—श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्तमान जिला पूर्ति अधिकारी जौनपुर के स्थानान्तरण का आदेश हाल में रोक दिया गया ? यदि हां, तो क्यों तथा क्या विधायकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने की कोई संस्तुति सरकार को दी गई थी ? जिसमें प्रश्नकर्त्ता व कई अन्य विधायकों के फर्जी हस्ताक्षर कर दिये गये ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी कि ऐसा किसने किया ?

डाक्टर सीताराम—

जी हां । स्थानान्तरण आदेश प्रशासकीय निर्णय के फलस्वरूप रद्द किया गया था । विधायकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने की कोई संस्तुति सरकार को नहीं प्राप्त हुई थी । अतः जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

गोरखपुर जिले में ग्रामीण विद्युतीकरण

*75—श्री रामकृष्ण द्विवेदी (जिला गोरखपुर)—

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत गोरखपुर जिले के कितने ब्लाक इस वर्ष सम्मिलित किये गये हैं और इसका आधार क्या है तथा इस योजना के कार्यान्वयन में कितनी प्रगति हुई है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम का कार्य जिले के प्रत्येक ब्लाक में किया जा रहा है । इस वर्ष 1972–73 में पूरे जिले गोरखपुर में 1,000 निजी नलकूपों, 120 ग्रामों तथा 145 हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है । अक्तूबर 1972 तक पूरे जिले में 118 निजी नलकूपों 21 ग्रामों तथा 121 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया जा चुका है । इसके अतिरिक्त 25 के लक्ष्य के समक्ष 6 ग्रामों में एल0 टी0 लाइन बिछाकर विद्युतीकरण किया गया है ।

*76—श्री जयराम यादव—

[4 थे शुक्रवार के लिए तारांकित प्र0 सं0 17 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*77—श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री रामकरन सिंह—

[3रे सोमवार के लिए स्थगित]

ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यालय, आगरा

*78—श्री हुकुम सिंह परिहार—

क्या सरकार को पता है कि बिजली का कनेक्शन देने और एग्रीमेन्ट करने का कार्यालय आगरा से मथुरा जाने से किसानों को भारी परेशानी है ? क्या सरकार की स्थानीय विधायकों के पत्र इस संबंध में हाल में मिले हैं? अगर हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

किसी भी कार्यालय का स्थानान्तरण आगरा से मथुरा नहीं किया गया है। ग्रामीण विद्युतीकरण खंड का एक नया कार्यालय राज्य विद्युत परिषद् के मई तथा जुलाई 1972 के आदेशानुसार मथुरा में स्थापित किया गया है।

किसी भी स्थानीय विधायक का इस संबंध में कोई पत्र नहीं प्राप्त हुआ।

प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता।

*79–80— श्री वासुदेव सिंह वैद्य—

[तीसरे सोमवार के लिये स्थगित]

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश में जेलरों का स्थायीकरण

1— श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोग जिला जेलर के पद पर कार्य कर रहे हैं? उनमें से कितने जेलरों को स्थायी किया जा चुका है और कितने लोग ऐसे हैं जो पिछले 10 सालों से सेवारत हैं और अभी तक अस्थायी हैं ?

श्री स्वामीप्रसाद सिंह—

इस समय 76 लोग जेलर के पद पर कार्य कर रहे हैं। इनमें से 23 जेलरों को स्थायी किया जा चुका है। एक जेलर प्रोबेशन पर है। केवल तीन जेलर ऐसे हैं जो इस पद पर पिछले 10 सालों से सेवारत हैं और अभी तक अस्थायी हैं।

सरकार द्वारा किसानों से गेहूं की खरीद

2—श्री जगवीर सिंह तथा श्री सच्चिदानन्द—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सन् 1972 में कितना गेंहूं किसानों से सरकार द्वारा प्रदेश में खरीदा गया और खरीदने का मुख्य लक्ष्य क्या था ? इस वर्ष सीधी खरीद करने में प्रति क्विंटल क्या खर्च आया और पिछले वर्ष जब दूकानदारों के माध्यम से गेहूं खरीदा गया था तो प्रति क्विंटल क्या खर्च आया ?

डाक्टर सीताराम—

खरीफारी वर्ष 1972–73 में राज्य सरकार द्वारा किसानों से कुल 3,96,076 मे0 टन गेहूं खरीदा गया। इसके अतिरिक्त प्रदेशीय सहकारी संघ द्वारा 2,43,768 टन तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा 2,05,378 टन गेहूं खरीदा गया। खरीदारी का मुख्य लक्ष्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित संरक्षण मूल्य का किसानों को पूरा-पूरा लाभ दिलाना तथा जन वितरण प्रणाली की आवश्यकता के लिये बफर स्टाक बनाना था। इस वर्ष राज्य सरकार द्वारा सीधी खरीद करने में लगभग 6.70 रु0 प्रति क्विंटल औसत खर्चा आने का अनुमान है इसमें बोरे का दाम शामिल नहीं है।

वास्तविक खर्चा वार्षिक चिट्ठा/लाभ हानि लेखा तैयार होने पर ही ज्ञात हो सकेगा । पिछले वर्ष (1971–72) में सरकार द्वारा गेहूं की कोई खरीदारी नहीं की गई बल्कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा दुकानदारों (पर्चेजिंग एजेन्टों) के माध्यम से गेहूं की खरीदारी की गई और उनके द्वारा खरीदारी करने पर 7.94 रु0 प्रति क्विंटल औसत खर्चा आया । इसमें बोरे का दाम शामिल नहीं है ।

जिला इलाहाबाद में सस्ते गल्ले की दुकानों पर भ्रष्टाचार

3—श्री रामगोपाल सण्ड—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसने जनवरी, 1972 से 31 अगस्त, 1972 तक जिला इलाहाबाद में कितनी कन्ट्रोल के सस्ते गल्लों की दुकानदारों को भ्रष्टाचार की शिकायत पर दण्डित किया? उन दुकानदारों का नाम सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सीताराम—

जनवरी, 1972 से 31 अगस्त, 1972 तक जिला इलाहाबाद में 61 कन्ट्रोल के सस्ते गल्ले के दूकानदारों को भ्रष्टाचार की शिकायत पर दण्डित किया गया, इनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 735 पर)

उन्नाव जिले का विद्युतीकरण

4—श्री सजीवन लाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्वतन्त्रता की रजत जयन्ती के अवसर पर उन्नाव जिले की प्रत्येक तहसील में किन-किन हरिजन बस्तियों को बिजली दी जावेगी और यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

स्वतंत्रता की रजत जयन्ती के उपलक्ष में सम्पूर्ण उन्नाव जनपद में कुल 24 हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण का प्रस्ताव है, जिनका तहसीलवार विवरण संलग्न है । सम्पूर्ण कार्य इस वर्ष (31–12–72) तक सम्पन्न किया जा सकेगा ।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 737 पर)

5—श्री सजीवन लाल—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त बस्तियों में से अब तक कितनी बस्तियों को बिजली दी जा चुकी है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

उपरोक्त हरिजन बस्तियों में से अब तक (31–10–72) 21 का विद्युतीकरण किया जा चुका है ।

जिला मथुरा में ट्रांसफार्मर्स की चोरी

6—श्री गंगाप्रसाद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मथुरा में वर्ष 1971 में कितने ट्रांसफारमर्स चोरी गये ? उनसे कितने व्यक्तिगत नलकूप प्रभावित हुए उनमें से कितने उपभोक्ताओं ने तुरन्त पुनर्विद्युतीकरण की प्रार्थना की तथा उनमें से कितनों को पुनर्विद्युतीकरण की शर्तों से तुरन्त अवगत नहीं कराया गया जिसके परिणामस्वरूप उनकी फसल को क्षति पहुंची ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

विद्युतीकरण अनुरक्षण खण्ड, मथुरा के अन्तर्गत जिला मथुरा में जनवरी, 1971 से दिसम्बर, 1972 तक आठ ट्रांन्सफार्मर चोरी हुए जिनसे 12 व्यक्तिगत नलकूप प्रभावित हुए। सभी उपभोक्ताओं ने पुनर्विद्युतीकरण हेतु प्रार्थना की तथा सभी को व्यक्तिगत रूप से एक पंजीकृत पत्रों द्वारा पुनविद्युतीकरण की शर्तों से यथा सम्भव शीघ्र अवगत करा दिया गया।

7—शिवानन्द नौटियाल—

(अस्वीकृत)

विद्युत् विभाग के सीनियर टेलीफोन टेस्टर

8—श्री नेतराम सिंह —

क्या विद्युत् मन्त्री कृपया बतायेंगे कि 20 अगस्त, 1972 को विद्युत् विभाग के सीनियर टेलीफोन टेस्टर के पद को स्थाई करने हेतु कोई परीक्षा हुई थी ? यदि हां तो उसमें कितने परीक्षार्थी थे और उनमें से किस-किस को सीनियर टेलीफोन टेस्टर पद पर स्थाई किया गया ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जी नहीं प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता।

गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़ व देवरिया में विद्युतीकरण

9—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगी कि राज्य सरकार की निर्धारित नीति के अनुसार गोरखपुर मन्डल के जनपद गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़ व देवरिया में अलग-अलग कितने गांवों की हरिजन बस्तियों का विद्युतीरकण अप्रैल, 1972 से 2 अक्तूबर, 1972 तक किया गया है तथा कितने गांवों का विद्युतीकरण वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्त तक हो जायेगा ? इसके नाम क्या हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

राज्य सरकार की निर्धारित नीति के अनुसार गोरखपुर मंडल के अन्तर्गत जनपद गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़ तथा देवरिया में 1-4-72 से 2-10-1972 तक क्रमशः 106,18,75 तथा 103 हरिजन बस्तियों का विद्युतीरकण किया जा चुका है। चालू वित्तीय वर्ष के लिये प्रत्येक जिले का निर्धारित लक्ष्य निम्न प्रकार है:—

गोरखपुर	..	145
बस्ती	..	155
आजमगढ़	..	87
देवरिया	..	145 इनके नामों का चयन अभी नहीं हुआ है।

गोंडा जिले में सस्ते गल्ले की दुकानें

10—श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या खाद्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोन्डा जिले में सूखा पड़ जाने के कारण 1 सितम्बर सन् 1972 से 1 अक्तूबर सन् 1972 तक कितनी सस्ते गल्ले की दूकानें खोली गईं ?

डाक्टर सीताराम—

गोन्डा जनपद में प्रश्न गत अवधि में 136 सस्ते गल्ले की दुकानें खोली गई ।

जिला जालौन में हरिजन छात्रावासों को आर्थिक सहायता

11—श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि जालौन जिले में हरिजन छात्रावासों को विभाग से किन-किन तथा कितनी-कितनी आर्थिक सहायता गत वर्ष दी गई और वहां कितने-कितने हरिजन छात्र रहते हैं ?

डाक्टर सीताराम (जिला वाराणसी)—

वर्ष 1971-72- में अनुदान प्राप्त करने वाले हरिजन छात्रावासों के नाम, अनुदान की धनराशि तथा छात्रों की संख्या निम्नलिखित है:—

छात्रावास का नाम	स्वीकृत धनराशि	छात्रों की संख्या
1–डा० अम्बेदकर छात्रावास, कोंच	2,056.00	20
2–डा० अम्बेदकर छात्रावास, जालौन	2,914.00	25
3–बजरंग शिक्षा प्रसारिणी समिति, कोंच	2,000.00	31
4–श्री ठक्कर बापा हरिजन छात्रावास, कालपी	2,092.00	23
5–हरिजन छात्रावास, उरई	3,555.00	42

12—श्री जयराम यादव—

[दूसरे शुक्रवार के लिए अतारांकित प्र० सं० 13 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

13—श्री जयराम यादव—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

कैराना व शामली, मुजफ्फरनगर में मीटर बन्द हो जाना

14—श्री चन्द्रभान शर्मा—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के ब्लाक कैराना व शामली में पिछले 5 महीने में मीटर चलते-चलते बन्द होने के कितने केस रिपोर्ट हुए और अब तक कितने मीटर बदल कर लगा दिये गये और कितने बचे हैं और क्यों नहीं लगाये गये ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जनपद मुजफ्फरनगर के कैराना व शामिली में पिछले पांच महीनों में जुलाई, 72 से नवम्बर, 72 तक 468 केस मीटर बन्द होने या खराब होने के रिपोर्ट हुए जिनमें से 422 मीटर बदले जा चुके है शेष 46 मीटरों के बलदने के लिए कर्मचारियों को आदेश दिये जा चुके हैं जो जल्दी ही बदल दिए जायेंगे ।

जिला बरेली में बिक्री हेतु शक्कर

15—श्री शफीक अहमद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बरेली में माह सितम्बर, 1972 में ग्रामीण क्षेत्र को कितना कुंटल सरकारी सस्ती शकर की दूकान पर बिकने के लिये सरकार ने शकर दी और शहरी क्षेत्र यानी टाउन ऐरिया नगरपालिका में कितनी ? अगर शहरी क्षेत्र को ज्यादा शकर दी गई है तो उसके कारण क्या है ?

डाक्टर सीताराम—

जिला बरेली में माह सितम्बर, 1972 में ग्रामीण क्षेत्रों में 894 क्विंटल और शहरी क्षेत्रों में 5274 क्विंटल चीनी सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से बिक्री हेतु दी गई । ग्रामीण क्षेत्रों में कम चीनी इस कारण दी गई क्योंकि वहां प्रधान की परची पर एक किलोग्राम प्रति परिवार प्रतिमाह चीनी दिये जाने की व्यवस्था है जबकि शहरी क्षेत्रों में राशन कार्ड पर एक किलो प्रति यूनिट प्रतिमाह चीनी दी जाती है ।

जिला प्रतापगढ़ के गांवों का विद्युतीकरण

16—श्री जयराम यादव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला प्रतापगढ़ में अब तक कितने गांवों का वद्युतीकरण किया गया तथा कितनी ऐसी हरिजन बस्तियां हैं जहां बिजली पहुंचा दी गई ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

प्रतापगढ़ जनपद में अब तक (30-11-72) 343 ग्रामों का सी0डब्लू0ऐंड पी0सी0 की परिमाणानुसार तथा 70 गांवों का एल0टी0 मेंश द्वारा विद्युतीकरण किया जा चुका है । 44 हरिजन बस्तियों में भी बिजली पहुंचाई जा चुकी है ।

कार्यक्रम तथा प्रश्नों के उत्तर बिलम्ब से मिलने के सम्बन्ध में शिकायत

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। हमें एजेंडा रोजाना पौने 9 बजे, 9 बजे व साढ़े नौ बजे मिलता है जब कि हम अपना घर यहां आने के लिये छोड़ देते हैं । हमें एजेंडे को देखने का समय नहीं मिलता है । मैं आपका ध्यान नियम 32 की ओर दिलाना चाहता हूं :—

"प्रश्नों के उत्तर के लिये जो दिन नियत किया गया है उस दिन का उपवेशन आरम्भ होने के एक दिन पूर्व प्रश्नों के लिखित उत्तरों की प्रति सम्बद्ध सदस्यों को उपलब्ध कर दी जायेगी ।

मान्यवर, इतने महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर पूछे जाते हैं हम अपना मस्तिष्क निश्चित नहीं कर पाते हैं कि हमें क्या प्रश्न पूछने चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं कि यह नियम के विरुद्ध है कि 1 दिन पहले प्रश्नों के उत्तर न प्राप्त हों । यह अव्यवस्था चल रही है । मैं इसकी जांच करूंगा । अभी तो आप यह बात सामने लाये हैं । मंत्रिमंडल की तरफ से जो प्रश्नों के उत्तर आते हैं वे शाम को आते हैं, इसलिये दूसरे रोज एजेंडा देना पड़ता है । अगर उत्तर समय से आ जायें तो एजेंडा भी आपको समय से मिल जायेगा ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, ये अव्यवस्था कर रहे हैं और गलत परम्परा डाल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

मुझे इसकी व्यवस्था करनी चाहिये । इसलिये जांच करने के बाद मंत्रिमंडल से बात करूंगा ।

बिजली के संकट से सम्बन्धित कार्य-स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में जानकारी

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

एक बात और कहना चाहता हूं ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

पहले इनको होने दीजिये ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, जिस दिन यह सत्र प्रारम्भ हुआ उसी दिन मैंने एडजर्नमेंट मोशन दिया था बिजली की कटौती के ऊपर । पता नहीं क्या वह रूल आउट हो गया । आज जो चर्चा का विषय है उसमें भी मेरा नाम नहीं आया । चौधरी चरण सिंह ने भी लिखा था । आज एजेंडे पर मेरा नाम नहीं है । इतना महत्वपूर्ण एडजर्नमेंट मोशन दिया गया लेकिन मेरा नाम एजेंडे पर नहीं है । न पहला नाम होता मगर दूसरे नम्बर पर तो होता । कृपया आप मुझे बतायें और उचित व्यवस्था करें ।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

मैंने भी एडजर्नमेंट मोशन दिया था । मेरा भी नाम जोड़ दिया जाये । पहले आपने यह कहा था कि रहने दो एक दिन इस पर चर्चा होगी।

श्री अध्यक्ष—

एक दिन तो निश्चित कर दिया लेकिन आपका नाम नहीं आया । इनका नाम क्यों नहीं आया ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मैंने एडजर्नमेंट मोशन दिया था ।

श्री अध्यक्ष—

क्या मैंने यह कह दिया था कि आपका नाम आयेगा इसमें ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

जी हां, आप प्रोसीडिंग्स देख लें। एडजर्नमेंट मोशन एलाऊ नहीं किया है लेकिन चर्चा के लिये निश्चय ही समय मिलेगा ।

श्री अध्यक्ष—

आपको चर्चा का समय देंगे, समय न देने का कोई सवाल नहीं है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

हमने तो पहले स्थान पर दिया था । अगर हमारा नाम पहले नम्बर पर न होता तो दूसरे नम्बर पर तो होता ।

श्री अध्यक्ष—

जिन लोगों ने एडजर्नमेंट मोशन्स दिये थे उनको बोलने का मौका देंगे । उनके नाम इसमें क्यों नहीं छपे इसकी मैं जांच करूंगा कि क्यों नहीं छपे ।

श्री सुखपाल पाण्डेय की पुलिस द्वारा हत्या के कथित प्रयास के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि शनिवार के दिन जब माननीय सुखपाल जी पांडे अपने निर्वाचन क्षेत्र बस्ती में जा रहे थे उनके ऊपर कातिलाना हमला करने की चेष्टा की गई । जब उन्होंने रिवाल्वर का प्रयोग किया तब आक्रमणकारी भाग गये। इसके बारे में सभी लोगों को सूचित कर दिया गया है । इसमें कहां तक सही बात है और क्या सरकार ने इस बात की जांच करवाई है ? जांच के विषय में जो कार्यवाही है क्या उससे सदन को सरकार अवगत करवायेगी ? यहांपर श्री सुखपाल पांडेय जी भी बैठे हैं उनसे भी इसके तथ्यों का पता किया जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर ठीक से हो जाना चाहिये ।

एक सदस्य—

माननीय मंत्री जी की तरफ से उत्तर ठीक से नहीं मिल पा रहा है ।

*श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न माननीय सुरेन्द्र विक्रम ने उठाया है उस सम्बन्ध में तार सम्भवतः आपको भी प्राप्त हुआ होगा । उसकी प्रति मुख्य मंत्री जी के पास भी भेजी गई है उसकी प्रतिलिपि मेरे पास भी आई है । यह मामला बहुत ही गम्भीर है । यह केवल परसों का ही सवाल नहीं है बल्कि पिछले पांच सात महीनों से माननीय सुखपाल पान्डे पत्र व्यवहार मुख्य मंत्री, आई० जी० आदि से करते रहे हैं । आपको यह भी याद होगा कि पिछले दिनों माननीय सुखपाल पान्डे को हाउस से उनकी प्रोटेक्शन के लिये एक शैडो भी मिला था परन्तु उस शैडो को भी एस० पी० ने विदड्रा कर लिया और दूसरा शैडो नियुक्त कर दिया । सुखपाल जी ने इस बारे में लिखा पढ़ी भी की उसी शैडो को रहने दिया जाय क्योंकि वह मातबर आदमी मालूम होता था । वहां के जो पुलिस अधिकारी है एस० पी० जिन पर सारे जिले की सुरक्षा का भार है और ऐसी सूरत में जब कि किसी माननीय सदस्य के जीवन की असुरक्षा होती है तो उसको देखकर उसकी सुरक्षा करवायें । मान्यवर, आप इसमें पड़ें क्योंकि यह मामला पांच सात महीनों से चल रहा है और सम्भावना है कि कहीं अप्रिय घटना न घटित हो जाय ।

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास भी इसी प्रकार का तार आया है कि पुलिस ने उनको मारने की कोशिश की । यह तार माननीय गृह मंत्री और मुख्य मंत्री को भी भेजा गया

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है। उनके पास मैंने उसको भी भेजा है, लेकिन मुख्य मंत्री तो अभी आये नहीं हैं। अभी मेरे पास उनका कोई उत्तर नहीं आया है।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)---

माननीय, राज्य गृह मंत्री श्री गोस्वामी जी तो बैठे हैं। उनके पास भी तार आया होगा, वह बतायें।

गृह राज्य मंत्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)---

माननीय, माननीय सुखपाल जी पान्डेय की तार की प्रतिलिपि मुझको भी मिली है जब कि मैं कल सांयकाल को लौटा। मैंने तत्काल आई० जी० से जानकारी की। उन्होंने कहा कि बस्ती जिले में इस प्रकार की घटना की कोई सूचना उनको नहीं है। मैंने उनको यह आदेश भी दिया कि डी० आई० जी० को वह फौरन वहां भेजें और सांयकाल तक मुझको इस बारे में सूचित करें।

श्री अध्यक्ष---

अगर आज शाम तक आपको सूचना प्राप्त हो जाती है तो कल तक सदन में दे दें।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)---

माननीय.....

श्री रामकरन सिंह---

माननीय, जैसा गोस्वामी जी ने अभी बताया कि जब माननीय गोस्वामी जी दौरे से आये तो उन्हें इस सम्बन्ध में एक तार प्राप्त हुआ था। उस सूचना के पाते ही उन्होंने आई० जी० से सम्पर्क स्थापित किया। आई० जी० ने गोस्वामी जी को यह सूचना दी कि इस प्रकार की कोई घटना नहीं घटी है। मैं समझता हूं कि उनकी इस बात पर प्रिविलेज का सवाल बनता है कि उन्होंने हाउस को मिस-लीड किया। मेरा कहना यह है कि इस तरह का जवाब नहीं दिया जाना चाहिये था।

श्री राम बिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)---

अध्यक्ष जी, जो प्रश्न माननीय सुरेन्द्र विक्रम ने उठाया है.....

*श्री बांके लाल---

माननीय, जो सतर्कता विभाग के डाइरेक्टर्स हैं उनके दामाद वहां के पुलिस कप्तान हैं। उनकी शत्रुता सुखपाल जी से चली आ रही है क्योंकि उन्होंने हमेशा उनके भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाई है। माननीय, जैसा अभी राज्य गृह मंत्री ने कहा कि डी० आई० जी० से रिपोर्ट मंगाई है। तो माननीय, जब तक रिपोर्ट आये आये, अगर इस बीच में उनके प्राण पखेरू उड़ गये, तो हम क्या करेंगे। अतः उनके प्राण रक्षा की व्यवस्था तुरन्त की जानी चाहिये। इसलिये मेरा पहला निवेदन यह है कि वहां के पुलिस कप्तान को तुरन्त हटाने की व्यवस्था की जाय और उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाय और उनको सस्पेन्ड किया जाय माननीय, यह 15 तारीख की घटना है और उससे यह विदित होता है कि सुखपाल पान्डे जी को मारने के लिये पिस्तौल लेकर पुलिस कप्तान फोर्स के साथ गाड़ी लेकर पहुंचे। माननीय, इस प्रकार उनकी हत्या की साजिश की जाय यह बात काबिले-बरदाश्त नहीं है। इसलिये इस पर निश्चित रूप से विचार करने की आवश्यकता है ऐसा मेरा प्रस्ताव सदन के सामने है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

माननीय, श्री सुखपाल पान्डेय जी इस समय सदन में मौजूद हैं। बाकी सदस्यों को सुनने के पहले अगर उनकी बात सुन ली जाय तो अधिक लाभ होगा इससे सारी बातें सदन के सामने आ जायेंगी। उन्होंनें दो-एक बार बोलने का भी प्रयास किया है। अतः पहले उनकी बात सुन ली जाय तो ठीक होगा।

*श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

माननीय, यह बात कहने में मुझे शर्म मालूम होती है कि उत्तर प्रदेश के सर्तकता विभाग के डाइरेक्टर के दामाद श्री मोहन चन्द्र दीक्षित के बारे में मैंने कई बार इस सदन में आवाज उठाई थी और आपके द्वारा एक बार वार्निंग भी दी जा चुकी है। जिला परिषद् की जिस समय बैठक हो रही थी और सभी विधायक मीटिंग में उपस्थित थे। तो उस समय अध्यक्ष जी आये और सभी माननीय सदस्य और विधायक उनके सम्मान में खड़े होगये, लेकिन मोहन चन्द्र दीक्षित उस समय नहीं खड़े हुये। मैंने उनके खिलाफ जिला परिषद् में प्रश्न उठाया और प्रोसीडिंग्स में यह बात आई। अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि वह क्षमा याचना कर लें, लेकिन उन्होंने आज तक क्षमा याचना नहीं की। माननीय, एस0 पी0 इसलिये असन्तुष्ट हैं कि मैंने उनके भ्रष्टाचर की शिकायत मुख्य मंत्री जी से तो नहीं दर्जनों बार राज्य गृह मंत्री जी से की। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पता नहीं क्यों और किन परिस्थितियों में उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं हुयी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पुलिस विभाग के सभी लोग-आई0 जी0 और डी0 आई0 जी0 उन्हें उसी निगाह से देखते हैं जिस प्रकार से डाइरेक्टर विजीलेन्स देखते हैं।

श्री अध्यक्ष—

उनका नाम क्या है।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

श्री राधेश्याम शर्मा, इस समय विजीलेन्स डाइरेक्टर हैं।

जो कि उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं और उनके कृपापात्र हैं उनके अपने दामाद जों कि बस्ती में एस0 पी0 के स्थान पर सुशोभित हैं। मैं श्रीमान्, कहना चाहता हूं कि जितना भष्टाचार इस एस0 पी0 ने फैला रखा हैं उसकी कोई सीमा नहीं है। उसने एक ऐसे थानेदार को जिसको कि जज के यहां से सजा मिली है उसको हमारे यहां जान बूझकर थाने पर पोस्ट किया है। अभी 5 या 6 महीने पहले गोंडा जिले में तीन थानेदारों को सजा हुई थी। उकमें से एक थानेदार को बस्ती जिले में जो सेकेण्ड आफिसर होकर आया था उसको अब इन्चार्ज बनाकर और यह कह कर हमारे थाने पर भेजा गया है कि वह हमारे खिलाफ कुछ कार्यवाही करे। तो यह तो आज हमारे प्रशासन की लीला है। मै आपसे क्या कहूं इस व्यक्ति ने हमारी हत्या कराने का प्रयास किया और इस सदन के सौभाग्य से इस सदन को मेरे मरन पर शोक प्रस्ताव पास करने का अभी मौका नहीं मिला है, मैं किसी तरह से बच गया हूं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं मैंने सरकार को भी कहा लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं, कि आप मेरी सुरक्षा की व्यवस्था करें और इसलिए मैंने आपको प्रथम टेलीग्राम दिया और उसकी कापी माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय राज्य गृह मंत्री जी और अपने मित्रों को भी दी।

श्री अध्यक्ष—

अब इसके बारे में पहला काम तो यह होना चाहिये कि इनकी सुरक्षा की व्यवस्था हो और इसलिये जो मंत्री जी इस विभाग के चार्ज में हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इनकी सुरक्षा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की व्यवस्था पहले हो, उसके लिये पूरी तरह से इन्तजाम होना जाहिये और कल तक आप जो इसके बारे में जांच करके रिपोर्ट, आवे, जो तार आया है उसके बारे में पूरी जांच करा कर सदन को देने की कृपा करें और उसके बारे में आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं, यह भी कल बतावें।

(बहुत सी आवजें.....व्यवधान)

देखिये, आप तो गवर्नमन्ट नहीं हैं, गवर्नमेन्ट ही जांच करायेगी यह उन्हीं के अधिकार में है।

श्री रामविलास पान्डेय—

अध्यक्ष महोदय, माननीय सुखपाल पान्डेय जी के जीवन को खतरा है, यह देख करके आप ने स्वयं मंत्री जी से कहा है कि उनके साथ कोई बाडीगाड लगाया जावे। आपकी व्यवस्था ठीक ही है किन्तु आपसे यह भी निवेदन है कि आप मंत्री जी को यह भी आदेश दें कि वहां से एस0 पी0 को तत्काल हटा दिया जावे। पांडेय जी ने बताया हैं कि वे उस एस0 पी0 के खिलाफ बराबर इस सदन में प्रश्न उठाते रहे हैं और सरकार को इसकी जानकारी पहले से है, इसलिये उस एस0 पी0 का तत्काल ट्रांसफर किया जाय क्योंकि आई0जी0 रिपोर्ट मांगते हैं उसी एस0 पी0 से और कोई भी व्यक्ति अपने विरुद्ध कहता नहीं है और इसीलिये आई0 जी0 ने कहा कि वह बात ठीक नहीं है जो माननीय पांडेय जी ने तार में कही है। इसलिये सबसे जरूरी यह है कि उस एस0 पी0 का तत्काल ट्रांसफर होना चाहिये।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)

दो तीन रोज हुए, श्रीमन्, माननीय सदस्य ने इस प्रकार का जिक्र किया है कि माननीय सुखपाल जी पांडेय पर पुलिस वालों ने हमला किया है और यही बात तार में लिखी हुयी है। अभी गृहमंत्री जी ने बताया कि जांच की जा रही है। इसी दौरान में हमारे मित्र और अन्य माननीय मित्रों नें भी कहा कि श्री राधेश्याम शर्मा कोई विजिलेन्स के आफिसर हैं उनके दामाद बस्ती के एस0 पी0 हैं। कोई किसी का दामाद या रिश्तेदार हो सकता है और चाहे वह विजिलेन्स में हो या कहीं भी, उसको सजा होगी यदि गल्ती करेगा।

श्री बांके लाल—

श्रीमन्, यह तो एस0 पी0 का पक्ष कर रहे हैं और पुलिस का पक्ष ले रहे हैं।

श्री रामकुमार शास्त्री—

इससे क्या होता है, जो भी आदमी गलत काम करेगा, चाहे वह विजिलेन्स का हो या कहीं का हो उसको सजा होगी। अभी तो उस तार में यह बात कही गयी है कि तीन चार पुलिस वालों ने हमला किया। मंत्री जी उसकी इन्क्वायरी करायेंगे। उस बात की इन्क्वायरी करायेंगे जो तार में लिखी हुई है कि किन परिस्थियों में इस तरह की कार्यवाही की गयी है। मेरे निवेदन का मतलब है कि पहले से ही अगर हम आप सब प्रेजुस्डि हो जायेंगे अमुक आदमी अमुक आदमी का रिस्तेदार है और उससे प्रभाव पड़ेगा और उसका ट्रांसफर इसलिये कर दिया जाय, तो फिर न आप यहां बैठे रहेंगे और न हम सब माननीय सदस्य यहां बैठे रह सकते है। हर हालत में सुरक्षा की व्यवस्था तो होनी चाहिये। सही बात का पता लगाना चाहिये। बिना समझे बूझे ट्रांसफर मुनासिब नहीं।

(शोर)

यह सही बात है या गलत बात है। कैसे ट्रान्सफर होगा जब तक इंक्वायरी न हो जाय। इनकी जानमाल की रक्षा फौरन होनी चाहिए।

श्री बांकेलाल——

व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री राम कुमार शास्त्री—

जो आदमी यहां कुछ नहीं कह सकता है उसका अनाप शनाप नाम लेकर इस सदन की गरिमा को समझ कर ही कहना चाहिये।

श्री बांकेलाल—

अगर किसी माननीय सदस्य के मारने की साजिश की जाती है तो यहां नाम नहीं लिया नायगा तो कहां लिया जायगा।

श्री कन्हैयालाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, जैसा कि कहा गया है कि वह राधेश्याम शर्मा के दामाद हैं तो किसी पुलिस अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि उनके खिलाफ जांच करके रिपोर्ट दे सके। एक माननीय सदस्य के जीवन मरण का प्रश्न है तो मेरा निवेदन है कि तीन चार माननीय सदस्यों की एक कमेटी बना दें जो कि जांच करे। अगर हम प्रशासन को स्वच्छ बनाने की बात करते हैं तो उसके बाद अधिकारी हमें प्रताड़ित करने की कोशिश करें और उसकी जांच उन्हीं के माध्यम से हो तो यह नहीं होना चाहिये। इसकी जांच का माध्यम यह पवित्र सदन ही होना चाहिए ताकि सही रिपोर्ट आ सके।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री बांकेलाल—

एक मिनट दे दें। मेरा निवेदन है कि प्रतिदिन पुलिस वाले किसी माननीय सदस्य का अपमान करेंगे तो यह बर्दाश्त के बाहर की बात है।

*श्री शिवराज सिंह—

अध्यक्ष महोदय, प्रश्नगत विषय बहुत महत्वपूर्ण और गम्भीर है। पिछले 18 वर्ष के मेरे विधान सभा काल में कभी ऐसी घटना सुनने को नहीं मिली। मान्यवर, इस घटना के पहलुओं पर गौर करें। एक विधान सभा के सदस्य की जान का खतरा है और वह भी श्रीमन् किस एजेंसी से, पुलिस से। पुलिस जिसके द्वारा तमाम राज्य की सुरक्षा निर्भर करती है। उस पुलिस के माध्यम से एक माननीय सदस्य खतरे में हैं। वह भी क्यों खतरे में हैं। इसलिए खतरे में हैं कि उन्होंने अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वाह करने में पुलिस का रोष पैदा कर दिया है। अब प्रश्न यह उठता है कि माननीय सदस्य जब स्वयं ब्योरा दे रहे हैं तो विधान सभा के सदस्य होने के नाते इस सदन को उनका विश्वास करना चाहिये। दूसरी बात यह है कि परसों घटना का वर्णन किया गया। मुझे इस बात का खेद है कि जिस गम्भीरता से गृह मन्त्रालय को इस को लेना चाहिये उसने नहीं लिया। आपकी बात आई० जी० से चलते हुये हुई। 48 घंटे बीत गये। एक माननीय सदस्य की जान को खतरा है और वह भी राज्य की पुलिस के द्वारा है। मुझे खेद है कि जिस गम्भीरता के साथ गृह मन्त्रालय को ध्यान देना चाहिए था नहीं दिया गया। चूंकि श्रीमन्, इस वाकये के अन्दर पुलिस स्वयं एक पार्टी है इसलिये पुलिस के माध्यम से जांच नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मान्यवर, आपको सन्तुष्ट होना है, इस सदन को सन्तुष्ट होना है कि घटना घटित हुई है या नहीं। मान्यवर, मेरे लिये तो माननीय सुखपाल पांडेय का बयान काफी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है। अगर आप और सन्तुष्ट होना चाहते हैं तो इस सदन की समिति गठित करें या कोई ऐसी एजेंसी हो जो कि शासन से इंडीपेंडेंट हो और जिस पर पुलिस की छाप न हो उससे जांच करायें और फिर उसके बाद इस सदन को ऐसी सजा देनी चाहिये कि भविष्य में ऐसी घटना न हो सके।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)---

मान्यवर, अबतक रोजाना चर्चा होती थी। इस सदन में कि हरिजनों पर जुल्म किया जा रहा है, पुलिस बड़े वर्गों की तरफदारी कर रही है। आज स्थिति यहां तक आ गयी है कि एक माननीय सदस्य की जान खतरे में है, केवल इसलिए कि उसने इस माननीय सदन के अन्दर पुलिस के अत्याचारों का विरोध किया और वह विरोधी पक्ष के नहीं, शासक दल के माननीय सदस्य हैं। तो मैं समझता हूं कि ईमानदारी का तकाजा था कि जब ऐसी घटना की सूचना माननीय मन्त्री जी को मिलती है तो फौरन उनको इस्तीफा दे देना चाहिये था। क्या यह गम्भीर बात नहीं है। आप अपनी पार्टी के सदस्य को भी सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते इतना भी पुलिस पर नियन्त्रण नहीं है। क्योंकि उन्होंने पुलिस की आलोचना की इस सदन में इसलिए पुलिस उनकी जान के पीछे पड़ी हुई है। मैं समझता हूं, शिवराज सिंह जी ने जिस ढंग से कहा है इस सदन के सामने माननीय सदस्य की व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर आप एक्शन ले सकते हैं। उनका वक्तव्य मौजूद है। माननीय सदस्य ने जो पुलिस की आलोचना की है वह सदन के पास मौजूद है। प्राग्दर्शन के अन्दर इतना ही काफी है। आप विशेषाधिकार के प्रस्ताव को स्वीकार करें।

मेरा मन्त्री जी से निवेदन है कि जब ऐसे अकाट्य तथ्य सदन के सामने मौजूद हैं तो उनका कर्त्तव्य होता है कि वह सही मामले की जांच उस पुलिस के जरिये न करायें जिसके ऊपर अभियोग हैं और जब तक जांच आप कराते हैं उस एस0पी0 को फौरन वहां से स्थानान्तरण कर देना चाहिए ताकि साथियों को वह दबाव न डाल सके।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

मैं शिवराज सिंह जी से सहमत हूं जो उन्होंने कहा सुखपाल जी ने आज ही नहीं, इससे पूर्व भी अपनी जान की रक्षा के लिये मुख्य मन्त्री से अपील की थी। जिस घटना का विवरण उन्होंने दिया है, हमें कोई कारण नहीं है कि हम यह सन्देह करें कि उन पर हमला नहीं हुआ। वह सत्य है। आरोप यह है कि एक पुलिस का कप्तान उसमें शामिल है तो जसा शिवराज सिंह जी ने कहा बात इतनी ही है कि सचमुच शासन को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। उनकी जान तो खतरे में है ही लेकिन मामला इसलिए और गम्भीर हो जाता है कि वह इसलिए खतरे में है क्योंकि वह अपने कर्त्तव्य का पालन करना चाहते हैं।

दूसरी बात मैं कहता हूं कि उसमें पुलिस अफसर इंवाल्व्ड है। ऐसी अवस्था में जांच उसकी कोई ऐसी अथारिटी द्वारा होनी चाहिये जिसकी जांच के परिणाम में कोई शंका न हो पाये। शिवराज सिंह जी ने सजेस्ट किया है कि इस सदन के कुछ सदस्यों की एक कमेटी हो, वह जांच करे। जो भी हो लेकिन निश्चित रूप से ऐसी अथारिटी मुकर्रर की जाय जिसकी निष्पक्षता में बिलकुल सन्देह न हो। अगर आई0जी0 और डी0आई0जी0 को दे दिया जाय तो पता नहीं उनकी क्या फाइंडिग हों। तो हमारे मन में शंका रह जायगी। इसलिए मैं अपील करूंगा मन्त्री जी और सरकार से कि यह बहुत गम्भीर बात है और गृह मन्त्री जी द्वारा माननीय सुखपाल जी के जान माल की रक्षा के लिए कुछ दिन पहले एक शैडो दिया था, उसको उन्होंने छोड़ दिया कि हम निभा लेंगे, उसकी जरूरत नहीं है। अब उन्होंने जब खतरा महसूस किया तो उन्होंने लिखा और प्रमाण दिया। इसमें जांच करना आवश्यक

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

है। अगर निर्दोष हों तो कोई बात नहीं है लेकिन अगर दोषी हो तो जितनी भी सजा हो सकती है एक ऐसे पद पर आरूढ़ अधिकारी के लिये, वह उन्हें दी जाय।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, सदन का यह बहुत गम्भीर मामला है। परसों या नरसों तार का जिक्र सदन में हुआ था, लेकिन उधर से बहुत लाइटली ट्रीट किया गया था कि कुछ नहीं है और कोई ऐसी बात हो तो तार इधर आता? उधर न आना चाहिए था—इस तरह की बात कही गयी और यह भी कहा गया कि सुखपाल पांडेय जी तो यहीं हैं, यह बात सही नहीं है। लेकिन वह तार आपके पास और गवर्नमेंट के पास आया। अगर उसको गम्भीरता से देखा गया होता तो अब तक सही बात का पता चल गया होता और जिस तरह से एस0 पी0 के खिलाफ शिकायत है और जो बड़े अधिकारी से उनका सम्बन्ध बताया गया है वैसी स्थिति में यह सोचना कि फिर वहां से जांच जो मन्त्री जी कराना चाहेंगे वह सही आयेगी ठीक नहीं। उसका विश्वास नहीं हो सकता है। इसलिए जांच तो स्वतन्त्र होनी ही चाहिए, इस सदन की कमेटी हो या कोई और स्वतन्त्र व्यक्ति हो जिसको आप ठीक समझते हों, लेकिन जांच के पहले यह जरूरी है कि एस0 पी0 को वहां से फौरन हटा देना चाहिये और पांडेय जी की सुरक्षा का पूरा इन्तजाम करना चाहिये।

श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—

जिस प्रकार की घटना सदन के सम्मुख आई है। मैं इस माननीय सदन को याद दिलाऊं, शायद 1969 या ऐसे ही, जब जनसंघ दल के इटावा के एक माननीय सदस्य के ऊपर गोली चली थी तो नेता जनसंघ ने स्पष्ट मांग की थी कि जब इस प्रकार माननीय सदस्यों के ऊपर प्रशासन के एक अंग द्वारा प्रहार किया जाय और वह भी जीवन लेने की दृष्टि से और व्यक्तिगत रागद्वेष के आधार पर हो, तो उस समय के मुख्य मन्त्री जी ने नेता जनसंघ की बात को मानकर तुरन्त निष्पक्ष इंक्वायरी बिठाली थी। और जिस अधिकारी के ऊपर आरोप लगा था उसका ट्रांसफर किया था। मैं नहीं जानता कि हमारे गृह मन्त्री जी को हुकूमत करना आता है नहीं परन्तु हुकूमत की पहली आधारभूत शिला यह है कि जब चोटी के अधिकारी के ऊपर आक्षेप लगे तो उसका तबादला पहले होना चाहये। यदि तबादला नहीं किया जाता है तो किसी प्रकार की इंक्वायरी में सही बात सामने नहीं आ सकती क्योंकि उसके रहते हुए किसी मातहत या किसी अन्य व्यक्ति में यह साहस नहीं हो सकता कि सही बात कहें। यदि आप प्रशासन नहीं जानते हैं और केवल सरकार के एक अंग हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु मैं यह मांग करता हूं, कि यह इस प्रकार की दूसरी घटना है जो माननीय सदस्य के साथ घटी है और यह इस बात की द्योतक है कि रक्षक के रूप में जो प्रदेश की संस्था है—पुलिस—आज वह भक्षक होती जा रही है और अनुशासनविहीन होती जा रही है जिसे रोकने की आवश्यकता है इसलिये आप आदेश दें कि इसकी निष्पक्ष इंक्वायरी की जाय और इंक्वायरी के पहले मन्त्री महोदय सदन को आश्वासन दें कि वह तुरन्त सम्बन्धित अधिकारियों का तबादला करेंगे। मैं यह भी मांग कर रहा हूं और आप से भी निवेदन कर रहा हूं कि यदि उनका साहस न हो तो आप मन्त्री जी को आज्ञा दें क्योंकि यह किसी दल विशेष का प्रश्न नहीं है या सारे माननीय सदस्यों का प्रश्न है और एक का अपमान सब का अपमान होता है।

श्री शिवकुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)—

श्रीमन्, आप उस समय थे नहीं जिस समय हाउस में इस बात का जिक्र चला था। माननीय तिवारी जी प्रेसाइट कर रहे थे जब यह तार परसों पढ़ कर सुनाया गया था। तब हम लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। सोचा भी नहीं था कि

ऐसी घटना एक विधायक के साथ होगी और यह पता भी नहीं था कि जो तार माननीय सुरेन्द्र विक्रम ने पढ़ा था वह वहां कैसे आया। यह भी पता नहीं था कि गृह मंत्री और आप के पास कोई तार आया है।

श्री अध्यक्ष---

मेरे पास आया था मैंने मुख्य मंत्री क पास भेज दिया।

श्री शिव कुमार पांडेय---

तो जब पांडेय जी से बात हुई तो मालूम हुआ कि इससे ज्यादा शर्मनाक घटना और कोई हो नहीं सकती।

श्री अध्यक्ष---

क्या करना चाहिये वह कहिये।

श्री शिव कुमार पांडेय---

मैं दो चीजें चाहता हूं। एक तो यह कि आज, इसी समय सभी संबंधित अधिकारियों को, चाहे वह कप्तान हों चाहे दारोगा, उनको तुरन्त वहां से हटा दिया जाय। दूसरे, इसकी जांच केवल दो ही कर सकते हैं और तीसरा कोई नहीं, या तो हाई कोर्ट का कोई जज या इस सदन के माननीय सदस्यों की कोई कमेटी, क्योंकि जैसा पांडेय जी ने बताया है इसमें बड़े-बड़े लोगों का सम्बन्ध है। अन्य लोगों ने, चाहे वे विरोधी पार्टी के हों या हमारी पार्टी के हों, जो राय प्रकट की है उससे इत्तफाक करते हुये मैं पूरे जोर के साथ यह मांग करता हूं कि आप यह निर्देश दें कि संबंधित अधिकारियों को तुरन्त हटा दें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

यह तो बहुत आवश्यक है कि तुरन्त ट्रान्सफर कर दिया जाय।

(व्यवधान)

*श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)---

(शोर) श्रीमन्, जिस घटना का जिक्र किया गया है अगर वह सही (शोर) (कई आवाजें--- 'अगर' हटा दीजिये) आप मेरी बात सुन लें। इस में सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिये। माननीय सुखपाल पांडेय जी की बातों पर अविश्वास किया जाय इसका कोई कारण नहीं है, लेकिन यह भी देखना है कि यह तार 15 तारीख को यहां आया। 15 तारीख को जब यह तार यहां पढ़ा गया तो उस समय माननीय तिवारी जी अधिष्ठाता की हैसियत से आपकी कुर्सी पर बैठे थे। जब इसकी सूचना मिली तो हम लोगों ने इसको सही नहीं माना। इसमें एक बात यह जरूर है कि अगर इसकी अहमियत इतनी अधिक थी तो पांडेय जी स्वयं उसी दिन उसकी चर्चा करते क्योंकि 15 तारीख के बाद वे यहां लखनऊ में उपस्थित थे, सेक्रेटेरियट में उपस्थित थे। अगर उसी दिन वे स्वयं इसको यहां उठाते तो इसकी अहमियत और बढ़ जाती। आज उसको इतनी अहमियत दी जा रही है। ऐसी सूरत में मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय राज्य मंत्री जी स्वयं जाकर इसकी जांच करें क्योंकि हम सब को उन पर विश्वास है, उधर के लोगों को हो या न हो। मैं यह भी चाहता हूं कि माननीय पांडेय जी की सुरक्षा का भी उचित प्रबन्ध किया जाय। यह कहा गया कि तत्काल एस0 पी0 का ट्रांसफर कर दिया जाय, अगर ऐसी होगा तो इसका नतीजा यह होगा कि हम यह मान कर चलेंगे कि जो चीज जिस रूप में यहां कही गयी है वह वैसी है। इसलिये उचित यह होगा माननीय स्वामी जी स्वयं जाकर पहले जांच करें।

(शोर)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हरनारायण (जिला पीलीभीत)---

यह सोच कर कि कोई माननीय सदस्य दल बदलू है, उसके कथन पर विश्वास न किया जाय यह उचित नहीं है। माननीय सदस्य ने जो अभी कहा वह गलत है।

(व्यवधान)

इस गम्भीर घटना की ओर ध्यान देना चाहिये।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

यहां प्रश्न मान्यवर, यह उठा कि एक सूचना इस माननीय सदन में एक माननीय सदस्य ने आपके समक्ष रखी। दूसरी तरफ माननीय मंत्री जी ने उसी सूचना के संबंध में किसी पुलिस अधिकारी की सूचना को रखा कि कोई इस प्रकार की घटना की सूचना नहीं मिली। मान्यवर, यह प्रश्न यहां कई बार उठ चुका है कि इस सदन में माननीय सदस्य यदि पूरी जिम्मेदारी के साथ कोई सूचना दे तो वह वजनदार मानी जायेगी या शासन की ओर से उनके कर्मचारियों द्वारा दी गई सूचना ज्यादा वजनदार होगी। मैं इस बुनियादी सवाल को आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरा खयाल यह है कि जब माननीय सुखपाल पांडेय ने एक सूचना यह दी कि उसमें सबूत में एक उदाहरण यह भी दिया कि ऐसे थानेदार को वहां पोस्ट किया गया हैं इंचार्ज बना कर भेजा गया है जिसको धारा 332 में सजा हो चकी है, हाई कोर्ट तक से वह सजा स्टैंड की है और जो माननीय सुखपाल पांडेय ने स्टेटमेंट दिया उसके समर्थन में यह सबूत हो जाता है। कोई भी जांच की कार्यवाही उन अधिकारियों के होते हुए सही नहीं हो सकती है इसलिए माननीय शिवराज सिंह न जो प्रस्ताव रखा है, वह बड़ा अहम सवाल है, और मैं बार-बार आपके सामने इस सदन के अन्दर रख चुका हू। माननीय सदन प्रतिनिधित्व करता है पूरे प्रदेश का। उसमें उस तरफ बैठे हुए या इस तरफ बैठे हुए सब का कर्तव्य है कि जनता के हित की जो बात हो वह सदन क सामने रखें। जो लोग इस तरफ बैठे हुए हैं, क्या उनके अधिकार इस सदन के हक में कुछ ज्यादा हो जाते हैं ? मैं इस बात को मान कर नहीं चलता हूं। इसमें सबके अधिकार बराबर हैं। तो अगर एग्जिक्यूटिव जिसका काम सिर्फ यह है कि इस माननीय सदन के द्वारा पेश किये हुए कानूनों को लागू करना, यह नहीं है कि इस माननीय सदन में बैठे हुए सदस्यों के विरुद्ध रात दिन षडयन्त्र रच कर, स्कीम बना कर उनको मेलाइन करें। इसलिए जैसा कि माननीय शिवराज सिंह का सुझाव है कि आप सदन की एक समिति बनाएं जो घटना की जांच करे और अगर आपने यह कहा कि वहां से जांच हो कर सूचना आयी है तो इस माननीय सदन के माननीय सदस्यों द्वारा दिया हुआ स्टेटमेंट ज्यादा जिम्मेदार है बमुकाबले किसी जिले के अधिकारी द्वारा आये हुए किसी स्टेटमेंट के।

(कई माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए।)

श्री कल्पनाथ सिंह---

श्री भानुप्रताप सिंह की बात सुन लीजिये और फिर मेरी बात सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष---

आप कितने सदस्य बोलना चाहते हैं। (अन्य सदस्यों के खड़े होने पर) आठ आदमी बोलना चाहते हैं। आठों दो-दो मिनट ले लें।

श्री कल्पनाथ सिंह---

श्रीमन्, मुझे सिर्फ एक निवेदन करना है। सचमुच यह मसला अहम है और इस सवाल पर जैसा कि रियासत साहब ने कहा है इस पक्ष या उस पक्ष का सवाल नहीं है। मेरा एक ही

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

निवेदन है कि इस सदन के माननीय सदस्यों की एक कमेटी अथवा कोई एक सदस्य, चाहे राज्य गृह मंत्री खुद इस मामले की जांच कर लें। जो तार में लिखा हुआ है, जो उन्होंने मेरे नाम से भेजा था, माननीय सुखपाल पांडेय जी ने, मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप जरा देखें उसमें लिखा गया था कि चार सिपाही उन पर हमला करने आये थे और एस0 पी0 या पुलिस की जीप पर चढ़ कर भाग गये। ऐसी कुछ शब्दावली थी। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि घटना बहुत संक्षिप्त है। माननीय सुखपाल पांडेय बताएंगे कि किस स्थान की घटना है और कहां की बात है।

श्री अध्यक्ष---

आप अपनी राय दे दीजिये।

श्री कल्पनाथ सिंह---

इससे सम्बन्धित जितनी बातें हैं उनकी जांच हो जाय तब आगे की कार्यवाही हो। मैं राजस्व मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इधर तथा उधर के कुछ सदस्यों को लेकर स्वयं जांच करें तथा इस सदन को पूरी रिपोर्ट दें।

श्री भानु प्रताप सिंह (जिला बस्ती)---

अध्यक्ष महोदय, मेरा ठोस सुझाव यह है कि एक कमेटी बनाई जाय। दूसर अधिकारीगण वहां से स्थानान्तरित किये जायं या निलम्बित किये जायं। गृह मंत्री स्वयं जायं और दो सदस्य इधर के तथा दो सदस्य उधर के जायं और तत्काल प्राइमा फेसी केस मालूम हो तो कार्यवाही करें।

मैं माननीय सुखपाल पांडेय को पिछले 15, 20 साल से जानता हूं। अन्य किसी विधायक के बारे में ऐसा तार आया होता तो एक बार शंका होती। उनका जीवन वास्तव में भ्रष्ट नौकरशाही से संघर्ष करने में बीता है और यह घटना उनके लिये कोई नई बात नहीं है। उन्होंने हमेशा नौकरशाही से टक्कर ली है। इसलिये मैं इस बात को सही मान लेता हूं कि उनके साथ ऐसी घटना हो सकती ह। इसलिये मरा निवदन है कि आप इसे सही मान पर तत्काल कार्यवाही कर।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)---

अध्यक्ष महोदय, यह गंभीर घटना है जहां तक मेरी जानकारी है शाहजहांपुर क दो विधायक केशव चन्द्र सिंह तथा राममूर्ति अंचल ने भी मुख्य मंत्री को लिखकर दिया था कि उनकी जान को खतरा ह। उनको शेडो तो मिल गये लेकिन एस0 पी0 के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी। प्रशासन की जो ढिलाई है माननीय सदस्यों के जीवन के प्रति यह बड़ी निन्दनीय बात ह। मैं शिवराज सिंह के सुझाव से पूर्णतया सहमत हूं। सबसे पहले उस अधिकारी को हटा दिया जाय और इस सदन को आप द्वारा यह नामजद समिति वहां जाय और मामले की निष्पक्ष जांच करे और अपनी रिपोर्ट सदन को दे।

*श्री सुरेन्द्र विक्रम---

अध्यक्ष महोदय, शनिवार को यह तार पढ़ कर सुनाया गया था लकिन विधायक क जीवन की अगर सुरक्षा का व्यवस्था आज तक नहीं हो सकी तो सरकार के लिये इससे बड़ा निकम्मापन दूसरा हो नहीं सकता। जब कत्ल हो जाता तब सरकार कंडोलेन्स कर देती दो मिनट का मौन साधकर और खड़ होकर। अनेक घटनायें इस प्रकार की होती हैं। सुखपाल पांडेय, केशव चन्द्र सिंह शासक दल में हैं और उनके प्रति जब पुलिस का यह रवैया है तो औरों के प्रति कैसा रवैया होगा? जब विधायकों पर इस प्रकार का दबाव डाला जाता है तो कसे वे अपनी ड्यूटी पूरी कर सकते हैं? लिहाजा एक कमटी जरूर बैठाई जाय और बस्ती की ही नहीं जहां-जहां से ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं वहां-वहां की वह जांच करें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव है कि यह जो घटना आई सदन के अन्दर उसके अन्तर्गत श्री राधेश्याम शर्मा के खिलाफ चर्चा हुई। मैं उनके बारे में कहना चाहता हूं कि इसी सदन में तीन घटनांए इस तरह की हो चुकी हैं। मान्यवर, एक कहावत है, चोर को नहीं मारना चाहिए, चोर की मां को मारना चाहिए। ये जो राधेश्याम शर्मा हैं, उनके सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी को कोई उपचार करना चाहिए और तब इस मामले के ऊपर जांच होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर जो उनको श्रेय है वह समाप्त होना चाहिए। दूसरी चीज यह है कि जब तक आप इस घटना की जांच करवाते हैं तब तक श्री सुखपाल जी पांडेय का क्या इन्तजाम होगा, उस बात से इस सदन को अवगत करा दिया जाय। इस काम में जरा भी विलम्ब नहीं होना चाहिए क्योंकि विलम्ब होने पर जो तथ्य हों वे छिपाये जा सकते हैं। इसलिये आज ही इसमें जांच की नियुक्ति हो जानी चाहिए।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)—

अध्यक्ष महोदय, जो घटना सदन के सामने आयी है, वह बहुत ही गम्भीर घटना है। श्रीमन्, पुलिस की ज्यादतियों से जनता के चुने हुये प्रतिनिधियों को अपना कर्तव्य पालन के लिये संघर्ष करना पड़ता है। पुलिस के अधिकारी प्राक्षेप की भावना अपने अन्दर पैदा कर लेते ह। इस परिस्थिति को देखते हुये अगर मंत्री जी पुलिस के अफसर के द्वारा इस मामले की जांच करवाते हैं तो इसका साफ तात्पर्य यह होगा कि वे पुलिस के अधिकारी को बचाना चाहते हैं। इसलिये हमारा निवेदन है कि इस घटना की जांच किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा न करा कर इस सदन की एक कमेटी के द्वारा ही कराई जाय और वहां के एस0 पी0 को तत्काल हटा दिया जाय क्योंकि अब जो बातें प्रकाश में आयी हैं उनसे साफ जाहिर होता है कि माननीय सदस्य की हत्या की चेष्टा एस0 पी0 की वजह से हुई है। इस हालत में एस0 पी0 को वहां पर रखना इस सम्मानित सदन और माननीय सदस्य के प्रति बहुत अन्याय होगा। इसलिये हमारा आग्रह है कि उस एस0 पी0 को तत्काल हटा देना चाहिए और इस मामले की जांच एक कमेटी के द्वारा होनी चाहिए।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि यह घटना सदन के इतिहास में एक अजीब तरह की घटना हुई है। माननीय सुखपाल पांडेय ने स्पष्ट कर दिया कि 15 तारीख को सूचना दी गई है। माननीय सदस्य के द्वारा किसी बात के कहने के बाद भी सदन में वह विवाद उठे कि क्या किया जाय तो यह ठीक नहीं है। हम लोगों की सुरक्षा तो आपको करनी है। इसलिये इस सदन के सम्मान की दृष्टि से इस मसले को सही मान कर इसमें विवाद का प्रश्न नहीं आना चाहिए, इसे विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द कर देना चाहिए। प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 64 में साफ प्राविधान इस सम्बन्ध में किया गया है। इसलिये किसी सदस्य को सुनने के बाद अब कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है। इस सदन की जो विशेषाधिकार समिति पहले से गठित हो रही है, वह इस मसले पर विचार करे। उस समिति के माननीय सदस्य घटनास्थल पर जाकर जांच करें और जो व्यक्ति दोषी पाये जायं उनके विरुद्ध अपनी रिपोर्ट एक सप्ताह के अन्दर इस सदन को प्रस्तुत करे।

श्री रामकरन सिंह—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से केवल एक निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा माननीय शिवराज सिंह जी ने कहा है सदन की एक कमेटी बननी चाहिए उस सम्बन्ध में जैसा कि गोस्वामी जी ने कह दिया कि आई0 जी0 का कहना है कि कोई घटना नहीं घटी तो मैं यह कहना

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहता हूं कि जब एक हेड आफ दि डिपार्टमेंट का यह कहना है कि कोई घटना नहीं घटी है। तो जांच का जहां तक ताल्लुक है पुलिस का, वह खत्म हो चुका। अब तो मान्यवर, आपके द्वारा ही इस सदन की कोई कमेटी नियुक्त की जाय और उसी के द्वारा जांच की बात है। क्योंकि पुलिस ने तो एक तरह से अपनी रिपोर्ट दे दी इसलिये आप हम लोगों की रक्षा करें और इस सदन की कमेटी बनावें।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मान्यवर, मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं का आदर करता हूं, हमारे सदन के किसी भी सदस्य या बाहर के किसी भी जनमानस की सुरक्षा का उत्तरदायित्व शासन के ऊपर है। इस सम्बन्ध में आपका जो निर्देश या आदेश हुआ है कि माननीय सुखपाल पांडेय की सुरक्षा की व्यवस्था तत्काल की जाय और पूरी जानकारी प्राप्त करके सदन को अवगत कराया जाय, मैं अक्षरशः उसका पालन करूंगा। इसके साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि परसों मैं यहां नहीं था। कल रात को साढ़े 11 बजे जब आया और डाक देख रहा था तो उसी समय मुझे यह तार मिला। उस समय करीब डेढ़ बजे होंगे। आज सुबह जब मैं उठा तो सबसे पहले मैंने उस पुलिस अधिकारी को तत्काल निर्देश दिया कि तार मुझे मिला है, इसकी जानकारी प्राप्त करके मुझे अवगत करावें कि वास्तविकता क्या है। आज मुझे कुछ स्टेटमेंट कौंसिल में देना था और यहां भी प्रश्नोत्तर थे और जनता के भी कुछ लोग पहुंच रहे थे, उनसे भी मिलना जरूरी था। इसलिये आज सुबह ही मैंने निर्देश दिया और चलते चलते कहा कि डिटेल इन्क्वायरी करके मुझे इसकी पूरी सूचना दी जाय। इस तरह से सन्देह करना कि इस चीज को नजरअन्दाज किया गया है, मेरे साथ अन्याय है। मैं जानता हूं कि जो माननीय सदस्यों की भावना है कि उसकी निष्पक्ष जांच की व्यवस्था की जाय, वह निश्चित होगी।

श्री अध्यक्ष---

कब होगी ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

इसके साथ ही साथ माननीय मुख्य मंत्री जी भी आज आ रहे हैं। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसमें माननीय मुख्य मंत्री से भी राय मशविरा लेकर कुछ करना ठीक होगा।

श्री अध्यक्ष---

मुख्य मंत्री जी कब आ रहे हैं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

वे आज 4 बजे आ रहे हैं।

श्री राम विलास पांडेय---

एक व्यवस्था का प्रश्न है, मान्यवर। जैसा कि श्री राधेश्याम शर्मा से सम्बन्धित तीन घटनायें बतलायी गयीं, जब तक माननीय मुख्य मंत्री आयेंगे नहीं श्री गोस्वामी राधाकृष्ण में हिम्मत नहीं है कि वे इस सम्बन्ध में कुछ कर सकें। इसलिये मान्यवर, मैं चाहता हूं कि पूरा सदन इस पर निर्णय ले कि जो वहां पर एस0 पी0 हैं उनको वहां से हटाया जाय, उनका ट्रांसफर किया जाय और इस सदन की एक कमेटी बनायी जाय, यही मेरा प्रस्ताव है।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

श्रीमन्, माननीय सदस्य ने तो आक्षेप लगाने का एक बीड़ा सा उठा लिया है। किसी की नीयत पर शंका करने में उनको तनिक भी संकोच नहीं होता है। उनकी इस उदारता के लिये मैं उनका कायल हूं। मैं जानता हूं कि शासन में जो भी इस कुर्सी पर बैठता है उसका

[श्री गोस्वामी राधाकृष्ण]

उत्तरदायित्व है कि वह प्रशासन का अंग जो सरकारी कर्मचारी है उनके साथ भी निष्पक्षता का बर्ताव करे वरना वह अपने उत्तरदायित्व का पालन नहीं करता। मुझ में कोई प्रशासन की योग्यता है या मैं कोई जन्मजात प्रशासक हूं, इसको मैं नहीं कहता लेकिन मैं प्रजातंत्र का मानने वाला हूं और उसके अन्दर रहते हुए ईमानदारी और निष्ठा के साथ जनता की सेवा करने का प्रयास किया है। मैं जनता के एक साधारण कार्यकर्त्ता के नाते और प्रशासन का एक अंग होने के नाते आप को और इस सदन को पूरा विश्वास दिलाता हूं कि निष्पक्षता से इस घटना की जांच की व्यवस्था की जायेगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं कि इस सदन के माननीय सदस्यों की यह राय मालूम होती है कि पुलिस द्वारा जांच नहीं होनी चाहिये केवल, बल्कि सदस्य भी शामिल हों और इस तरह से ऐसा है कि सब की राय यही है तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आज तो मैंने कह दिया है कि सम्बन्धित सदस्य की सुरक्षा का मंत्री जो प्रयत्न करें। यह आप की जिम्मेदारी है, वह आप कीजिये। मुख्य मंत्री जी शाम को चार बजे आ रहे हैं, उनसे सलाह ले लीजिये और सदन की जो राय है इस तरफ वालों ने भी वही बात कही और उस तरफ वालों ने भी कहा कि उनका विश्वास पुलिस की जांच के ऊपर नहीं है। किस तरह से जांच की जाय इसके लिये तय कर लिया जाय। मैं यह करूंगा कि मुख्य मंत्री जी आ जायं तो उस समय मैं यहां रहूंगा। मेरे कमरे में मीटिंग रख लीजिये जिसमें यह तय किया जाय कि किस तरह से जांच की जाये। इसमें कुछ सदस्य भी एसोशियेट होने चाहिये। मैं प्रार्थना करूंगा क्योंकि एक्जीक्यूटिव का काम उनका है, इसलिये प्रार्थना शब्द इस्तेमाल करता हूं और यह कहता हूं कि जिस चीज की मैं प्रार्थना करता हूं उसका मतलब यह समझना चाहिये कि उसमें वजन है। यह बात सही है कि उनके खिलाफ यानी माननीय सदस्य ने जो पुलिस के खिलाफ कार्य किया है या जांच कराने की कोशिश की है उससे वह उनकी दुश्मन हो जाती है और पुलिस का यह है कि वह सीधा बदला लेती है। डंडे से वह बदला लेती है।

(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

डंडे से नहीं बल्कि बन्दूक से ले रही है।

श्री अध्यक्ष—

डंडे में बन्दूक भी आ जाती है और जब उनको करना होता है तो वह डंडे से ही कार्यवाही करती है। इसलिये गोस्वामी जी, उनके आने के बाद मेरे कमरे में मीटिंग होगी। आप उनको और 1/2 विरोधी दल के लोगों को भी इसमें बुला लेंगे। इसमें क्या कार्यवाही करना है इसको तय कर लेंगे।

श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

आज शाम को ही क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं इससे सदन को अवगत करा दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

हाउस को बता दिया जायेगा।

श्री रामधारी शास्त्री—

श्रीमन्, सदन की ही कमेटी हो।

श्री बलवीर सिंह (जिला मेरठ)—

आपने जो कहा है उसमें बात अधूरी रह गई है वह यह कि एस० पी० का तबादला किया जाये।

श्री अध्यक्ष—

वही तो तय किया जायेगा और सम्भवतः मेम्बर्स भी एसोसियेट होंगे।

अध्यापकों की मांगों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन्, आपको मालूम होगा कि आज अपने प्रदेश के हजारों अध्यापक कौंसिल हाउस के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी-अभी मालूम हुआ है कि 10 बजे माननीय गोस्वामी ने अध्यायकों के सामने जाकर कोई आश्वासन दिया है। सदन बैठा है और अध्यापकों ने जो मांगें रखी हैं उनके संबंध में मैं जानना चाहूंगा ताकि हमारा समय अधिक खर्च न हो कि उन्होंने अध्यापकों को क्या आश्वासन दिया है और क्या महत्वपूर्ण घोषणा की है। वह सदन को बता दें ताकि हम लोगों को जानकारी हो जाये।

श्री अध्यक्ष—

इस समय इसका कोई मौका नहीं है क्योंकि बिल अब चलेगा मैं इसको कल ले लूंगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, यह अभी घोषणा करके और इस समय सदन में बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष—

जी नहीं।

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)—

श्रीमन्, प्रदेश के कोने-कोने से हजारों अध्यापक यहां आये हुये हैं। उन्होंने अपनी कुछ मांगें रखी हैं और मंत्री जी ने उनको कोई आश्वासन दिया है तो उसका सदन को पता चलना चाहिये।

गृह राज्य मंत्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)—

मान्यवर, आज माध्यमिक शिक्षक संघ के नेतृत्व में अध्यापकों का एक वर्ग मुख्य मंत्री जी से 10 बजे प्रातःकाल मिलने वाला था और अपना ज्ञापन देने वाला था। माननीय मुख्य मंत्री जी दिल्ली में हैं। वे नहीं आ पाये। उन्होंने आज्ञा दी कि मैं उनसे (अध्यापकों से) क्षमा मांग लूं कि वे नहीं आ पाये। उनका ज्ञापन स्वीकार कर लें। उन्होंने कहा है कि वे शाम को 4–5 बजे तक पहुंच रहे हैं। अध्यापकों ने मुझे अपना ज्ञापन दिया। उनकी मुख्य मांग है कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करें, कुछ कैडर के अध्यापकों का वेतन निश्चित हो कि उनका क्या वेतन-क्रम होगा, और पेन्शन उनकी समान हों। इस प्रकार की उनकी कुछ मांगें हैं। मैंने उन्हें यह आश्वासन दिया कि शासन शिक्षा के राष्ट्रीयकरण पर बड़ी सक्रियता से विचार कर रहा है। आप लोगों को भी सुझाव देने चाहिए। मैंने उनसे यह भी कहा कि माननीय मुख्य मंत्री जी एक के साथ दूसरी बात स्वीकार करते जा रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में विचार विनिमय और निश्चय करके कुछ निर्देश दे दिए हैं। यह बात मैंने पहले भी स्वामी जी को बता दी है लेकिन वे सदन में ही पूछना चाहते हैं तो वह भी मैंने बता दी।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

माननीय मंत्री जी ने सदन में कोई बयान नहीं दिया है। 10 दिन पहले सदन में यह कहा गया था कि राष्ट्रीयकरण नहीं करने जा रहे हैं और अब कहते हैं कि राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है। तो मैं जानना चाहता हूं कि आपकी क्या नीति है, वह सदन में स्पष्ट रूप से आनी चाहिए?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

इस समय माननीय मुख्य मंत्री जी का निर्देश विचार करने का हुआ है। पहले ऐसा कोई विचार नहीं था। वह उस समय की बात थी। अब इस प्रश्न पर शीघ्रता से विचार हो रहा है।

(इस समय 1 बज कर 8 मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री बासुदेव पीठासीन हुए।)

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1972

सचिव, विधान सभा--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिए प्राप्त उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1972, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 738 पर)

उत्तर प्रदेश विनियोग 1966-67 की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1972

सचिव, विधान सभा--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1966-67 की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1972, जो विधान सभा द्वारा 12 दिसम्बर, 1972 को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 16 दिसम्बर, 1972 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश विनियोग 1967-68 की बढ़ती व्यय का विनियमन विधेयक, 1972

सचिव, विधान सभा--

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली 1958 के नियम 153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1967-68 की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1972, जो विधान सभा द्वारा 12 दिसम्बर, 1972 को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 16 दिसम्बर, 1972 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश विनियोग (1972-73 का अनुपूरक) विधेयक, 1972

सचिव, विधान सभा---

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1972-73 का अनुपूरक) विधेयक, 1972, से विधान सभा द्वारा 13 दिसम्बर, 1972 को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 16 दिसम्बर, 1972 को वापस प्राप्त हो गया है।

विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना के सम्बन्ध में पूछतांछ

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल)---

श्रीमन्, विशेषाधिकार के बारे में एक निवेदन करना चाहता हूं। अगस्त के महीने में एक विशेषाधिकार का प्रश्न मैंने, माननीय सुरेन्द्र विक्रम और माननीय रूपनाथ सिंह जी ने दिया था लेकिन उसके निर्णय की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। राज्य मन्त्री माननीय ओम प्रकाश जी ने कहा था लेकिन.....

श्री उपाध्यक्ष---

यह बहुत पुरानी सूचना है। दफ्तर से इसके बारे में सूचना प्राप्त की जा सकती है। बाद में आप पूछ लें।

जिला बांदा के ग्राम दिघवट में हरिजन व पिछड़ी जातियों पर अत्याचार के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

[गृह राज्य मन्त्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)---

दिनांक 4-12-72 को बांदा जिले के दिघवट ग्राम में श्री शिव प्रसन्न की हत्या हुई। यह हरिजन नहीं थ, केवट जाति के थे।

ग्राम दिघवट की आबादी स्पष्ट रूप से दो गुटों में बढ़ी हुई है, जिनमें से बहुसंख्यक गुट केवटों, तेलियों आदि का है और दूसरा गुट ब्राह्मणों तथा अन्य सवर्ण हिन्दुओं का है। गत पंचायत चुनाव के समय से ग्राम में कुछ तनाव चल रहा था। यह तनाव केवटों, तेलियों तथा अन्य जातियों द्वारा 'मंगल दल' के गठन के बाद और बढ़ गया। मंगल दल ने ब्राह्मणों का काम न करने का निर्णय लिया। ब्राह्मणों ने इन जातियों के लोगों से काम लेना बन्द कर दिया। 29-9-72 को रामदेव ब्राह्मण की गोली मार कर हत्या कर दी गई। उपरोक्त शिव प्रसन्न इस हत्या के मामले में वांछित अभियुक्तों में से एक थे।

शिव प्रसन्न की हत्या के सम्बन्ध में थाना पैलानी, बांदा पर एक मुकदमा धारा 302/307 भा० दं० वि० के अन्तर्गत दर्ज हुआ। इसके सम्बन्ध म थाने पर दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार यह अपराध दो व्यक्तियों द्वारा किया गया जिनमें एक नरसिंह देव हैं जो उपरोक्त मृतक राम देव के भांजे हैं और दूसरे हैं उनके साथी और संबंधी राम आसरे। इससे स्पष्ट है कि इसमें कोई जाति विशेष का हथियारबन्द गिरोह नहीं था। प्रथम सूचना रिपोर्ट में इस बात का भी उल्लेख है कि अभियुक्त ने रामदेव की हत्या का बदला लेने के लिये यह घटना की श्री शिव प्रसन्न के साथ हुई घटना में तीन अन्य व्यक्तियों को चोटें आईं।

[श्री गोस्वामी राधाकृष्ण]

जिला अधिकारियों ने दो बार में 13 तथा 4 व्यक्तियों को मिलाकर 17 व्यक्तियों के विरुद्ध जब्ता फौजदारी की धारा 107/117 के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही की थी। रामदेव ब्राह्मण की हत्या के बाद 31-10-72 को एक पक्ष के 61 व दूसरे पक्ष के 57 लोगों के विरुद्ध पुनः निरोधात्मक कार्यवाही की गई और इन लोगों से, जिनमें शिव प्रसन्न की हत्या घटना से संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित अभियुक्त नरसिंह देव व राम आसरे भी सम्मिलित थे, जाब्ता फौजदारी की धारा 117(3) के अन्तर्गत भारी जमानतों के पर्सनल बांड भी भरवाये गये थे। फिर भी पुरानी गुटबन्दी के फलस्वरूप शिव प्रसन्न की हत्या की गई।

गांव में सशस्त्र पुलिस तैनात कर दी गई है। यह कहना सही नहीं है कि गांव दिघवट में आतंक व्याप्त है।

शिव प्रसन्न की हत्या की घटना की जांच अपराध अनुसंधान विभाग को दे दी गई है

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल)---

मान्यवर, जैसा कि मन्त्री जी ने बताया कि तनाव चल रहा था क्योंकि एक रामाधीन हरिजन चुनाव लड़ रहे थे और एक व्यक्ति की हार की वजह से यह संघर्ष बढ़ा अगर दो भागों में विभाजित हो गये थे....

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मान्यवर यह तो वक्तव्य में ही स्पष्ट कर दिया गया है कि वहां पर ब्राह्मणों और दूसरे वर्गों के बीच तनाव था और चुनाव उसका प्रमुख कारण था जिसके कारण रामदेव ब्राह्मण की हत्या हुई।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

मान्यवर, जब दो व्यक्तियों की रामदेव और शिव प्रसन्न दोनों की हत्या हो गई तो एक ही व्यक्ति का मामला अपराध अनुसंधान विभाग को जांच के लिये क्यों दिया गया। क्या दोनों मामलों की जांच माननीय मन्त्री जी उचित नहीं समझेंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मान्यवर, यहां की सारी घटनाओं के बारे में जो एक दूसरे से लिन्कड सब की जांच सी0 आई0 डी0 कर रही है।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी---

मान्यवर, शिव प्रसन्न की मृत्यु के साथ साथ प्रधान को भी गोली लगी है और लोग भी घायल हुए हैं।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

उसके साथ-साथ तीन आदमी घायल हुए हैं। एक रामाधीन, एक मेहतर और एक व्यक्ति और है। तीनों का मेडिकल इन्सपैक्शन हुआ है। दूसरे जो मुल्जिम हैं जो भांजे हैं और दूसरे सगे हैं दोनों ने बदले की भावना से किया है। उनके ऊपर मुकदमा कायम है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर) ---

श्रीमन्, सी0 आई0 डी0 की जांच सिपुर्द कर दी गयी यह तो ठीक किया, लेकिन क्या मन्त्री जी ने वहां कुछ पुलिस गार्ड वगैरह तैनात की हैं ताकि भविष्य में कोई दुर्घटना न हों ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

यहां पुलिस गार्ड लगा दी गई और अब वहां इस तरह से किसी आतंक की बात नहीं है।

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)---

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले में और प्रदेश के दूसरे जिलों में भी हरिजनों पर इस तरह के अत्याचार क्यों हो रहे हैं और किस तरह से इनको रोका जा सकता है, इस पर सरकार कोई कमीशन बनायेगी ताकि समस्या का समाधान हो सके ?

श्री उपाध्यक्ष---

वह तो अलग प्रश्न है । यह बहुत व्यापक है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)---

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि शिव प्रसन्न के हत्यारों को क्या पुलिस ने गिरफ्तार किया है या वह अदालत में हाजिर हो गये हैं ? यदि ऐसा नहीं है तो क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

यह सब गिरफ्तार हैं और जेल में हैं ।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)---

क्या मन्त्री जी को जानकारी है कि जैसे ब्राह्मणों ने इन लोगों से काम कराना बन्द कर दिया है, क्या सारे लोगों ने मिलकर यह प्रस्ताव पास किया है कि सारे बांदा जिले का हम कोई काम नहीं करेंगे, और इससे वहां तनाव हो रहा है ?

श्री गोस्वामी राधा कृष्ण---

इस तरह की कोई स्थिति सारे बांदा जिले में नहीं है । कहीं-कहीं पर ऐसी परिस्थिति आ गयी है, जो स्वाभाविक है, और उस परिस्थिति में यह गांव उसका शिकार हो गया ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष---

नियम 56 के अन्तर्गत आज दो सूचनायें प्राप्त हुई हैं .....

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

श्रीमन्, बेगम साहिबा राज्यपाल कब से हो गयीं ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह प्रश्न आपको नहीं करना चाहिये । आप लोग भी तो यहां बात करने आते हैं ।

तो नियम 56 में पहला प्रश्न सर्वश्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी, सुरेन्द्र विक्रम और राम बिलास पांडे का है उत्तर प्रदेश की पुरानी ग्रीष्मकालीन राजधानी नैनीताल की 72 वर्ष पुरानी सेक्रेटरियट बिल्डिंग अग्निकांड के कारण पूर्णतः ध्वस्त हो जाने के बारे में । अध्यक्ष महोदय ने इसको अस्वीकार किया है और लिखा है कि अल्पसूचित तारांकित प्रश्न कर लें....

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल)---

श्रीमन् सारा सिक्रेटरियेट जल गया....

श्री उपाध्यक्ष---

दूसरा प्रश्न श्री सुरेन्द्र विक्रम जी का है सीतापुर जिले के कमलापुर स्टेशन पर एक एड-वोकेट की गोली मार कर नृशंस हत्या (व्यवधान) यह भी अस्वीकार किया गया है (व्यवधान)

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1972 (क्रमागत) †

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय माता प्रसाद जी बोलेंगे।

इस पर दो दिन बहस हो चुकी है लेकिन सदस्यों की जो संख्या है जोकि अब तक बोले हैं, कम है। मैं समझता हूं कि गति बहुत धीमी रही है। तो माता प्रसाद जी के बाद अब समय की कोई सीमा रखने पर विचार कर सकते हैं।

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, परसों विधेयक के सम्बन्ध में बोलते समय मैंने निवेदन किया था कि सरकार के करोड़ों रुपये अन्न उत्पादन के सम्बन्ध में खर्च हुए हैं। लेकिन उस रुपये का लाभ हमारे देश के चन्द लोगों को प्राप्त हुआ है और उनकी पैदावार बढ़ी है लेकिन गांव में बहुत बड़ी असमानता पैदा हो गई है जिसके फलस्वरूप गांवों में तनाव की स्थिति पैदा हुई और इसकी वजह से नक्सलबादी आन्दोलन शुरू हुआ। देश में जगह-जगह भूमिहीनों के आन्दोलन शुरू हुये।

श्री उपाध्यक्ष—

आपकी आवाज रिपोर्टर्स को ठीक से सुनाई नहीं दे रही है, क्योंकि लाउड स्पीकर खराब हो गया है। इसलिये आप लोग आगे आ जावें।

श्री माता प्रसाद—

26, 27 सितम्बर को जब प्रधान मन्त्री ने सारे मुख्य मन्त्रियों का एक सम्मेलन बुलाया। यह उस समय किया गया जब कि उन्होंने देखा कि सारे देश में एक तनाव की स्थिति पैदा हो रही है। उस सम्मेलन में यह तय किया गया कि आज गांव में मजदूरों और दूसरे लोगों के बीच जो तनाव की स्थिति पैदा हो रही है उसको कैसे दूर किया जाय इस लिये यह तय हुआ कि जमीन की भूख को मिटाने के लिये राजनैतिक और सामाजिक विषमता गांवों में दूर करने के लिये जमीन की हदबन्दी करना बहुत जरूरी हो गया। वैसे कांग्रेस पार्टी ने जमीन की हदबन्दी के बारे में प्रस्ताव सन् 1931 में ही कराची अधिवेशन में पास कर दिया था और उसके पांच साल के बाद लखनऊ अधिवेशन में भी इसी को दोहराया गया था। पंडित जवाहर लाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनायी गयी थी जिसकी रिपोर्ट तो बहुत विस्तृत है लेकिन उसमें यह कहा गया था कि हमारे देश में भूमि की सीमा लागू होनी चाहिये। ऐसा करने से जो जमीन बचेगी उसको कोआपरेटिव ढंग पर भूमिहीनों को वितरित कर दिया जायगा।

1970 में जब प्रधान मन्त्री ने कान्फ्रेन्स बुलाई थी उसमें एक केन्द्रीय भूमि सुधार, लैंड्स रिफार्म्स कमेटी बनाने का फैसला भी किया गया था। उसने भी अपनी रिपोर्ट दी है। इस कमेटी में कुछ प्रदेशों के मुख्य मंत्री थे। उनकी मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार से थीं। पहली बात तो यह थी कि जमीन की हदबन्दी परिवार की इकाई मान कर लागू करनी चाहिये। पांच आदमियों के परिवार के आधार पर सिंचित और असिंचित भूमि 10 से 18 एकड़ हो जिसमें दो फसलें होती हों। पानी की सहूलियत, जमीन की उत्पादन क्षमता, वर्गीकरण आदि बातों का भी ध्यान रखना चाहिये और इसी प्रकार की जमीनों की हदबन्दी होनी चाहिये। अन्य दूसरे प्रकार की जो जमीनें हों तो राज्य सरकार के साथ सलाह मशविरा किया जाना चाहिये। इस प्रकार से उसमें जमीनों के बारे में कहा गया था। इस प्रकार की शिफारिशें हमारी लैंड रिफार्म्स कमेटी ने की थीं। उसके बाद कांग्रेस का चुनाव आ गया 1971–72 का। लैण्ड

†16 दिसम्बर, 1972 की कार्यवाही से।

रिफार्म्स कमेटी ने जो सिफारिशें की थीं उनका समावेश कांग्रेस के 1972 के चुनाव घोषणा-पत्र में भी किया गया था। कांग्रेस पार्टी के 1972 के चुनाव घोषणा-पत्र का पैरा 31 में आपके समक्ष पढ़ देना चाहता हूं:—

कृषि उत्पादन में अधिक कार्यक्षमता और ग्रामीण क्षेत्रों में एक अधिक समतावादी समाज व्यवस्था की कुंजी भूमि-सुधार है। केन्द्रीय सरकार ने भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के कानूनों से सम्बन्धित एक राष्ट्रीय नीति बनाने में पहल की है। केन्द्रीय भूमि-सुधार समिति ने, जिससे कई राज्यों के मुख्य मन्त्री सम्बन्धित हैं, कुछ विशेष हिदायतें दी हैं जिनके अनुसार भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने वाले मौजूदा कानूनों को संशोधित किया जाना चाहिये।

चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

माननीय, कोरम पूरा नहीं है।

(घंटी बजाई गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री माता प्रसाद—

मान्यवर, मैं कह रहा था कि हमारे चुनाव घोषणा-पत्र में भी यह स्पष्ट रूप से लिख दिया गया कि हम जमीन की हदबन्दी करना चाहते हैं। कल कल्पनाथ सिंह जी यहां पर कह रहे थे कि आप जो सीलिंग लाना चाहते ह वह 1974 के चुनाव के लिये जनता को धोखा देना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में हमने पहले ही घोषणा-पत्र में लिख दिया था इसलिये धोखा देने का कोई सवाल ही नहीं है। अगर जनता यह पसन्द नहीं करेगी तो फिर हमारा चुनाव में समर्थन नहीं करेगी। लैण्ड रिफार्म्स कमेटी के बाद 11 केन्द्रीय नेताओं की एक और कमेटी बनायी गयी जिसने कुछ संशोधन किये थे। लैण्ड रिफार्म्स कमेटी ने यह सिफारिश की थी कि जो भूमि सरकारी साधनों से सींची जाती हो तथा 12 मासी हो केवल उसी भूमि को सिंचित माना जाये। वह भूमि 18 एकड़ लें। लेकिन जो भूमि 12 मासी सिंचित नहीं है—सिंचाई एब्सयोर्ड नहीं है उसे सिंचित न माना जाये। 11 नेताओं की जो कमेटी बनी थी उसने यह सुझाव दिया कि नहीं वह चाहे जिस तरह से सींची जाये सरकारी साधनों से या निजी साधनों से उन सब जमीनों को सिंचित की परिभाषा में आना चाहिये। उस आधार पर यह तय किया गया कि चाहे वह सरकारी साधनों से सिंचित हो या निजी साधनों से सिंचित हो, सभी को सिंचित परिभाषा में ले आना पड़ेगा। 15 अगस्त के बाद जो व्यवस्था की गई है वह यह है कि बाद की जो असिंचित जमीन है अगर कोई निजी नलकूप लगाता है और सिंचाई करता है तो कोई प्रतिबन्ध नहीं है। राष्ट्रीय आयोग का एक कार्यकारी दल भूमि सुधार के बारे में नियुक्त हुआ। उसने भी अपनी सिफारिशों में जो जोत सीमा के सम्बन्ध में दी हैं, कहा है कि अधिक जोत सीमा के बाद जो जमीन निकलती है, उन जमीनों का मुआवजा बाजार रेट से नहीं दिया जाना चाहिये क्योंकि अगर किसी के पास बहुत ज्यादा जमीन है और अगर उसको बाजार रेट से मुआवजा दिया जाता है तो उसको किसी प्रकार का घाटा नहीं होगा। इसलिये जो मुआवजा दिया जाय वह उस समय की मालगुजारी के हिसाब से दिया जाना चाहिये। जब इस तरह की कई रिपोर्टें आईं तो उन पर यहां विचार होता रहा कि किस तरह का अधिनियम बनना चाहिये। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में भी माननीय, इस विषय पर गम्भीरता से विचार हुआ और प्रदेश में एक सब-कमेटी बनाई गई। उसने भी एक रिपोर्ट तैयार की। उस उप-समिति में इस सदन के सदस्य थे, पार्लियामेन्ट के लोग थे, सरकार के लोग थे, गैर-सरकारी लोग थे। तो माननीय, लैंड रिफार्म्स कमेटी का जो कार्यकारी दल था उसने दूसरे सूबे की परिस्थितियों को देखते हुए कुछ सिफारिश की थी और हमें खुशी है कि काफी अंश तक उस कमेटी ने भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की उपसमिति की सिफारिश को माना है। यद्यपि कुछ नहीं मानी गई हैं, उस सम्बन्ध में माननीय, बाद में आपके सामने निवेदन करूंगा।

[श्री माता प्रसाद]

अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। कुछ लोगों का ऐसा विचार है कि 18 एकड़ की सीमा अनुपयुक्त है। माननीय चौधरी चरण सिंह जी ने यह कहा था कि जितनी जोत छोटी होगी उतनी ही पैदावार अधिक होगी और जितनी जोत बड़ी होगी उतनी ही पैदावार उसी अनुपात में कम होगी। मैं चौधरी साहब के विचारों से सहमत हूं। बहुत अर्थशास्त्रियों का भी यही विचार है। लोगों का यह भी कहना है कि जापान में साढ़े ७ एकड़ से ज्यादा लोगों पास जमीन नहीं है, लेकिन वहां की पैदावार कई गुना प्रति एकड़ यहां से ज्यादा होती है। व्यवहार में भी यह देखने में आ रहा है कि छोटे-छोटे किसान खास कर आप जानते होंगे कि कुर्मी बिरादरी में एक जाति है जो बड़ी मेहनत के साथ खेती करती है। हालांकि उनके खेत छोटे होते हैं, लेकिन तब भी काफी पैदावार कर लेते हैं। इसी तरह से से यह जरूरी नहीं है कि अगर खेत छोटे होंगे तो पैदावार कम हो जायगी। अतः मैं इससे सहमत हूं कि क्षेत्रफल बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिये और यह शंका कि खेत छोटे हो जाने से पैदावार कम हो जायगी निर्मूल है। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं, हालांकि कमेटी का भी ध्यान उस ओर नहीं गया कि कुछ लोगों ने यह शंका व्यक्त की है कि जैसी इस समय परिभाषा है कि जो सिंचित भूमि वह होगी जिसमें दो फसल होती हैं और एक फसल में कम से कम दो पानी दिया जाता है। तो मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जैसे तराई के कुछ हिस्से हैं और देवरिया और कुछ दूसरे जिले ऐसे हैं जहां पर बिना सिंचाई के या एक ही पानी से दोनों फसलें अच्छी हालत में होती है तो मंत्री जी क्या उसको असिंचित मानेंगे या सिंचित ?

दूसरी बात मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि बुन्देलखंड और मिरजापुर के और कुछ और इलाके हैं जिनको इस अधिकतम जोत सीमा के प्राविधान से छूट दे दी गयी है। प्रदेशीय कांग्रेस कमेटी ने जो राय दी थी उसमें यह था कि बुन्देलखंड और ऐसे इलाकों को छूट दी जाय लेकिन उसका अर्थ यह नहीं था कि पूरे के पूरे बुन्देलखंड को या पूरे के पूरे मिरजापुर जिले को छूट दे दी जाय। बुन्देलखंड में ही बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो बहुत बड़े अन्न के भंडार हैं जैसे अतर्रा की मंडी है या बांदा की मंडी है जो बहुत बड़ी मन्डियां अन्न की इस इलाके में है या ऐसे ही और इलाके हैं जहां एक पानी से या बिना पानी से दो-दो फसलें हो सकती हैं तो क्या ऐसे इलाके की जमीनें आपकी सिंचित जमीन की परिभाषा के अन्दर आती है या नहीं आती हैं ?

राजस्व मन्त्री (श्री उदित नारायण शर्मा)—

वह 18 एकड़ वाली परिभाषा के अन्दर आयेगी।

श्री माता प्रसाद—

धन्यवाद, माननीय मन्त्री जी ने उसे स्पष्ट कर दिया।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। जिस भूमि के बारे में माता प्रसाद जी ने पूछा था कि वह सिंचित की परिभाषा में आयगी या नहीं आयेगी माननीय मन्त्री जी ने कहा था कि वह आयेगी तो जो विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत है.....

श्री उदित नारायण शर्मा—

पहले आप हमारी बात सुन लें। माननीय सदस्य ने मुझ से यह पूछा था कि बुन्देलखंड की ऐसी सिंचित जमीनें हैं जहां दो फसलें एक पानी से या बिना पानी भी उत्पन्न होती है क्या उनको कोई सीमा बढ़ाकर छूट दी गयी है तो मैंने उनको बताया था कि बुन्देल खंड की या कहीं की भी हो जहां ऐसी भूमि होगी वह उस परिभाषा के अन्दर आयेगी।

श्री शिवराज सिंह --

ठीक है, तब मैं संतुष्ट हूं ।

श्री माता प्रसाद---

इसमें, श्रीमन, जो छूट उद्योगों के निमित्त रखी गयी है उसके सम्बन्ध में प्रदेशीय कांग्रेस कमेटी ने यह सिफारिश की थी कि बहुत से उद्योगपति ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ही सस्ते दामों पर जमीनें ले रखी हैं और उनमें से कुछ जमीनों पर उद्योग लगा रखे हैं और बहुत सी जमीनों पर बहुत दिनों से खेती कर रहे हैं । तो हमारा सुझाव यह था कि जिन उद्योगपतियों ने ऐसी जमीनें उद्योगों के नाम पर ले रखी हैं लेकिन 5 सालों के अन्दर उन जमीनों पर कोई उद्योग नहीं लगाया गया है तो उस जमीन को ऐसी अधिकतम जोत सीमा के अन्दर ले लिया जाना चाहिये और भूमिहीनों में उसको बांट दिया जाना चाहिये लेकिन जो व्यवस्था अभी की गयी है उसमें ऐसी चीज नहीं है । उद्योग के नाम पर सैकड़ों एकड़ जमीन लोग अपने पास रखे रहेंगे और फिर कहेंगे कि यह सुविधा कानून के अन्दर हमें प्राप्त है और वह छूट उनको मिलनी चाहिये । इसलिये माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस ओर जाना चाहिये ।

तीसरी चीज, धार्मिक एवं शैक्षिक प्रश्न के बारे में कहना चाहता हूं कि बहुत से ट्रस्ट्स ऐसे हैं जिनको पिछले सन् 60 के कानून के मुताबिक भी उनको मुक्त कर दिया गया था इस अधिकतम जोत सीमा से और अब जो कानून बन रहा है उसमें इनको बिल्कुल नहीं छुआ गया है । कांग्रेस कमेटी की रिपोर्ट में यह था कि इन ट्रस्ट्स को चाहे वे धार्मिक हो या शैक्षिक हों एक परिवार के बराबर इनकी एक इकाई मानी जानी चाहिये और उसी के हिसाब से इनके पास जमीन छोड़नी चाहिये और उसके बाद जो जमीन मिल जाये वह भूमिहीनों के अन्दर बांट दी जानी चाहिये । शैक्षिक ट्रस्टों में ऐसे होशियार लोग हैं जिन्होंने अपनी जमीनों पर स्कूल कालेज खोल रखे हैं । खुद अध्यक्ष बन गये हैं और अपने घर वालों को मेम्बर बना लिया है । न कोई हिसाब किताब रखते हैं न कुछ रखते हैं । जो पैदावार होती है उसको ट्रस्ट के नाम पर ले लेते हैं । इसी तरह से धार्मिक ट्रस्ट बने हुए हैं। जो लोग धार्मिक ट्रस्ट के हैं वह खुद तो खेती करते नहीं, मजदूरों से करवाते हैं । सचमुच में जो मजदूर खेती करते हैं और जो जमीन जोत रहे हैं उनके पास ही वह भूमि होनी चाहिये । इस सम्बन्ध में सिफारिश भी की गयी थी कि इस तरह ट्रस्टों को ले लेना चाहिये लेकिन इस कानून में इन ट्रस्टों को छूट दी जा रही है जो उचित नहीं है । एक बात भूमि वितरण के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । जो अधिकतम जोत सीमा से भूमि निकल रही है वह कागज में भले ही हो लेकिन ऐसा नहीं दिखाई दिया कि जिस व्यक्ति के पास 50 एकड़ जमीन निकली तो वह उससे अलग कर किया गया हो । कहने के लिये उन्होंने बटवारा कर दिया है लेकिन उनके सैकड़ों एकड़ के फार्म हैं । मेरा निवेदन यह है कि अगर कोई बटवारा है तो वह मौके पर होना चाहिये । इसमें लोग बहुत तिकड़म करते हैं ।

हमारे सदन के एक माननीय सदस्य ने चार दिन पहले बताया कि चाहे जो कानून बनायें हमारी जमीन नहीं जा सकती । उन्होंने कहा कि उनके पास जमीन थी । जब उन्होंने देखा कि जमीन निकल जायेगी और बैहनामे भी होना बन्द है तो उन्होंने जो उनके सात खास मजदूर थे उनसे कोर्ट में 229 (बी) में दरख्वास्त दिलवा दी यह कह कर कि हमारे ऊपर दावा कर दो कि हम इस जमीन में दस साल से काबिज हैं और यह हमारा नाम इसमें दर्ज नहीं होने देते । उसमें एक दो तारीख चलीं । इसके बाद उन माननीय सदस्य ने बतलाया कि उन्होंने आकर सुलह कर ली कि इनका कब्जा है और इनका नाम दर्ज कर दिया जाय । श्रीमन्, इस तरह से और भी अनेक तिकड़म होती होंगी । हमारे अपने आदमी हैं, वह तो ले नहीं सकते । चक भी एक ही रहेगा । अगर इस तरह की चीजों को नहीं रोका गया तो इस बिल का

[श्री माता प्रसाद]
मंशा बेकार हो जायगा । इसका मंशा यह है कि जमीन निकले और वह भूमिहीनों को मिले। एक और परेशानी है कि जो जमीन निकलती भी है वह सचमुच में खेतिहर को नहीं मिलती। कुछ होशियार किस्म के लोग उस जमीन को ले लेते हैं।

मैं उदाहरण के लिये दो तीन जिलों की बात बतलाना चाहता हूं । नैनीताल जिले में 52 हजार एकड़ जमीन ग्राम समाज की है । उस पर अनधिकृत लोगों का कब्जा है सरकार उनसे आज तक वह जमीन नहीं छुड़ा पाई । मिर्जापुर जिले में 42 हजार एकड़ पर अनधिकृत लोगों का कब्जा है । इसी तरह से हमें सूचना मिली है कि बुलन्दशहर जिले में ग्राम समाज की 102 एकड़ जमीन एक सज्जन ने अपने नाम करा ली । उस पर मुकदमा चला । जिलाधीश के यहां फाइल आयी । उन्होंने कमिश्नर के यहां वह फाइल मंगा ली और वहां वह दबी पड़ी है । मेरा अनुरोध यह है कि अगर इस कानून को कार्यान्वित किया जाय तो इससे गरीबों को लाभ होगा और जिस मंशा से यह बनाया जा रहा है वह पूरी होगी लेकिन अगर इसका कार्यान्वियन नहीं हुआ तो ऐसा कानून बनाने से कोई फायदा नहीं होता है ।

एक सुझाव और देना चाहता हूं कि जिन भूमिहीनों को जमीन दी जाय उनके लिये यह शर्त लगा दी जाय कि कम से कम दस साल तक वह उसको बेच नहीं सकते । इसलिये कि बहुत सी जगहों की हमको जानकारी है कि कुछ होशियार लोगों ने मजदूरों के नाम से अपने हलवाहों के नाम से पट्टे लिखवाये ग्राम समाज से और उसी वक्त उनसे प्रोनोट लिखवा लिया कुछ लोगों ने 1-2 हजार का कि जब तरमीम हो जाय तो उस समय हम प्रोनोट वापस कर देंगे और तुम हमारे नाम बैनामा कर देना । दो एक साल के पट्टे के बाद तरमीम हो गयी उनके नाम से तो होशियार लोगों ने जिन्होंने जमीन दिलवाने में मदद की थी, अपने नाम से फिर जमीनों का बैनामा करा लिया और बन्धन को खत्म किया, प्रोनोट को खत्म किया । इसलिये यह बहुत आवश्यक है कि जो जमीन भूमिहीनों को बांटी जाय, चाहे वह ग्राम समाज की हो या वह अधिकतम जोत सीमा से निकली हो, ऐसा प्रतिबन्ध होना चाहिये कि जिसको वह जमीन मिले वह कम से कम 10 साल तक दूसरे के नाम बेच नहीं सकता है । अगर इस तरह की चीज हुई तो बहुत से लोग जो जमीनों की ताक में हैं उनको फायदा पहुंचेगा ।

इस सम्बन्ध में 9-10 अक्तूबर को अहमदाबाद में हमारी ए0 आई0 सी0 सी0 का जो अधिवेशन हुआ उसमें एक आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और इसको, मान्यवर, कांग्रेस कार्य समिति ने 12 सितम्बर 1972 को अपनी स्वीकृति भी प्रदान की। इसे मैं आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं । इसमें 13वें परिच्छेद में है कि—

"अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी शीघ्रता के साथ भूमि सुधारों का लागू करने के निर्णयों का स्वागत करती है । इस सम्बन्ध में 31 दिसम्बर, 1972 तक कानून जारी करने के लिये निर्धारित समय की पूरी पाबन्दी होनी चाहिये । अतिरिक्त भूमि के वितरण के लिये एक निश्चित अवधि में पूरा होने वाला एक यथार्थवादी कार्यक्रम तुरन्त तैयार किया जाना चाहिये। प्रशासन और संस्थाओं द्वारा समर्थित ऐसी युक्तिमूलक नीतियां तैयार करनी होंगी जिन से भूमि सुधारों से लाभान्वित होने वाले लोगों को सर्वाधिक उत्पादन करने की दिशा में आवश्यक साज-समान और ऋण प्रदान किया जा सके। छोटे और उपान्त भूमि के किसानों की मदद के लिये बनायी गई योजनाओं को पूरे जोर के साथ क्रियान्वित करना होगा । इस संदर्भ में कुछ लोगों की इस भ्रामक धारणा को दूर करना भी जरूरी है कि केवल बड़े खेत ही पैदावार बढ़ाने में योग दे सकते हैं । हमारी कृषि अर्थ-व्यवस्था का बुनियादी तथ्य यह है कि वह छोटे-छोटे लाखों खेतों के रूप में गठित है। जब तक लाखों मध्यम और छोटे किसानों और भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की रचनात्मक शक्तियों को कृषि के आधुनिकीकरण के निमित्त नहीं लगाया जाता तब तक उत्पादन बढ़ाने में दर असल कोई खास प्रगति नहीं की जा सकती ।

यह प्रक्रिया तभी गतिवान होगी जबकि क्षेत्र विकास की धारणा पर आधारित छोटे खेतों के संस्थागत समर्थन देने के लिये एक व्यापक ढांचा कायम किया जाय ।"

एक सदस्य—

यह कांग्रेस अधिवेशन नहीं है जो अधिवेशन का प्रस्ताव पढ़ रहे हैं ।

श्री माता प्रसाद—

क्योंकि कांग्रेस की सरकार है और जो विधेयक पेश है उसी से सम्बन्धित यह है. . .

श्री उपाध्यक्ष—

क्योंकि चौधरी साहब ने भी कांगेस की गाइड लाइन से पढ़ा था ।

एक सदस्य—

वह जो कमियां बता रहे हैं तो क्या मंत्री जी डिफेमेटरी ऐक्शन लेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

वह आपकी बात का ही समर्थन कर रहे हैं । जब काश्तकारों के जरिये से उत्पादन में ज्यादा वृद्धि की जा सकती है जैसा विरोधी दल के नेता. . . .

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

अगर अपने प्रस्ताव पर जोर दे रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि वह छोटी जोत के लिये अपने बिल में अमेन्डमेन्ट करा दें कि सवा तीन एकड़ ला दें कम से कम होल्डिंग ।

श्री उपाध्यक्ष—

मुझे कोई ऐतराज नहीं है अगर वह मान लें ।

श्री करन सिंह (जिला खीरी)—

यह सरकार गरीबों को फायदा पहुंचाने में असफल रही है, यह साफ-साफ क्यों नहीं कहते?

श्री माता प्रसाद—

यह मैं जो पढ़ रहा था यह गाइड लाइन है । चूंकि कांग्रेस की सरकार है और उसकी पार्टी की यह पालिसी है, तो मैं समझता हूं कि भविष्य में जब भूमि वितरण के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध लगाये जायेंगे तो हमारी वर्किंग कमेटी ने जो प्रस्ताव पास किये हैं उनका ध्यान सरकार रखेगी । एक और तरफ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वर्तमान मशीनरी से यह बिलकुल सफल नहीं हो सकता है । इस समय जो भी माल विभाग के कर्मचारी हैं उनके ऊपर इतना ज्यादा काम है कि वे अपने नियमित कार्य को भी अच्छी तरह से सम्पन्न नहीं कर सकते हैं । इसलिये अगर इसको कार्यान्वित करवाना है तो कोई दूसरी मशीनरी बनाइए जो जमीन के वितरण को और सरकार के दूसरे कामों को कर सके । मिर्जापुर जिले में वहां के आदिवासी लोगों को जिनको भील कहते हैं आबादी के लिये जमीन दी गयी । लेकिन 80 फीसदी आदिवासियों के पास अपने रहने की जमीन नहीं है, जिसमें उनके झोपड़े हैं वह जमीन किसी दूसरे की है । इसका कारण यह है कि जो मशीनरी है सरकारी कागजात में जो लिखा हुआ है वही देख लेती है और मौके का निरीक्षण नहीं करती है । पूरे प्रदेश में हरिजनों की आबादी के लिये सरकार के बहुत से आदेश गये हैं । अगर सही रूप में उनका पालन हो तो बहुत फायदा हो सकता है लेकिन केवल कागज पर उनको कहीं-कहीं जमीनें दे दी गई हैं, जमीन पर कब्जा उनका नहीं है ।

श्री छांगुर राम (जिला आजमगढ़)—

जो जमीनों और गरीबों के सम्बन्ध में सरकार के आदेश गये हैं और जो सरकारी कर्मचारी उनका पालन नहीं करते हैं तो क्या कार्य की अधिकता के कारण पालन नहीं करते हैं या उनका स्वभाव ही ऐसा है और सरकार की तरफ से लुंजपुंज आदेश गये हैं जिसकी बजह से वे पालन नहीं करते हैं ?

श्री माता प्रसाद—

मैं समझता हूं कि मंत्री जी जब उत्तर देंगे तो इसका जवाब दे देंगे। यह बहुत जरूरी है कि जिनको जमीन दी जाय, चाहे अधिकतम जोत सीमा से निकली हुई जमीन हो या गांव समाज की जमीन हो, वह मौके पर तुरन्त उनको दी जाय और वहीं उनको कब्जा दिलाया जाय और वहां इन्दराज कर दिया जाय। अगर ऐसा नहीं होगा तो जमीन उनको कभी नहीं मिलेगी। आज उनको पट्टा दे दिया जाता है, दो-तीन साल उसकी तरमीम करने में लगते हैं, उसके बाद वह छोड़ कर भाग जाते हैं। इसलिये कब्जा दिलाना बहुत जरूरी है।

एक चीज और कह कर मैं खत्म करना चाहता हूं। जमीन देने के लिये आपने हरिजनों को रखा है। मैं समझता हूं कि भूमिहीन खेतिहर मजदूर चाहे जो कोई भी हो उसको जमीन दी जानी चाहिये। जब तक यह नहीं होगा तब तक बहुत से होशियार लोग, जो दूसरी जातियों और हरिजनों में भी हो सकते हैं, भूमिहीन बन कर जमीन ले लेंगे। बहुत दिनों से यह मांग चली आ रही थी और 9 मई के बजाय जब इसको आगे के लिये कहा गया तो हमारे उधर के माननीय सदस्यों ने बड़ा शोर किया था। इसलिये मेरी उनसे प्रार्थना है कि वे सरकार की मन्शा को देखते हुए तुरन्त इस विधेयक को पास करें। वैसे कुछ भाइयों ने 10–12 एकड़ की बात कही है। बहुत अच्छी बात है। वैसे तो 18 एकड़ सिंचित भूमि की सीलिंग हो रही है लेकिन अगर उधर के लोग आदर्श प्रस्तुत करें तो मैं उनको जरूर बधाई दूंगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि सदन जल्दी से जल्दी इसको पास करे।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री हरिनाथ तिवारी के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

तिवारी जी, आपने तो संशोधन रखा है, इसलिये आपको अब बोलने का अधिकार नहीं है।

श्री हरिनाथ तिवारी—

अपना दृष्टिकोण रखने के लिये तो समय दे दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष—

जी नहीं।

श्री जयराम वर्मा—

मान्यवर, इस विधेयक के द्वारा खेतों पर आधारित व्यक्तियों की जमीन की विषमता को दूर करने के लिये जो यह प्रयास किया जा रहा है यह उचित है, लेकिन इस सम्बन्ध में सरकार की जो अब तक ढुलमुल नीति रही है उससे इस उद्देश्य की पूर्ति बहुत कम मात्रा में होने वाली है। आज हमारे गरीब भूमि-हीन भाई यह आशा लगाये बैठे थे कि उनको जब इस विधेयक के द्वारा जमीन निकलेगी तो जमीन मिलेगी। मगर अब ऐसा लगता है कि उनकी यह आशाएं पूरी न

हो सकेंगी। जब मई, 1972 में यह विधेयक लाया गया था उस समय यह आशा सरकार को थी कि करीब 3 लाख 60 हजार एकड़ भूमि मिल सकेगी, लेकिन उस वक्त उस विधेयक को पास कराने का प्रयास नहीं किया गया और अब तक उसको टालते रहे। अब पहले वाले विधेयक को वापस लेकर फिर वह नया विधेयक लाया गया और इस देरी का परिणाम यह है कि मुश्किल से अब 40 हजार एकड़ भूमि भी मिलने वाली नहीं है।

माननीय राजस्व मंत्री जी ने यह समझाने का प्रयास किया कि दूसरा विधेयक लाकर इसमें उन्होंने काफी सुविधाएं रखी हैं, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि पुराने विधेयक द्वारा जितनी जमीन निकल रही थी अब इस विधेयक द्वारा उनसे बहुत कम जमीन निकल सकेगी। किसी माननीय सदस्य ने यहां यह आपत्ति की कि इस विधेयक को लागू करने की तिथि में यह परिवर्तन क्यों किया कि पहले 24 फरवरी, 1970 था और अब उसकी जगह 24 जनवरी, 1971 कर दिया है और कहा है कि अब इससे जमीन निकलने में और बाधायें पड़ गयी हैं माननीय मंत्री जी ने बताया इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है क्योंकि अब जमीन हस्तांतरण करने का अधिकार नहीं है। इसलिये 24 फरवरी, 1970 के स्थान पर 24 जनवरी, 1971 करने में कोई अन्तर नहीं। लेकिन 11 महीने में बड़ा फर्क पड़ गया है क्योंकि उस बीच में 24 फरवरी 1970 के बाद बहुत लोगों ने अपनी जमीन का अन्तरण किया था, बहुत से लोगों ने अपनी जमीन का विभाजन किया था। अगर पहला बिल होता तो 24 फरवरी 1970 के बाद जो बहुत जमीन अन्तरित कर दी गई या विभाजित कर दी गई वह अपेक्षाणीय होती। अधिकतम सीमा अधिनियम के अन्तर्गत उनको छूट न मिलती और उस भूमि की उपेक्षा की जाती अधिकतम सीमा निर्णय करने में। जमीन इसके क्षेत्राधिकार में आ रही थी उस सबको छोड़ दिया गया। अगर माननीय मंत्री का मतलब यह है बड़े लोगों का पक्ष करके सुधार करना तो बात सही है और अगर सुधार का मतलब यह है कि गरीबों के पक्ष में सुधार हो तो गरीबों के पक्ष के यह बिलकुल नहीं है।

दूसरी बात जो की गयी है, जिससे जमीन न निकलने पाये वह यह है कि पहले तीन तरह की जमीन थी, सिंचित, असिंचित और बाग भूमि। अब इसमें एक और जमीन का उल्लेख कर दिया गया है, ऊसर। अब चार तरह की जमीन हो गयी। ऊसर जमीन का अवधारण नियत रीति से किया जायगा। जो जमीन ऊसर मानी जायेगी उसका ढाई एकड़ बराबर होगा एक एकड़ सिंचित जमीन के। इसलिये बहुत सी जमीन जो और निकलने वाली थी इस ऊसर जमीन के ला देने से बच गयी निकलने से। इस वजह से जमीन कम निकलेगी। मुझे बड़ा ताज्जुब यह हुआ कि कुछ जगहों की जमीन, बुन्देलखण्ड की जमीन, मिर्जापुर की जमीन, वाराणसी की भी कुछ जमीन अलग कर दी गई है। यहां की असिंचित जमीन बाकी प्रदेश की जमीन के ऊसर के बराबर कर दी गई है क्योंकि यहां की जमीन ऊसर जमीन के बराबर है। इसके मानी यह है कि जिन-जिन इलाकों के लिये यह कहा गया है कि यहां की असिंचित जमीन का ढाई एकड़ होगा बराबर एक एकड़ सिंचित जमीन के और वह इलाके हैं बुन्देलखण्ड, इलाहाबाद का कुछ हिस्सा, जमनापार का कुछ हिस्सा है, मिर्जापुर और वाराणसी का कुछ हिस्सा है, उसको ऊसर मान ले रहे हैं, यह बात कहां तक मुनासिब है ? और यह रीति बनेगी कि किस को ऊसर मान लेंगे। यह बड़े आशंका की बात हो गयी। आप का निर्णय इधर जाने वाला है कि जमीन कम निकले। अगर सचमुच कोई ऊसर जमीन है उसका ढाई एकड़ एक एकड़ सिंचित जमीन के बराबर होने वाला है तो इन विशिष्ट इलाके की असिंचित जमीन दूने से ज्यादा नहीं होनी चाहिये। यह बात बिलकुल अनुचित होगी कि किसी जमीन को ऊसर के बराबर मान लें। दूसरी बात यह की गयी जिससे जमीन और न निकले। तीसरी बात यह की गयी है धारा 4 की उपधारा 2 में जहां की असिंचित जमीन का ढाई एकड़ बराबर है 1 एकड़ सिंचित जमीन के

[श्री जयराम वर्मा]

उसमें कुछ इलाका और सम्मिलित कर दिया गया है। पुराना बिल देखें इसमें दो और एडीशन्स हुए हैं। इसमें एक तो है धारा 4 की उपधारा 2 (ग) और दूसरा उपधारा 2 (ज) जिनको और जोड़ दिया गया है और इन भागों को जोड़ देने से पहले जो जमीन निकलने वाली थी वह जमीन अब कम कर दी गयी। क्या यह गरीबों के पक्ष में है और यह इरादा है आपका गरीबों को जमीन देने का ? यह सिर्फ धोखा है। इस प्रकार कुछ नहीं होने का है।

चौथी बात यह है कि पुराने बिल में और नये बिल में विमुक्तियों का जिक्र है यानी किन जमीनों पर यह ऐक्ट लागू नहीं होगा। उनमें जमीनों को गिनाया गया है। इसमें धारा 5 में उपधारा क, ख, ग, घ तथा ङ का जिक्र है। पुराने बिल में ऐसे स्नातकोत्तर कालेज अथवा विश्वविद्यालय रखे गये थे जो कृषि शिक्षा देते हों वे इस ऐक्ट से विमुक्त किये गये थे लेकिन इस नये विधेयक में सभी स्नातकोत्तर कालेज तथा विश्वविद्यालय रख दिये गये हैं। इस प्रकार पहले विधेयक के अन्तर्गत इससे जो जमीन निकलने वाली थी वह खत्म हो गयी, वह नहीं निकलेगी। ये कालेज अब जमीन अपने पास रखेंगे। इस प्रकार से यह ख तथा ग नया एडीशन है। इसके अलावा, धारा 5 की उपधारा (2) में (ड़) भी नया एडीशन है। मैं जानना चाहूंगा कि ऐसी कौन सी सहकारी समिति होगी जिसमें सरकार ने सीधे अभिदान किया हो अथवा जिसकी पूंजी के निर्माण अथवा वृद्धि हेतु अप्रत्यक्ष रूप से सहायता न की हो। सहकारिता के नाम पर बड़े-बड़े सहकारी फार्म्स जो बने हुए हैं उनको इससे विमुक्त करने के लिये आपने यह नई उपधारा जोड़ी है और इस प्रकार जो जमीन निकलने वाली थी वह नहीं निकल पायेगी। किस प्रकार यह बात गरीबों के पक्ष में होगी पुराने बिल पर यह इम्प्रूवमेन्ट नहीं है बल्कि प्रतिक्रियावादिता है क्योंकि जो जमीन निकलने वाली थी उसे रोक दिया गया है।

अब 24 जनवरी, 71 ही सही, इसके बाद ट्रांसफर्स तथा डिवीजन नहीं हो सकेंगे लेकिन धारा 6 में फिर इसके लिये गुंजाइश रख दी गई है। धारा 6 में प्रतिबन्ध लगाया गया है और लिखा गया है कि "प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की कोई बात निम्नलिखित पर लागू न होगी—(क) उपधारा (2) में अभिदिष्ट किसी व्यक्ति (जिसके अन्तर्गत सरकार भी है) के पक्ष में कोई अन्तरण...."। तो धारा 2 में जिन-जिन लोगों का जिक्र किया गया है जैसे विश्वविद्यालय, स्नातकोत्तर कालेज, बैंकिंग कम्पनी या सहकारी बैंक, जिसकी अंक पूंजी के निर्माण या वृद्धि में उसने अप्रत्यक्ष रूप से सहायता की हों.." इनके पक्ष में अगर कोई 24 जनवरी, सन् 71 के बाद भी अन्तरण हुआ हो तो उस पर यह धारा लागू नहीं होगी। यानी वहां पर अन्तरण सही माना जायेगा और लीगल माना जायेगा तथा ऐक्ट की परिधि के बाहर होगा। एक बात और कही गई है कि लिखा गया है कि कोई अन्तरण जो नियत प्राधिकारी के संतोषानुसार सद्भावना से और पर्याप्त प्रतिफल के लिये किया गया सिद्ध हो तथा ऐसे...." इसमें नियत प्राधिकारी को गुंजाइश दी गई है कि जो ट्रांसफर 24 जनवरी 71 के बाद भी हुआ हो और वह पूरी सद्भावना और प्रतिफल लेकर किया गया है जो उसकी परिधि से बाहर कर दे तो उसमें सरकार कुछ करने वाली नहीं है। बैनामे तो लिखे जाते हैं, रकम लिखी जाती है। इस लिये 24 जनवरी 71 के बाद भी उसमें कोई रुकावट की गुंजाइश नहीं रह गई है। वह ऐक्ट की परिधि के बाहर होगा।

(इस समय 2 बजकर 12 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री हरिनाथ तिवारी पीठासीन हुए)

इसी तरह से विभाजन के बारे में है। 24 जनवरी सन् 71 के बाद जो रखा गया है, उसमें भी गुंजाइश रह जाती है। धारा 7 में इसका उल्लेख किया गया है—(प्रतिबन्ध यह है कि इस उप-धारा की कोई बात निम्नलिखित पर लागू न होगी—(क) उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 के अधीन विभाजन..." 24 जनवरी 1971 के बाद भी विभाजन हो सकता है। उसमें यदि एक आदमी कहता है कि इस पर इतने दिन से

हमारा कब्जा है और गलती से वह दर्ज नहीं हुआ है और इस बात को वहां पर जो सी0 ओ0 हैं वह भी मान लेते हैं तो फिर विभाजन हो जायगा। आप यदि इस तिथि को 12 जुलाई 72 भी रखा दें तो भी उसके ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है पुराने ऐक्ट में इस विभाजन की गुंजाइश नहीं थी। लेकिन आप कहते हैं आपने इनमें इम्प्रूवमेन्ट किया है और उसमें इस बात की गुंजाइश रख दी है कि विभाजन हो सकता है। जो तारीख आप उस पर लागू होने की मानते हैं, उसके बाद तो कोई विभाजन नहीं माननी चाहिये।

उस आदमी की जमीन माननी चाहिये जिसने ऐसा किया है। जब आपने उसको अधिकार दे दिया तो आपका पहले का हुक्म कि बैनामे नहीं हो सकते, सब बेकार हो गया। इस तरह से जगह-जगह ऐसी कोशिश की गयी है कि जो कुछ गुंजाइश थी जमीन निकालने की वह गुंजाइश भी न रह जाय। जहां तक आपने कृषि की बात की है, हाई कमांड की गाइड लाइन में था कि यूनिवर्सिटी, स्नातकोत्तर विद्यालय या दूसरी शिक्षा संस्थाएं जो कृषि की शिक्षा देती है उनको एक्जेम्पशन मिलेगा। लेकिन आप उस गाइड लाइन के खिलाफ गये हैं। तो इस तरह से कई ऐसी जगहें हैं जहां इस बात का प्रयास रहा है कि जमीन जो निकलने वाली थी वह जमीन न निकल सके। एक परिवार की परिभाषा ही ऐसी है। यह तो मैं नहीं कह सकता कि उस समय यह परिभाषा नहीं थी लेकिन इसमें ऐसा है कि ऐसी पत्नी जो कानूनी ढंग से अलग हुई हो उसे आप पत्नी नहीं मानेंगे। तो यह कब देखा जायगा ? जब यह तय होने लगेगा कि इनके पास जमीन कितनी है और कितनी मिलनी चाहिये। इस बीच में न मालूम कितने तलाक हो जायेंगे। सही तलाक नहीं होंगे। जब आपने कानून में इस तरह की गुंजायश रख दी है तो जो जमीन कहीं निकलने वाली थी वह जमीन भी खतम हो जायेगी। इसी तरह से कई और मिसाले बतलायी गयी हैं जिनके द्वारा इस बात का प्रयास हुआ है कि जो जमीन निकलने वाली थी वह जमीन न निकल सके।

इसी सिलसिले में मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय राजमंगल पांडेय जी परसों जब बोल रहे थे तो उन्होंने एक बात कही कि हमारे इस प्रदेश की राज्य सरकार ने कई जगहों पर हाई कमान्ड के मार्ग-दर्शन को नहीं माना है और जहां नहीं माना है उसको वे उसको अधिक प्रगतिशीलता मानते हैं। इसका प्रमाण उन्होंने ऐसे दिया है कि हाई कमान्ड ने 10-18 एकड़ सिंचित जमीन की सीमा रखी थी लेकिन इस प्रदेश की सरकार न 18 एकड़ म. ना है और यह उनकी प्रगतिशीलता है। इसका तो माने यह हुआ कि कम से कम जमीन नि कल सके और बड़े लोगों के पास ही अधिक से अधिक जमीन रह जाय। क्या यही आपकी प्रगतिशीलता है जो आपने हाई कमाण्ड की बात 10–18 एकड़ के बीच न मान कर अन्तिम सीमा 18 एकड़ की मान ली ? क्या यही आपकी प्रगतिशीलता की निशानी है ? इनकी प्रगतिशीलता की दूसरी निशानी यह है कि हाई कमान्ड का मार्ग-दर्शन यह था कि ऐसी शिक्षा संस्थाएं जो कृषि की शिक्षा देती हैं उन्हीं को इससे एक्जेम्पशन मिलेगा लेकिन आपकी राज्य सरकार का कहना है कि नहीं, यूनिवर्सिटी, स्नातकोत्तर विद्यालय, चाहे वे कृषि की शिक्षा देते हों या नहीं, उसको भी एक्जेम्पशन देंगे। क्या यही प्रगतिशीलता है कि इस तरह से और कम जमीन निकले मुझे तो ताज्जुब हो रहा था राज्य सरकर की प्रगतिशीलता की बात सुन कर।

श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)—

माननीय, मेरा रेफरेंस वर्मा जी ने दिया है इसलिये मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मैं वर्मा जी का बड़ा आदर करता हूं। सेन्ट्रल लैन्ड रिफार्म्स कमेटी के सामने जब 10–18 एकड़ का सवाल आया तो पेरिनियल इरीगेटेड लैंड का डेफिनिशन करना बड़ा मुश्किल हो गया।

श्री अधिष्ठाता—

क्या आप कोई स्पष्टीकरण दे रहे हैं ?

श्री राजमंगल पांडेय—

मुझसे प्रश्न किया गया है कि क्या यही प्रगतिशीलता है ? मैं नमूना दे रहा हूं। लैण्ड रिफार्म कमेटी ने 10 से लेकर 18 एकड़ पैरीनियल इरीगेटेड सोर्स से रखा है। हमने 18 रखा है और दो फसलों का रखा है और हर फसल को दो पानी रखे हैं। क्या यह प्रगतिशील नहीं है ?

श्री अधिष्ठाता—

आप कृपया बैठिए। यह तो सबके लिये कहा गया है। आपके लिये नहीं है। यह तो साइन आफ इन्टेरोगेशन है। उपाध्यक्ष महोदय ने निवेदन किया था कि आप समय का ध्यान रखें क्योंकि अभी बहुत से बोलने वाले हैं।

श्री जयराम वर्मा—

उन्होंने समय का इशारा जरूर किया था लेकिन यह नहीं बताया कि मैं कितना समय लूं।

श्री अधिष्ठाता—

आप कम से कम समय लें।

श्री जयराम वर्मा—

मैं बिल के बारे में ही कहना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

ठीक है, संक्षेप में कहिये।

श्री जयराम वर्मा—

यह तो मैंने मिसाल दी कि कैसे राज्य सरकार हाई कमान्ड का निर्देशन न मान कर प्रगतिशील हो गई है। वह प्रगतिलीलता की बात बता रहे थे कि यदि कोई बात समझ की न की जाय तो प्रगतिशीलता है। इस सरकार ने वही काम किया है। सिंचित जमीन की जो परिभाषा की है आप किसी किसान से पूछ लीजिये कि यह जो परिभाषा की गई है वह ठीक है क्या ? सिंचित जमीन से मतलब अच्छी जमीन का है। इसमें 10 से लेकर 18 एकड़ तक की बात कही गई थी। आपने 18 एकड़ रख दिया। ऊसर जमीन का जिक्र किया कि अगर उसको दो पानी मिल जायेंगे तो उसको वह अच्छी जमीन मान लेंगे और जहां तक भाई माता प्रसाद जी मिसाल दे रहे थे कि जहां बिना सिंचाई के दो फसलें अच्छी होती हैं वह इसमें आयेगी। लेकिन वह जमीन तो सिंचित में न आयेगी।

श्री मुमताज मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

यह उनको ज्ञात होगा और माननीय सदन को ज्ञात है कि जब माननीय चरण सिंह जी की सरकार थी तो उस जमाने में माननीय वर्मा जी भी मंत्रि-मण्डल में थे और 20 एकड़ लाने की पालिसी उसी सरकार ने तय की थी। क्या वह मंत्रि-मण्डल जो चरण सिंह जी का था क्या प्रगतिशील था ? आज हमारी सरकार 18 एकड़ ला रही है यह उन्हें प्रगतिशील नहीं लग रहा है।

श्री अधिष्ठाता—

आप कृपया बैठिये।

श्री जयराम वर्मा—

अब मैं माननीय सदस्य की स्मरणशक्ति को ताजा कर रहा हूं कि मैं उस समय मन्त्री नहीं था। वह भूल गये हैं।

श्री मोमताज मुहम्मद खां--

सर्वेसर्वा तो थे।

श्री जयराम वर्मा--

उस समय मैं मन्त्री नहीं था, सर्वसर्वा क्या था, मैं नहीं कह सकता। आप 30 एकड़ की बात कह रहे हैं। उसमें यह फर्क नहीं रखा गया था कि कहीं डेढ़ हो जायगा या ढाई हो जायगा, और न यह रखा गया था कि किसी का लड़का बालिग हो जाय तो उसको 5 एकड़ और मिल जायगी। इसमें अलग लड़के की कोई गुंजायश नहीं थी और उसमें लचर की कोई गुन्जाइश नहीं थी। अगर उस बात को भी देखें तो भी आपकी सीलिंग ऊंची है। चूंकि उन्होंने प्रगतिशील सरकार होने का जिक्र किया था तो मैंने भी कहा कि कैसी यह प्रगतिशील सरकार है। सिंचाई वाली जमीनों के बारे में यह है कि ऐसी जमीन जिसमें सरकारी सिचन संकर्म से या निजी संकर्म से हर फसल को दो पानी मिलता हो और उसमें दो फसलें हो सकती हों। यह सिंचित जमीन है। माननीय राज मंगल पांडेय जी ने भी कहा कि आज की हाई हाइल्डिग वैरायटी जो गेहूं की है, अर्थात् जो अधिक उपज देने वाली किस्म है क्या उसका काम दो पानी से हो जायगा तो यह जो बेवकूफी का निश्चय है क्या यह भी प्रगतिशीलता है? 10-18 एकड़ की जहां तक बात है गांव में बीघा या एकड़ शब्द का प्रयोग होता है, इस सरकार ने 7.30 हैक्टर की बात कह दी। गांव में हैक्टर कोई नहीं समझता है तो क्या यह भी प्रगतिशीलता की निशानी है कि अपने यहां की चीजों को छोड़ते जावें और ऐसी चीजों का प्रयोग करते जावें जिसको गांव के लोग समझते भी न हों। 7.30 हैक्टर क्यों रखा? क्या यह ठीक 18 एकड़ से हुआ यह 18 एकड़ से ज्यादा पड़ रही है तो क्या यह उन्होंने कहा 10 से 18 एकड़ रखो लेकिन यहां पर हैक्टर शब्द का इस्तेमाल करके बढ़ा दिया।

अब कुछ और बातों की ओर आना चाहता हूं। इसमें जो जमीन का वर्गीकरण किया गया है वह सिंचाई के आधार पर किया गया है। कौन किसान नहीं जानता कि खेती की जमीन का वर्गीकरण सिंचाई के आधार पर नहीं हो सकता। जमीन अच्छी है, केवल सिंचाई पर निर्भर नहीं करती है। जमीन किस किस्म की है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, जमीन गांव के करीब गोयंड़ की जमीन है या गांव से दूर की है, मटियार है, बलुई है या दुमट है। जमीन हमवार है या असम है। जमीन ढालू है, सिंचाई मिलती है या नहीं। इससे जमीन अच्छी कही जा सकती है और बुरी कही जा सकती है। सिंचाई कहीं से होती हो, नहर या सरकारी ट्यूबवेल से या निजी ट्यबयेल से। मैं फिर पूछता हूं कि अगर जमीन पथरीली है और ढालू है तो उसमें दो फसल हो सकती है और दो पानी मिलता हो तो जमीन अच्छी हो जायगी। लेकिन अगर अच्छी फसल होती है, कुओं से पानी मिलता है, पानी भरपूर मिलता है, तो कोई मुकाबिला रहता है उसमें जिसे नहर या ट्यबयेल से पानी मिल रहा हो, वह निश्चित हो। इसलिए केवल सिंचाई के आधार पर जमीन अच्छी या बुरी कहना गलत आधार है और गलत आधार मानना है प्रगतिशीलता हो तो ठीक है। तो अब इसी राजस्व विभाग ने चकबन्दी कार्य की व्यवस्था प्रदेश में करवाई है। करीब-करीब चकबन्दी पूरी हो रही है। थोड़ी जगह ऐसी हैं जहां चकबन्दी नहीं हुई।

चकबन्दी में आखिर इतना वक्त तीन-तीन चार-चार वर्ष क्यों लिये गये। इतना वक्त लग गया कि वहां के लोगों के कब्जे में ठीक हो जायं, गाटों की मालियत क्या है, सब चीजें देखकर करना, कि गांव के करीब है, दूर है, हकदार है, ढालू है, असम है उस जमीन का स्ट्रक्चर कैसा है, जमीन को पानी की सुविधा है या नहीं, पैदावार कैसी होती है। इन सब चीजों को देखकर जमीन की मालियत तय की गयी और उसी मालियत के आधार पर किसानों की तकदीर का फैसला कर दिया गया। जबकि आधार इसी विभाग में मौजूद है। तो दूसरे आधार पर जिसमें झगड़े हैं उसको लेने का मलतब क्या है? क्या आप किसान

[श्री जयराम वर्मा]

को लूटना चाहते हैं। किसान के पास जो पैसा बाकी है उसको आप फेंकवा देना चाहते है रिश्वतखोरी करके और सचमुच उसकी बात समझ में आती थी। जमीन से सिंचाई चार बार करने या न करने में कम से कम अच्छी और बुरी मान लेवें। यह तो फैसला रक्खा रखाया है। आपके विभाग में दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं और अगर कहीं चकबन्दी नहीं हुई है तो ये थोड़ी सी जगहें हैं। तो पुराने रिकार्ड्स के आधार पर उन जमीनों की किस्में तय हैं। नहीं तो चकबन्दी के आधार पर हर जगह फैसला हो सकता है कि जमीन कैसी है किस किस्म की है।

जमीन को अच्छा मानना चाहिए या बुरा मानना चाहिए या औसत दर्जे का, हाई-कमान के निर्देशन में भी यही बात है। उन्होंने कहा अच्छी जमीन कौन है। किस को दस से अठारह एकड़ तक रखेंगे लिखा है—गांव की अच्छी जमीन जिसकी सिंचाई की सुविधा आश्वस्त हो वह अच्छी जमीन मानी जायगी। इससे अब डिपार्चर करके और ऐसी बात करें जिससे हरेक आदमी कहे भूल है सही आधार नहीं है उसको वह मान लेंगे कि यह प्रगति-शीलता है। तो अच्छी बात है अगर यही आधार रहा, अगर आपने चकबन्दी को आधार नहीं माना अच्छी, औसत और खराब जमीन को तय करने के लिये और इसी को आधार माना कि जो सिंचित जमीन है, जिसमें दो पानी मिलते हैं, वही अच्छी जमीन है तो इसके माने होंगे कि जिस खेत में गेहूं पैदा करने के लिये भी पानी नहीं मिलता है उसे आप अच्छा मान लेंगे। किसान हंसेगा कि क्या विधान सभा में कोई खेती करने वाला नहीं था, सब लोग किताब के पढ़ने वाले ही थे। चेतराम जी बैठ गये हैं। यह तो बड़े भारी किसान हैं।

जहां ट्यूबवेल की सिंचाई होती है वहां तो चूंकि हर सिंचाई की मालगुजारी अलग होती है इसलिए वहां तो कुछ रिकार्ड मिल सकता है कि कितने पानी किसने लिये। नहर में तो सिंचाई एक ही होती है चाहे जितने पानी लिये हों, वहां यह नहीं लिखा जाता कि कितने पानी लिये। तो जब रिकार्ड ही नहीं है तो फैसला कैसे होगा? यह भी तो कोई अधिकारी ही तय करेगा? जब असिंचित जमीन के लिये 18 की जगह 27 एकड़ मिलने वाली है तो कौन कहेगा कि हमारे खेत को दो पानी मिलते हैं। हर आदमी यही कहेगा कि एक ही पानी मिलता है। सरकार के पास क्या सबूत है कि दो पानी मिले हैं? तो यह आधार तो बिल्कुल बेकार है। ट्यूबवेल जहां है वहां तो हो सकता है। लेकिन जहां निजी सिंचन संक्रम है वहां क्या होगा? अगर आप यह माने कि जिसका अपना ट्यूबवेल है उसी के खेत को दो बार पानी मिलने से भूमि सिंचित मानी जायगी दूसरे को नहीं, तब तक तो कुछ बात चल सकती है। लेकिन परसों मन्त्री जी ने कह दिया कि निजी ट्यूबवेल से दूसरे आदमी भी सिंचाई करते हैं और, दो बार की सिंचाई आश्वस्त तो भूमि सिंचित है।

हम आज पानी दे रहे हैं, कल नहीं देते, तो श्योर सिंचाई कैसे निश्चित होगी? सरकारी ट्यूबवेल से तो आप कह सकते हैं लेकिन मेरे ट्यूबवेल से कैसे कह सकते हैं? लेकिन मंत्रीजी कहते हैं कि हम उसको मान लेंगे। तो श्रीमन्, इसमें बड़ी कठिनाई होगी। गांव में अपनी जमीन बचाने के लिए लोग रुपया लेकर दौड़ेंगे। चाहे पतरौल के पास जायं, चाहे लेखपाल के पास जायं, चाहे जिस अधिकारी को आप तय करने के लिये मुकर्रर करें उसके पास जायं और छोटे-छोटे अधिकारी रुपया लेकर यही कहेंगे कि एक ही पानी मिलता है। तो यह जो आधार सिंचाई का माना है इससे काम चलने वाला नहीं है।

फिर ऊसर में आपने कुछ नहीं लिखा है कि सिंचित है या असिंचित। यह नियत रूप से निर्धारित किया जायगा कि कौन ऊसर है। जो परिभाषा असिंचित जमीन की दी हुई है वह है कि जो सिंचित भूमि न हो और बाग भूमि न हो। जब चार किस्म की जमीन आपने रखी है तो चार होने में तो दो बचीं ऊसर और असिंचित हैं। सब कैसे ऊसर या असिंचित हो जाएंगी? इसलिये किसानों को अगर आप लूट से बचाना चाहते हैं और सही

आधार बनाना चाहवे हैं तो जरूरी है कि चकबन्दी के द्वारा तय की हुई मालिकियत आधार माने उसका आधार मानकर आपको तय करना होगा, जमीन कैसी है, औसत दर्जे की है । खराब है । इसीके हिसाब से आपको सीमा निर्धारित करनी होगी। जो इ सम्में सीमा निर्धारित है वह अनुपयुक्त है अच्छी जमीन आप कम कर दें और ऊसर बढ़ाई दें बालिग लड़के न हों कोई एक वैज्ञानिक आधार होना चाहिये। 10 से 18 यह कोई आधार नहीं है। हमारे यहां बैलों से खेती होती है । गांवों में का आधार मान्य हो सकता है। 1 हल 2 या 3 हल की खेती का आधार माना जा सकता है । राज मंगल पांडेय जो कह रहे थे कि हल कैसे लिखा जाय। एक हल सक्षम है कितनी जमीन को जोतने के लिये । प्लानिंग कमीशन ने इसका अध्ययन करवाया था। उनकी राय है कि साढ़े 7 एकड़ से साढ़े 12 एकड़ तक एक हल में हो सकता है जमीन के आधार पर। अच्छी तो साढ़े 7 एकड़ और खराब साढ़े 12 एकड़। अच्छी जमीन को साढ़े 7 एकड़ एक हल के लिए मानकर, 2 हल के लिये 15 एकड़ हो जायगा यह औसत के लिये नीचे दर्जे की जमीन 20 और 25 एकड़ होनी चाहिए । जिसको आप कहते हैं कि 18, 27 और 45 उसके लिये हम कहते हैं कि 15, 20 और 25 एकड़ होना चाहिये। हमारे यहां की स्थिति ऐसी है कि आपको इसी का आधार मानकर चलना चाहिये

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर, हम लोगों के यहां यों तो दो किस्म की जमीनें हैं परन्तु तीसरे किस्म की भी एक जमीन है माट की जमीन। इसमें यह नहीं लागू होता है।

श्री अधिष्ठाता—

सुनिये तो, अभी यह अपने सुझाव दे रहे हैं, पहले इनकी बात सुन लीजिये।

श्री जयराम वर्मा—

प्लानिंग कमीशन ने जो अध्ययन किया था उसके आधार पर अच्छी, औसत और खराब किस्म की जमीन का दो हल के लिए 15, 20 और 25 एकड़ ही आता हैं।

मान्यवर, इसी के साथ जो परिवार की परिभाषा है वह भी एक कठिनाई पैदा करती है। इसमें बालिग और नाबालिग लड़के में भेद कर दिया गया है। यह भी एक रास्ता है गांवों में करेप्शन पैदा करने के लिये बालिग और नाबालिग लड़कों में बराबर का अधिकार होना चाहिये जायदाद में। उसमें कोई फर्क नहीं होना चेाहिये । उसमें फर्क किया जाने वाला है इस विधेयक के द्वारा और फर्क करने से बहुत से झगड़े पैदा हो जायेंगे। परिवार की परिभाषा में जो इस विधेयक में दी है यह है खातेदार और उसका पति या उसकी पत्नी, जैसी भी दशा हो, अवयस्क पुत्र और (विवाहित पुत्रियों से भिन्न) अवस्यक पुत्रियों।

श्री अधिष्ठाता—

लड़का भी नहीं दिया है केवल पुत्र दिया हुआ है ।

श्री जयराम वर्मा—

पुत्र शब्द कहें, लड़का न कहें । अब अगर एक पुत्र और बालिग है तो उसका 2 हैक्टर और मिलेगा। अब झगड़ा होगा कि पुत्र बालिग है कि नाबालिग। कौन फैसला करेगा? वे डाक्टरी सर्टिफिकेट लायेंगे कि लड़का बालिग है। डाक्टरी सर्टिफिकेट का क्या हाल है जानते ही हैं इस प्रदेश में कि किस तरह से डाक्टरी सर्टिफिकेट मिल जाया करते हैं। लोग तरह-तरह के सबूत देंगे कि लड़का बालिग है। सरकार की तरफ से पैरवी करने वाला कौन रहेगा कि लड़का नाबालिग है? तो एकतरफा बात होगी ।

श्री राज मंगल पांडेय—

पैरवी के लिये हम विरोधियों को कर देंगे। हमारी गवाही रामधारी शास्त्री देंगे।

श्री ज्वाला प्रसाद कुरील (जिला कानपुर)—

वर्मा जी, लड़का नहीं होगा तो भी लड़का किसी दूसरे का बना लिया जायगा।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

ठीक ही कहा आपने।

श्री जयराम वर्मा—

मेरा कहना तो यह है कि बालिग और नाबालिग लड़कों के नाम पर यह लूट गांवों मे होने वाली है। ईश्वर के लिये—इस प्रदेश के लिए उस लूट से किसानों को बचा लीजिये, लूट न होने दीजिये। इसी वास्ते चौधरी साहब ने व हमारे दल ने यह सुझाव दिया है और मैं भी यह सुझाव देता हूं कि वह फर्क नहीं करना चाहिये। परिवार को हम कहते हैं खातेदार—पति या पत्नी, लड़कियों का कोई सवाल ही नहीं है—लड़कियां हों या न हों और दो लड़के—ऐसे परिवार के लिये 15, 20 25 एकड़ अच्छी औसत निम्न कोटि की भूमि, अगर दो के अलावा तीसरा लड़का और है तो 7 1/2 एकड़ अच्छी भूमि और बढ़ा दीजिए।

श्री राज मंगल पांडेय—

बढ़ाने के पक्ष में हैं आप ?

श्री जय राम वर्मा—

3 लड़के से अधिक हैं तो उसमें साढ़े 7 एकड़ अच्छी भूमि और बढ़ा दीजिए। तो साढ़े 7 और साढ़े 12 एकड़ और हो गये। इस प्रकार तीन पुत्र होने पर 22.5, 30 और साढ़े 37 और 4 पुत्र होने पर 30, 40 व 50 एकड़ भूमि होगी। चूंकि बालिगों और नाबालिगों का झगड़ा है, इसलिये नाबालिग लड़के भी बालिक हो जायेंगे और जब कोई नाबालिग ही नहीं रह जायेगा तो बालिगों के नाम पर सब जमीन निकल जायेगी। इसलिये यह भेद रखना किसी तरह से भी ठीक नहीं है और अगर यह भेद रखा गया तो झगड़े बहुत होंगे और बहुत रिश्वतखोरी गांवों में चलेगी और लोग अधिक परेशान होंगे।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय वर्मा जी आप कितना समय लेंगे ?

श्री जयराम वर्मा—

मैं जल्दी ही समाप्त करूंगा। मान्यवर, वैसे तो गरीबों में यह धारणा फैली हुयी है कि जो जमीन निकलेगी वह भूमिहीनों और छोटे किसानों को मिलेगी जिससे उनके खाने पीने का इन्तजाम हो सके, लेकिन इस मामले में बहुत अनिश्चितता है। धारा 12 देखने से मालूम होगा कि सरकार ने अभी कुछ निश्चय किया ही नहीं है कि आगे वह क्या करेगी। इसमें व्यवस्था यह है कि अगर गांव में सामुदायिक प्रयोजन के लिये कोई जमीन नहीं है या 15 एकड़ से कम है तो उसके लिये यह अतिरिक्त जमीन भी दी जा सकती है गांव समाज को या जिन कामों के लिये सरकार को भूमि एक्वायर करनी पड़ती है, उस काम के लिये भी इस जमीन को इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसा राष्ट्रपति का बयान हुआ है यह जमीन सहकारी खेती के लिये भी चली जा सकती है। इसलिये सरकार अभी कुछ निश्चित नहीं है इस मामले में और इधर बहुत पहले से भूमिहीनों को यह आशा बंधा रखी है कि जमीन उनको मिलने वाली है और यह भी कहा जा रहा है कि गरीबी और बेकारी को दूर करने के लिये भी यह विधेयक लाया गया है। लेकिन जमीन तो उनको देनी ही नहीं है। इसलिये मेरा सुझाव निश्चित रूप से यह है कि जो

भी जमीन मिले वह भूमिहीनों और छोटे किसानों को निश्चित रूप से दी जाय अगर भूमिहीनों को दी जाय तो उतनी जमीन जरूर दी जाय जिससे वह हल-बैल रखकर अपना काम चला सकें। एक-दो बीघा देने से कोई लाभ नहीं है। कमसे कम सवा 3 एकड़ या 5 बीघा जमीन तो अवश्य दी जाय जिससे वह हल-बैल रखकर तथा खेत जोतकर अपना काम चला सकें। अगर ज्यादा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिये।

अगर भूमिहीनों के अलावा छोटे किसानों को दी जाय तो छोटे किसानों में हरिजनों को प्राथमिकता दी जाय। हरिजन जब न हों तो नान-हरिजन को जमीन दी जाय। चाहे भूमिहीनों को दी जाय या छोटे किसानो को दी जाय, लेकिन हर हालत में यह प्रयास होना चाहिये कि वह खेती करके कुछ पैदा कर सकें। हमें भूमिहीनों और छोटे किसानों को कुछ और भी मदद करनी होगी। उनकी कुछ सहायता भी करनी होगी जिससे कि वह जमीन बो सकें और कुछ पैदा कर सकें तथा इस प्रदेश के खाद्यान्न समस्या को हल करने में अपनी शक्ति के अनुसार मद्द कर सकें। इस संबंध में भी सरकार का अभी कुछ निश्चित नहीं है। लेकिन मेरी एक आशंका है और वह यह है कि कहीं भूमि प्रतिफलों से उसका प्रतिकर न मांगा जाय क्योंकि आपका हाई कमान्ड जो मार्ग निर्देशन देता है उस पर पूरी तरह विचार करते हैं। उनके निर्देशन में यह इशारा किया गया है कि किसानों को जो अतिरिक्त भूमि दी जायेगी उसका मुवावजा भी उससे वसूल किया जायेगा। और यह भी लिखा है कि चूंकि गरीबों से यह मुआविजा लेना है इसलिये मुआविजा कम दिया जाय किसानों को अतिरिक्त भूमि का और यह भी निश्चित कहा गया कि इसका कोई भार राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार पर नहीं पड़ना चाहिये। यह मार्ग निर्देशन में है। तो मैं कहूंगा कि सरकार ने कहीं उनके मार्ग निर्देशन को नहीं माना है तो कम से कम वह इस मार्ग-निर्देशन को भी नहीं मानेगी कि जिसको जमीन दी जाय उससे लिया जाय, उससे नहीं लेना चाहिये, उसकी तो सहायता करनी चाहिये जिससे वह जमीन से कुछ पैदा कर सके। तो मैं आगाह कर देना चाहता हूं।

आखिर में जो अतिरिक्त भूमि मिलेगी किसी किसान से जो ली जायेगी उसको मुआविजा दिया जायेगा। इस बिल में नहीं लेकिन सन् 1960 के अधिनियम की धारा 17 में उसके शिड्यूल में लिखा हुआ है कि बहुत कम मुआविजा, यानी हैरीडिटरी तरीके से जो उसकी मालगुजारी तय हो जाय भूमिधरी के लिये उसका 40 गुना दिया जाय। इसके माने यह है कि आज जो बाजार की कीमत है उसके 5 या 6 प्रतिशत से ज्यादा मुआविजा देने का इरादा नहीं है। यह बहुत अनुचित बात है। क्योंकि शहर के लोग तो किसानों के मुकाबिले में कहीं अमीर हैं। हदबन्दी करने की जो बात कही जा रही है वह होगी या नहीं मुझे इस बात की आशंका है और अगर वह होगी भी तो केवल जमीन और मकान की होगी और उनके उद्योग धंधे और उनकी और सब चीजें छोड़ दी जायेंगी, सिर्फ मकान गऔर जमीन की हदबन्दी होगी और वह हदबन्दी भी पहले 3 लाख की थी, अब 5 लाख होने वाली है और उसके ऊपर की सम्पत्ति पर जो मुआविजा दिया जायेगा वह 25 से लेकर 75 फीसदी तक मुआविजा दिया जायेगा। जो अमीर हैं उनको तो मुआविजा 25 से 75 फीसदी तक और जो गरीब किसान हैं उनके लिये 5 या 6 फीसदी, यह बात अन्यायपूर्ण है।

सरकार को दोनों अतिरिक्त सम्पत्ति पर एक ही किस्म का मुआविजा रखना चाहिये, चाहे वह किसान हो या चाहे वे शहर के लोग हों। अव्वल तो हदबन्दी अगर उनकी सब सम्पत्ति पर की जाती है तब तो विषमता दूर होती है और अगर उस तरह पर नहीं की जाती है तब वह विषमता रहेगी और भले ही आज बिड़ला और टाटा की सम्पत्ति 9 अरब की हो लेकिन अगर यह छूट रहेगी और उसको आप बढ़ाते जायेंगे तो फिर फायदा क्या होगा। इसलिये वहां भी सीमा हर चीज पर जरूर रखनी चाहिये। तब तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं तो दूसरा इरादा मालूम पड़ेगा और यह इरादा मालूम पड़ेगा कि आप उनकी रक्षा करना चाहते हैं जिनसे आपको इलेक्शन लड़ने के लिये पैसा मिलता है और किसानों को तंग करना चाहते हैं और उनकी जमीन

[श्री जयराम वर्मा]

में जो पैदा होता है उसके लिये उनको पूरा मुआविजा न देकर उनके लिये इतनी परेशानी पैदा करना चाहते हैं जिससे आपका इरादा पूरा हो और वह इरादा है रूस के रास्ते पर चलने का जिसकी तरफ राष्ट्रपति अपने बयान में इशारा कर रहे हैं कि वह चाहते हैं कि सहकारी ढंग से खेती हो और सामूहिक ढंग से खेती हो । रूस की मिशाल हमारे सामने मौजूद है कि वह उस तरीके को इस्तेमाल करके अब पछता रहे हैं और उसको छोड़ रहे हैं। अभी रूस ने तीन वर्ष के लिये यू 0 एस 0 ए 0 से गल्ला मांगा है और अपने खाने भर के लिये रूसी गल्ला नहीं पैदा कर रहे हैं क्योंकि वहां सामूहिक ढ़ंग से खेती है क्योंकि जो अपनी वैयक्तिक प्रेरणा होती है वह खत्म हो जाती है और आदमी का फिक्र नहीं रह जाती है कि हमको ज्यादा पदा करना चाहिये ।

इसलिये हम चाहते हैं कि स्वतंत्र किसान हो, अपनी अलग खेती करता हो, किसी का गुलाम न हो, अपने ढ़ंग से खेती करके वह देश की सेवा कर सकें । उसके व्यक्तित्व का विकास हो और इस देश में आजादी को खत्म करने की तरफ जो कदम उठ रहे हैं वह न उठने पायें । फिर मैं कहूंगा कि 1960 का जो ऐक्ट बना था तो उसमें जितनी जमीनें मिली थीं उसका बंटवारा नहीं किया गया । उस वक्त उस ऐक्ट में लिखा था कि जो कृषि सहकारी सोसाइटी बनेंगी उन्हें जमीन दी जायगी। लेकिन आज तक एक भी कृषि सोसाइटी नहीं बन पायी और इसलिये भूमिहीनों को जमीन नहीं दी गयी । बड़े-बड़े पूंजीपतियों के पास ही वह जमीन छोड़ दी गयी । जब चौधरी साहब की हकूमत ने सन् 68 में इस्तीफा दिया था तो उसके पहले पास कर दिया था कि यह जमीन जो सहकारी समिति को देने को है उसमें परिवर्तन कर दिया जाय और उसके स्थान पर वह जमीन भूमिहीनों को दी जाय । लेकिन वह चीज काम में नहीं आ सकी, उसका कार्यान्वयन नहीं हो सका क्योंकि चौधरी साहब ने उसके पांच छः दिन बाद इस्तीफा दे दिया । उसके बाद इन्तजाम आया गवर्नर साहब के हाथ में और फिर कांग्रेस आयी और उसने उस चीज को समाप्त कर दिया जो कि चौधरी साहब ने किया था । इससे जाहिर है कि कितना दर्द है इनके अन्दर गरीबों के लिये । इसी लिये मैं फिर कहता हूं कि जमीन लेकर भूमिहीनों को दें । यह जो एक बात होती है भूमिहीनों के मन में कि मेरे पास जमीन नहीं है, उनको भी जमीन मिल सके और वह भी उससे अपनी जीविका कमा सकें । यह इंतजाम करना जरूरी है नहीं तो यह जो इतना ढिंढोरा पीट रहे हैं यह बेकार हो जायगा ।

श्रीमती कुदसिया बेगम (जिला हरदोई)---

जनाबेवाला, इस वक्त जो लैंड सीलिंग बिल सदन के सामने है उसका मैं स्वागत करती हूं क्योंकि हमारी पार्टी की तरफ से यह बिल आया है और यह बिल हमारी प्रधान मंत्री ने जो नारा बुलन्द किया था शोसल जस्टिस का उसके आधार पर है, बशर्ते कि इसको सही तरीके से लागू किया जाय और इसके जो असरात हों वह गलत साबित न हों । जनाबेवाला मैं इस वक्त एक आवाज बुलन्द करती हूं औरतों की तरफ से । मुझे अफसोस है कि इस सदन में इसके मुत्तालिक ज्यादा नहीं कहा गया । लेकिन मैं समझती हूं कि आजादी के 25 साल के बाद हमारे देश की औरतों को इक्तसादी इंडिपेंडेंस मिली और आर्थिक तरीके से उनको अपनी शख्सियत का एहसास हुआ और उन्होंने अपने को जाना कि वह अब अपने मर्दों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है और उसकी भी अपनी एहमियत ह । आर्थिक तरीके से वह इंडिपेंडेंट हो सकती है । इस जमाने में हमारे भाइयों ने देखा होगा कि हमारी बहनें, हमारी मायें, हमारी लड़कियां किस तरह बराबरी का हिस्सा हर बात में ले रही हैं और उन्होंने देश की तरक्की में कितना हिस्सा लिया है । इसको देखते हुए जब मैं इस बिल को देखती हूं तो इसमें मुझे शक नहीं है कि औरतों के साथ बहुत अन्याय किया गया है। इसमें औरत का कोई जिक्र नहीं आया है और जहां आया है वहां उसके हकूक तलख करने के लिये आया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनाबेवाला, मैं यह अर्ज करना चाहती हूं कि जब बालिक लड़के को एक अलग हैसियत दी गयी है तो लड़की को क्यों नहीं दे गई ? मैं यह पूछना चाहती हूं कि क्या लड़की अपने मां-बाप की औलाद नहीं है । अगर हिन्दू कोड बिल में, अगर मुसलमानों के मजहब की रू से, हर तरीके से औरतों को पूरे तरीके से मां-बाप की जायदाद में, शौहर की जायदाद में हिस्सा मिलता है तो क्या वजह है कि जहां लैंड सीलिंग इम्पोज की जा रही है वहां किसानों और भूमि-धरों की लड़कियों को वह हक न दिया जाय । इसलिये मैं इस आवाज को बुलन्द करना चाहती हूं और मैं समझती हूं कि हमारी सरकार इसके ऊपर गौर करेगी । क्योंकि जब हमारे यहां यह बिल आ रहा था कई महीने पहले का जिक्र है मैंने मुख्यमंत्री जी को लिखा था कि औरतों के हक में सरासर बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी हो रही है । इस बिल में यह दिया गया है कि जिस औरत के पास खातेदारी होगी तो उसकी भी खेती उसी प्रोपोर्शनल तरीके से अपने शौहर के खाते के अन्दर शामिल कर दी जायगी और दोनों की जमीन मिल कर 18 एकड़ से ज्यादा नहीं होगी । इस तरीके से बहुत ज्यादा नाइंसाफी हो रही है । इसका यह मतलब है कि वह औरत या तो शादी न करे ताकि जितनी उसकी जमीन है वह उसके पास रहे और उसके शौहर के खाते में मिलकर जज्ब न हो जाय और अगर उसने शादी कर ली है तो वह अलग हो जाय वरना उसको कोई हक नहीं रहता ।

इसलिये जनाबेवाला, आपको मालूम होगा कि जब यह बिल आ रहा था, पंजाब और हरियाणा में रोज अखबारों में पढ़ा जाता था कि हजारों औरतें यह डिक्लेयर कर रहीं हैं कि हम ने अपने शौहरों से तलाक ले ली है । यानी इस कानून की जद से बचने के लिये यह किया जा रहा है । तो या तो एक धोखा दिया जायगा अलग होने का या ज्यादा से ज्यादा खानदान टूटेंगे । औरतें अलग होने पर मजबूर होंगी ताकि उनकी खेती कायम रहे । इसलिये जनाबेवाला, अगर बीबी के खाते का नाम अलग है तो उसको फैमिली की होल्डिंग में जोड़ाना नहीं चाहिये, क्योंकि फिर यह नुकसान होता है कि आगे चलकर अगर औरत अलहदगी चाहती है जो कि पूरे तरीके से हमारे हकूक में शामिल हो गया है, तो उसकी जो जमीन शामिल हो गयी है वह उसको नहीं मिलेगी और अगर मिलेगी प्रोपोर्शनल तरीके से तो उसका क्या गुजारा हो सकता है ? क्या हक मिलेगा बच्चों को जो नाबालिग हैं, उस 18 एकड़ में से क्या बच जायेगा ? तो इस तरीके से जितने कम्पलीकेशंस होंगे उन पर गौर करना है और जिस औरत के नाम खाते हैं उसको कायम रहना चाहिये—मैं यह जबरदस्त आवाज बुलन्द कर रही हूं ।

इसी तरीके से जनाबेवाला, मैं समझती हूं कि लड़की जिसका कि हक निकलता है औलाद होने की हैसियत से, उसको उसी तरीके से दो हेक्टेयर यानी 5 एकड़ जमीन उसके हक में भी होनी चाहिये क्योंकि वह भी सही तरीके से अपनी जिन्दगी आराम से गुजार सके । जब उसकी शादी हो तब भी वह उसी के नाम रह सके । आजकल हर एक लड़की शादी भी नहीं कर रही है । इसलिये उनको हक होना चाहिये । उनके पास जमीन हो ताकि वह उससे फायदा उठा सकें।

तो यह मुझे अर्ज करना है । इसमें औरतों के लिये जो किया गया है वह उनके हक में बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह साबित होगा । इसका मतलब यह होगा कि वह शादी न करे, क्योंकि शादी करने पर जमीन उसकी शौहर की जमीन के साथ जज्ब हो जाती है और अगर नहीं करती है शादी तो फिर उसका खाता रहता भी नहीं है । इसलिये जनाबेवाला, मुझे अर्ज करना है कि इसके ऊपर जरूर गौर किया जाय ।

दूसरी बात जो कही गयी वह सिंचाई और गैर-सिंचाई की जमीन के मुताल्लिक है । मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, काफी लोगों ने विचार जाहिर किये हैं । लेकिन मैं सिर्फ यह अर्ज करना चाहती हूं कि इसको दो कैटेगरीज में तकसीम कर देना बहुत गलत बात है । इर्रीगेटेड लैंड भी दो किस्म की होती है । हमारे वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में 18 एकड़ जमीन बहुत ज्यादा हैसियत

[श्री मती कुदसिया बेगम]

रखती है । सेंट्रल यू० पी० में हमारा हरदोई जिला है जिसमें जमीन बहुत ही खराब है । फर्ज कीजिये वहां कोई इतना खर्च कर के ट्यूबवेल लगाता है तो उसको इर्रीगेटेड लैंड समझ लिया जाता है जबकि सिर्फ दो, तीन एकड़ जमीन ही उससे सीची जा सकती है । यह बहुत बड़ा अन्याय है । जिन लोगों के पास अच्छी जमीन है वह 18 एकड़ से ज्यादा फायदा उठा सकते है । इसलिये मैं यह जरूर अर्ज करूंगा कि लैंड सेटिलमेंट के अन्दर जो जमीनों की कैटेगरीज रखीगयी थी उसी हिसाब से अगर किया जाय और यह देखा जा कि उससे आमदनी कितनी है, प्रोडक्शन कितना है उस हिसाब से जमीन तकसीम की जाय तो ज्यादा बेहतर होगा ।

अब मैं बागात की बाबत कहना चाहती हूं । इस बिल के जरिये से 36 एकड़ बागात की जमीन छोड़ी जायेगी लेकिन सेंटर ने 54 एकड़ के लिये कहा था । सब को मालूम है कि बागात में तीन साल में एक दफा अच्छी फसल होती है । इसका मतलब है कि जिनके पास बागात हैं वह दो साल तो बिल्कुल नुकसान उठायें और एक साल उनको फसल से कुछ मिल जाये । यह भी उनके साथ बड़ा अन्याय है । इसलिये मैं उम्मीद करती हूं कि केंद्र ने जो 54 एकड़ के लिये कहा था वह अगर इस बिल में ले आया जाये तो ज्यादा बेहतर होगा । स्टैंडर्ड एकड़ से वेस्टर्न यू० पी० में बहुत अच्छा होगा और ईस्टर्न यू० पी० में बहुत खराब हालत होगी । तो यह देखना चाहिये कि हम किस तरह से इसको लागू कर सकते हैं ।

इसके अलावा "परिवार" को शौहर, बीबी और नाबालिग बच्चों तक महदूद किया गया है । मैं नहीं समझती कि यह सोशल जस्टिस कहां तक सही है । इसमें माइनर बच्चों का तो कोई कसूर नहीं है कि वह बाद में पैदा हुए । जब बालिग बच्चे को 5 एकड़ जमीन मिल सकती है तो नाबालिग बच्चों ने क्या कसूर किया है । मैं समझती हूं कि माइनर और मेजर, सब बच्चों का बराबर का हक होना चाहिये और उनको इस बात के लिये हरगिज सजा नहीं मिलनी चाहिये कि वे माइनर हैं । ताल्लुकेदारी ला में भी बड़े लड़के को ताल्लकेदारी मिल सकती है । उसके ऊपर बहुत एतराज हुआ करता था कि क्या बात है कि बड़े लड़के को तो पूरा हक मिल जाये और छोटे लड़के के साथ अन्याय किया जाय । वही चीज यहां दोहराई जा ही है । इसलिये इस कमी को भी जरूर दूर करना चाहिये ।

जहां तक कम्पेंन्सेशन का ताल्लुक है अभी तो मालूम नहीं क्या होगा मगर लगान का 80 गुना सीरदारी के लिये मिलेगा और भूमिधरी का सौ गुना मिलेगा । लेकिन एक बीघा जमीन की कीमत आजकल कम से कम 15 सौ रुपये है । इस हिसाब से कम्पेनसेंशन देते वक्त उसकी कीमत सिर्फ सौ रुपये रह जायगी। यह बहुत बड़ी ज्यादती है । मैं उम्मीद करती हूं कि इन सारी बातों को सोच विचार कर इंसाफ किया जायेगा । आज हम जब गांवों में जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत से ऐसे गरीब हरिजन किसान हैं जिनके पास जरा सी जमीन भी नहीं है । सरकार यह जो विधेयक लायी है, इससे जो जमीन निकलेगी, मैं उम्मीद करती हूं कि वह ऐसी ही गरीब लोगों में बांटी जायेगी जो उसको पाने के हकदार हैं ।

हुजूरवाला, यह भी प्रश्न है कि इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे मुकदमें बाजी बहुत बढ़ जायेगी । इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि आज हमारे यहां बहुत काफी करप्शन की बात हर समय कही जाती है और हमारे नीचे के जो आफिसर्स हैं लेखपाल वगैरह वह इसके काफी गुनाहगार हैं । इसमें जो धारा ,आपने रखी है उससे उनको और ज्यादा हुकूक मिल जायेंगे । वे जो चाहेंगे रिपोर्ट दे देंगे । इसलिये मैं सरकार से उम्मीद करती हूं कि वह इस ओर भी ध्यान देगी और इस खामी को पूरा करेगी जिससे कि लिटीगेशन को ताकत नहीं मिलेगी और कोई कदम गलत नहीं उठाया जायेगा । इन चन्द लफ्जों के साथ मैं इन बिल का स्वागत करती हूं ।

श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । इस विधेयक का जनता बड़ी बेसबरी के साथ इन्तजार कर रही थी और यह उम्मीद कर रही थी कि यह बिल जनता में एक नयी रोशनी पैदा करेगा । लेकिन इस बिल को पढ़ने के बाद बड़ी निराशा हुई । यह देखना चाहिये कि जिस समाजवाद का यह सरकार नारा लगाती है क्या इस विधेयक से वह समाजवाद आयेगा ? समाजवाद लाने के लिये यह अच्छा होता यदि शहरी सम्पत्ति तथा इस विधेयक को सरकार यहां एक साथ पेश करती और एक ही विधेयक दोनों के लिये लाती । शहरी सम्पत्ति सीमा विधेयक न लाकर देहात की जनता के साथ बड़ा ही अन्याय किया गया है । इस बिल का न तो कोई आर्थिक पहलू ही समझ में आता है और न ही कोई सामाजिक पहलू दिखाई पड़ता है । यह बिल जनता का शोषण करने वाला विधेयक है ।

मान्यवर, इस विधेयक में परिवार की जो परिभाषा की गयी है वह बड़ी वेग है तथा-झगड़ा पैदा करने वाली है । इससे मुकदमेंबाजी भी बहुत बढ़ जायेगी । काफी झगड़े पैदा हो जायेंगे । मंत्री जी को चाहिये यह था कि आप सभी बालिग और नाबालिग बच्चों के लिये 10–15 एकड़ जमीन जो भी उचित समझते रख देते ।

दूसरी बात मैं सिंचित और असिंचित भूमि के संबंध में कहना चाहता हूं । इसमें कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि मिर्जापुर और राबर्टगंज परगना अगोरी (Agori) की जमीनों के लिये क्या व्यवस्था रहेगी । हमारे यहां 135 ऐसे मौजे हैं जिनका सैटिलमेंट अभी तक नहीं हुआ है । ब्रिटिश काल में भी उन जमीनों का कोई सैटिलमेंट नहीं हुआ और न उसके बाद हुआ । उसके लिये हम बराबर सरकार से मांग करते रहे । 1964–65 में खाली रिकार्ड आपरेशन कर दिया गया । चुनाव के समय भी माननीय मंत्री जी ने इसके लिये घोषणा की थी मगर उसके बाद कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

मान्यवर, उपयुक्त होता कि ऐसी नीति निर्धारित की जाती कि पहले वहां सेटिलमेंट करवा कर तब सीलिंग की सीमा निर्धारित की जाती। 80प्रतिशत दुद्धी राबर्टसगंज की जमीन वर्ग चार है। उसकी हालत यह है कि जमीन मेरे नाम पड़ी हुई है, और जोत रहा है कोई दूसरा आदमी। कोई रेकार्ड उसका नहीं है। इस तरह से 80 फीसदी मामले है। जो आपने सिंचित लिखा है कि मिर्जापुर के उत्तरी पहाड़ी भाग को जल स्रोत के अनुसार असिंचित माना गया है, लेकिन जहां नगवा धेंधरौल बांध है उसके नीचे की जमीन जो सिंचित होती है उसे देखें उसमें एक फसल से ज्यादा कदापि नहीं मिल रही है। ऐसे बांधों की जमीन जहां दो फसलें नहीं उगायी जा सकतीं उसको असिंचित माना जाय। आपने बाग की परिभाषा दी है। बाग गरीबों के पास नहीं है, बड़े-बड़े लैंडलार्डस के पास हैं। आपने बाग की जो परिभाषा दी है उसमें वृक्षों की संख्या नहीं दी है। कि इतने वृक्ष हों तो बाग माना जाय, गा। आप बाग की सीमा बांध दें कि इतना हिस्सा बाग का रहेगा और बाकी सीलिंग में ले लेंगे ।

इसके अतिरिक्त जहां पर चकबन्दी चल रही है वहां पर जोत सीमा लगायेंगे या नहीं, इसका कोई नियम निर्धारित नहीं किया है। उसमें जमीन बढ़ेगी या घटेगी इसकी कोई परिभाषा नहीं किया है । दूसरे, सहकारी समिति के बारे में आपने कहा है कि छूट रखेंगे । मिर्जापुर में गोपालपुर फार्म 10 हजार एकड़ का है । जहां इस प्रकार के बड़े-बड़े फार्म हैं तो आप कैसे कहते है कि भूमिहीनों को जमीन देंगे । बड़े-बड़े लैंड लार्डस ने अपने बड़े-बड़े फार्म बना लिये हैं, जैसे हिंडालको का पांच-छः हजार एकड़ का फार्म होगा । जो आपने छूट दी है इसकी सीमा निर्धारित की जाती। हजारों एकड़ जमीन इन फार्मो में पड़ी हुई है। तो कौन-कौन सी जमीन निकलेगी। दूसरे भूदान समिति के बारे में आपने कहा है कि सीलिंग से बाहर रहेगी ।

[श्री सूबेदार प्रसाद]

विन्ढमगंज भूदान समिति की ओर से करीब दो सौ एकड़ जमीन बिन्ढमगंज में निकाली गयी थी। उसको एक पूंजीपति ने हड़प लिया है। इस प्रकार क्या गरीबों को जमीन मिल पायेगी।

इसके अतिरिक्त सहकारिता समिति की जो परिभाषा है वह बड़ी भ्रमात्मक है। उसको निश्चित बनाया जाय। दूसरे, माननीय चरण सिंह जब मुख्य मंत्री थे तो उस समय उन्होंने अमीनुद्दौला पार्क में मीटिंग में घोषणा की थी कि जोत की सीमा लायेंगे। जो बिल पहले पेश किया गया था।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सूबेदार प्रसाद, आवाज साफ नहीं आती है, जरा हट कर बोलें।

श्री सुबेदार प्रसाद—

मैंने देखा कि जो वह बिल लाया गया था उसमें 24 फरवरी, 1970 रखा था कि इसके पहले जो जमीन निकलेगी वह कुछ अधिक निकल पायेगी। लेकिन आप देखे कि 24 फरवरी, 1970 को बदल कर आपने 24 जनवरी, 71 कर दिया। आपने जुलाई से रजिस्ट्री जरूर बन्द कर दी थी लेकिन इस बीच में इस्तकरार हक के अन्तर्गत गरीबों को, हरिजनों को बेदखली की नोटिस दिये गये और एस0डी0एम0 कोर्ट से उनके नाम खारिज करा दिये और अपने नाम से जमीन दर्ज करा ली। इस तरह से उन गरीबों को उनकी जमीन से बेदखल कर दिया गया। इसी प्रकार वर्ग 9 की जो जमीन है वह किस के हाथ में रहेगी? वह वर्ग 9 में रहेगी अथवा सीरदार के हाथ में रहेगी? सारे मुकदमे वर्ग 9 के पड़े हुए हैं।

तीसरे आपने नियत प्राधिकारी के संतोष पर यह छूट दे रखी है कि जिस जमीन को चाहे छोड़े या न छोड़े। इस से गरीबों को राहत नहीं मिल सकेगी। आपने इस विधेयक में ऐसा कोई भी प्राविधान नहीं किया कि इतनी जमीन हरिजनों तथा भूमिहीनों को मिल सकेगी। 1960 से उनको जमीन देने की बात कही जा रही है। उस समय कई लाख एकड़ निकलने की बात भी कही गयी थी। क्या सरकार बतला सकेगी कि कितने गरीबों तथा भूमिहीनों एवं हरिजनों को जमीन दी गयी? ऐसी सूरत में मेरा सुझाव है कि यह प्राविधान इस विधेयक में किया जाय कि जितनी जमीन निकलेगी उसमें से 50 प्रतिशत जमीन हरिजनों व गरीबों को दी जायगी और शेष जमीन दूसरे वर्ग को दी जायगी। स्नातकोत्तर कालेज एवं विश्वविद्यालयों को जमीन छोड़ने की सुविधा दी गयी है इस विधेयक के जरिये लेकिन क्या चमड़े के कारखाने में काम करने वालों के लिये, धरिकार जो टोकरी बुनते हैं उनके कारखानों को भी कोई छूट दी गयी है? मैं तो यही निवेदन करूंगा कि आप प्राविधान कर दें कि 50 प्रतिशत भूमि जो निकलेगी वह हरिजनों तथा गरीबों को ही दी जायगी।

सिंचित और असिंचित भूमि की बात इस विधेयक में कही गयी है। मेरी जानकारी तो यही है कि मैदानी इलाके में जितनी पैदावार होती है उससे कई गुना कम पहाड़ी इलाके में पैदावार होती है। अगर मैदानी इलाके में एक एकड़ जमीन में 10 मन अनाज पैदा होता है तो पहाड़ी इलाके में एक एकड़ में एक मन ही पैदा होता है। इसका मूल्यांकन कर दिया जाता। हमें ढाई गुना जमीन की आवश्यकता नहीं थी। पहाड़ी और मैदानी जमीन का मूल्यांकन होना चाहिए था तब हमें संतोष होता, हमारे गरीब भाइयों को और काश्तकारों को राहत मिलती। इन शब्दों के साथ मैं इस सम्मानित सदन से यह अनुरोध करता हूं कि इसे प्रवर समिति में भेजा जाय। इस लिये मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

माननीय, हमें अभी बोलने का समय नहीं मिला है...

श्री अधिष्ठाता—

मैंने उन्हें बुलाया है।

*श्री मुमताज मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस विधेयक, अधिकतम जोत सीमा विधेयक का न केवल समर्थन ही करता हूं बल्कि इसका स्वागत भी करता हूं। मान्यवर, कांग्रेस राज्य में उत्तर प्रदेश भूमि सुधार में सारे देश में हमेशा आगे रहा है। जो खेती की सीमा का यह विधेयक आज सदन में प्रस्तुत है उसको मैं समाजवाद के रास्ते पर एक अनोखा और नया कदम समझता हूं तथा एक बढ़ता हुआ कदम समझता हूं। जमीन की जो हालत आज से चन्द वर्ष पहले थी वह आज बदल गई है। नये-नये बीज, खाद और सिंचाई के साधन उपलब्ध होते जा रहे हैं और उपलब्ध होते जायेंगे। जो खेती-शुदा चीजें हैं उनकी कीमतें भी बढ़ती जा रही है। जिसके पास अधिक भूमि है उससे यह आवश्यक हो जाता है कि उसका एक हिस्सा ले लिया जाय और उसे भूमिहीनों और गरीबों को दे दिया जाय। यह बिलकुल न्यायोचित बात है। इसलिये जो इस विधेयक में प्रोवीजन किया गया है उसका हम सभी को स्वागत करना चाहिये। इसी लक्ष्य और उद्देश्य से यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया है। जैसा कि मैंने आपको सेवा में कहा कि यह समाजवाद के रास्ते में एक बढ़ता हुआ कदम है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे पास यह भी सूचना है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी चन्द रोज पहले यह बताया था कि हमारे सामने सदन में शहरी संपत्ति वाला विधेयक भी आयेगा और आ चुका है जिस पर कि हम लोगों को विचार करना है। आज हमको यह देखना है कि किसी के पास उसकी आवश्यकता से अधिक जमीन हो तो उसे निकाल कर क्यों न गरीबी से तंग आये हुये लोगों में तकसीम कर दी जाय।

मान्यवर, इस विधेयक के सम्बन्ध में हमारे बहुत से साथियों ने बहुत सी बातें कहीं हैं। हो सकता है कि उन्हें इसमें कुछ त्रुटियां नजर आई हों, हो सकता है कुछ खामियां नजर आई हों। यह एक विधेयक के रूप में है जिस पर कि इसी वजह से हम विचार कर रहे हैं। मान्यवर, मैं इस विधेयक की कुछ बातों के ऊपर अवश्य ही आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आप से बाग के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा। केन्द्रीय सरकार की ओर से जो मार्गदर्शन है उसमें 54 एकड़ बाग की भूमि की रखी है कि यदि 18 एकड़ सिंचित भूमि है तो 54 एकड़ तक बाग रख सकते है, मैं समझता हूं कि बागों की जरूरत को देखते हुए और यह देखते हुए कि बाग हमारे प्रदेश के लिये कितने जरूरी है और जिन लोगों ने बाग लगा रखे हैं, और उनको पालते पोषते हैं, उनको उन बागों से इस कदर आय नहीं है जिससे कि वे खेती करने वालों की तरह से आमदनी हासिल कर सकें। तो यह आवश्यक हो जाता है कि आप उस ओर भी ध्यान दें। हमने इस विधेयक में लगभग 36 एकड़ का प्राविधान किया है तो मैं उचित समझता हूं और मेरी यह तुच्छ राय है कि केन्द्रीय सरकार की ओर से जो मार्गदर्शन दिया गया है कि 54 एकड़ तक रखा जा सकता है, वह जरूरी है और आवश्यक है। आज अगर हम इस तरह से इन बागों को ले लेंगे तो मुझको इसमें सन्देह है जिस तरह से वे बागों को पालते पोषते हैं, और उनको सम्भाल रखते हैं, वे कटते जायेंगे और यह सरकार उनको सम्भाल नहीं सकेगी। बहुत से बाग जब इस तरह से कट जायेंगे तो इस प्रदेश को बहुत बड़ी क्षति पहुंच सकती है।

मैं इस तरफ भी आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि कई वर्ष बागों में फल नहीं आते। अभी पिछले साल ही आम बिलकुल नहीं आये, बेर और अमरूद भी बिलकुल नहीं आये और उन लोगों को बागात से किसी तरह की कोई विशेष आमदनी नहीं हुई।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुमताज मुहम्मद खां]

ऐसी सूरत में जब कि बागों की पैदावार सिंचित नहीं है तो चाहे वह सिंचित भूमि में भी हो, मैं तो उचित समझता हूं कि उनको 54 एकड़ से कम न रखा जाय।

इसके अतिरिक्त जैसा कि मान्यवर, अभी बेगम साहिबा ने यहां माननीय सदन में फरमाया कि लड़कियों को भी उसी प्रकार से जमीन दी जाय जिस तरह से बालिग लड़कों को देने का प्राविधान है। वरना यह लड़कियों के साथ बड़ा अन्याय होगा। जब आप सब का हक बराबर समझते हैं और उनको भी बराबरी का हक हासिल है तो क्यों लड़कियों को इस तरह से नजरअन्दाज किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त नाबालिग बच्चों के बारे में भी मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। नाबालिग बच्चों को अगर इसी तरह से ट्रीट नहीं किया गया जैसा कि बालिग बच्चों के साथ किया गया है तो यह न्यायोचित नहीं होगा। उनको भी इसी प्रकार से भूमि मिलनी चाहिये जिस प्रकार से बालिग बच्चों को मिले। जैसा कि बेगम साहिबा ने फरमाया था कि आखिर वे भी उन्हीं मां बाप की औलाद हैं फिर उन्होंने कौन सा गुनाह व अपराध किया है तो उनको इस प्रकार से नजरअन्दाज किया जाता है। इस लिये मैं उचित समझता हूं कि नाबालिग बच्चों को उसी प्रकार से भूमि दी जाय, उनका हिस्सा उसी प्रकार से हो जैसा कि बालिग बच्चों को हो।

इसी प्रकार से जो भूमि नदी के किनारे है और जहां बराबर बाढ़ आती रहती है और वह बाढ़ से प्रभावित होती है, तो उनकी तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है चाहे वे किसी भी अंचल में, किसी भी क्षेत्र में हों। चूंकि वे बाढ़ से प्रभावित रहती है इस लिये उनकी ओर भी ध्यान देना चाहिये और उनकी ज्यादा से ज्यादा सीमा निर्धारित होनी चाहिये। इसके अतिरिक्त मैं इस बात को भी निवेदन करना चाहता हूं कि यहां इस बात की भी चर्चा की गई कि जमीन का क्लासीफिकेशन होना चाहिये था और देखना चाहिये था कि इसका टैक्सचर कैसा है, मोटी है रेतीली है या दुमट है। यह सही बात है और इसमें कोई शक नहीं है कि यदि ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता कि जमीन के क्लासीफिकेशन के ऊपर सीमा का निर्धारण होता। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा कि जमीन चाहे मेरठ डिवीजन की हो, लखनऊ डिवीजन की हो या गोरखपुर डिवीजन की हो, यदि पानी के साधन पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो उनको अच्छी भूमि नहीं कह सकते है। यदि किसी जमीन में पानी के साधन हों और खाद डाल सकते हों तो यकीनन उसमें अच्छी पैदावार होगी। बुरी से बुरी जमीन में भी ऊसर को छोड़ते हुये और नदी के किनारे की जमीन को छोड़ते जिसमें बाढ़ आती हो अच्छी पैदावार होती है। यह हर एक किसान का अनुभव है। मैं भी गांव का रहने वाला हूं और जानता हूं कि बुरी जमीन में लहलहाती फसल दिखाई देती है यदि पानी और खाद ठीक से दिया जाये।

जहां तक दो पानी की बात है मैं समझता हूं कि वह नाकाफी है अच्छी फसल लेने के लिये। आज जब हाई ब्रीड वराइटीज से गेहूं और धान बोया जाता है तो उसके लिये ज्यादा सिंचाई की जरूरत होती है और ज्यादा से ज्यादा खाद दी जाती है। इस प्रकार से तो पानी की भूमि का अच्छी तरह से इरीगेटेड नहीं कहा जा सकता है और जिससे अच्छी फसल पैदा हो सके। रबी और खरीफ में जब तक 8, 10 दफा पानी न दिया जाये तब तक अच्छी फसल नहीं हो सकती है। इसके ऊपर भी हमें सोचना होगा कि एश्योर्ड एरीगेशन कितने पानी से हो सकता है और अच्छी फसल पैदा हो सकती है।

मैं समझता हूं कि जब जोतें छोटी हो जायेंगी और जो बड़ी-बड़ी जोतें हैं उनमें इटेंसिव कल्टीवेशन असम्भव हो जायेगा। जब छोटी जोतें हो जायेंगी तो उनके डेवलप करने की किसान कोशिश करेगा और अच्छी फसल पैदा करने की कोशिश करेगा। यकीनन छोटी खेती आदमी अच्छी तरह से कर सकता है। लेकिन वह इतनी छोटी न हो जो अनइकोनोमिक हो जाये जिससे आर्थिक लाभ न हो सके। जब बितरण हो तो ऐसी जोतें न बन जायें जिससे खेती

करना अनइकोनोमिक हो जाये। इस सिलसिले में छोटे किसानों को जिनके पास अनइकोनोमिक होल्डिंग्स हैं उनमें प्रायोरिटी हरिजनों को दी जाये और उनको छोटी जमीन दी जाये। जिससे कि जो अनएकोनोमिक होल्डिंग्स हैं वे एकोनोमिक हो जायें, आर्थिक हो जायें और सही प्रकार से उन पर अच्छी फसल हो सके। वर्ना अगर बहुत छोटे-छोटे खेत हो गये तो खेती के विकास में तो मुझे संदेह लगता है उनका डेवलप करना, उनका विकास करना। नामुमकिन लगता है। तो मेरी प्रार्थना है कि ऐसे किसानों को जिनके पास अनएकोनोमिक होल्डिंग्स हैं, उनको ऐसी जमीनें दी जायं ताकि उनके पास जो जमीन है, वह एकोनोमिक हो जाय।

मेरी यह भी इस सरकार से निवेदन है कि इसी जोत सीमा के बाद मिली हुयी जमीन का वितरण जो हो वह सही हो इस आधार पर हो कि जो गरीब वर्ग है, खेतिहर मजदूर है, उसको इससे लाभ हो सके और उनको कम से कम इतनी जमीन दी जाय जिससे वह अपना पालन पोषण कर सकें, सही प्रकार से, और यदि उनको छोटी-छोटी जमीनें दी गयीं तो उन पर खेती करना नामुमकिन हो जायेगा और मैं समझता हूं कि यह उचित न होगा। भूमि के बितरण में भी बहुत एहतियात रखना होगा क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार भी हो सकता है, तहसील के स्तर पर, उससे भी बचा जाय। इसमें ऐसी व्यवस्था सोच समझ कर की जाय जिससे सही प्रकार से ऐसी जमीनों का वितरण हो। ऐसा न हो कि जो गांवों में शक्तिशाली लोग हैं वे उन पर कब्जा कर लें और वे उनको न दें। बहुत से गांवों में ऐसी दशा है। जो जमीन गांव समाज के लिये छोड़ी गयी थी या जो सीलिंग के बाद छोड़ी गयी उन पर गांव के शक्तिशाली व्यक्तियों ने कब्जा कर लिया है और आज तक भी नहीं छोड़ा है। किस प्रकार से भूमि का वितरण भूमिहीनों में और गरीबों में किया जा सके, इस पर सोचना अनिवार्य है और ऐसा वातावरण पैदा करना है प्रशासनिक ढंग से जिससे उस सख्श को ही हक मिलता रहे जो पीड़ित है भूमिहीन है।

मैं इन अल्फाज के साथ माननीय राजस्व मंत्री जी को मुबारकबाद पेश करता हूं और कहना चाहता हूं कि यह समाजवाद की तरफ हमारा एक बढ़ता हुआ कदम है।

(इस समय 3 बजकर 47 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

श्री उपाध्यक्ष---

कार्यमंत्रणा समिति में यह निश्चय हुआ था कि 4 बजे तक बहस चले और फिर बाद में 2 1/2 घंटे के प्रस्ताव में एक घंटा इधर से लिया जाय और 1. 1/2 5 घंटा बजे के उपरान्त।

श्री भानु प्रताप सिंह (जिला बस्ती)---

ठीक है श्रीमन्, 4 बजे तक आज बोलूंगा और कल फिर बोलूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं जिसके द्वारा यह कहा गया है कि प्रस्तुत विधेयक एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय राजस्व मंत्री जी से विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि वे इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लें क्योंकि बहुत सी बातें जो इस प्रकार से नहीं निपटा करती हैं, प्रवर समिति में जाकर सुलझ जाती हैं। मैं उनका ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि इधर के बैठने वालों को तो वे छोड़ दें उधर के बैठने वालों ने जितने लोगों के भाषण मैंने सुने हैं प्रत्येक ने कोई न कोई त्रुटि अवश्य बतलाई है विधेयक में। हमारे सदन में जो सबसे बड़े क्रान्तिकारी सदस्य श्री गंगा प्रसाद जी गोण्डा के हैं उन्होंने भी कहा कि इसमें कौन सी इन्साफ की बात है कि यमुना के ही दोनों किनारों की जमीन छोड़ दी जाय और इस राज्य की जो और छोटी और बड़ी नदियां हैं उनके साथ ना-इन्साफी हो। इसी प्रकार बेगम साहिबा ने लड़कियों के बिषय में कहा। मुमताज साहब

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भानु प्रताप सिंह (बस्ती) ——]

ने भी इसी प्रकार कहा है। मैंने कोई भी बात ऐसी नहीं सुनी जिसमें किसी ने अन-रिजर्वेडली इस बिल का समर्थन किया हो। आप इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाइये आप इसे प्रवर समिति में भेजें। आपकी हैड लाइन 31 दिसम्बर है। वह भी पूरी हो सकती है। इसको प्रवर समिति में भेंजने का अवसर दें और मुझे विश्वास है कि आपके जो उद्देश्य हैं वे भी पूरे होंगे। और जो दरवाजा आपने भ्रष्टाचार और मुकदमेबाजी के लिये खोल दिया है वह भी बन्द होगा। मुझे यह आशा नहीं है कि आप ज्यादा जमींनें रियायत करेंगे। जमीनें तो आप ले लेंगे लेकिन किसानों के घर जो कुछ पैसा है वह मुदमबाजी और घूसखोरी में बरबाद न कराइये। उसके लिये कोई रास्ता निकल सकता है बशर्ते इसको आप प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाकर प्रवर समिति के सुपुर्द भेजें और ड्राफ्टिंग में सबसे राय लेकर संशोधन किया जाय।

मैं उन लोगों में से हूं जिनका विश्वास है कि वही समाज उत्तम है जिसमें असमानतायें कम से कम हों और इसके लिये कोई भी कदम उठाया जाय और कोई भी विधेयक लाया जाय जिससे असमानतायें कम होती हों तो मैं उसका समर्थन करने के लिये तैयार हूं। मगर शर्त यह है कि ईमानदारी से लाया जाय। वह बुद्धिमानी से लाया जाय वह इस ढंग से लाया जाय कि राष्ट्र की अर्थ व्यवस्था को क्षति न पहुंचती हो। इस विधेयक के विषय में मेरी राय यह है कि यह ईमानदारी से परे है यह मूर्खता से परिपूर्ण है और राष्ट्र की अर्थव्यवस्था केलिये अहितकर है और मैं इन तीनों को सिद्ध करने की कोशिश करूंगा। श्रीमन्, जहां तक असमानतायें दूर करने का प्रश्न है कोई भी नहीं कहेगा कि वे दूर न की जायं। जैसा कि मैंने पहले कहा वही समाज सबसे उत्तम है जिसमें कम से कम असमानतायें हों। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि किस प्रकार ईमानदारी से असमानतायें दूर हो सकती हैं। महात्मा गांधी ने कहा जब रुपये की कीमत ज्यादा थी कि किसी भी व्यक्ति की आमदनी पांच सौ रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिये। उन्होंने यह नहीं कहा था कि व्यापारी या किसी किसान की नहीं होनी चाहिये। उन्होंने सबके लिये नियम बनाया था।

हमारे समाजवादी नेता लोहिया जी ने कहा था कि आमदनी का अनुपात एक और दस का होना चाहिये। अभी अभी लंका में वहां की सरकार ने आमदनी की सीमा बांध दी है कि दो हजार रुपये से किसी की आमदनी ज्यादा नहीं होनी चाहिये चाहे वह जो भी काम करता हो। ये सारे प्रस्ताव ईमानदारी के प्रस्ताव हैं। और इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिये। आपने अठारह एकड़ की सीलिंग प्रस्तावित की है। यह उत्तर प्रदेश में औसत किसान के पास जितनी जमीन है उसका पांच गुना है यानी औसत का पांच गुना आपने अधिकतम मानी है। श्री मन्, मैं कहता हूं कि मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा और इसको मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा परन्तु आप यही सिद्धान्त लागू करते हैं कि आज उत्तर प्रदेश के नागरिक की जितनी औसत आमदनी है उससे पांच गुना ज्यादा किसी की आमदनी नहीं होगी। औसत आमदनी पांच सौ के लगभग एक परिवार की है तो पच्चीस सौ हुयी पांच गुना करके। उसका भी पांच गुना की जाय तो 12 या 13.5 हजार रुपये हो जाती है। हर एक नागरिक पर आय की सीमा बांध दें कि इससे ज्यादा नहीं होगी तो मैं आपको देश का बहुत बड़ा नेता मानूंगा और आपका कृतज्ञ होऊंगा।

लेकिन श्रीमन्, आज से नहीं बल्कि प्रारम्भ से ही इनका यह रवैया रहा है कि गांव में बसने वाले किसान के लिये ही ऊंचे-ऊंचे आदर्श रखते हैं। यह एक शृंखला है। मैं तो इसका थोड़ा सा इतिहास यहां रखना चाहता हूं। श्री मन्, इसी सदन में 13 अगस्त, 1946 को एक प्रस्ताव पारित किया था।

"This Assembly is of the opinion that liquidation of capitalism in all its forms is essential to the well-being of the society, and trusts, necessary steps to bring about the socialization of the principalmeans of production, exchange and distribution will be taken as soon as possible."

13 अगस्त, 1946 को यह प्रस्ताव पारित हुआ लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। जमींदारी एबालीशन का प्रस्ताव इससे केवल पांच दिन पहले पास हुआ था, वह सब काम हो गया। इसी प्रकार सीलिंग लगी। उसके बाद ए0 आई0 सी0 सी0 ने 62 में एक प्रस्ताव पास किया कि शहरी सम्पत्ति पर भी सीमा होनी चाहिये। सन् 64 में वह प्रस्ताव फिर दुहराया गया बल्कि यह भी कहा गया कि शहरी सम्पत्ति का मूल्य ग्रामीण सम्पत्ति के मूल्य के तुल्य होना चाहिये। लेकिन सात वर्ष तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। दुबारा फिर भूमि की सीमा करने की चर्चा हुई तो किसानों के सीधे-सीधे प्रतिनिधियों को मूर्ख बनाने के लिये पुनः यह बात प्रारम्भ की गयी कि शहरी सम्पत्ति पर भी सीमा लगायी।

श्रीमन्, इसी सदन के 216 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके एक स्मृति पत्र उस समय के मुख्य मंत्री को दिया था कि शहरी और ग्रामीण सम्पत्ति पर सीमा बांधने के लिये विधेयक एक साथ लाये जायं। श्रीमन्, आपको आश्चर्य होगा कि उन 216 दस्तखत करने वालों में हमारे वर्तमान राजस्व मंत्री जी भी थे। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उस समय जब हस्ताक्षर कराने के लिये मैं त्रिभुवन नारायण कमलापति त्रिपाठी जी के पास गया था तो उन्होंने कहा कि मैं हस्ताक्षर तो नहीं करूंगा लेकिन इससे बेहतर कुछ करूंगा और उन्होंने पी0 सी0 सी0 से प्रस्ताव पारित कराया और उस समय के मुख्य मंत्री चौधरी चरण सिंह के पास भेजा कि पहले शहरी सम्पत्ति की सीमा निश्चित करिये, उसके बाद ग्रामीण सम्पत्ति की। यह तो परिवर्तन होता है कुर्सी का। जिन्होंने हस्ताक्षर किये हों कि दोनों विधेयक एक साथ आएं वह आज बहानेबाजी करते हैं। श्रीमन्, बावजूद मुख्य मंत्री जी के आश्वासन के मैं तो कहता हूं कि वह विधेयक नहीं आयेगा और अगर आयेगा भी या अगर केन्द्रीय सरकार ने पारित भी किया तो किसी शहरी सम्पत्ति वाले का कोई भी उससे नुकसान होने वाला नहीं है। यह एक थ्योरीटीकल एक्सरसाइज ही होगी।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप कल जारी रखें।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत आज दो सूचनाएं आयी हैं। श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री गिरजा शंकर तिवारी, श्री सुरेन्द्र बिक्रम और श्री राम विलास पान्डेय जी की है सोमैया आरगेनिजेशन के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल के संबंध में। इसको स्वीकार नहीं किया गया है। दूसरी सूचना श्री सुरेन्द्र बिक्रम की है कि नैनीताल में पुरानें सचिवालय की इमारत में अगिन काण्ड इसके बारे में मैंने सुबह ही कहा था कि अल्पसूचित तारांकित प्रश्न कर लें क्योंकि इस पर न्यायिक जांच बैठ गयी है। प्रश्न करने में आपको अधिक अवसर मिल जायेगा।

बिजली के उत्पादन व सप्लाई आदि की व्यवस्था ठीक न होने के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तगत चर्चा

श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिजली की कमी को एक संकट की संज्ञा दी गयी है और मैं समझता हूं कि सही दी गयी है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, यहां पर बिजली मंत्री तो उपस्थित हैं नहीं। इतनी महत्वपूर्ण चर्चा है उनको रहना चाहिये। मान्यवर उनको बुलवा लीजिये।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—
वह बिजली ही की तरह से चले गये ।

श्री सुरेन्द्र बिक्रम (जिला शाहजहांपुर)—
बिजली मंत्री को तो रहना चाहिये ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—
उस दिन राजस्व मंत्री नहीं थे और आज बिजली मंत्री नहीं हैं। उस दिन तो कहा गया कि राजस्व मंत्री जी अस्पताल चले गये हैं।

*श्री चरण सिंह—
उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिजली के सिलसिले में माननीय सदन का कुछ समय लेना चाहूंगा। यह गवर्नमेंट की तरफ से जो बयान हुआ है, लोक सभा में डिप्टी मिनिस्टर फार पावर ने यू0 पी0 सरकार की सूचना पर ही यह बयान दिया होगा। 243 लाख यूनिट की जरूरत है बिजली की लेकिन आज वह 210 लाख यूनिट ही मुहइया है। इसके माने 33 लाख यूनिट रोजाना की कमी पड़ रही है। इसका नतीजा जो है उसको बयान करने की कोई जरूरत नहीं है। कारखाने की पैदावार, इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, लाखों एकड़ भूमि बिना पानी के ही रह जायेगी। इस प्रकार से औद्योगिक और कृषि दोनों की पैदावार घट जायेगी और चीजों का अभाव होने से दाम बढ़ेंगे और जनता को कष्ट होगा।

बिजली किसी भी व्यवस्था के लिये, विकास के लिये एक पहली शर्त है। उसी का हमारे यहां अकाल है। गवर्नमेंट की तरफ से दो बातें कही जाती हैं, एक तो यह कि वर्षा की कमी होने से अनावृष्टि से उनके हाइडिल प्रोजेक्ट्स में बांधों में पानी नहीं आया और बिजली की पैदावार कम हो गई। रिहन्द सबसे बड़ा पावर स्टेशन है। रिहन्द का जल स्तर कम हो गया इसलिये बिजली कम पैदा हो रही है और इसी कारण यह संकट पैदा हुआ। यह तो हमारी गवर्नमेंट का एक्सप्लेनेशन है। दूसरा यह है कि हमने गवर्नमेंट आफ इन्डिया से कहा था एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन ने कहा है कि 400 मेगावाट बिजली पैदा करने का प्राजेक्ट उनको चाहिये जिसके लिये उन्होंने भारत सरकार से कहा कि उसके लिये हमको पैसे दें परन्तु उन्होंने इन्कार कर दिया। वह जेनरेशन सेट्स और टरबाइन मंगवाना नहीं चाहते थे जिसके लिये उन्होंने इन्कार कर दिया। हमको गवर्नमेंट की तरफ से कोई बयान तो मिला नहीं है कि क्या कारण है, क्या आकड़े हैं, कितनी पैदावार होनी चाहिये और कितनी कमी हो रही है और कितने की जरूरत है। समाचार पत्रों में जो कुछ मैंने देखा है वह कहा।

मैं समझता हूं कि माननीय मित्रों को जो सूचना होगी वह भी समाचार पत्रों के आधार पर ही होगी। उसको मैंने सब देख डाला और उसके आधार पर मुझको यही मिला। गवर्नमेंट आफ इन्डिया ने हमको एक नया स्टेशन कायम करने की इजाजत नहीं दी और उसके लिये फंड्स नहीं दिये। जनरेटिंग सेट्स व टर्बाइन्स इम्पोर्ट करने की इजाजत नहीं दी। गवर्नमेंट आफ इन्डिया का यह कहना है कि जो प्रोजेक्ट्स यहां पर आलरेडी लगे हुए हैं उनकी अच्छी तरह मेंटीनेंस नहीं हो रही है और गवर्नमेंट आफ इन्डिया जो रुपया देती है स्टेट गवर्नमेंट उसका इस्तेमाल नहीं करती है। उनका काउन्टर एक्यूजेशन यह है। अगर इसकी सफाई में आपके पास कुछ तथ्य भी हों तो उससे हमारा कोई वास्ता नहीं और न पब्लिक को उससे सरोकार है। गवर्नमेंट ऊपर भी आपकी है और यहां आप हैं ही। दोनों में कोई विरोधाभास तो है नहीं कि गवर्नमेंट

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरी पार्टी की होने की वजह से बदनियती के कारण मना कर दिया हो। तो इससे हमारा कोई मतलब नहीं।

जहां तक बरसात के कम हो जाने की बात है उसकी वजह से आपके जरिये अपने मित्रों से दरख्वास्त करूंगा कि वे सुनें। रिहन्ड डैम में पानी का स्तर गिर गया और इसलिये बिजली कम पैदा होती है। उपाध्यक्ष महोदय, झूठ तो मुझे कहना न पड़े अगर मैं गलत बयानी करूं तो उसका कोई असर नहीं होता, आप ही अल्फाज बता दें कि झूठ तो मुझे कहना न पड़े मगर असर गलत बयानी से ज्यादा हो जाए—समझ में नहीं आता कि कौन से अल्फाज इस्तेमाल करूं। चेयरमैन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने भी यही कहा है कि रिहन्ड डैम का स्तर 863 फीट है और इस वजह से बिजली कम पैदा हो रही है। तिवारी जी का कहना यह है कि जब तक स्तर 880 नहीं हो जायगा तब तक बिजली जितनी होनी चाहिये पैदा नहीं होगा। उपाध्यक्ष महोदय, ये दोनों ही चेयरमैन साहब और माननीय मंत्रीजी गलत बात कहते हैं। मैं यह नहीं कहता कि जानबूझकर गुमराह करना चाहते हैं, लेकिन उसका मतलब यही निकलता है कि लोग गुमराह हो सकते हैं। जहां तक रिहन्ड में पानी की हाइट का और इस सारे मसले का ताल्लुक है उसके लिए हमारे उद्योगपति सिंघानिया साहब ने बड़ी संजीदगी के साथ "पायनियर" में बड़े वेल इनफार्म्ड आंकड़े दिये हैं। उसी आधार पर मैं आंकड़े सदन को बता देना चाहता हूं I stand corrected माननीय तिवारी जी बतायें कि मैं वह बात गलत कह रहा हूं।

(माइक ठीक प्रकार काम न करने पर) क्या यह ऊंचा नहीं हो सकता है ?

सन् 1962 में पानी स्तर 883 फीट था और सब से कम जो था वह था 850 फीट। उसके अगले साल 872 और 843 तथा उसके अगले साल 880 व 843 था। सन् 1965 से लेकर जो पानी का स्तर था वह मैं बताता हूं :—

871	841
858	833
853	794
846	816
855	808
841	800
880	805

चेयरमैन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कहते हैं कि आजकल पानी का स्तर 863 है। आप तस्लीम करते हैं कि अक्तूबर के महीने में 863 फीट था। आप कहते हैं कि वह लोएस्ट प्वाइन्ट पर था। मैं अब आपको अक्तूबर के महीनों की सिलसिलेवार हाइट बताता हूं। 875, 871, 855, 852, 842, 854, 840 और 860। अक्तूबर के महीने में भी 863 हुई। आमतौर से जितना मैंने कहा वह सब सालों से ज्यादा है। फिर भी यह बात कही जा रही है कि पानी क्योंकि कम हुआ इसलिये बिजली की पैदावार नहीं हो रही। इसके अलावा यह अक्तूबर से बढ़कर अगले जून तक क्या पोजीशन होगी उसके भी आप आंकड़े देख लीजिये—जुलाई सन् 1972 से अक्तूबर सन् 72 तक 404 मिलियन यूनिट नवम्बर, 72 से जून, 1973 तक 858 से 820 मान लें तो कम से कम 522 मिलियन यूनिट—इस तरह से 926 मिलियन यूनिट होगी। जब कि उसका परफारमेंस जो माना जाता है वह है 912 मिलियन यूनिट। तो मैं पूछना चाहता हूं कि कहां से होगी और पावर की शार्टेज है कहां ? जब यह लैटर निकला सिंहानिया साहब का, और जितने कान्फीडेन्स से यह बात कही और अगर यह गलत बयानी थी तो क्यों नहीं इसका सरकार की ओर से कन्ट्राडिक्शन निकला। इससे यह मालूम होता है कि यह आंकड़े सही हैं और इन आंकड़ों के रहते हुये यह कहना कि जेनरेशन कम हो रहा है, अध्यक्ष महोदय, हम यह कह सकते हैं कि गुमराह इससे पब्लिक होगी और यह बात किसी गवर्नमेंट को शोभा नहीं देती।

[श्री चरण सिंह]

इसका असली कारण क्या है ? इसका कारण यह है कि भोपाल और रांची में जो हैवी इन्जीनियरिंग और हैवी इलैक्ट्रिकल्स के गवर्नमेंट आफ इंडिया ने पब्लिक सेक्टर में जो 400 करोड़ रुपये के कारखाने लगवा दिये हैं और उनमें जो हवी इलेक्ट्रिकल्स के इक्वीपमेंट पैदा होते हैं जो कि हमारे पावर प्रोजेक्ट्स में सप्लाई किये जाते हैं वह वक्त पर तैयार नहीं होते, जब कि सरकार की मंशा यह है कि देश में ही बनवाये जायं यह सामान । यही कारण है कि पावर प्रोजेक्टस समय पर कमीशन्ड नहीं हो पाते और ज्यादा टाइम लेते हैं । इसके अलावा जो सामान होता है वह इन्फीरियर क्वालिटी का होता है जिसके कारण हमारी एकानामी पर जो असर पड़ता है उसका अन्दाज नहीं लगाया जा सकता । अगर यह 400 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स हैवी इलेक्ट्रिकल इक्वीपमेंट मैन्युफेक्चर करने के लिये प्राइवेट सेक्टर में लगा दिये जाते तो मैं समझता हूं कि यह प्राब्लम देश के सामने नहीं आती । लेकिन बिना तथ्यों को देखे हुये, बिना तजुर्बे के, हर चीज पब्लिक सेक्टर में हो, यह ठीक नहीं है ।

रूलिंग पार्टी का यह रवैया बन गया है कि हर चीज पब्लिक सेक्टर में होगी । इससे देश की अर्थ व्यवस्था को काफी हानि हुई है जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता । इसकी जिम्मेदारी आप पर और आपकी सेन्टर की लीडरशिप पर है, हालांकि स्टेट गवर्नमेंन्ट पर ज्यादा दोष नही आता, लेकिन आपका भी वही विश्वास है जो कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट का कि हर चीज पब्लिक सेक्टर में कायम की जाय और लासेज की कोई परवाह न की जाय । भोपाल इलेक्ट्रिकल्स में 50 करोड़ की सम्पत्ति लगी हुई है और नुकसान है 58 करोड़ का । हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन रांची में 250 करोड़ की कैपिटल लगी हुई है और नुकसान है 89 करोड़ का । यह नुकसान बिना सूद लगाये हुये है और अगर सूद लगा लिया जाय तो दुगना और तिगुना हो सकता है । वहां के जो इक्वीपमेंट तैयार होते हैं उनसे भी सारे देश के प्रोजेक्ट्स पर असर पड़ता है ।

दूसरी जो गलती है वह है फ्रीक्वेन्ट ब्रेक डाउन्स की जिससे काम रुक जाता है । इनके इरेक्शन में सबसे ज्यादा गड़बड़ हुई है । लगभग सब में कहा जा सकता है । जिस वक्त यह प्रोजेक्ट्स कायम हुये और यह इंस्टालेशन्स बनाये गये उस वक्त का तो यह करप्शन है और अब उसके मेन्टिनेंस में करप्शन है । और मैं एक बात कहना भूल गया लेकिन अभी उसको बहुत देर नहीं हुये हैं । जो इस सरकार का मुख्यपत्र है माउथपीस है नेशनल हैराल्ड उसके 5 दिसम्बर, सन् 1972 के अंक में साफ लिखा हुआ है:—

"But we agree that the present crisis of power in U.P. is of the govt's. own making"

किया हुआ है । तो मैं अर्ज कर रहा था कि यह करप्शन तो होता रहता है । अभी 70 लाख रुपये के करप्शन की बात है अगर तहकीकात हो तो करोड़ों और अरबों का मामला आयेगा और उसके लिये मैं सुझाव रखनेवाला हूं कि इसमें जो तहकीकात हो वह हाईकोर्ट के जज द्वारा नहीं बल्कि अपोजीशन के लीडर्स उसमें हों, दो मेम्बर उधर के और तीन मेम्बर्स इधर के और उसका चेयरमैन अपोजीशन का बिलकुल जैसे पी0 एसी0 में होता है उस तरह की एक कमेटी हो जो तहकीकात करे और 1 महीने के अन्दर एलेक्ट्रिकसिटी डिपार्टमेंट की कैसी वर्किंग है और क्यों क्राइसिस हुआ इसकी रिपोर्ट दे । तो इसी नेशनल हैराल्ड में यह लिखा है कि 70 लाख रुपये का कंट्रैक्ट दिया गया, टेन्डर्स इन्वाइट नहीं किये गये और 21 लाख का नुकसान हुआ । मैं जानना चाहता हूं कि क्या किसी को सजा मिली । कहां गयें माननीय टंडन जी, कहा कि हाईकोर्ट का जजमेंट किसी अफसर के खिलाफ हुआ, ऐक्शन गवर्नमेंट ने लिया नहीं । इसी गवर्नमेंट ने अपील की और जज ने किया जो कुछ किया, मैं जज के खिलाफ तो कुछ नहीं कह सकता लेकिन यह तो रहा अचीवमेंट और ईमानदारी देखिये और काबिलियत देखिये, पढ़ रहे थे:—

"It may be said for the first time that action has been taken against the corruption rampant in the Electricity Board".

अब जरा पूछिये टंडन जी से कि 70 लाख रुपये का सप्लाई करने का कंट्रैक्ट देते हैं, टेन्डस इनवाइट नहीं करते हैं और 21 लाख का नुकसान देते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं क्या माननीय तिवारी जी से पूछ लूं कि उन्होंने कोई ऐक्शन लिया या नहीं लिया ।

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

आप किस मामले का उल्लेख कर रहे हैं ?

श्री चरण सिंह—

नेशनल हैराल्ड दिसम्बर 5, 1972 जो सिर्फ 10 दिन पहले का अखबार है उसमें जो बात आयी है उसका एडीटोरियल है, इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट आपकी नोटिस में लाया होगा और अगर नहीं लाया है तो आपके क्या आर्डर्स हैं और अगर आर्डर्स को इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट ने कम्प्लाई नहीं किया है तो क्या आज शाम को आप जाकर उनका जवाब तलब करेंगे कि आपके डिपार्टमेंट ने इस गवर्नमेंट को सूचना क्यों नहीं दी और मुगालते में सरकार को क्यों रखा ? आपके डिपार्टमेंट ने आपको बहकावे में रखा और आपने मालूम करने की कोशिश भी नहीं की अब तक । खैर, उसको आप करें या न करें यह आपकी मर्जी, और वह तो चल ही रही है लेकिन आपको मैं वह नेशनल हैराल्ड का हिस्सा पढ़कर सुनाये देता हूं :—

"The most distresing aspect is that among the causes for the failure of the U.P. State Electricity Board are the irregularities committed by its officials. The action, now being taken, against some senior Officers, is belated. One instance of irregularity is that orders were placed for equipment worth Rs. 70 lacs without inviting open tenders causing a loss of Rs. 21 lacs; another case is the payment of the Sales Tax to the firms not registered under the U.P. Sales tax Act; irregular purchases, appointments and action exceeding financial powers are other cases."

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं बहुत आभारी हूं अपने सम्मानित नेता जी का कि उन्होंने यह उल्लेख किया कि जिन अधिकारियों का जिक्र किया है उन्हें मुअत्तल कर दिया गया है और विजीलेंस कमीशन जांच कर रहा है ।

श्री चरण सिंह—

यह केस कब का है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

यह लखीमपुर खीरी का मामला है ।

श्री चरण सिंह—

कौन से सन् का है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

पूरा विवरण मंगा लूंगा और दे दूंगा । बहुत से केस हैं । कुछ विवरण अभी दिया गया है ।

श्री चरण सिंह—

यह बात ठीक है । इतनी उम्मीद भी नहीं की जा सकती ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

अगर विरोध पक्ष न बताये होता तो इन का इंफार्मेशन डिपार्टमेंट इनको न बताता ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

ऐक्शन हुआ है ।

श्री चरण सिंह—

यह ऐक्शन कब हुआ, एडीटोरियल के बाद ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

एडीटोरियल निकलने के पहले ही हो गया था ।

श्री चरण सिंह—

करप्शन, इररेगुलरिटी पर कोई ऐक्शन लेने वाले नहीं हैं । जब चीफ मिनिस्टर मिनिस्टर के खिलाफ ऐक्शन लेने के लिये तैयार नहीं हैं तो हमारे मिनिस्टर अफसर के खिलाफ कैसे ऐक्शन लेंगे । कौन सा मुंह होगा । नहीं होगा मारल करेज ऐक्शन लेने का ।

उपाध्यक्ष महोदय, तीसरी बात यह है कि गोरखपुर, साहबल, मऊ के पावर स्टेशंस का प्रोडक्शन कम होता जा रहा है । दैनिक जागरण में लिखा था कि प्रोडक्शन कम होता जा रहा है । रेनुसागर कोई प्रोजेक्ट है जिसकी कैपेसिटी का दस परसेंट यूटीलाइजेशन हो रहा है । इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय सारे हिन्दुस्तान का ट्रासमिशन लास है 16 परसेंट जबकि हमारे यहां 23 फीसदी है । इस साल हुआ है 35 फीसदी । तिगुनी बिजली तो इसमें ही चली गयी । मैं आपके जरिये अपने नौजवान मित्र मिनिस्टर फार पावर से पूछ लूं कि सिंहानिया साहब का खत उन्होंने पढ़ा है । वह खत आपके डिपार्टमेंट पर ही है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

यह भी पढ़ा है । आप जो कह रहे हैं उसको मैं ज्यादा ध्यान से सुन रहा हूं । मैं तो आपकी ज्यादा कद्र करता हूं ।

श्री चरण सिंह—

उपाध्यक्ष, महोदय, जब यह अपोजीशन में थे और सोशलिस्ट पार्टी के डिप्टी लीडर थे तो हम इनकी तारीफ किया करते थे कि कितनी तैयारी करके आते हैं । होना भी चाहिये । किसी भी एम0 ए0 एल0 ए0 को होना चाहिये कि वह तैयारी करके आये, पूरी वाकफियत के साथ आये । लेकिन अब यह काम में पड़ गये और सब बातों को भूल गये । मैं उम्मीद करता था कि उस लेटर को पढ़ते और जो चीजें आपके विभाग के खिलाफ आयी हैं उनपर ऐक्शन लेते । इस लेटर को निकले डेढ़ महीने हो गये हैं । उसमें लिखा है कि 35 फीसदी लास हुआ है । यह लास जानबूझकर हुआ । 35 परसेंट लास हो जाय तो इससे ज्यादा डिपार्टमेंट का कंडमनेशन और क्या हो सकता है । उपाध्यक्ष महोदय, यह भी पढ़ा है कि थर्मल प्लान्ट्स पर 35 परसेंट बिजली पैदा हो रही है । पनकी खुला हुआ पड़ा है, हरदुआगंज खुला हुआ पड़ा है । इन दोनों का ब्रेक डाउन है । यह दोनों थर्मल प्लान्ट्स हैं । इनमें ब्रैक डाउन की वजह मौसम की खराबी नहीं है ।

इससे साफ जाहिर है कि इनएफिसियेंसी है, मैन्टीनेंस प्रापर नहीं हो रहा है, उसको नेग्लेक्ट किया जा रहा है और सबसे ज्यादा तकलीफदेह तो यह है कि जो जिम्मेदार हैं वह इसकी अहमियत नहीं समझते हैं कि बिजली पैदा न हो या ब्रैक डाउन हो जाय तो कितना नुकसान लोगों का हो जाता है । सेंस आफ ड्यूटी धीरे-धीरे लोगों में खत्म होती जा रही है और शोर कितना मच रहा है ? कलकत्ते को अकसर भेजे, बाम्बे को भेजे । देश के अखबारों में प्रचार करो

कि यू0 पी0 के अन्दर बिजली बहुत है और सारे इंडस्ट्रियलिस्ट्स किसी और जगह से यहां आने चाहिये ताकि वह यहां अपनी इंडस्ट्रीज लगा लें और इन्डस्ट्रियलिस्ट्स आ गये होंगे और बिजली का यह आलम ? फिर नये कनेक्शंस दिये जा रहे हैं बिला इस बात का ख्याल किये हुये कि कितनी बिजली की कमी है । रूरल अपलिफ्ट के लिये बराबर बिजली दिये जाने की बात है । हरिजनों से कहा जा रहा है कि बिजली तुम्हारे घर पहुंचाई जा रही है, लेकिन कितने लोगों को बिजली मिलती है, वह जाहिर है कि नहीं मिल रही है । फिर अगर यह कमी थी तो मैंने तो पढ़ा है कांग्रेस संगठन पार्टी की तरफ से एक नोट तकसीम किया गया था, उनके एक कर्मचारी ने किया था । उसमें लिखा है कि सोमाली स्टील वक्स, उन्नाव में खुला था इसी बिजली के क्राइसेस के समय और उनको सिक्स थाउजेन्ट्स यनिट्स का कनेक्शन दे दिया गया । विचार कीजिये कि पुराने कारखाने चल नहीं रहे हैं । मजदूर बेकार होते जाते हैं, खेत पानी से खाली पड़े रहेगें और चारों तरफ से हाहाकार है तो जब तक माननीय तिवारी जी तरदीद न कर दें उन्नाव में जो स्टील वर्क्स खुला है उसको 6,000 यूनिट्स क्यों दे दिये गये ? क्या पालिसी है जो अब भी नयें कनेक्शंस दिये जा रहे हैं ? मेरे ख्याल से नहीं दे रहे होंगे ? बतलायें ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

मैं डायलाग नहीं करना चाहता । आप इन्टरप्शंस नहीं चाहते हैं तो मैं भी नहीं करना चाहता । म बाद में जबाव दे दूंगा।

श्री चरण सिंह---

मैं चाहता हूं कि इन्टरप्ट करें । मैं तो पूछ रहा हूं, इन्टरप्शंस का सवाल क्या ? क्या जनरल आर्डर्स हैं या नहीं कि नये कनेक्शंस नहीं दिये जायेंगे ? हम उम्मीद करते हैं कि गालिबन आर्डर्स होंगे, संकट जब से हुआ है कि नयें नहीं दिये जायेंगे और अगर इस बीच में दिया गया--क्योंकि मैंने तो आर्डर दिया नहीं और न आफिसर्स से पूछा है--तो निहायत अफसोस की बात है ।

अध्यक्ष महोदय, एक और आनन्द की बात है और उसका कोई जबाव बतलायें । बयान क्या हो रहा है कि यह संकट कब दूर होगा ? डा0 के0 एल0 राव साहब का बयान लोक सभा में यह है कि जनवरी में बदरपुर कमीशन हो जायगा सौ मैगावाट्स का। उसमें तो जिक्र है नहीं ओबरा का, और संकट बहुत हद तक दूर हो जायगा और फिर बयान है कि मार्च तक बदरपुर और ओबरा कमीशन हो जायेंगे और संकट में कुछ कमी हो जायगी--उनका कहना यह है । और गवर्नमेंट का, इसी बोर्ड का यह है कि जून तक 1974 तक यह संकट है । और तिवारी जी का बयान है कि 4 साल तक यह संकट है । तो सही सही स्टेटिस्टिक्स बतला दें और अपने आफिसर्स से मशविरा करके बयान दो या आफिसस आप से मशविरा करके बयान दें । लेकिन पब्लिक के सामने एक फिगर और एक डेट आनी चाहिये ।

दूसरी बात इसी सिलसिले में यह अर्ज करना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन का यह स्टेटमेंट है कि 8,240 मिलियन यूनिट्स रिक्वायरमेंट है और अवेलेबिल है 7 हजार । और दूसरी तरफ चीफ इंजीनियर का बयान 23 अक्तूबर, 1972 को छपा है कि रिक्वायरमेंट 5,397 मिलियन यूनिट्स की है बजाय 8,240 मिलियन यूनिट्स के । तो यह 2,843 मिलियन यूनिट्स का जो फर्क है इसका एक्सप्लेनेशन क्या है ?

अब हिन्डालको की बात लीजिये। हिन्डालको की आपने बिजली कम नहीं की। कहते हैं कि कांटीनुअस प्रोसेज हैं, 6--8 घंटे रोक देंगे तो मशीन खराब हो जायेंगी। अगर 2 महीने के लिये रोक देंगे तब तो खराब नहीं होगी ? मैं इसको इन्टरप्शन नहीं मानूंगा बल्कि मेहरबानी मानूंगा तिवारी जी की अगर वह यह बता दें कि क्या उन्होंने यह जानने की कोशिश की है कि अगर पूरी बन्द कर दी जायें 3 महीने के लिये तो मशीन खराब होगी या नहीं । यह आर्गुमेंट

[श्री चरण सिंह]

कि कंटिनुअस प्रोसेज है इसलिये बन्द नहीं हो सकती, क्या मतलब है इसका ? सब से ज्यादा बिजली उसमें खर्च हो, लोग संकट में हों, इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन जरूरी है इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन और अगर हमारी रबी सोइंग कम हो इस कारण कि बिजली नहीं मिली और बिजली इसलिये नहीं मिली कि कटिनुअस प्रोसेस से दी जा रही है । तो कुड देयर बी ए वर्स कन्डेमनेशन ? तो मैं समझता हूं कि अगर पूरी बन्द कर दी जाती तो कोई बात नहीं थी । फिर डा 0 के 0 एल 0 राव का बयान है, जोकि मेरे पास मौजूद है, कि कंटिनुअस प्रोसेस है, एसेन्शल रिक्वायरमेंट है । क्या एसेप्शन रिक्वायरमेंट है ? क्या पाकिस्तान से लड़ाई हो रही है । एसेप्शन रिक्वायरमेंट क्या प्रोडक्शन से ज्यादा हो सकती है । हम एक मर्तबा अल्यूमीनियम के बगैर काम चला सकते हैं और फिर दूसरी स्टेट्स में अल्यूमिनियम पैदा होता है, लेकिन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के बगैर नहीं । ऐसा क्या एसेन्शल रिक्वायरमेंट है कि छोटे-छोटे लोगों को पावर न दे कर एक ज्वाइंट प्रोड्यूसर को, जो केवल अल्यूमिनियम पैदा कर रहा है, बिजली देते जायें । अगर व्हीट की फैक्टरी होती तो हम कहते कि दीजिये । फूड ज्यादा इम्पार्टेन्ट है या अल्यूमिनियम ? डा 0 के 0 एल 0 राव या आप में से किसी के बयान में यह नही है कि उन साहब से एग्रीमेंट है कि कम नहीं कर सकते हैं ।

पहली बात तो यह है कि सन् 67 में 30 परसेंट कम हुई थी क्योंकि उस वक्त लीगल रिमेम्ब्रेन्सर ने मुझे यह बतलाया था कि अगर पानी कम हो जाय तो कम कर सकते हैं । तो अगर पानी कम है, जो आपका केस है, तो कम करते, इन्स्टेंस पहले से मौजूद था । जबकि 67 में पानी का जो लेबिल था उससे कम पानी नहीं हुआ, यह तो आपकी गढ़ी हुई बात है । पानी का लेबिल 67 में 853 से 794 हो गया था जबकि अबकी अक्तूबर में हो 863 था । तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन या डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ने आपके सामने यह बात पेश की या नहीं ? उन्होंने नहीं की तो आपने पूछा या नहीं ?

उसके बाद माननीय बनर्जी साहब और माननीय झारखंडे राय, संसद सदस्य, ने लोक सभा में भी इस प्रश्न को उठाया । उसके बाद मैंने नेशनल हैराल्ड के एडीटोरियल में पढ़ा कि कैबिनेट ने इस पर विचार किया 30 परसेंट कट के लिये । वहां इस पर चर्चा हुई, यह मालूम हुआ । तो अगर चर्चा हुई तो कट क्यों नहीं हुआ ?

एक बात और कहना चाहता हूं । इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बराबर घाटे पर चल रहा है । सन् 1970 में लगभग ढ़ाई करोड का घाटा था । बिडला साहब से जो मुआहिदा हुआ था वह 25 साल के लिये हुआ, यानी इतने वर्षों तक रेट्स में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता यह भी कोई मुआहिदा हुआ ? अभी 16 साल बाकी है, आप रेट्स चेन्ज नहीं कर सकते । उस वक्त केन्द्रीय सरकार से हमने यह कह कर रुपया मांगा था कि हमको ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में नलकूपों के लिये बिजली देनी है, मगर बिजली किसको दी गयी ? बिड़ला जी को । यह समाजवादी सरकार है । वह बिजली भी इतनी सस्ती दर पर दी गयी कि करोड़ों रुपयों का घाटा उठाना पड़ रहा है । मैं कहता हूं कि उसको कम करो , भले ही उसका प्रोडक्शन कम हो मगर छोटे-छोटे काश्तकारों को बिजली देने में मदद करो । मगर पता नहीं इनका कैसा दिल हो गया है उधर जाकर ।

एक बात और मैं पूछना चाहता हूं, मेरे मित्र जवाब देंगे । मुझे एक आफिसर ने बताया कि डीजेल पावर से छोटे-छोटे पावर स्टेशन्स कायम किये जा सकते हैं । इससे कुछ बिजली मंहगी पडेगी । इसके लिये फारेन एक्सचेंज मोहइया करने की जरूरत है । मैं कहता हूं अगर यह हो सकता है तो इसे क्यों नही करते । मुझे बताया गया कि 10 साल तक यह काम दे सकते हैं इंजिन । कहा गया है कि छठी योजना के अंत में यानी सन् 84 में जा कर बिजली की कमी पूरी हो जायेगी । अब सन् 84 तक हम इन्तजार करें । तब तक के लिये डीजल पावर स्टेशन्स कायम क्यों नहीं कर लेते ? फिर बिजली की मांग तो दिन प्रति दिन बढ़ती जायेगी । इसलिये आप कृपया इस पर विचार करें ।

एक बात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के मैनेजमेंट के सिलसिले में कहना चाहता हूं यह सही है कि इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो चेयरमैन हैं ये निहायत काबिल आदमी हैं, मैं उनको जानता हूं । लेकिन ये इन्जीनियर नहीं हैं । यह इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एक टेक्नीकल विभाग है । सिचाई और सार्वजनिक निर्माण विभाग में एक आई० ए० एस० आफिसर काम कर सकता है लेकिन जहां तक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का मामला है यह बहुत काम्पलीकेटेड मामला है । सबसे बड़ा खर्चा उत्तर प्रदेश में और दूसरी स्टेट्स में भी इसी डिपार्टमेंट पर होता है, अरबों रुपया खर्च होता है । इसके क्या मैकेनिक्स होंगे, कैसा इक्विपमेंट होगा, जिसके पास इसका ओवर-आल चार्ज हो वह टैक्नीशियन हो । एक आदमी था उसको निकाल दिया, पता नहीं क्या बात थी । वह सेक्रेटरी भी हैं । यह भी काम का भार देखना है । उससे भी इफीसेंसी कम होती है । तीसरी बात है जितने पावर इन्जीनियर्स हैं वह इनडाइरेक्ट तरीके से जाहिर कर चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का चेयरमैन इन्जीनियर होना चाहिये न कि आई० ए० एस०। गवर्नमेंट आफ इंडिया का दृष्टिकोण यह है और दूसरे देशों में भी है कि डिपार्टमेंटल हेड उनके डिपार्टमेंट का होना चाहिये । यह माना यहां सेक्रेटरी होगा । लेकिन इन्जीनियर चेयरमैन क्यों नहीं हो सकता । अगर चेयरमैन नानटेक्नीशियन हो सकता है तो चीफ इन्जीनियर को भी नान टेक्नीशियन बना दीजिये। तीन बातें हो गयी । एक तो टेक्निकल नालेज उनको नहीं है। फिर इन्जीनियरों को शिकायत है । तीसरी बात यह है कि सेक्रेटरी भी वहीं हैं और इग्जी-क्यूटिव हेड भी वहीं है । यह ट्राई हो चुका और सफल नहीं हो पाया कि ऐडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी हो और सेक्रेटरी भी हो ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपको जो नियम है वह सुना दूं । जिस सदस्य ने सूचना दी हो वे संक्षिप्त वक्तव्य दे सकेंगे और मंत्री संक्षेप में उत्तर देंगे । किसी अन्य सदस्य को भी चर्चा में भाग लेने की अनुमित दी जा सकेगी । विषय पुरःस्थापित करने वाले सदस्य को उत्तर देने के लिये दूसरी बार बोलने की अनुज्ञा दी जा सकेगी और सम्बद्ध मंत्री के अन्तिम कथन होने पर चर्चा समाप्त हो जायगी ।

श्री चरण सिंह—

मेरा सुझाव यह है कि इसके लिये एक कमेटी बनायें जिसका चेयरमैन अपोजीशन का मेम्बर हो । वह रिपोर्ट दे इस क्राइसिस के सम्बन्ध में । इन शब्दों के साथ मैं अपना कथन समाप्त करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय वित्त मंत्री संक्षिप्त जबाव देंगे । उसके बाद माननीय गुप्ता जी बोलेंगे ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, मुझे पहली बार यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि सम्मानित नेता चौधरी चरणसिंह जी के सामने कुछ निवेदन करूं और इस पक्ष में बैठ कर निवेदन करूं। मुझे कई वर्षों तक ऐसा अवसर प्राप्त हुआ जब हम विरोधी पक्ष में थे और वह इधर बैठते थे, तो प्रश्न पूछा करता था । यह पहली बार मौका मिल रहा है कि इस पक्ष में बैठकर सीधे उनसे बात करूं । आप जानते हैं कि हम उनका कितना आदर करते हैं, मुझे उनके साथ सीखने और काम करने का मौका मिला है । इसलिये बौद्धिक दृष्टिकोण से एक कठिनाई होती है कि जिनके साथ कुछ सीखने का मौका मिला हो उनसे कुछ अधिक विवाद करना उचित नहीं मालूम होता है और तथ्यों से परे भी कोई बात आती तो तथ्य ही मान कर चलना पड़ता है । मुझे आशा थी कि माननीय चौधरी साहब कुछ अपने आंकडे प्रस्तुत करेंगे जिसके वह सदैव दक्ष रहे हैं । मुझे आश्चर्य हुआ कि उन्होंने श्री सिंघानिया जी जो कानपुर के उद्योगपित हैं और इसलिये नाराज हैं कि किसानों, ग्रामीण क्षेत्रों को बिजली क्यों दी गयी, कानपुर के उद्योग में कटौती क्यों की गयी,

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

उनके बयान को ध्यान में रख कर कृपा की कि सदन में अपने भाषण के मुख्य तथ्य उपस्थित करें। और यह बिल्कुल सही है कि बिजली की भारी कमी हमारे प्रदेश में आज है। सदन के विश्वास से मुझे यह दायित्व संभालने का अवसर मिला जब कि बिजली की कमी है लेकिन इसका एक ऐतिहासिक कारण हैं और उन कारणों से चौधरी साहब जो सरकार में सन् 51 से 71 तक किसी न किसी पद पर हमेशा बने रहे, अच्छी तरह से परिचित हैं।

बिजली का विकास हमारे प्रदेश में कैसे हुआ इस इतिहास को वह भलीभांति जानते हैं। पहली योजनाकाल तक हमारे प्रदेश में कुल 179 मेगावाट बिजली बनती थी। दूसरी योजना-काल में यह बिजली बढ़कर 82 मेगावाट अतिरिक्त पैदा होने लगी। तीसरी योजना काल में जब इसके सेक्रेटरी तथा चेयरमन एक आई0 सी0 एस0 आफिसर, श्री बी0बी0 लाल थे, यह बिजली बढ़कर 540 मेगावाट हो गयी और उसके तीन साल बाद आगे चल कर 400 मेगावाट बिजली पैदा होने लगी। किसी पर दोष देना मैं आवश्यक नहीं समझता लेकिन यह हमेशा होता रहा कि बिजली की जितनी आवश्यकता हुई और दीर्घकालीन आवश्यकता को समझते हुये जितनी उसकी पैदावार फोरकास्ट की गयी उसमें अन्तर बना रहा क्योंकि अधिक बिजली की मांग बराबर बनी रही। हमारे नियोजकों का यह ख्याल था कि बिजली की आवश्यकता साढ़े 12 प्रतिशत प्रति वर्ष बढ़ेगी लेकिन उसकी मांग 16 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ती रही। हम सभी यह चेष्टा करते रहे कि प्रदेश में अधिक उद्योग धन्धे आयें। चौधरी साहब इसके हामी रहे हैं कि प्रदेश में खेती पर भार कम करना होगा और उस भार को छोटे उद्योगों को लेना होगा चाहे वह पावर लूम हो या कुटीर उद्योग हो।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)---

हिन्डालको छोटा उद्योग है जिसको सस्ती बिजली दी जा रही है और जिसके कारण सरकार को साढ़े 62 करोड़ का घाटा उठाना पड़ा ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

आप को सब ज्ञात हो जायगा। प्रदेश में कोई भी सरकार कायम हुई उसने यह चेष्टा की कि उद्योग धन्धे बढ़ें और उनके लिये अधिक से अधिक बिजली लेने की चेष्टा भी की गयी बिजली नहीं देते तो उद्योग धन्धे कैसे बढ़ते ? लेकिन बिजली की कमी आज केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं है बल्कि केरल तथा मध्य प्रदेश को छोड़ कर समस्त भारत में है। महाराष्ट्र जैसे राज्य में बिजली की कमी 25 परसेंट है और पंजाब भी 60 परसेंट कट की गयी है जहां भागड़ा नागल जैसा डेम बना हुआ है। सतलज में प्रकृति के प्रकोप के कारण पानी नहीं भरा। वर्षा न होने के कारण हाइडिल से जो बिजली बनती थी वह नहीं बन पाई। इसलिये सारे उत्तर भारत को इस कमी का सामना करना पड़ रहा है। यह सही है कि रिहन्द में 863 से 860 फुट तक पानी भरा लेकिन यह भी ठीक है कि 880 फुट जितना लेबिल पानी का था उतना पानी भरा होता तो 300 मिलियन यूनिट अतिरिक्त बिजली मिल पाती लेकिन स्थिति यह है कि रिहन्द की जितना चलाया जाता है उतना चलाया जाता तो मार्च के आखिर तक रिहन्द डेड लेबिल तक आ जाता, ज्यादा बिजली पैदा नहीं कर सकता। बिजली पैदा हो रही है लेकिन राशनिंग की जा रही है यह बात सही नहीं है। अगर पैदा हुई होती तो कट न किया जाता।

चूंकि बिजली की कमी है इसलिये आज रोस्टरिंग की जा रही है ताकि खेती के लिये अधिक से अधिक बिजली दी जा सके। श्रीमन्, बिजली की दो प्रकार की कमियां हैं। एक तो यह कि जतनी पीक डिमान्ड है उससे कम पैदा होती है और दूसरे इनर्जी की कमी है। शाम को 5 बजे से 10 बजे तक सबसे अधिक बिजली की आवश्यकता होती है। मैं टेक्नीशियन तो नहीं हूं किन्तु यह बता सकता हूं कि पीकिंग आवर्स के लिये रिहन्ड को ज्यादा चलाया जाता है। यह चीज हर देश में है कि इसी तरह से ट्रांसमिशन सिस्टम को बैलेंस किया जाता है। जितने थरमल

पावर स्टेशन्स जो कि कोयले से चलाये जाते है और जितने तेल से चलाये जाते हैं दोनों में बलेंस रह सके । श्रीमन्, रात के 12 बजे से सबेरे के 6 बजे तक लोड कम हो जाता है । रात्रि में या इस समय के दौरान पावर हाउस क्यों चलाये जांय उतने ही चला जांय जितनी की कि मांग हो । अगर ऐसा न किया जाय तो इससे क्षति होने की भी सम्भावना रहती है इसलिये डिमान्ड के अनुसार ही बिजली पैदा की जाती है । जो तथ्य हमारे सिंघानिया साहब को प्राप्त है मेरी उनके साथ बैठक हुई थी, मैने कानपुर के उद्योगपतियों को आश्वस्त किया भी था कि हमारा इरादा कानपुर में बिजली की कटौती करने का नहीं है । किन्तु बिजली की इतनी कमी हो गई और ऐसा करना पड़ा । इसका मुझे बडा दुख है कि मैं सिंघानिया साहब को संतुष्ट न करा सके । हमारे लाइन लासेज 35 प्रतिशत नहीं हैं वह औषतन 22 प्रतिशत है ।

श्री चरण सिंह--

इसमें कोई बड़ा अन्तर नहीं है । आप एक साल का बता रहे हैं ? मुझे तो उन्होंने 35 प्रतिशत कहा ....

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, यह मेरी बदकिश्मती है कि सिंघानिया मुझसे ज्यादा मेरे मित्र में विश्वास करते हैं । जहां तक थरमल पावर स्टेशन का सावल है डाक्टर के0 एल0 राव ने लोक सभा में यह बयान बिया था कि हमारे उत्तर प्रदेश में थरमल पावर स्टेशन की इफीशियेन्सी 77.5 प्रतिशत है जो कि एक रिकार्ड माना जा सकता है । उत्पादन क्षमता 77.5 प्रतिशत है । यह बड़ी खुशी की बात है । हमारे चौबीसों घन्टे थरमल स्टेशन्स चल रहे हैं ।

अब वास्तव में बिजली की कमी के क्या कारण हैं उन्हें देखना है। पहली बात तो यह है कि वर्षा नहीं हुई जिससे कि रिजर्वायर्स पूरे नहीं भरे । दूसरा कारण यह है कि जितने विद्युत्-गृह बनने चाहिये थे वे नहीं बन पाये । उसका कारण यह है कि जो हमारे कारखाने हैवी इलेक्ट्रिकल्स हरिद्वार, हैदराबाद और भूपाल में हैं, वे मशीनरी आदि न दे सके । इनका कहना है कि उन्हें चूंकि समय से इम्पोर्टेट फोर्जिंग कास्टिग आदि नहीं मिले जिससे कि वे मशीनरी आदि नहीं बना सके । दूसरे कहना है कि आये दिन उनके यहां हड़ताल आदि हुआ करती है तथा कारखानों के कुछ हिस्से बन रहे थे इसलिये वे हमें विद्युत्-गृहों के निर्माण के लिये सामान न दे सके । मैं इस चीज की इन्क्वायरी करवा रहा हूं । मैं ही उसका अध्यक्ष हूं । इसलिये जो पावर हाउस समय से बन सकते थे, वे नहीं बन पाये ।

इसलिये हम स्लिप कर गये और जितना हम समझते थे कि बिजली का उत्पादन हो जायेगा उतना नहीं हो पाया । तो यह एक मुख्य कारण हमारे यहां बिजली की कमी का रहा । इसके अलावा यह भी कठिनाई रही कि दूसरे राज्यों से हमें जितनी बिजली मिल सकती थी उसमें भी कुछ कमी हुई है । दिल्ली से हमें बिजली मिलती थी लेकिन हरियाणा और पंजाब में बिजली की कमी हो गई तो मध्य प्रदेश को वहां बिजली देना पड़ा । बिहार को बंगाल को बिजली देना पड़ा । दूसरे राज्यों से हमें थोड़ी बिजली मिल जाती थी लेकिन इस साल उनको राशनिंग करना पड़ा और उसका बटवारा करना पड़ा । तो ये सारी कठिनाइयां हमारे सामने आयीं और इन कठिनाइयों का भविष्य में मुकाबला करने के लिये हमें सोचना है और इस सम्मानित सदन को यह निर्णय करना है कि आने वाले दिनों में क्या किया जाय जिससे बिजली की कमी दूर हो सके । किस प्रकार से तत्काल कमी को दूर करे और दीर्घकालीन कमी को दूर करें ।

माननीय चौधरी साहब ने एक सुझाव दिया कि डीजल सेट्स लगाये जायं । यह बहुत अच्छा सुझाव है कि दो-दो हजार किलोवाट्स के डीजल सेट्स लगाये जायं । पिछले साल पंजाब ने 40 मेगावाट बिजली के डीजल सेट बाहर से, विदेश से मंगाये लेकिन

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

उनके कुछ पुर्जे नहीं आ सके जिससे वे बेकार पड़े रहे । इस संबंध में वहां की विधान सभा में भी और बाहर भी सवाल हुए । हमारी चेष्टा है और हमारी योजना भी है कि दो-दो और तीन-तीन हजार किलोवाट के डीजल सेट्स मंगाये जायं, भले ही उनका कास्ट पर यूनिट 30, 35 या 40 पैसे पड़े । यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया के जो कस्टोडियन हैं उनसे मेरी बातचीत हुई है कि वे कुछ फाइनेंस करें और अगर हमें कहीं से भी दो-दो, तीन-तीन हजार किवोवाट के डीजल सेट्स मिल जायं तो उनको हम ले लें, इसकी हम चेष्टा कर रहे हैं। अगर किसी को जानकारी हो कि इस तरह से डीजल सेट्स कहीं मिल सकते हैं तो हम उनको लेने के लिये तैयार हैं और आगे के लिये भी क्या किया जाय इस पर भी हमको विचार करना है । साथ ही साथ हम यह भी चेष्टा कर रहे हैं कि बदरपुर से भी हम 400 मेगावाट बिजली ले सकें । यह बहुत ही आवश्यक है जिसके लिये हम भारत सरकार से कहने जा रहे हैं कि चौथी योजना में 400 मेगावाट बिजली के लिये ओबरा से वहां तक लाइन लगाने की इजाजत दी जाय और मार्च, 1975 तक हम उसे लेने के लिये तैयार है। इसके लिये इरीगेशन और पावर से भी क्लीयर हो चुका है और आज कल में प्लानिंग कमीशन इस पर निर्णय लेने ही वाला है । अगर सदन का आशीर्वाद रहा तो मेरा विश्वास है कि आने वाले कुछ दिनों में केंद्रीय सरकार हमारी इस मांग को मान लेगी कि 400 मेगावाट तक की क्षमता बढ़ाने का हमें मौका दिया जाय।

श्री चरण सिंह--

एक जानकारी मैं चाहता हूं । मैंने विस्वस्त सूत्र से सुना है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया का कोई डाइरेक्टिव आया है जबानी या तहरीरी कि बिड़ला को और बिजली देनी है । क्या कोई ऐसा आया है या कोई विचार है बिड़ला को अभी बिजली देने का?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

बिड़ला को बिजली देने की जो बात कही गयी है, जैसा कि सदन को कई बार स्पष्ट हो चुका है, हिन्डालको को अपनी क्षमता बढ़ाने का लाइसेंस कई वर्ष पहले दिया जा चुका है । अभी कुछ महीने हुए हिन्डालको ने अपने एक्सटेंशन के लिये बिजली मांगी है । एक्सटेंशन की इसलिये आवश्यकता है कि देश को अल्यूमिनियम की जरूरत है ताकि उसे बाहर से इम्पोर्ट न करना पड़े । भारत सरकार ने हिन्डालको को एक्सटेंशन के लिये लाइसेंस दे रखा है और हिन्डालको की मशीन भी तैयार खड़ी है।

श्री चरण सिंह--

क्या इसे इसी संकटकाल में देने का विचार है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

कि हम उनको जून, 1973 तक बिजली नहीं दे सकते है भारत सरकार एल्मोनियम के कामों के लिये एक कमेटी बनाने का विचार रखती है। इसका उन्होंने सुझाव दिया है।

श्री चरण सिंह--

मेरे माननीय दोस्त यह सवाल इर्रेलेवेंट है । लेकिन अगर संकट कंटीन्यू करता है तो बिजली देने का विचार है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जून 1973 तक तो विचार नहीं है ।

श्री चरणसिंह--

अगर यह संकट काल करता है और जून, 1973 के बाद भी कंटीन्यू करता है तो क्या विचार है क्योंकि आपने कहा है कि 4-5 साल में बिजली का संकट काल है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, यह मैंने नहीं कहा कि 4-5 साल से संकटकाल है बल्कि यह कहा कि 4-5 साल से बिजली की कमी रही है और रहेगी इसमें फर्क है । बिजली की कमी और संकटकाल में काफी फर्क है ।

यह चीज जाहिर है कि राजस्थान में जो पावर स्टेशन है वहां पर हमारी कमेटी गई और हम चाहते हैं कि राजस्थान से हमें बिजली मिल जाये । हम उनसे बिजली लेने जा रहे हैं । हम अभी यह नहीं कह सकते है कि बिजली की कमी के कारण भविष्य में किसी को बिजली नहीं देंगे । हमारे प्रदेश में कोई उद्योग धंधा न आये और कहीं बिजली न लगे । इसको हमारा सदन कभी पसन्द नहीं करेगा कि यह घोषणा कर दी जाये कि किसी को बिजली नहीं मिलेगी । यह हम फैसला नहीं कर सकते हैं । सिर्फ कमी को ध्यान में रखते हुए आगे काम किया जायेगा । ट्यूबवल्स को कनेक्शन दिये जायेंगे और उद्योग धंधों को बहुत सोच समझ कर दिये जायेंगे । लेकिन मान लीजिये हमारे यहां कोई बड़ी फैक्टरी आ रही है जो 3-4 साल के बाद बिजली लेगी उसको बिजली देने के लिये कैसे मना किया जा सकता है । अगर मना कर देंगे तो इस तरह से हमारा उद्योगीकरण रुक जायेगा । इसलिये हमको तलवार की धार पर लड़ना है । एक तरफ बिजली का उत्पादन बढ़ाना है दूसरी तरफ बिजली में कोई रुकावट न आये, तीसरे मजदूरों की समस्याओं को भी ध्यान में रखना है और किसानों को भी बिजली देनी है । इन समस्याओं का हल निकालना है । इसमें माननीय सदस्य अपने रचनात्मक सुझाव दें कि इसका कैसे मुकाबला करें । मुझे आशा है कि माननीय सदस्य जब अपने सुझाव देंगे तो इस दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखेंगे ।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, माननीय चौधरी चरण सिंह जी को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सी बातें दोहराई जायेंगी अगर मैं उनको कहूं जिनका कहना आवश्यक होगा । मैं बहुत संक्षेप में अत्यन्त आवश्यक बातों को ही दोहराऊंगा । यह दोनों तरफ से स्वीकृत है कि इस समय बिजली का संकट है । यह राष्ट्रीय संकट के रूप में हो गया है । यह दुर्भाग्य की बात है कि इस प्रदेश में जो उद्योगों के विकास में पिछड़ा हुआ है, कृषि के विकास में भी बहुत पीछे है, बिजली की इस तरह ही कमी हो गई है । हम यह जानते है कि बिजली विकास की आधारशिला है । बिजली के संकट और सरकार की नीति ने आज कितना गजब ढा दिया है । इसका परिणाम माननीय चौधरी साहब ने कहा यह हुआ है कि हमारे यहां उद्योग ठप्प हो गये है, बेरोजगारी बढ़ गई है और कीमतें बढ़ने की सम्भावना है । सिंचाई के काम भी बन्द हो गये है । यह गलत कहते हैं कि हम ट्यूटबेल्स को समय से बिजली दे रहे हैं । यह सारा संकट हमारे सामने उपस्थित हो गया है ।

मान्यवर, आज जितना बड़ा संकट हमारे सामने है अगर हम इनकी स्थिति में होते तो त्याग-पत्र देते । पावर का अकाल है । आज आपने कहा कि अखबारों से आंकड़े ले लिए । मान्यवर, यह बड़ा टैक्निकल सब्जेक्ट होने के नाते हमें भी गहराई से जाने में कठिनाई होती है और हम अखबारों से ही आंकड़े प्राप्त कर सकते हैं और किए हैं । उसके विवरण में न जाकर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की औसत आवश्यकता 24.3 मिलियन यूनिट्स है और यहां पर औसत प्राप्त है वह 21 मिलियन यूनिट्स है । इस प्रकार 3 मिलियन यूनिट्स की कमी है और पीक रिक्वायरमेंट्स में 400 मेगावाट की शार्टेज है । लेकिन अभी हमारे तिवारी जी ने दूसरे रूप से इस सरकार की असफलता को स्वीकार किया है और अपनी कमियों को आंशिक रफा करने का प्रयास किया है । मैं इस संकट का दोषी 3 को मानता हूं । पहली उत्तर प्रदेश

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

की सरकार, दूसरे इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड और तीसरी केन्द्रीय सरकार। उत्तर प्रदेश की सरकार और केन्द्रीय सरकार इस रूप में आती है कि केन्द्र में भी वही सरकार है और प्रदेश में भी वही सरकार है, दोनों की नीतियों में तालमेल है। 25 वर्षों से इनके हाथ में शासन का सूत्र है। विकास की आधार शिला केवल विद्युत है। समझ में नहीं आता कि पिछली योजनाओं में इन्होंने कैसे एसेसमेंट किया। इन्होंने अपनी योजनायें कैसी बनायीं और इनकी प्राप्ति क्या रही? इनका मौलिक आधार अदूरदर्शितापूर्ण था, योजना के हर पहलू पर इनका फेल्योर रहा तो मैं समझता हूं कि इसी बात पर हमारे मंत्रिमंडल को त्यागपत्र दे देना चाहिये। एक बात तीनों को विभाग वार लाकर मैं खास-खास बातें कहूंगा।

पहले में स्टेट को दोषी कहता हूं। चौथी योजना में विद्युत बढ़ाने का प्रयास किया और पहले की योजनाओं में किया लेकिन इन्हीं के दिये हुए आंकड़ों के अनुसार इनकी पहली, दूसरी और तीसरी ऐसी योजनायें बनी कि चौथी योजना में अकाल पड़ गया। दूसरी, तीसरी और चौथी योजना में 763, 567 और 1,230 अतिरिक्त मैगावाट बिजली पैदा करना इन्होंने अपना लक्ष्य रखा था लेकिन इन्होंने अपने लक्ष्य को पूरा नहीं किया। किस चतुराई से पहली, दूसरी और तीसरी के उत्पादन के सम्बन्ध में बयान दिया लेकिन यह कभी नहीं कहा कि हमारा क्या लक्ष्य था कितना अतिरिक्त उत्पादन बढ़ा। अर्थात् हमारा कितना लक्ष्य था और कितनी बिजली बढ़ायी। विस्तारपूर्वक न कहकर मैं कहना चाहता हूं कि दूसरी में 54 लाख, तीसरी में भी लक्ष्य पूरा नहीं हुआ और चौथी में 797 मैगावाट बढ़ाया तो इस प्रकार से असफल रहे। यह अब अपनी सफलता की डींग नहीं हांक सकते है।

ग्रामीण विद्युतीकरण की बात तो स्वप्न हो गयी और यह भी स्वप्न की बात हो गयी कि इन्डस्ट्रियल क्लाइमेंट पैदा करेंगे और ये कम बिजली देने की बात करते हैं तो जितने भी हमारे छोटे-छोटे और बड़े-बड़े इन्डस्ट्रियलिस्टस हैं उनकी आशाओं पर पानी फिर गया, तुषारपात हो गया। तो मैं पहले जिसके कारण स्टेट को दोष देता हूं वह यह है कि इनकी योजना, जैसा मैंने बताया बिल्कुल गलत हुयी, इनका एसेसमेंट गलत हुआ और जिस प्रकार से मांग होती हैं, बिजली बढ़ाने की योजना नहीं बनायी गयी। इसे माननीय चरण सिंह जी ने बताया कि यह स्टेट मेड एस्केयरसिटी है। यह किसी दूसरे ने पैदा नहीं की, इन्हीं की अक्षमता के कारण संकट है। हमें भी यह रिपीट करना पड़ेगा कि इसका दोष इन्होंने जल विद्युत के सिस्टम पर दिया कि पानी की कमी के कारण उत्पादन नहीं बढ़ पाया तो मैं जानना चाहता हूं कि जल विद्युत सिस्टम को एडाप्ट करके क्या आपने प्रदेश के सारे लोगों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया?

आपने सारे देश को मानसून के भरोसे छोड़ दिया। आपने खेती भी छोड़ी, उत्पादन बिजली का भी छोड़ा। क्या कारण है कि सारे देश में पचपन परसेंट उत्पादन हाइडिल के आधार पर आप करने लगे। आज नहीं सनातन से आप जानते हैं कि सूखा होता है। पानी बिजली पैदा करने का आधार नहीं बनाया जा सकता। आपने कभी सोचा क्यों नहीं? क्योंकि हमारी आमदनी बढ़नी जायेगी और उसी के अनुसार योजना बननी चाहिये। तीसरे प्रोजेक्ट्स के बनाने में देरी हुई। चौथे बार-बार हमारे माननीय सदस्यों ने भी कहा और मैं भी कहना चाहता हूं हिन्डालकों के बारे में। यह चोट सबको लगती है। यह सर्व-विदित है कि हमारी सरकार इंडस्ट्रियलिस्ट की पोषक है। यह कितनी चतुराई से कहा गया है कि जब तक हमारा संकट रहेगा उनको बिजली और नहीं देंगे। जब चौधरी साहब ने पूछा कि कब तक रहेगा तो आपने कहा कि जून, 1973 तक रहेगा। उसके बाद कभी नहीं बताया कि कब तक संकट रहेगा कब तक आप बिजली नहीं देंगे। अभी जैसा कि बताया गया कि 31-10-59 के एग्रीमेंट में दिया हुआ था कि बिजली की कमी के कारण घाटा हो तो उसके दोष की सरकार जिम्मेदार नहीं है। आपने दूसरे प्रदेशों से भी बिजली लेकर दी जब आपकी यह नौबत आ गई कि हम दूसरे प्रदेशों से भी सिंचाई के लिये बिजली ले रहे है तो

छोटे-छोटे उद्योगों को न देकर अपने हिन्डालको को क्यों दी । आपकी नेकनियती इसी से जाहिर होती है ।

हमारे डा0 के 0 एल0 रावने कहा कि यह तो काण्टोन्यूइंग प्रोसेस है इसे एकदम नहीं किया जा सकता है । आप बिजली उनको क्यों नहीं कम करेंगे । हमको अच्छी तरह मालूम है हम पूछना चाहते हैं कि आपको इस बात की चिन्ता तो रहती है कि उनका मुनाफा कम न हो लेकिन देहातों में पानी नहीं मिलेगा ट्यूबवेल्स के द्वारा इसकी आपको कोई चिन्ता नहीं रहती है। छः सौ फैक्टरीज बगैर बिजली के बेकार पड़ी है और पचास हजार मजदूर मैंने पढ़ा है, बेकारी का सामना कर रहा है । आपको उन कुटीर उद्योगों से मतलब तो है नहीं आपको तो बिरला का मुनाफा कैसे हो इसकी चिन्ता है । मान्यवर, एक कमेटी बैठी थी उसका मैं भी सदस्य था इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के मैम्बरान की उन्होंने बताया कि हम इतना सेल्सटैक्स और एक्साइज के जरिये से देते हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या भोजन से अत्यावश्यक बिजली है, अल्यूमिनियम है। क्या बिजली न पैदा हो उसके पहले लाइन पहुंचाने की आप व्यवस्था करदेंगे जबकि आपकी जरूरत भर के लिये बिजली न हीं है। जो लाइन एक्स्टेंड नहीं करनी है उसके लिये भी आप पूरा नहीं कर पा रहे है तब आप किसके लिये अल्यूनियम पैदा कर रहे हैं आटा, दाल, चावल आदि जिसके बगैर आदमी मर रहे हैं उसगी आपको कोई चिन्ता नहीं है लेकिन "दि बिगैस्ट फाइनान्शियर्स आफ दि इलेक्शन कैम्पेन" यह दुनिया के परदे पर छिपा नहीं है कि इलेक्शन मिर्जापुर का कैसे हुआ । आपके फाइनान्शियर्स कौन है । कितने इनकम के कैसेज स्टार्ट हुए थे बिरला के ऊपर और कितने केसेज हश अप कर दिये गये । मामूली कांट्रेक्टर तो ब्लैक लिस्टेड हो जाता है लेकिन गांव में आपने ही उसको फर्टीलाइजर का लाइसेंस दे दिया है । बड़े-बड़े इंडस्ट्रिएलिस्ट के आप पोषक हुए बैठे है । आप सोचते हैं कि प्रायोरिटी जिसको देनी चाहिये। देहात को प्रायरटी देनी चाहिये ।

मैंने एक दरख्वास्त दी--इतना नालायक इनका डिपाटमैंट हो गया कि साल-साल भर दरख्वास्त पड़ी रहती है, मेरे जैसे हैसियत के आदमी को ट्यूबवेल के लिये व्यवस्था नहीं कर पाते । इनका दावा बिल्कुल झूठा है कि टयूबवेल्स को बिजली मिलती है । रात को भी नहीं मिलती । मिलती किसे है ? बिड़ला को मिलती है । इसीलिये कहा जाता है कि मिनिस्टर होने के पहले हैसियत देखी जाय और मिनिस्टर होने के बाद में उनकी हैसियत देखी जाय । यह कटु बातें मुझे कहनी पड़ती है । हमें कहना पड़ता है कि आज बड़े-बड़े इन्डस्ट्रीलिस्टस के पाकेट में यह बैठे हैं । यही कारण है कि आज भी उनको बिजली देना चाहते हैं । चौधरी साहब और तिवारी जी के बयान के बाद हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि 73 के बाद भी यह बिड़ला को बिजली देने जा रहे हैं । मेजारिटी के आधार पर मस्त हाथी की तरह यह चलते हैं । यह पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं । कितना जनता के खून पसीने का पैसा आपने नप्ट किया ? हैवी इलेक्ट्रिकल्स आज भी मशीन नहीं सप्लाई कर पा रहा है और लास पर रन कर रहा है । करिये, लेकिन छोटे-छोटे उद्योगों की तरफ भी ध्यान दीजिये । मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आपने हिन्डालको को बिजली दी तो सारी पार्टीज आपके खिलाफ आन्दोलन करेगी । यह भी कोई बात है कि सारे लोग बिजली के लिए कराहते रहे ओर आप उनको बिजली दे दें ।

श्रीमन्, चौथा दोष--हरदुआगंज, पनकी, ओबरा आदि अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं करते । 77 प्रतिशत क्षमता पर काम करते हैं । एक दिन 77 प्रतिशत शुगर में रिकवरी हो गयी और बाकी दिन 10 प्रतिशत हुई तो आपने क्वोट कर दिया । आप बताइये कि थर्मल प्लांट आपके क्यों नहीं चले ? आपके इंजिनियर्स क्या करते रहे ? तभी सोचना पड़ता है कि इंजीनियर्स पर छोड़ दिया जाय तो क्या हो जायेगा । किस इंजीनियर को आपने बरखास्त किया जिन्होंने मशीन को ठीक नहीं रखा और समय पर मशीन नहीं आयी, कौन इसके लिये जिम्मेदार है ?

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

पांचवां दोष । पब्लिक सेक्टर की बड़ी तारीफ की । लेकिन श्रीमन्, इंडीजीनस मशीन का प्रोडेक्शन नहीं हो पाया । श्रीमन्, उनको बिजली देने जा रहे हैं लेकिन जो देहात का आदमी कराह रहा है उसके लिये कुछ नहीं ।

मान्यवर, यह भी सही है कि जितनी क्षमता है उत्पादन की उतना उत्पादन नहीं होता । लासेज करोड़ों में होते है । कितना हैवी डेट बोर्ड पर चल रहा है । अगर इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड ने हमारी जरूरत के लिये पानी पहुंचा दिया होता तो उनकी गलतियां हम माफ करते उनके लासेज माफ करते लेकिन केवल खब्बू लोग उसमें पहुंच गये ।

वहां पर बहुत अधिक भ्रष्टाचार व्याप्त है । मान्यवर, इसमें बहुत सी बातें हैं जब बजट के समय पर चर्चा आयेगी तब बताऊंगा । यह बताया गया कि 53 इंजीनियर्स को सस्पेंड किया गया । बिना टेंडर के ही एक्सेप्ट कर लिया, नाजायज तरीके से रुपया कमाया, आज भी कमा रहे हैं । मैं हर एक इंजीनियर को नहीं कहता हूं लेकिन अधिकांश ऐसा करते हैं । आज यह मुहकमा भी पुलिस विभाग की तरह से ही बदनाम हो रहा है । विशेषकर गरीब जनता के लिये यह स्थिति असह हो गई है । यह कहते हैं कि इंग्लैण्ड और अमरीका में भी तो यह होता है ? मान्यवर, वहां की स्थिति और यहां की स्थिति में बड़ा अन्तर है । वहां पर 10, 20 हजार रु0 कोई महत्व नहीं रखता है । यहां के लोगों के पास न तो रहने का स्थान है, न वस्त्र है और न खाना है और न दवा है उन पर यह बोझ असह्य नहीं तो क्या है । जैसा कि चौधरी साहब ने कहा मैं उनसे इत्तिफाक करता हूं । आपने एक योग्य और ईमानदार आदमी को भेजा है । अब जब उस विभाग का भ्रष्टाचार, करेप्शन और इंइफीशियेन्सी वह दूर कर सके तब तो वह सफल रहे नहीं तो उनको भी क्या समझा जायगा ।

अब मैं केन्द्र के बारे में बताना चाहता हूं ।। केन्द्र और यू0 पी0 दोनों में ही आप की सरकार है । जब हमने केन्द्र से अपनी कमी के बारे में कहा तो उसने भी हमको हरी झंडी दिखला दी । केन्द्र भी तो आपकी ही है । उन्होंने आप की कमी और दिक्कत को क्यों नहीं महसूस किया या फिर आपने उचित प्रयास नहीं किया ? इसमें किसी अयोग्यता मानी जायेगी । हू शुड बी कन्डेम्बड आन दिस प्वाइन्ट ? केन्द्र की सरकार को यह अहसास ही नहीं है । अब प्लानिंग कमीशन बैठेगा ? डा0 के0 एल0 राव साहब कहते हैं कि 45 परसेंट हाइडिल से उत्पादन होता है । आपने कहा कि पांचवीं योजना के अन्त तक कमी पूरी हो जायेगी । उन्होंने कहा कि अगर उस समय तक यह नहीं होगा तो कन्ट्री सरवाइव नहीं कर पायेगा । यह तो केन्द्र के मंत्री महोदय कहते हैं । कुछ लोग कहते हैं कि 79 तक यह संकट दूर हो जायगा और कुछ लोग कहते हैं कि 89 तक यह पूरा होगा । मैं तो समझता हूं कि 89 तक ही यह हो पायेगा जो दशा इस समय चल रही है उसको देखते हुये । उस समय तक शिकायत करने वाले इस दुनिया में रह भी नहीं जायेंगे । आप अपनी पिछली करामात को तो देखें ? वह क्या रही है ? जो आपका प्रोडक्शन बिजली का रहा है उससे तो निराशा ही होती है । फिर आप पांचवीं योजना के अन्त तक इसको पूरी कर देंगे यह कैसे कहा जा सकता है ? हमको तो इसमें अन्धकार ही दिखलाई देता है । अर्थ व्यवस्था तो चूर मूर हो गई है अब और भविष्य में क्या होगा ? अभी तक तो आर्थिक दृष्टि से ही अन्धकार था और अब बिजली के कारण बंटाधार हो रहा है ।

जहां तक कि सजेसन्स की बात है, उसमें आप फुल कैपेसिटी से प्रोडयूस कीजिये । विद्युत सिस्टम को बदलिये, आप के जो बड़े-बड़े सलाहकार हैं उनको भी बदलिये और भगवान भरोसे हर एक चीज को न करें बल्कि इसके लिये आपको स्वयं प्रयास करना चाहिये कि यह जो कमी पड़ जाया करती है वह न पड़ने पाये । केवल भगवान के भरोसे रह कर कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है बल्कि उसको प्रयास करने की आवश्यकता है । भगवान की कृपा है कि आप चल रहे हैं क्योंकि आपकी सारी करामातें टेढ़ी हैं । मैं इस तरह इन्टरप्रेट करता हूं ।

आज भगवान के भरोसे क्यों छोड़ दिया हाइडल और थर्मल को ? मैं आपके जरिये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से कहता हूं कि—

this is eating into the very vitals of the society.

आज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में कोई सुनने वाला नहीं है। मैं आप को उदाहरण दूं। मैं व्यक्तिगत बात नहीं कहना चाहता। मैं अपोजीशन की बात कह रहा हूं—तिवारी जी से शिकायत नहीं कर पाए, उस जनता का क्या होगा जो आपके पास पहुंच नहीं सकती। हो सकता है मैं जन संघ का हूं, मुझ से आपको नफरत हो, मैं विरोधी पक्ष का हूं, इसलिए नफरत हो, लेकिन आप देखें कि सारे प्रदेश के आदमियों के साथ उनका कैसा व्यवहार होता है। बड़ा एफिशेन्ट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है—करेप्शन को दूर नहीं कर सकते। बिजली की चोरी होती हैं और ट्रांसफार्मर्स की चोरी होती है। टेलीफोन की तरह से किस का किस पर लगा देते है। अगर शिकायत करने जाते हैं तो मिलने का समय नहीं देते, बात कौन करे। पुराना अनुभव चला आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का। मेहरबानी करके करेप्शन को दूर करिए। हिन्डालको के परम पूज्य देवता और दूसरे जो कोने में छिपे होंगे जिन्हें मैं नहीं जानता, उनकी आराधना कम करिए। विवेकानन्द जी के शब्दों में दरिद्र नारायण की बात सोचिए।

दूसरी बात मान्यवर मैं यह कह रहा था कि इन्होंने देश को अन्धकार में भेज दिया। आप इलेक्ट्रिसिटी दे नहीं सकते और ट्यूबवेल हर जगह काम नहीं करते। मैं तिवारी जी से कहता हूं कि—

fifty per cent of the tube wells are lying idle.

कागज पर तो यह कहा जाता है कि यह कर दिया। जो परताल करने जाता है वह लिख देता है कि सिंचाई हुई जब कि कोई सिंचाई नहीं हुयी। अरहर के ही खेत में सिंचाई दिखा दी गयी। मैंने लिख कर भेजा कि सिंचाई नहीं हुयी मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। अरहर का खेत कहीं सींचा जाता है? आप कहते हैं कि हरित क्रान्ति हो गयी और प्रोडक्शन इतना बढ़ गया। यह तो भगवान की कृपा थी कि वर्षा हो गयी। आप तो भगवान में भी विश्वास नहीं करते। मैं अपनी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर कह रहा हूं कि कुएं बन्द पड़े हैं आपके यहां रिपोर्ट हो जाती है कि चल रहे हैं मगर सचमुच चल नहीं रहे हैं।

हम लोगों ने सुझाव दिया था कि आप छोटे-छोटे डेम्स बनाएं, रिजवायर्स बनाएं। आप मेहरबानी करके भौतिक भगवान का भरोसा न करें। यह बात मैं आपको बिजली का संकट दूर करने के लिए कहता हूं। माननीय चौधरी साहब ने ठीक ही कहा कि आप कोई बहाना बना कर नहीं निकल सकते है। आपके तो दोनों ही हाथों में लड्डू हैं। इनका आरोप है कि हैं वी इलेक्ट्रिकल्स इनडिजेनस मशीनरी नहीं देता है। अगर वे आप को मशीनरी नहीं देते हैं तो फिर आप बाहर से मंगाइये। आप सेन्टर को क्यों नहीं क्रीटिसाइज करते हैं? आप प्राइवेट सेक्टर को टाप प्रायरिटी दीजिए। उनको प्रायरिटी दीजिए जो इस संकट के समय स्थिति में सुधार ला सकते हैं।

You have completely failed.

आपका मैनेजमेंट कम्प्लीटली कामयाब नहीं हुआ है। इस संकट के समय आप वार-फूटिंग पर काम करिए। जिस प्रकार से कि फूड में वार फूटिंग पर काम करने की आवश्यकता है उसी प्रकार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी वार फूटिंग पर काम करने की जरूरत है। इन तीनों ही मदों में वार फूटिंग पर काम करने की जरूरत है। आप की करामातें पिछले 25 वर्षों में देख ली गयी हैं। डा0 के0 एल0 राव कहते हैं,:

After ten years this country will not survive.

आप ईमानदारी लाना चाहते हैं। अगर मैं किसी अधिकारी से कहूं कि तुम बड़े बेईमान हो, तो वह कह सकता है कि तुम अपने को देखो—वह कह दे कि अपने मिनिस्टरों को देखो।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

मान्यवर, हमें यहां इस फ्लोर पर मंत्रियों को क्रिटिसाइज करने की इजाजत नहीं मिलती है। यहां हम मंत्रियों का नाम नहीं ले सकते और यह नहीं कह सकते कि वे करेप्ट हैं। क्या सचमुच अधिकारी यह नहीं सोचेंगे कि अपोजीशन वाले झूठे हैं, सबूत तो कुछ है नहीं इसलिए कुछ नहीं कर पाए। किस मुंह से उनसे कहें। छोटे अधिकारी यह समझते हैं कि जब बड़े अधिकारियों का कुछ नहीं होता, उनके खिलाफ कोई ऐक्शन नहीं लिया जाता, तो हमारे खिलाफ क्या होगा। इसी डिपार्टमेंट के मिनिस्टरों पर बड़े-बड़े चार्जेज आज पब्लिक लगा रही है कि हिंडालको को बिजली देने में लाखों रुपये कट गये--भगवान जाने कटे कि नहीं और न मेरे पास ही इसका कोई सबूत ही है और मैं भी इसको गलत समझता हुं, लेकिन पब्लिक तक तो बात पहुंची, तो आप ही सोचिये कि क्या व्यवस्था रह सकती है।

आखिरी बात मैं कहता हूं और वह है ऐडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। हमारे चौधरी साहब ने इस बारे में काफी कहा है और मैंने अपनी व्यक्तिगत राय दे दी है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैं तो चौधरी साहब की ही बात कहता हूं कि यह बहुत आवश्यक है कि क्लीन ऐडमिनिस्ट्रेशन रखा जाय। अगर क्लीन ऐडमिनिस्ट्रेशन नहीं रहेगा तो हमारी कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती, हम कहीं भी कामयाब नहीं हो सकते। उसमें मेरी एक निश्चित राय है और वह यह है कि जब मैं कोई राय बनाता हूं किसी डिपार्टमेंट के बारे में और आशा के अनुरूप जब कोई चीज नहीं देखता तो मेरी राय बदल जाती है और सोचता हूं कि कैसे इसको पुल अप किया जाय, कैसे ऐडमिनिस्ट्रेशन क्लीन रखा जाय। इसके लिये दोनों तरफ के बड़े-बड़े लोग बैठे हैं वह सोचें, आप सोचें। लेकिन एक बात बिलकुल साफ है कि अगर इस डिपार्टमेंट में विश्वास जमाना चाहते हैं तो सारी बातों को रखते हुये आप को करप्शन साफ करना होगा। रिड्यूस इट टु दी मिनीमम। पूरा तो आप दूर नहीं कर सकते और अगर मैं भी होता तो दूर नहीं कर सकता था, लेकिन जितना सम्भव हो सके उसको कम कीजिये। बड़ी निराशा फैली हुई है जनता में उसको आप दूर कीजिये। मैं पुनः दोहराता हूं कि छोड़िये आप इस गठबन्धन को बड़े आदमियों से। गांधी जी ने कहा कि आप काटेज इन्डस्ट्रीज बढ़ाइये लेकिन बड़े-बड़े पूंजीपतियों को नहीं बढ़ाइये। आज आपने 75 प्रतिशत व्यक्तियों के हाथ में देश की पूरी अर्थ-व्यवस्था सौंप दी है। यह ठीक नहीं है। इन शब्दों के साथ में समझता हूं और आशा करता हूं कि सरकार हमारे इन सुझावों पर ध्यान देगी।

श्री चन्द्र भानु गुप्त (जिला अल्मोड़ा)---

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इरादा इस डिबेट में हिस्सा लेने का न था, परन्तु कई मर्तबा सदन में जो दृष्टिकोण दोहराया गया है उससे मैं भिन्न दृष्टिकोण रखता हूं। इसलिये दो शब्द कहने की धृष्टता कर रहा हूं। जहां तक बिजली के विभाग का इस समय संचालन का विषय है, जिसके विषय में माननीय चौधरी चरण सिंह और माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी ने जो आंकड़े और बहुत सी बातें सदन के समक्ष प्रस्तुत करने की चेष्टा की है, यद्यपि मैंने स्वयं आंकड़ों का अध्ययन नहीं किया है, परन्तु एक व्यवहारिक व्यक्ति के नाते ऐसा अवश्य अनुभव करता हूं कि विभाग उस एफिसिएन्सी और क्षमता का परिचय नहीं इन वर्षों में दे रहा है, जो आज की आवश्यकताओं को देखते हुए उसको देना चाहिये। न मंत्री जी समय दे पाते हैं और न अधिकारीगण समय दे पाते हैं। मंत्री जी को रोजमर्रा उद्घाटनों में जाना पड़ता है और गांवों में जाकर पत्थर लगाने पड़ते हैं, उससे छुट्टी नहीं मिल पाती है और न अधिकारीगण ही एफीसिएन्सी का परिचय दे पा रहे हैं।

मैं अपनी जानकारी से जानता हूं कि मुझे इस नगरी में 50 साल से अधिक रहते हुये हो गये और जिस मोहल्ले या वार्ड में मैं रहता हूं उसमें जिस प्रकार से बिजली समय-समय पर चली जाती है और घंटों तक उसके आने का प्रबन्ध नहीं होता उससे मुझ पर तो ऐसा असर अवश्य पड़ा है और उसका विवरण एकाध मरतबे मैंने एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अध्यक्ष को भी दिया है कि कहीं

न कहीं इस विभाग में अब कमियां उत्पन्न हो गयी हैं और कभी-कभी कुछ अधिकारीगण भी जब मिलते रहते हैं तो बताते रहते हैं कि यह मशीन टूट गयी है और उस मशीन के मंगाने की आवश्यकता है और वह समय से नहीं आ रही है। मैं इस बात से तो बिल्कुल सहमत हूं कि कमियां विभाग के संचालन में हैं और बहुत सी अयोग्यतायें उसके काम निभाने के सिलसिले में पैदा हुये हैं आशा की जाती थी कि हमारे नवयुवक मंत्री जी उन तमाम कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। परन्तु उस दिशा में उन्होंने कदम नहीं उठाया। यह मैं मानता हूं कि आज प्रदेश में बिजली की कमी है और उसके कारण कुछ जगहों पर बिजली खर्च करने में कटौतियां करनी चाहिये परन्तु रोजमर्रा लखनऊ और और जगहों में मैं देखता हूं कि चाहे वह शादी हो और चाहे वह नुमाइश हो बिजली के खर्च की भरमार अनुत्पादक कार्यों में रहती है। उससे तो मालूम पड़ता है कि जो बिजली का खर्च करना चाहते हैं वे अपना वैभव दिखाना चाहते हैं और बिजली का विभाग भी अपनी कार्यक्षमता का परिचय इन जगहों में बिजली देकर प्रदर्शित करता है।

जब बिजली की कमी है तब क्या कारण है कि इन तमाम जगहों में जो बिजली खर्च की जाती है उसमें कटौती क्यों नहीं की जाती और उसकी मात्रा में कमी करने का प्रबन्ध क्यों नहीं किया जाता जिससे हर एक यह महसूस करे कि आज जो नारा समाजवाद का है वह वास्तविक रूप में इस्तेमाल में लाया जाता है। जो पैसे वाले हैं वे अधिक से अधिक पैसे खर्च करके बिजली अधिक से अधिक मात्रा में खर्च करने के लिये ले लेते हैं और जो बेचारे साधनविहीन हैं या कम साधन वाले हैं उनको कम से कम जरूरत की मात्रा की भी बिजली नहीं मिल पाती।

मैं यह दृष्टिकोण इसलिये प्रस्तुत कर रहा हूं क्योंकि विभाग की उस क्षमता को देखने का अभी अवसर आया प्रतीत नहीं होता है जिससे लोग समझें कि वास्तविक रूप में आज बिजली खर्च करने के लिये हमारे पास कम है। मेरा इस अवसर पर निवेदन है कि विभाग इस दिशा में आवश्यक कदम उठावे जिससे लोग आपकी घोषणाओं के विषय में सही राय बना सकें। मैं उन व्यक्तियों में हूं जो ऐसा मानते हैं कि बिजली का अधिक से अधिक उपयोग ऐसे समय में जब कि हम खेती का उत्पादन अधिक बढ़ाना चाहते हैं और जिसमें कमी आ गयी है और जिस कमी को हम अपनी नजरों से ओझल करना चाहते हैं तो हम अधिक मात्रा में बिजली का उपयोग उन जगहों पर करावें जहां उस उपयोग के द्वारा अधिकाधिक अन्न का उत्पादन हो सके। यदि ट्यूबवेल्स के लिये बिजली नहीं है तो अवश्य वहां उसको पहुंचाने की चेष्टा करनी चाहिये जिससे कि उत्पादन आवश्यकतानुसार बढ़ सके। लेकिन जहां मैं अन्न उत्पादन के बढ़ाने के लिये बिजली देने का हामी हूं वहां मैं इस बात का भी हामी हूं कि इस प्रदेश का भविष्य केवल खेती की उपज बढ़ाने पर ही निर्भर नहीं है। यदि इसका उत्थान होना है तो छोटे उद्योग धन्धे, घरेलू उद्योग धन्धे और बड़े उद्योग धन्धे भी हमारे प्रदेश में अधिक मात्रा में लगने चाहिए जिससे कि हमारे नवयुवकों को विभिन्न क्षेत्रों में उद्योग में लगने का अवसर प्राप्त हो सके। हम उद्योगों के मामले में पिछड़ गये हैं चाहे वह घरेलू उद्योग धंधे रहे हों या बड़े उद्योग धन्धे रहे हों इसलिए छोटे उद्योग धन्धों की तरफ भी और बड़े उद्योग धन्धों की तरफ भी बिजली के विषय में प्राथमिकता देनी चाहिए।

परन्तु ऐसी इंडस्ट्री जो कि बेसिक इंडस्ट्री हो, जो कि हमारे इंडस्ट्रियल पालिसी रेज्योलूशन 1956 के शिडयूल 'ए' में आती हो जैसे एलमोनियम है उसे तो प्राइवेट सेक्टर में होना ही नहीं था और वह इंडस्ट्री इस प्रदेश में 1957–58 में पब्लिक सेक्टर के अन्तर्गत लगने वाली थी परन्तु केन्द्रीय सरकर के पास साधन नहीं थे, फारेन एक्सचेंज नहीं था। पं0 जवाहरलाल नेहरू, पंत जी सम्पूणनत्द जी ने बिड़ला से कहा कि अगर वह हमारे देश में फारेन एक्सचेंज डेफर्ड पेमेन्ट पर ला सकें तो हमारे प्रदेश में इंडस्ट्री लगावें और उस स्थान पर लगावें जिस स्थान को नागराज कमेटी ने सुना था। उस जमाने में केन्द्रीय सरकार ने एक कमेटी नियुक्त की थी और कहा

[श्री चन्द्र भानु गुप्त]

था कि वह कमेटी स्थान ढूंढे जहां-जहां यह इंडस्ट्री लग सकती है। उस कमेटी ने हमारे यहां यह स्थान छांटा। उस समय मैं सरकार में नहीं था। बाबू सम्पूर्णानन्द चीफ मिनिस्टर थे। चौधरी साहब, कमलापति त्रिपाठी उसके सदस्य थे। रिहन्ड डैम का स्थान छांटा गया था। पन्त जी ने आग्रह किया तो बिड़ला जी ने इंवेस्टमेंट शुरू किया और 20 हजार टन का उन्हें लाइसेन्स मिल गया। हमने उन्हें बिजली दी। बिजली का रेट तय हुआ। हम जिस रेट पर बिड़ला को बिजली दी गयी, उससे उद्विग्न हो जाते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं कि एल्मोनियम पैदा करने में बिजली ही सबसे बड़ा रा-मैटीरियल है। जब बिजली ही रा-मैटीरियल है तो चाहे केराला हो, उड़ीसा हो, वेस्ट बंगाल हो या मैसूर हो जहां एलमीनियम पैदा करने के कारखाने लगे हैं उन्हीं के अनुपात में तो बिजली का रेट रखा जायेगा। कोई प्रदेश की सरकार अपने आप ही रेट्स तय नहीं कर लेती।

जो कमेटी बनी थी और गवर्नमेंट आफ इंडिया की टैरिफ कमेटी समय-समय पर बनी उसने भी तय किया कि जहां एलमोनियम फैक्ट्री लगेगी उसे बिजली लोएस्ट रेट पर देनी पड़ेगी। यहां सदन में बिड़ला का नाम लिया जाता है, हिन्दुस्तान एलोमीनियम का नाम नहीं लिया जाता। जवाहरलाल जी, पन्त जी, सम्पूर्णानन्द जी के कहने से बिड़ला ने यहां इंडस्ट्री को लगाया और उसको लगा कर प्रदेश के औद्योगीकरण में एक कदम आगे बढ़ाया। मैं यह नहीं कहता कि वह इंडस्ट्री उनके कब्जे में रहे। यह सरकार तो राष्ट्रीयकरण में बहुत विश्वास करती है। मैं शुगर इंडस्ट्री के राष्ट्रीयकरण का इसलिए हामी नहीं था कि जब हम मिक्स्ड इकनोमी को सारे देश में चालू किये हुए हैं तो कुछ इंडस्ट्री ऐसी रह सकती है जो कि प्राइवेट सेक्टर में मिक्स्ड इकनोमी के तहत में चले और प्रदेश की सरकार को उसके राष्ट्रीयकरण का अधिकार भी नहीं था। लेकिन हमारे बहुत से नेतागण, और मुख्य मंत्री जी खासतौर से जो कि यहां नहीं हैं, उन्होंने प्रस्ताव कर दिया कि राष्ट्रीयकरण हो। खैर, राष्ट्रीयकरण हो। लेकिन आज तक तो वह नौबत नहीं आई। और फिर क्यों नहीं इसका राष्ट्रीयकरण इस प्रदेश की सरकार ने अब तक करवाया? उसको तो हो जाना चाहिए था? क्यों रोजमर्रा बिरला जी की चर्चा की जाती है? मैं उन व्यक्तियों में हूं जो यह मानते हैं कि देश हित में किये गये बिरला और टाटा के अहसान को भुलाया नहीं जा सकता। मैं ऐसी पीढ़ी में पैदा हुआ हूं, और मेरे साथी हुए हैं, जिस जमाने में इन व्यक्तियों ने उद्योग-धंधे के लिए देश के लोगों का ध्यान आमंत्रित किया।

आज हमारे देश में राष्ट्रीयकरण की मांग है। राष्ट्रीयकरण हो उद्योग-धन्धों का, मुझे इसमें कोई गुरेज नहीं है। जिन उद्योग-धंधों का हो सके वह किया जाय, लेकिन क्या यह उचित होगा? वह उद्योग धंधा जो पब्लिक सेक्टर का था और एक प्राइवेट सेक्टर म लगाया गया है उसको बिजली न दी जाय? एक्सपेंशन के प्रोग्राम की स्वीकृति में और उसी से सम्बन्धित बिजली के प्रोग्राम की स्वीकृति में जो सरकारी कर्मचारी स्पेशलिस्ट माने जाते हैं उनकी स्वीकृति थी और उसके ऊपर आज तक कोई अमल नहीं हुआ। और बिरला का नाम लिया जाता है कि यह बिरला का रोजगार है केवल इसम यह कि बिरला का रोजगार है नहीं मानता। जसे और मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं वैसे वह भी उसके मैनेजिंग डायरेक्टर का काम करते हैं। बिरला के शेयर 10-20 परसेंट होंगे, इससे ज्यादा नहीं हैं। नारा लगाना कि यह बिरला का रोजगार है अत: इसे बन्द किया जाय, यह कहां तक उचित है? आज बेरोजगारी इंजीनियर्स में कितनी फैली हुई है?

अल्यूमिनियम का वह उद्योग-धंधा है जो बहुत से इंजीनियर्स को रोजगार दे सकता है। दूसरे उद्योगों में उसका फैलाव किया जा सकता है और उसके द्वारा छोटे-छोटे वे उपकरण और वे चीजें जो आज इतनी महंगी मिलती हैं वे कम कीमत में उपलब्ध हो सकती हैं। जसे बर्तन का उद्योग है। कापर, बास आज उपलब्ध नहीं है, उनके बरतनों की कीमतें आज

बढ़ी हुई है। आज इस उद्योग धंधे से यदि अच्छे किस्म के अल्युमिनयम के बर्तन बनाये जायं तो गरीब आदमी कम कीमत पर उनको खरीद सकता है। यही नहीं, आज तो जबकि गांव तक बिजली देने की बात है, ट्यूबवेलों को बिजली देने की बात है, आज जब हमको लाइंस लगाने के लिए तार की इतनी जरूरत है तो कापर का तार तो मिलता नहीं है। उसकी जगह अल्युमिनियम का तार इस्तमाल हो रहा है और 60 फीसदी यह कंडक्टर्स के लिए, ट्रांस्मिशन लाइन्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जगह-जगह पर अगर उसका उत्पादन बढ़े तो जगह-जगह पर इस उत्पादित वस्तु से इंडस्ट्री लगाई जा सकती है, इससे प्रदेश में और नौजवान लड़कों को उद्योग-धंधा मिलेगा।

आज एक कुर्सी आती है अल्युमिनियम की 80-90 रुपये में जिसमें कि डेढ़-दो सौ फीसदी मुनाफा लिया जाता है। वह बम्बई, मद्रास से आती है। मुझे बड़ा दुःख है कि जो मौजूदा सरकार है और इससे पूर्व की सरकार, अधिक से अधिक जो इस प्रदेश में अल्युमिनियम पैदा करती है और हिंडालियम इससे बनाते हैं वह हमारे नवयुवकों को उद्योग लगने के अवसर क्यों नहीं देती ताकि नवयुवक इंजीनियर्स प्रोसेसिंग के जरिये से उद्योग-धंधे स्थापित कर सकें? लेकिन इस सरकार का उस तरफ ध्यान नहीं गया और उस तरफ उसने कोई कदम नहीं बढ़ाया। सारा प्रोडक्शन जो हिंडालियम का है वह एक आध व्यक्ति के हाथ में ही दे रखा जो कि बदनामी का कारण बन जाता है। वह उन्होंने दे रखा है। मेरठ, बरेली, कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद इत्यादि---ऐसे क्षेत्रों में जो माल निकलता है वह अगर नये-नये इंजीनियर्स को, उद्योग-धंधों में लगने वाले व्यक्तियों को दिया जाय तो उन उद्योग-धंधों से कितनी बेरोजगारी, हमारे बीच से हट सकती है? लेकिन क्या हमारे मंत्री जी उस दिशा में कदम उठा रहे हैं? चूंकि हिन्दुस्तान अल्मोनियम का सम्बन्ध बिरला जी से है और बिरला जी के नाम पर शोर मचता है इसलिए बिजली नहीं देंगे, हिम्मत नहीं रखते। बिरला को देने से प्रतिक्रियावादी हो जायेंगे। मैं इस दृष्टिकोण को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं।

आप चाहे मुझे प्रतिक्रियावादी कहें लेकिन मैं उस दृष्टिकोण से जो हमारे भाई माधव जी ने प्रस्तुत किया है बिल्कुल इत्तफाक नहीं करता। आपकी तथा विभागीय अयोग्यताओं के बारे में तो उनसे और चौधरी साहब से बिल्कुल सहमत हूं। जहां तक उद्योगधन्धों को बढ़ाने के लिये कार्यवाही करने की बात है उसमें आप अयोग्यता दिखाते हैं, बिजली नहीं देते हैं। 15 करोड़ का सामान पड़ा हुआ है। 69 में एक फैसला हुआ था, उसके अनुसार आप कार्य नहीं करते हैं। वह फैसला भी उन्हीं सरकारी कर्मचारियों और विशेषज्ञों की राय से हुआ था। मैं तो उन व्यक्तियों में से हूं जो यह मानते हैं कि जहां हमें अपनी खेती को बढ़ाना है, अधिक से अधिक अन्न का उत्पादन करना है वहां हमें इस प्रदेश में छोटे-छोटे उद्योग धन्धे बड़े उद्योगों के जरिये से चलाना है। अल्यूमिनियम या और मेटल जो कि छोटे-छोटे उद्योग धन्धों के जन्मदाता है उनको बढ़ाना है। अल्यूमिनियम और बिजली का तो बिल्कुल साथ है। जहां बिजली है वहां अल्यूमिनियम होना चाहिये आज की स्थिति में। पहले तो बाहर से कापर आ जाता था, उसकी लाइन्स वगैरह खिंच जाती थीं, लेकिन आज कापर की उपलब्धि नहीं है। क्या मन्त्री जी या उनकी सरकार उस दिशा में कोई कदम उठा रही है? क्योंकि हमारे साथीगण बिड़ला के नाम से एलर्जिक हैं, वह बिड़ला जिसने देश के विभिन्न क्षेत्रों में इन 50 वर्षों में उद्योगों को बढ़ाने में एक दिशा दिखायी है। आज तो उद्योगपतियों को तरह-तरह से सताने की चेष्टा की जाती है, उनसे पैसा वसूल किया जाता है हर लाइसेन्स में, हर परमिट में।

मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आपको प्रदेश को तरक्की देखनी है, गरीबी को मिटाना है तो बिजली के उत्पादन को बढ़ाना तो है ही, उसकी क्षमता को भी ऐसा करना है कि जो आपके योग्य अधिकारी है, चाहे वह बोर्ड के सदस्य हों, चाहे इंजीनियर्स हों, आप को उन्हें ऐसी दिशाएं पकड़वानी है जिससे ईमानदारी के वातावरण में रहते हुए वह अधिक से अधिक मात्रा में बिजली

[श्री चन्द्र भान गुप्त]

की पैदावार को बढ़ायें ताकि इस प्रदेश के उद्योग-धन्धे और खेती की तरक्की हो सके। और यह तभी हो सकता है कि जो हम कहें उसको करने की क्षमता भी पैदा करें। कथनी और करनी का सामन्जस्य हमारे बीच में स्थापित होना चाहिये। तो मैं जहां माननीय चरण सिंह जी और माधव प्रसाद जी की बहुत उन बातों से जो उन्होंने सदन के समक्ष रखी हैं अपनी सहमति प्रकट करता हूं, मैं यह भी चाहता हूं कि उद्योग धन्धों के सिलसिले में ऐसा रुख नहीं अपनाना चाहिये कि यह पूंजीपति का उद्योग-धन्धा है इसलिये इसको खत्म कर देना चाहिये। में इसे देश के भविष्य के लिये ठीक नहीं समझता हूं। कल आप उसका राष्ट्रीयकरण कर लें मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी क्योंकि फिर यह रोजमर्रा की चखचख हमारे बीच में नहीं उठेगी, लेकिन जब तक आप राष्ट्रीयकरण नहीं करते और महज इसलिये कि वह बिड़ला जी के हाथ में है उसको बिजली नहीं देंगे, यह ठीक नहीं है। हमें ऐसा प्रबन्ध करना चाहिये कि वह अल्यूमिनियम की इंडस्ट्री तरक्की करे ताकि प्रदेश के विभिन्न जिलों में उसका वितरण कर के बहुतों को उद्योग देने में सहायता कर सकें। मैं और मैं कह कर अपने दृष्टिकोण को इस डिबेट के अन्तर्गत प्रस्तुत करने की चेष्टा करता हूं।

(श्री अनन्तराम जायसवाल का नाम पुकारने पर)

श्री नित्यानन्द स्वामी---

जिनका नाम प्रस्ताव में है उनको तो मौका मिलेगा ?

श्री उपाध्यक्ष---

सबको नहीं मिल सकेगा।

*श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

उपाध्यक्ष महोदय, बिजली का वर्तमान संकट पर विरोध की मांग पर यह चर्चा हो रही है। इस चर्चा के शुरू होने के पहले सुबह सरकार की तरफ से एक स्टेटमेंट हम लोगों को उपलब्ध हुआ जिसको इस चर्चा का आधार माना जा सकता है। उसमें सरकार ने स्वीकार किया है कि प्रदेश में इस समय 350 से 400 मेगावाट बिजली की कमी है। यह कमी पांचवीं पंचवर्षीय योजना तक जारी रहेगी। साथ ही एक तरह से यह संतोष भी जाहिर किया है कि जो प्रगति हो रही है वह संतोषजनक है। मान्यवर, चौथी योजना में 1,310 मेगावाट से आपने शुरू किया था और इस समय आप पहुंचे हैं 1,500 मेगावाट तक। यानी 1,310 से केवल 1,500 मेगावाट तक आप पहुंचे हैं और फिर भी संतोष करते हैं। आपका यह दावा भी है कि थर्मल पावर स्टेशन अपने निर्धारित अनुमान के अनुसार चल रहा है। आपका यह भी घमंड है कि हिन्दुस्तान में जहां कुल बिजली उत्पादन का 10 प्रतिशत किसानों को मिलता है वहां हम 14 प्रतिशत अपने यहां अपने किसानों को दे रहे हैं। जो डाकूमेन्ट आपने बांटा उसका यह मतलब निकला। यह 13-14 पन्नों का स्टेटमेन्ट अगर सही लिखा जाता तो 3-4 पन्ने में आता, हमारा भी समय बचता और कागज भी बचता।

(इस समय 5 बजकर 56 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री शिवराज सिंह पीठासीन हुए)

मैं सबसे पहले यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप थोड़ी चालाकी छोड़ दें। आप यह देखें कि हिन्दुस्तान में बिजली का कुल उत्पादन और खर्च का औसत क्या है ? उसका कहीं आपने जिक्र नहीं किया। अगर यह भी आपने दिया होता तो किसानों को बिजली देने का जो आपने दावा किया है वह गलत होता। सन् 69-70 में आपकी रिपोर्ट के अनुसार किसानों को 10 या साढ़े 10 प्रतिशत बिजली मिली है। आज आपके इस वक्तव्य से पूरी तस्वीर बदल जाती है। फिर आपने स्वयं यह माना है कि यह बिजली का संकट रहेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लकिन आपने आशा भी व्यक्त की है कि यह संकट दूर हो जायगा । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि रिपोर्ट में जो भी कारण आपने दिये है संकट के उनको देखते हुए संकट खतम होने वाला नहीं है । यह आपको चेतावनी देना चाहता हूं । मिसाल के लिये आप अपनी प्रगति को देखें । आपने अपनी पंचवर्षीय योजना में एलान किया था जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया था वह 28 सौ मेगावाट तक पहुंचने का था । 1,310 से आपने शुरू किया था । इसके बाद इस राज्य और देश का दिवालियापन आगे आ गया । 525 करोड़ की रकम आपने इसके लिये निर्धारित की थी । इसमें डेढ़ सौ करोड़ रुपया कम हो गया । वही कारण था इस राज्य और देश का दिवालियापन और उसकी वजह से 28 सौ मेगावाट से लक्ष्य घटकर 24 सौ मेगावाट पर आ गया । फिर वही लक्ष्य घटकर 21 सौ मेगावाट के आसपास आ गया । आपका लक्ष्य था 28 सौ मेगावाट का, और जो क्षमता है वह 15 सौ मेगावाट की । इस पर आपको विचार करना चाहिये ।

एक तरफ आपका वह वादा और ऐलान और दूसरी तरफ जो असलियत है वह उसमें कितना बड़ा शोर । आप कारण क्या बताते हैं कि बरसात ठीक से नहीं हुई । दूसरे ओवर-हालिंग वगैरह के लिये कारखानों को छुट्टी दी जाती है । फिर कहीं टूट-फूट हो जाती है, उसमें वक्त लग जाता है । ये आपने कारण गिनाये हैं । जो भी कोई योजना बनाता है

(इस समय 6 बजकर 2 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

उसका ध्यान इन कारणों की तरफ जरूर गया या जाना चाहिये । इन सब चीजों को देखते हुए 28 सौ मेगावाट का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, आप उसको पूरा नहीं कर पायें हैं । जो कारण दिये गये हैं उनको देखते हुए कभी संकट दूर नहीं हो सकता । हमारे यहां आदत पड़ गयी है सफाई देने की । जो आदमी दफ्तर चलाता है, जो चाहे एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को या सरकार को चलाते हैं, वह सब अपना दोष कभी स्वीकार नहीं करते, कोशिश करते हैं कि अपना दोष दूसरे के कंधे पर पड़ जाय, अपने दोष और सफाई को दूसरे के कंधे पर ढाल देंगे । आखिर जिन लोगों ने 28 सौ मेगावाट का लक्ष्य निर्धारित किया था, वह लक्ष्य क्योंकर निर्धारित किया गया था । आखिर उसकी छानबीन क्यों नहीं की गयी, क्यों नहीं इन कारणों को उस वक्त देखा गया था । यह योजना बनाने वाले लोग मूर्ख थे और यह मूर्खता दूर हो पायेगी तब जब आप उसको स्वीकार करेंगे । चाहे मंत्री का मामला रहा हो या बड़े अफसर या इंजीनियर का मामला रहा हो सबको गहरा चिन्तन करना चाहिये । 28 सौ मेगावाट का लक्ष्य घटते-घटते 15 सौ मेगावाट तक पहुंच गया । आप इसको प्रगति मानते हैं । इस तरह की प्रगति आपसे आप होती रहती है । न किसी के कहने की जरूरत है न दिमाग लगाने की जरूरत है । यह प्रगति होती रहेगी । यह मतलब है ।

मैं पूरे जोर के साथ भविष्यवाणी करना चाहता हूं कि जो आपने यहां बता दिया, आप संकट को दूर नहीं करेंगे, आपने जो कारण बताये हैं, स्कूल के मास्टर वाला मामला हो गया । वह पढ़ाता है कि मुगलों के जवाल के सात कारण हैं । लेकिन वह यह नहीं सोचता कि जिन कारणों से मुगल बादशाह गिरे हैं उन्हीं कारणों से दूसरे भी गिर सकते हैं । आपने कारण दिये हैं, मशीन की ओवर हालिंग के लिये छुटटी, सरकार के जरिये मशीनें और पुर्जे न मिलना, पुर्जों की टूट-फूट वगैरह यह मोटे तौर से कारण हैं । कौन सी गारन्टी है कि ये कारण दूर हो सकेंगे । ये कारण देकर आपने सारी गलती को छिपा दिया, किसी की जिम्मेदारी निर्धारित नहीं की गयी है कोई आदमी यह कहने को तैयार नहीं है कि यह इस गलती के कारण हुआ । ये कारण आगे भी बने रहेंगे । तब फिर बिजली का संकट दूर होने वाला है या नहीं इसके

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

साथ आपने पंचवर्षीय योजना का जिक्र किया। पहली, दूसरी, तीसरी तथा चौथी पंचवर्षीय योजना बना दी चौथी के चार साल बीत गये हैं और अब 5वीं भी बना देंगे। उस योजना मात्र के बना देने से कौन सी गारंटी है कि आप 600 मेगावाट की उत्पादन क्षमता प्राप्त कर लेंगे 14 साल में 2,800 थी उसके बजाय 1,500 पर पहुंचे हैं। इसी रफ्तार को क्या तरक्की कहते हैं ? आप 5 तो क्या छठी योजना के अन्त तक भी 600 मेगावाट बिजली प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि जो कारण हैं वे अपनी जगह विद्यमान हैं। खाली योजना बना देने से संकट दूर नहीं हो जायगा। आपके पास न साधन है, न मशीनरी है और न अक्ल है लिहाजा आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकेंगे। लिहाजा मेरा दावा है कि जो संकट है वह बराबर बना रहेगा इसमें कमी होने वाली नहीं है।

चर्चा होनी थी बिजली के संकट पर लेकिन चर्चा का विषय बदल कर उद्योग बनाम कृषि का विवाद शुरू कर दिया गया। मन्त्री जी समझते हैं कि इस विवाद के उठ खड़े होने पर कोई रिएक्शनरी हो जायगा और कोई प्रगतिवादी हो जायगा। मन्त्री जी को एकदम से छुट मिल जायगी और अफसर आराम से बैठेंगे। बिजली की जो कमी है उसके कारण जो हालत उद्योग की है, वही व्यापार तथा कृषि की भी है। नटवारे का सवाल तो उस समय आना चाहिये जब उत्पादन आपका उस स्थिति में पहुंच जाय कि आप कुछ कर सकने की स्थिति में हों ? लेकिन आज तो किसान को 6 घंटे बिजली नहीं, उद्योग को 6 घंटे बिजली नहीं। जैसे उद्योग पर असर पड़ रहा है वैसे ही कृषि पर असर पड़ रहा है। आज की हालत में आप न उद्योग को और न ही कृषि को फायदा पहुंचा सकते हैं। एक दो व्यक्तियों का नाम लेकर भले ही उनको फायदा पहुंचा रहे हों लेकिन सामान्य रूप से किसी को फायदा नहीं पहुंच पा रहा है आपकी गलत योज नाओं तथा नीतियों के कारण और गलत हिसाब लगाने के कारण। इसका नतीजा यह हो रहा है कि यहां का उद्योग, व्यापार तथा कृषि सभी चौपट हो रहा है। यह स्थिति इस प्रदेश में ही नहीं सारे देश में विद्यमान है।

तारापुर के आटोमिक पावर स्टेशन को ले लें, चाहे थरमल अथवा हाइडल के पावर स्टेशंस को ले लें सब की हालत एक सी है। इस बीमारी को पकड़ने के लिये गुप्ता जी ने जो सुझाव दिये हैं उनको आप देखें। हमारी गलत नीति व योजना के कारण ही हमारा बिजली के सम्बन्ध में यह दीवालियापन है और इस तरह की मूर्खतापूर्ण योजना से कोई लाभ होने वाला नहीं है।

दूसरे, मान लीजिये आपने कोई योजना बना भी ली, साधन भी किसी तरह से जुटा भी लिये लेकिन जो इसका कार्यान्वयन कर रहे हैं, मैं साफ तरीके से इल्जाम लगाना चाहता हूं कि वे भ्रष्ट हैं। उनके रहते हुये सुधार होना नामुमकिन है। यह दृष्टि होनी चाहिये। जितनी आपकी एक-एक पाई बचती है उसे आपको किसी पावर स्टेशन की कैपेसिटी बढ़ाने में लगानी चाहिये। किन्तु क्या होता है कि जो आपका विद्युत भवन यहां पर है, उसमें खाली फिजूल-खर्ची ही नहीं बल्कि अय्यासी भी मिलेगी। जब आप इस तरह की फिजूलखर्ची और अय्यासी करेंगे, वह भी इस दरिद्र हिन्दुस्तान में, तो कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं कहता हूं कि वह आदमी या वह संस्था कभी पनप ही नहीं सकती है। यह चीजें नीचे से बराबर बढ़ती जा रही हैं। किसी भी विभाग को ही ले लीजिये, जैसे पी० डब्लू० डी० के मोहकमे को ही ले लें, सभी जगह यही हालत है। सभी लोगों की आज यही राय है कि विद्युत विभाग आज का सबसे भ्रष्टतम विभाग है। उसके कारण मैंने आपको बता दिये उसमें चाहे कोई अफसर हो या आप ही क्यों न हों। फिजूलखर्ची और अय्यासी बिल्कुल बन्द होनी चाहिये। एक बिजली के पुराने तांबे के तार को बेंचने का मामला है। बताया जाता है कि पहले एल्यूमिनियम का तार लगा दिया गया था। उसके बाद जब यह तांबे का तार आया तो यह तय किया गया कि यह तांबे का तार लघु उद्योग को दिया जायगा। लेकिन बाद में इस तार को लघु उद्योग को न देकर बगैर

विज्ञापन किये नीलाम का सहारा लिया गया और मालूम हुआ कि वह किसी आदमी के पास पहुंच गया । उस आदमी ने उस तार से एक-डेढ़ करोड़ रुपये और बना लिया । बगैर उस तार को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर किये ही उसने उस तार को डेढ़-दो करोड़ रुपये में बेच दिया । इस शिकायत की हमारे राजा साहब ज्यादा तहदीक कर सकते हैं । तो यदि आपकी दृष्टि यही रही.....

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें ।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

2/4 मिनट ही और लूंगा । आप रोना रोये हैं कि आपके वायलर्स वगैरह खराब हो जाते हैं । अभी इसी सम्बन्ध का हरदुआगंज-अलीगढ़ का एक प्रश्न यहां पर आया था जिसकी वजह से कि एक करोड़ रुपये का सालाना का घाटा बराबर होता रहता है । तो इससे कोई हल निकलने वाला नहीं है । मान्यवर, मैंने यहां पर अभी एक बार कहा था कि गंगोत्री में ही कीचड़ हो गया है तो यहां पर मैदान में नीचे से कीचड़ साफ करने लगे तो उससे कोई अच्छा नतीजा नहीं निकलेगा । तो जब तक सादगी नहीं ली गई तब तक काम चलने वाला नहीं है । अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मामला दुरुस्त होने वाला नहीं है.....

श्री उपाध्यक्ष--

अब 15 मिनट बाकी रह गये हैं.....

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मान्यवर, अन्त में एक ही बात कहूंगा कि अपनी इनइफीसियेन्सी और दुराचरण का पहला नमूना आपने यह दिया है कि डेवलपिंग इकोनोमी में भ्रष्टाचार तो जरूर होता है । आखिर हमारे अर्थशास्त्रियों ने दर्शन के रूप देते-देते यह भी कह दिया है कि डेवलपिंग इकोनोमी में भ्रष्टाचार जरूर होता है । इसमें भी इसी तरह के दर्शन का निरूपण किया गया है कि जहां-जहां थर्मल और हाइडिल पावर स्टेशन साथ-साथ काम करते हैं, सम्मत तरीके से काम करते हैं और जहां मिलीजुली प्रणाली है वहां अधिष्ठापित उपलब्ध क्षमता का केवल 70 प्रतिशत ही रह जाता है । इस तरह का बयान जारी करके आप सन्तोष से बैठ जाते हैं और आपको अधिष्ठापित क्षमता का केवल 70 प्रतिशत ही प्राप्त होता है कंजम्पशन के लिये जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ने की कृपा करेंगे । आखिर यह कैसे संभव है ।

इसका मुख्य कारण यही मालूम होता है कि आज बिजली की जबरदस्त चोरी हो रही है, आपके अमलों द्वारा जगह-जगह चोरी हो रही है और दर्शन के रूप में यह सब हो रहा है आपकी इस्टैब्लिशमेंन्ट कैपेसिटी 2,100 मेगावाट की है और आपका कहना है कि हमें 300-400 मेगावाट बिजली की जरूरत है । जबकि एवेलेबिल आपको 1,500 मेगावाट है । आखिर इस्टेब्लिशमेन्ट कैपेसिटी में और वास्तविक उपलब्धि में इतना अन्तर कैसे मुमकिन हो गया, मैं मांग करता हूं कि इस सदन से पब्लिक एकाउन्ट कमेटी द्वारा या और किसी कमेटी द्वारा इसकी ठीक से छानबीन की और इसके लिए कमेटी को 15–20 दिन या एक महीने का समय दिया जाय । जो आपका डाकूमेंन्ट आया है खोली इसकी जांच करवाई जाय तो मैं कहता हूं कि सुधार की तरफ आप आ जायेंगे । जैसा कहा गया है कि अगर रेगुलर सप्लाई नहीं है तो थर्मल पावर की तरफ ध्यान दिया जाय ताकि चोरी बन्द हो । वरना क्या कारण है कि वायलर वगैरह अच्छी तरह से ठीक नहीं होते हैं ।

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

माननीय गुप्ता जी ने सही बात कही है और मैं पूरें जोर के साथ कहना चाहता हूं कि आप के पास समय नहीं है, आपके अधिकारियों के पास समय नहीं है, आपके विशेषज्ञों के पास समय नहीं है आपके जो बड़े-बड़े इंजीनियर्स हैं, मेरी समझ में नहीं आता कि बजाय काम करने के वे बराबर ट्रांस्फर और पोस्टिंग में ही रात-दिन लगे रहते हैं । चाहे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अध्यक्ष हों, चाहे चीफ इंजीनियर हों, चाहे आपके जो एक्सपर्ट लोग हों वे काम की तरफ ध्यान नहीं देते । जब भी हम कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, किसी इंजीनियर या चीफ इंजीनियर से टेलिफोन पर बात करना चाहते हैं तो यही पता चलता है कि मीटिंग हो रही है । काहे की मीटिंग ? बजाय इसके कि वे बड़ी-बड़ी समस्याओं की तरफ ध्यान दें, रात-दिन ट्रांस्फर और पोस्टिंग में लगे रहते हैं । न मालूम कितने महकमें तो आपने ले रखे हैं और इसलिये जितना समय आपको इसके लिये देना चाहिये नहीं दे पाते । आप ही नहीं, गवर्नमेन्ट आफ इंडिया से भी जितना महत्व इस बिजली को मिलना चाहिये वह नहीं देती है । क्योंकि आप देखें कि आजकल केन्द्र में भी कैबिनेट स्तर का कोई बिजली का मन्त्री नहीं है । अगर यह कहा जाय कि श्री के0 एल0 राव बिजली के एक्सपर्ट हैं तो वे पानी या नहरों के लिये एक्सपर्ट होंगे लेकिन बिजली के मामले में वे बेकार हैं । मैं तो कहता हूं कि जब तक आप रहेंगे यह बिजली की चोरी होती रहेगी और जिस तरह का भ्रष्टाचार है वह उत्तर प्रदेश में बना ही रहेगा तथा यह संकट भी बना रहेगा । अगर आप इसी नीति पर चलते रहेंगे तो बिजली की कमी भी बढ़ती रहेगी, जबकि उसमें सुधार की जरूरत है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

चर्चा के लिये उतने ही समय की अनुमति दे सकता हूं जितना कि मैं उचित समझूं और जो ढाई घंटे से अधिक न हो--मैं इस नियम से बंधा हुआ हूं ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)--

मान्यवर, हमने सूचना दी है, हम को समय मिलना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब केवल दस मिनट ही बचे हैं ।

श्री चरणसिंह--

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे लिये दस मिनट हैं न ।

श्री उपाध्यक्ष--

5 मिनट आपके लिये और 5 मिनट जवाब के लिये हैं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था के विरोध में सदन त्याग कर रहा हूं ।

श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, हमको थोड़ा समय मिल जाना चाहिये ।

श्री चरणसिंह--

(माननीय राम प्यारे जी) बिड़ला जी से हमारी मुलाकात हुई तो हम कह देंगे कि रामप्यारे जी ने बहुत कोशिश की थी ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

जिन्होंने सूचना दी है उनके लिये आपको समय निश्चित करना चाहिये था।

(श्री नित्यानन्द स्वामी सदन त्याग कर चले गये।)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

अगर समय निश्चित कर दिया गया होता तो सबको समय मिल गया होता।

*श्री चरणसिंह---

उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि समय बहुत कम है इसलिये मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूंगा। माननीय तिवारी जी ने जो जवाब दिया है उसे ऐसा समझा जाये कि वह जवाब ही नहीं था। मिसालन एक का भी जवाब नहीं था। बरसात न होने बिजली की कमी का एक ही कारण बताया है। जब हमने आंकड़े दिये कि बरसात कम नहीं हुई तो उसका कोई जवाब दिया नहीं एक लफ्ज का जवाब नहीं हुआ। आप कहते हैं कि आंकड़े गलत हैं यह जवाब तो नहीं हुआ। यह गवर्नमेंट को शोभा नहीं देता है।

दूसरी बात यह है कि पानी नहीं पड़ा इसलिये रिहन्द का लेविल गिर गया। लेकिन जो थर्मल से बिजली उत्पन्न होती है उसमें बिजली कम क्यों पैदा हुई। इसकी बाबत एक लफ्ज नहीं कहा गया। तीसरी ट्रांसमीशन के लासेज की बात है, आपने कहा कि 23 नहीं बल्कि 22 हैं। सारे देश के लासेज माइनस यू0 पी0 करके साढ़े चौदह है जबकि आपके यहां साढ़े बाइस हैं। कहा जाता है कि यू0 पी0 बहुत लम्बा प्रदेश है, महाराष्ट्र से भी लम्बा है, मध्य प्रदेश से भी लम्बा है रूस के बाबत क्या जवाब देंगे, वह तो बहुत बड़ा देश है,। मैंने कहा कि इस साल 35 है तो आपने कहा कि एक महीने का बता रहे हैं। मैंने कहा कि आपने पढ़ा कि आर्टिकिल में 35 परसेंट है। मैंने सोचा कि आप बाद में जवाब देंगे। लेकिन जवाब नहीं दिया। मैं कांग्रेस के अपने साथियों की कांशस को अपील करना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी ने कोई जवाब दिया।

मैंने कहा कि रिक्वायरमेंट इतनी है और प्रोडक्शन इतना है। लेकिन आप कुछ कहते हैं और डाक्टर के0 एल0 राव कुछ कहते हैं। लेकिन आपने कुछ नहीं छुआ। मैंने कहा था कि आपने सोमानिया स्टील को 6 हजार किलोवाट बिजली दे दी। लेकिन उसके संबंध में आपने एक लफ्ज नहीं कहा। मैंने आपको बता दिया आप उसको चेयरमैन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को रिफर कर लेते कि यह है या नहीं। इससे ज्यादा कन्डैमेबिल बात और क्या हो सकती है। आप खामोश हैं। आपकी खामोशी जाहिर करती है कि आपने दिया है सोमानी स्टील को 6 हजार दे रहे हैं और फिर बैठे हैं। ज्यादा सख्त लफ्ज कहूंगा तो अच्छा नहीं लगता है। बिरला के साथ एक कन्ट्रेक्ट हुआ। मैं जानना चाहता हूं कि वह रिवोक क्यों नहीं हो सकता है। हमारी विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति ने कहा है कि यह रिवोक हो सकता है यह इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऐक्ट के विरुद्ध है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने इस विषय पर विधि विभाग से कोई लिखा-पढ़ी की, क्या आपने एडवोकेट जनरल से मश्विरा लिया कि यह ऐग्रीमेंट रिवोक हो सकता है या नहीं ?

श्री रूपनारायणसिंह यादव---

श्रीमन्, हिन्डालको के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है वह इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऐक्ट के अधीन ब्याण्ड एव इनिशो है। इसकी रिपोर्ट हमारे प्रतिनिहित विधायन समिति ने 20 जुलाई, 1972 को दी है इसी सदन के पटल पर रखी गयी है। लेकिन इसके बावजूद भी न तो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रूपनाथसिंह यादव]

रेट ज्यादा किया गया है और न ही उसका राष्ट्रीयकरण किया गया है। रिपोर्ट में यह भी दिया हुआ है कि सस्ती बिजली देने से हिन्डालको को, सरकार को 62 1/2 करोड़ रुपये की हानि उठानी पड़ी है।

श्री चरणसिंह—

तो मैं पूछ रहा था कि क्या सरकार ने ला डिपार्टमेंट से राय ली है, क्या आपने एडवोकेट जनरल से पूछा है? यदि नहीं तो क्यों? नहीं पूछा है? दूसरी बात अगर आप एग्रीमेंट को कैन्सिल नहीं कर सकते हैं तो 3 महीने का शट डाउन क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर वह कारखाना 18 घंटे चले और 6 घंटे न चले तो नुकसान हो सकता है लेकिन अगर 3 महीने या 6 महीने न चले तो उसके बारे में भी कोई जवाब नहीं दिया गया।

जब यहां पर संविद की मिनिस्ट्री थी तो हमने 30 प्रतिशत का कट कर दिया था। आप क्यों नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में भी कोई जवाब नहीं दिया गया। नेशनल हैराल्ड में निकला कि आप 30 परसेंट के कट पर सोच रहे हैं लेकिन उस पर भी आपने कोई जवाब नहीं दिया।

बिजली के सम्बन्ध में जब तक प्रदेश में बिजली का संकट रहेगा क्या आप कमिटमेंट करने को तैयार हैं कि तब तक एडिशनल बिजली नहीं देंगे? यदि आप एग्रीमेंट को रिवोक नहीं करना चाहते हैं तो 3–4 महीने के लिए टेम्पोरेरी शट डाउन क्यों नहीं कर देते? आप 30 परसेंट बिजली कट करने को तैयार नहीं हैं, आगे को बिजली न देंगे, जब तक प्रदेश में बिजली का संकट है, उसका कमिटमेंट करने को तैयार नहीं हैं और मेरे दोस्त जो उधर बैठे हैं जिम्मेदार हैं, जिनके बल पर यह सरकार चल रही है।

माननीय गुप्ता जी ने जो कुछ हिन्डालकों के बारे में कहा वह एसेन्शियल नेचर होने की बाबत, उसमें मेरा मतभेद है, । अगर बिजली एग्रीकल्चर को देने के बाद अवेएलेबिल है तो इन्हें दी जा सकती है। एग्रीकल्चर की रिक्वायरमेंट्स जब पूरी हो जायें तभी उनको बिजली दी जाय और अगर कृषि और उद्योग, दोनों को दी जा सकती है तो दोनों को दी जाय। लेकिन अगर बिजली कम है तो मैं इस राय का हूं कि वह एग्रीकल्चर को दी जाय। अल्मूनियम से बर्तन अच्छे मिल जायेंगे लेकिन आदमी जिन्दा नहीं रहेगा। इसलिये एग्रीकल्चर कम्स फर्स्ट ऐण्ड इन्डस्ट्री कम्स आफ्टर वार्ड्स। अगर बिजली लिमिटेड है और चूज करना है, एग्रीकल्चर और इन्डस्ट्रीज में से तो कभी किसी पब्लिक मैन की यह राय नहीं होगी या किसी एकानामिस्ट की भी राय नहीं हो सकती कि इन्डस्ट्री को प्रेफर किया जाय। आपने जो नोट दिया उसमें एग्रीकल्चर को चौवह परसेन्ट दी गई है और इन्डस्ट्री को 66.5 परसेंट दी गई है।

(व्यवधान)

जो नोट है उसको मैं पढ़ रहा हूं लिखा है––"उत्तर प्रदेश में प्रमुख क्षेत्रों में विद्युत् खपत निम्न प्रकार से होती है।

उद्योग—66.5 प्रतिशत।

कृषि—पम्प—14.00 प्रतिशत।

घरेलू, वाणिज्यिक तथा और कामों के लिये—9 प्रतिशत"।

तो एग्रीकल्चर को आज ही चौवह परसेंट दी जा रही है। एग्रीकल्चर और इन्डस्ट्री में प्रीफ्रेन्स का सवाल उठता नहीं है। एग्रीकल्चर है आलरेडी स्टाण्ड। मैं इसी सिलसिले में एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी के रेट क्या हैं। जब सम्पूर्णानन्द जी चीफ मिनिस्टर थे तो मैंने तीन कैबिनेट की मीटिंग्स में इसको अपोज किया था, न दी जाय। अगर दी

जाय तो मुनाफे से दी जाय। हर्गिज लास से न दी जाय। यह मामला जो चौथी कैबिनेट में आया था तो यह तय हुआ था। पर मैंने तब भी अपोज किया था। कम से कम इस हिसाब से देना चाहिये सोचकर कि अढ़ाई करोड़ रुपये सालाना गरीबों का नुकसान हो रहा है। गुप्ता जी ने जो कहा कि यह रा-मैटीरियल के रूप में इस्तेमाल होता है वह तो ठीक है बेल ऐन्ड गुड पर अढ़ाई करोड़ रुपये गरीब जनता अरबपति आदमी के लिये दे तो क्या अच्छा है। अच्छा तो यह है कि वह फैक्टरी बन्द हो जाय। वैसे इन्डस्ट्रियल गुड्स सभी असैन्शियल हैं। क्वैश्चन सिर्फ प्रायोरिटी का है। इन्डस्ट्रियल गुड्स में भी इसका स्थान नहीं आयेगा। स्टील का तो आ जायेगा। असैन्शियल कामोडिटी तो फूड है। बिरला आज नौ अरब का मालिक है इस वास्ते हम बिरला के नाम से चमकते हैं।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सुखपाल पान्डेय के मर्डर सम्बन्धी प्रश्न को लेकर जो घोषणा होने वाली थी उसके विषय में सूचना देने को अध्यक्ष महोदय ने चार बजे कहा था।

श्री उपाध्यक्ष—

उसको कल पूछियेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, यह कितने महत्व का विषय है। इससे यह अन्दाजा लगाया जा सकता है कि दो सम्माननीय नेताओं ने प्रदेश के और जिनके नेतृत्व में प्रदेश को कार्य करने का मौका मिला है उन्होंने अपने विचार प्रकट किये। मैं यह आशा करता था कि बिजली की कमी के ऊपर जो दृष्टिकोण होगा वह राजनीतिक से ऊपर उठकर होगा, राजनैतिक दृष्टिकोण से ऊपर उठकर होगा। मान्यवर, एक तरफ तो चौधरी साहब ने कहा कि हिन्डालको को बिजली क्यों देते हो .....

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैं बिजली मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि यह बताएं कि क्यों वह अपने निर्धारित लक्ष्य को पूरा नहीं कर सके। कृषि बनाम उद्योग और बिड़ला बनाम सिंहानिया, यह बहस हम सुनने को तैयार नहीं हैं। आप साफ-साफ बताइए कि निर्धारित लक्ष्य क्यों नहीं पूरा कर सके और उसके लिये क्या उपाय करने जा रहे हैं? कैसे कृषि को बिजली देने जा रहे हैं?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, दूसरी तरफ मुझे यह डांट मिली कि हिन्डालको को उस रेट पर क्यों नहीं देते हो जो 1969 में तय हो गया और बार-बार कहा जाता है कि हिम्मत करो, जिस रेट पर बिजली देना तय हुआ था उस पर क्यों नहीं देते। तो श्रीमन्, दो तरह की बातें आयीं। मैं इस संबंध में अपनी स्थिति पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं। जहां तक डिन्डालकों के राष्ट्रीयकरण का सवाल है, जो कमेटी की रिपोर्ट है उसे भारत सरकार को भेजा जा चुका है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को भेजा जा चुका है और उसके आधार पर कहा जा चुका है कि अगर हिन्डालको का राष्ट्रीयकरण केन्द्र तय करता है तो उत्तर प्रदेश सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी।

(व्यवधान)

जहां तक संविधान का सवाल है, उसमें स्पष्ट है कि अल्यूमिनियम उद्योग को केन्द्र ही टेक-ओवर कर सकता है, प्रदेश नहीं कर सकता.....

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मेरा एक निवेदन सुन लीजिए। मान्यवर, सदन की कमेटी ने कहा है कि जो उत्पादन खर्चा है उससे कम पर बिड़ला को दे रहे हैं .....

श्री नारायणदत्त तिवारी---

पहले मेरी बात सुन लीजिए। फिर आप पूछ लीजियेगा। आज हिन्डालको को जो बिजली हमने यहां नहीं दी उसके मुख्य कारण यह है कि एक तो हमारे पास बिजली उपलब्ध नहीं है, दूसरे जिस रेट पर वह बिजली मांगते हैं उस रेट पर हम बिजली देने की इस समय स्थिति में नहीं हैं। मान्यवर, जैसा मैंने पहले कहा, भारत सरकार अगर कोई आल इंडिया टैरिफ नियत करे, कोई एक्सपर्ट कमेटी बिठाए और निर्णय हो तो वह अलग बात है लेकिन हम अपनी तरफ से कोई कंसेशनल रेट पर, जो पुराना रेट था, उस पर देने को तैयार नहीं हैं .....

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

आप राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं करते ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

भारत सरकार को लिख दिया है ....

श्री कल्पनाथ सिंह---

उसको पढ़कर सुना दें.....

श्री नारायणदत्त तिवारी---

मैंने सुब्रहमण्यम साहब को, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को.....

श्री कल्पनाथ सिंह---

यह सरकार झूठ बोलने की आदी हो गयी है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---

आप सिद्ध करें कि हमने नहीं लिखा है। हमने तो लिखा है।

श्री कल्पनाथ सिंह---

आप बताइये किस महीने में किस साल में और किस तरीख को आपने चिट्ठी लिखी ? महीना ही बता दीजिये कि किस महीने में आपने चिट्ठी लिखी ?

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

ये जवाब नहीं दे रहे हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---

कल्पनाथ सिंह जी, आप बिला मतलब ही नाराज हो रहे हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह---

मैं नाराज नहीं हो रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय। आप अपना भाषण बन्द करें।

श्री नारायणदत्त तिवारी---

मुझे तारीख याद नहीं है। अक्तूबर-नवम्बर में केन्द्रीय विकास मंत्री श्री सुब्रहमण्यम को चिट्ठी लिखी है । डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही चिट्ठी लिखी है।

श्री राम बिलास पाण्डेय (जिला आजमगढ़)--

आपने किसान के लिये दिन के 2 बजे से शाम के 8 बजे तक बिजली बन्द कर दी है। रात में किसान अपना नलकूप नहीं चलाना चाहता।

श्री राम प्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)--

मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये बिजली कम क्यों दे रहे हैं, किसान को बिजली क्यों न दे रहे हैं, तथा यह क्यों नहीं कहते कि उद्योगपतियों को बिजली देना चाहते हैं? ब्याह-शादी की बात लेकर बैठ गये। यह क्यों नहीं बताते कि बिजली कहां दबी पड़ी है?

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)--

किसान को बिजली नहीं दे रहे हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

व्याह-शादियों के लिये हमने इसलिए किया है ताकि कम से कम बिजली का इस्तेमाल हो।

(व्यवधान)

श्री शिवराज सिंह--

क्या आप.....

(व्यवधान)

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)--

ये सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम वाक आउट करते हैं।

(विरोधी दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री उपाध्यक्ष--

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 42 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
18 दिसम्बर, 1972।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 11 का उत्तर पीछे पृष्ठ 628 पर)

संलग्नक—1

11 के० वी० मुख्य लाइनों की सूची एवं लम्बाई

क्र०-स०	लाइन का नाम	लम्बाई कि०मी०
1	सिकन्दरा–डेरापुर	16.3
2	सिकन्दरा–टेरा	8.6
3	सिकन्दरा–खानपुर	17.6
4	क्षीक्षक–मंगोलपुर–नेपालपुर	16.0
5	नोनारी बुजुर्ग–खानपुर दिलवाल	7.2
6	मुण्डेरा पानीपुर रसूलाबाद	7.8
7	किशोरा–ताजपुर	8.6
8	असलतगंज–बनीपारा महाराज	18.2
9	असलतगंज–अजनपुर इन्दौती	12.8
10	असलतगंज–पूरन पुरवा	15.9
	कुल ..	129.00

संलग्नक—2

डेरापुर तहसील में विद्युतीकरण के लिये प्रस्तावित ग्रामों की सूची

ए—ब्लाक डेरापुर

1—जसापुर
2—लादुर छियाना
3—आस्बी
4—सन्डना
5—नेपालापुर
6—धर्मपुर
7—तेरा
8—कसोखर
9—बीशलपुर
10—तुतुआपुर
11—सबनीपुर
12—बिन्दरथू
13—जमौरा
14—रींवा
15—एकमा
16—जिगना
17—जतापुर
18—भिटौरा
19—धबलापुर
20—पल्हनापुर
21—हिसावां
22—सन्वलपुर
23—मुहम्मदपुर (सुल्तानपुर)
24—जलालपुर डेरापुर
25—फिरोजपुर
26—हथुमा
27—कालागांव
28—अमौली कुर्मियां
29—जरौली
30—कोंरोंवां
31—उरसन
32—अगवासी
33—अन्तापुर
34—फरीदपुर मितारा
35—गढ़िया सिकन्दरा
36—हरपुर

37--ररउंखा
38--मांडमऊ
39--खानपुर दिलवल
40--वारी
41--हिवहुआ
42--सुरसी
43--सतौरा
44--गहिलापुर
45--महाया
46--मूरा
47--भूपतियापुर
48--हुनरी बुजुर्ग
49--बिसोहा
50--मढ़ना
51--कपासी
52--गढ़िया डेरापुर
53--इकरामपुर
54--अकरू
55--खानपुर चैन
56--कमलपुर
57--सिथमरा
58--जन्दामऊ
59--हजुआ रामपुर
60--रेरौ
61--बहिरी उमरी
62--दिलैलिया
63--बिजयहारा
64--बुन्दौली
65--उमरी बुजुर्ग
66--जिगनीश
67--दस्तमपुर
68--गलुआपुर
69--बड़ागांव मिल्खी
70--खजुरा
71--फतेहपुर डेरापुर
72--गोरियापुर
73--रतियमपुर
74--परौंख
75--खल्ला
76--सनिहापुर
78--भोजपुर
79--कुढ़वल
80--खिरवां
81--भराबल
82--डेरापुर
83--डेरापुर
84--सरगांव खुर्द
85--जीरेपुर
86--नानथू
87--मंगीशपुर
88--मंडपुर
89--मवई मुक्ता
90--बलई बुजुर्ग
91--महिगवां
92--इन्दुरूख
93--खेहन्थरा
94--ऊलरपुर
95--चिलौली
96--सरगांव बुजुर्ग
97--बिरिया डेरापुर

बी ब्लाक रसूलाबाद

98--पूरनपुरवा
99--कथरा
100--गहिलू
101--बनैठा
102--उसैरी
103--बिलहरा
104--अजनपुर इन्दौती
105--ससिही
106--अलीपुर रामपुर
107--बारीसाल
108--जोट
109--अमरूहिया
110--मलखानपुर झंकार
111--रसूलाबाद
112--देवगांव उर्ज-निबहू
113--मेघजाल
114--मलखानपुर देवगांव
115--इन्दलपुर
116--लाला भगत
117--तिपथिया
118--अपलागंज
119--बहादुरपुर
120--पहाड़ीपुर
121--हिलेपुर
122--दवाली
123--माल का पुरवा
124--मित्रसेनपुर केनझरी
125--मकरन्दपुर केनझारी
126--मीखदेव

127—कपराहाट
128—अपौना
129—भवनरा
130—सिमरामऊ
131—सियनपुरा
132—अतिया रायपुर
133—केन्झोरी खुर्द
134—मानपुर गजैन
135—सुन्दरपुर गजैन
136—समायन
137—दया
138—आलमपुर खैरा
139—सलामपुर महेरा
140—सूजनपुर
141—मैंसायन
142—भेरामऊ
143—ताजपुर तरसउली
144—भवनपुर
145—नरखास
146—नरखुन्ड
147—सियऊ

सी—ब्लाक झिझक

148—ताजपुर
149—सरहरामऊ
150—जिस्तामऊ
151—रानीपुर रसूलाबाद
152—बान
153—परजानी
154—चिरखेरी
155—साहपुर डेरापुर
156—गरही मेहरा
157—छतरसा
158—पपरी पटहोर
159—जगदीशपुर
160—रामपुर तप्पावर
161—कोरिया झल्ला
162—तुरना
163—किशोरा
164—रतनपुर
165—सिंगबाहर
166—गऊपुर
167—मलगांव
168—बचित भरथू
169—बचित पुरवा
170—बचित जसू
171—मैनीपुरा जैनाई
172—देवकी पुरवा
173—जजमोइया
174—बनीपुरा डगरहा
175—बैनीपुरा महराज
176—अमौली थाकुरन
177—जलिहापुरा
178—जुरिया
179—खम्हियाला
180—मुन्द्राकिन्नेर सिंह
181—औरंगाबाद दालचंद
182—अनन्तपुर धुनकेत
183—औरंगाबाद हीरामन्नन
184—औरंगाबाद झरा
185—औरंगाबाद भोला हुलास
186—परेहुलाई
187—मंगलपुर
188—सबलपुर
189—सिकहिला
190—कुन्दौली मबौली
191—लक्ष्मनपुर

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 17 का उत्तर पीछे पृष्ठ629 पर)

गिरीश चन्द्र,
जिलाधिकारी ।

अ० शा० प० सं०–509 टी०ए०सी०
कार्यालय जिलाधिकारी
फैजाबाद ।

दिनांक 24 मार्च, 1972 ।

प्रिय श्री पाण्डेय,

नगर क्षेत्र समिति अकबरपुर ने अपने यहां विद्युत स्ट्रीट लाइट विस्तार का प्रस्ताव पिछले कई महीने पहले पास किया है । इस संबंध में होने वाले व्यय का संशोधन एस्टीमेट आपके एस० डी० ओ० तृतीय खन्ड द्वारा आपके कार्यालय को दिनांक 16–11–71 को भेजा जा चुका है । इस कार्य को इसी वित्तीय वर्ष में पूरा करने के लिये मेरे द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति भी दी जा चुकी है । प्रश्नगत विद्युत स्ट्रीट लाइट का विस्तार इसी वित्तीय वर्ष में होना इसलिये भी आवश्यक है कि नगर क्षेत्र समिति ने इस पर होने वाले व्यय का प्रबन्ध इसी चालू वित्तीय वर्ष में कर लिया है और यदि यह कार्य इसी वित्तीय वर्ष में न कर लिया गया तो इसका प्रभाव समिति के बजट पर पड़ेगा तथा नागरिकों को भी सामयिक सुविधा न मिल पायेगी ।

अतः आप से अनुरोध है कि कृपया मामले की जानकारी अपने कार्यालय से व्यक्तिगत रूप से करें तथा तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करके वांछित स्ट्रीट लाइट के विस्तार का कार्य चालू वित्तीय वर्ष में पूरा कराने का कष्ट करें ।

भवदीय

ह० गिरीशचन्द्र,

श्री बी० बी० पाण्डेय,
अधिशासी अभियन्ता,
हाइडिल, फैजाबाद ।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 23 का उत्तर पीछे पृष्ठ 631 पर)

तहसील मुसाफिरखाना, सुलतानपुर के विकास क्षेत्र जगदीशपुर व मुसाफिरखाना में जनवरी, 72 से 5 सितम्बर, 1972 तक चीनी विक्रेताओं को अलग-अलग मास में दी गई चीनी की मात्रा—

माह	मात्रा क्विंटल में जो उठाई गई	मात्रा जो बांटी गई क्विंटल में	शेष मात्रा क्विंटल में
जनवरी	.. 215	215	निल
फरवरी	.. 291	291	निल
मार्च	.. 294	294	निल
अप्रैल	.. 426	421—02	4—98
मई	.. 277	281—98	निल
जून	.. 297	297	निल
जुलाई	.. 293	287	6—00
अगस्त	.. 271	277	निल
सितम्बर 5 तक	.. निल	निल	निल

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 61 का उत्तर पीछे पृष्ठ 643 पर)

1970–71 तथा 1971–72 और अप्रैल, 1972 से अक्तूबर, 1972 के काल में इलेक्ट्रीसिटी मेन्टीनन्स डिवीजन बस्ती (उप-खंड वार) का तहसीलवार मेन्टीनेन्स व्यय—

क्रम-सं०	10 उप-खण्ड का नाम	वर्ष	नकद रूप में (By Cash)	स्टाक द्वारा (By Stock)
1	प्रथम उप-खण्ड बस्ती ।	1970–71	2,24, 149–16	91,978–19
		1971–72	1,75,768–86	90,423–12
		4/72 से	..	..
		10/72	2,01,715–88	45,310–85
2	द्वितीय उप-खण्ड खलीलाबाद ।	1970–71	2,71,422–34	67,184–20
		1971–72	2,04,685–44	58,209–03
		4/72 से	..	..
		10/72	2,10,270–33	35,419–48
3	तृतीय उप-खण्ड बांसी	1970–71	1,59,430–53	1,88,007–94
		71–72	1,83,981–82	84,043–55
		4/72 से	..	..
		10/72	1,27,707–07	40,492–43
4	चतुर्थ उप–खण्ड हरैया	1970–71	1,56,788–94	1,50,722–82
		1971–72	1,95,837–30	2,21,417–06
		4/72 से	..	..
		10/72	1,10,091–75	70,304–92
5	पंचम उप–खण्ड डुमरियागंज ।	1970–71	86,382–70	74,817–77
		1971–72	82,255–94	1,56,466–88
		4/7 से	..	..
		10/72	95,918–46	21,054–90

[नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 70 का उत्तर पीछे पृष्ठ 648 पर)

संलग्नक

ज्ञापन में दी गई मुख्य मांगे

1—ट्यूबवेलों पर लगाए गए तीन रुपये प्रतिहार्स पावर कर समाप्त किया जाय ।

2—जितनी बिजली खर्च हो उतना पैसा लिया जाय ।

3—बिजली की बढ़ी दर घटाकर देश की अन्य सरकारे जैसे तामिलनाडु में, 11 पैसे प्रति यूनिट निर्धारित की जाय ।

4—अतिवृष्टि एवं अनावृष्टि को ध्यान में रखकर पिछला बकाया माफ किया जाय ।

5—मीटर जलने पर विभाग निः शुल्क बदल ।

6—ट्यूबबेलों पर जबरन लगाए गए लाइट मीटर हटाये जायें ।

7—बिजली की नियमित सप्लाई की गारन्टी ली जाय ।

8—अतिवृष्टि एंव अनाविष्ट के कारण बिजली के बिलो की बकायादारी के कारण कटे कनेक्शन अविलम्ब अविलम्ब जोड़े जाय ।

9—ट्यूबबेलो पर जिला परिषद् द्वारा लगाए गये टैक्स एवं लाइसेंस फीस को समाप्त किया जाय ।

10— भ्रष्ट एवं बेईमान डिवीजनल लेखाकार को दण्डित किया जाय ।

11— इन मांगो में प्रत्येक के सम्बध में सरकार द्वारा लिए निश्चय से संघ को अवगत कराया जाय ।

नत्थी 'च'

(देखियें अतारांकित प्रश्न संख्या 3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 649 पर)

जनवरी, 1972 से 31 अगस्त, 1972 तक भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण दण्डित सरकारी सस्ता गल्ला चीनी के बिक्रेताओं की सूची

(अ) निरस्त की गई सरकारी सस्तें गल्ले/चीनी की दूकानों की सूची

1—मेसर्स ननकूलाल, बेलीगांव, इलाहाबाद ।
2— ,, रामबाबू सुरेश बाबू, बादशाह मण्डी, इलाहाबाद ।
3— ,, मोतीलाल गुड़ की मंडी, इलाहाबाद ।
4— ,, श्रीनाथ, ममफोर्डगंज, इलाहाबाद ।
4 क— ,, बंशीलाल, दारागंज, इलाहाबाद ।
5— ,, जार्ज टाऊन सी0 सी0 यस० एलनगंज, इलाह ाबाद ।
6— ,, बसन्तलाल, नैनी, हलाहाबाद ।
7— ,, अब्दुल मजीद, टाऊन एरिया सराय आकिल, इलाहाबाद ।
8— ,, बिन्देश्वरो प्रसाद, न्याय पंचायत-भगवतपुर, तहसील चायल, इलाहाबाद ।
9— ,, रामअवतार कटोहलागोसपुर, न्या0 पं0 कटोहलागोसपुर, तहसील चायल, हलाहाबाद
10— ,, जवाहरलाल, न्याय पंचायत-पुरामुफ्ती, तहसील चायल, इलाहाबाद ।
11— ,, दीनानाथ, न्याय पंचायत-भवारी, तहसील चायल, इलाहाबाद ।
12— ,, विजयबहादुर सीतला प्रसाद, न्याय पंचायत-पुरखास, तहसील चायल, इलाहाबाद ।
13— ,, राम प्रताप दावारीलाल, न्याय पंचायत झपिया मोहम्मदपुर, तहसील चायल, इलाहाबाद ।
14— ,, लालता प्रसाद, न्याय पंचायत-सैयद सरावांह तहसील चायल, इलाहाबाद ।
15— ,, मोतीलाल कैसरवानी, न्याय पंचायत लखनपुर, तहसील चायल, इलाहाबाद ।
16— ,, चेतमन सिंह, न्याय पंचायत-दुर्गापुर, तहसील चायल, इलाहाबाद ।
17— ,, रईस अहमद, न्याय पंचायत-पंहगांव, तहसील चायल, इलाहाबाद ।
18— ,, जवाहरलाल, न्यायपंचायत-सिराथू, तहसील सिराथू, इलाहाबाद ।
19— ,, हुबलाल, न्यायपंचायत-उदहिनदुर्द, तहसील सिराथू, इलाहाबाद ।
20— ,, श्रीराम, न्यायपंचायत-बौड़ाई, तहसील-फूलपुर, इलाहाबाद ।
21— ,, राजाराम, न्यायपंचायत-हरभानपुर, तहसील फूलपुर, इलाहाबाद ।
22— ,, मिठाईलाल, न्यायपंचायत कहली, तहसील फूलपुर, इलाहाबाद ।
23— ,, ईश्वरदीन न्याय पंचायत डीहा, तहसील करछना, इलाहाबाद ।
24— ,, काशीप्रसाद, रोकड़ी, न्याय पंचायत—रोकड़ी, तहसील करछना, इलाहाबाद ।
25— ,, त्रिवेनीप्रसाद, बीरपुर न्याय पंचायत-बीरपुर, तहसील करछना, इलाहाबाद ।
26— ,, गंगादीन, न्याय पंचायत—नमीवी, तहसील करछना, इलाहाबाद ।
27— ,, चिन्तामणिद्वारिका प्रसाद, न्यायपंचायत डभांव, तहसील करछना, इलाहाबाद ।
28— ,, रामप्रताप नरायन सिंह, न्याय पंचायत डंभाव, तहसील करछना, इलाहाबाद
29— ,, भगवत सिंह, न्याय पंचायत—सारंगापुर, तहसील करछना, इलाहाबाद ।
30— ,, कृष्ण बिहारीलाल, न्यायपंचायत—जसरा, तहसील करछना, इलाहाबाद ।
31— ,, रामअधार, न्याय पंचायत—कोहिडार, तहसील मेजा, इलाहाबाद ।
32— ,, सोहनलाल, न्यायपंचायत—बैवारी, तहसील मेजा, इलाहाबाद ।
33— ,, समईलाल, न्याय पंचायत—रामनगर गनसियारी, सोरांव, इलाहाबाद ।
34— ,, परशोत्तमलाल उपाध्याय, न्याय पंचायत मलाकहरहर, तहसील सोरांव, इलाहाबाद

कुल —35

(ब) प्रतिभूतिराशि जब्त किये गये दूकानदारों की सूची

1—श्री श्रीनाथ, ममफोर्डगंज, इलाहाबाद ।
2— ,, श्रीचन्द्र, कैनिग रोड, इलाहाबाद ।
3— ,, सुरेश कुमार सप्रूरोड, इलाहाबाद ।
4— ,, विपतराम, सिविल लाइंस, इलाहाबाद ।
5— ,, पितम्बरलाल, लायल रोड, इलाहाबाद ।
6— सर्वश्री संगमलाल अमरनाथ, सरायमीर खां , इलाहाबाद ।
7— श्री प्रयाग लाउदर रोड, इलाहाबाद ।
8— ,, कन्हैयालाल केसरवानी, सरायमीरखां, इलाहाबाद ।
9— ,, शिव बालक राम ममफोर्डगंज, इलाहाबाद ।
10— " रामनाथ भाटिया, न्यूकटरा, इलाहाबाद ।
11— " जगतनरायन लाल बादशाही मंडी, इलाहाबाद ।
12— " अनिरुद्ध नारायन सिंह' नैनी, इलाहाबाद ।
13— सर्वश्री दुर्गाचरन दुर्गासरन, सुलेमसराय, इलाहाबाद ।
14— श्री रामलोटन केसरवानी, बादशाही मंडी, इलाहाबाद ।
15— " जीतलाल, सुलेम सराय, इलाहाबाद ।
16— " किसनलाल, सुलेम सराय, इलाहाबाद ।
17— " भोलानाथ नैनी, इलाहाबाद ।
18— " इंतजार अहमद, नैनी, इलाहाबाद ।
19— " आवेश अहमद, न्याय पंचायत–पुरखास, तहसील चायल, इलाहाबाद ।
20— " बिहारीलाल, न्याय पंचायत सोरों, तहसील हंडिया, इलाहाबाद ।
21— " सी० सी० यस० बींदा, न्याय पंचायत–हरीपुर बींदा, तहसील हंडिया, इलाहाबाद ।
22— " गिरजाप्रसाद, न्याय पंचायत वरदहां, करछना, इलाहाबाद ।
23— " राधेश्याम द्विवेदी, न्याय पंचायत धरवारा, तहसील करछना, इलाहाबाद ।
24— " लखनलाल, न्याय पंचायत नवगवां तहसील करछना, इलाहाबाद ।
25— " रंगनाथ, न्याय पंचायत–पिपरांव, तहसील–मेजा, इलाहाबाद ।
26— " भोला, न्याय पंचायत पिपरांव, तहसील करछना, इलाहाबाद ।

योग—कुल 26

हस्ताक्षर
जिलापूर्ति अधिकारी,
इलाहाबाद ।

नत्थी 'छ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 4 का उत्तर पीछे पृष्ठ 649 पर)

उन्नाव जिले की स्वतंत्रता रजत जयन्ती पर विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित हरिजन बस्तियां जिनका विद्युतीकरण भी 31–10–72 तक हो चुका है ।

उन्नाव तहसील

1—सिगरोसी
2—सरोसी
3—नासिर खेरा
4—अचलगंज

पुरवा तहसील

1—गौरी
2—मौरवां
3—दुर्गापुर
4—पसियन टोला
5—शीतलगंज
6—पक्का ताल
7—बीघापुर
8—मोहल्ला चमनगंज (भगवंत नगर)
9—पुरवा
10—रसूलपुर

सफीपुर तहसील

1—बांगरमऊ
2—सफीपुर
3—सुकलाना
4—सोहरावन का तालाब
5—टिकैती बाजार
6—गंज मोरादाबाद
7—सराय सूबेदार

हसनगंज तहसील

जिनका विद्युतीकरण 1 माह में होना है

(1) नई सराय
(2) मकूर
(3) चमरौली

नत्थी 'ज'

(देखिय पीछे पृष्ठ 668 पर)

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1972

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

यूनाइटेड प्राविन्सेज म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 का अग्रेतर संशोधन करने के लिये।

विधेयक

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपैलिटीज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1972 कहलायेगा।

यू0 पी0 ऐक्ट संख्या 2, 1916 में नयी धारा 10-कक का बढ़ाया जाना

2—यूनाइटेड प्राविन्सेज म्यूनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 10-ए के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

नये बोर्ड का संघटन होने तक बोर्ड के प्रशासन के सम्बन्ध में अस्थायी उपबन्ध

"10-कक—यदि धारा 11 में उल्लिखित परिस्थियों से भिन्न परिस्थितियों में बोर्ड का कार्यकाल अथवा बढ़ाया गया कार्यकाल समाप्त हो गया है और नया बोर्ड संघटित नहीं किया गया है तो नये बोर्ड का सम्यक् संघटन होने तक—

(क) बोर्ड, उसके प्रेसीडेन्ट तथा समितियों की सभी शक्तियां, कृत्य तथा कर्तव्य, राज्य सरकार द्वारा तदर्थ नियुक्त अधिकारी (जिसे आगे प्रशासक कहा गया है) में निहित होंगे और उसके द्वारा उनका प्रयोग, पालन तथा निर्वहन किया जायगा और विधि में प्रशासक को अवसर की अपेक्षानुसार बोर्ड, प्रेसीडेन्ट या समिति समझा जायगा;

(ख) प्रशासक को ऐसा वेतन तथा भत्ता जैसा राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा तदर्थ निश्चित करे, म्युनिसिपल निधि से दिया जायगा ;

(ग) राज्य सरकार, समय-समय पर गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसे आनुषंगिक या प्रासंगिक उपबन्ध, जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का अनुकूलन, परिवर्तन या परिष्कार करने के भी उपबन्ध हैं, किन्तु जो तत्व पर प्रभाव न डालें, जो उसे इस धारा के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो, कर सकती है।"

क्रमणकालीन उपबन्ध

3—(1) यदि मूल अधिनियम की धारा 11 में उल्लिखित परिस्थितियों से भिन्न परिस्थितियों में, किसी बोर्ड का कार्यकाल या बढ़ाया गया कार्यकाल इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व समाप्त हो गया हो और नया बोर्ड संघटित न किया गया हो तो मूल अधिनियम की धारा 10-कक के खण्ड (क), (ख) और (ग) जैसी कि इस अधिनियम की धारा 2 द्वारा बढ़ायी गयी है, में उल्लिखित परिणाम इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से प्रभावी होंगे ।

(2) प्रत्येक ऐसी दशा में,

(क) जिसमें ऐसे म्युनिसिपिल बोर्ड के जिसका कार्य-काल समाप्त हो गया हो प्रेसीडेन्ट तथा सदस्यों द्वारा, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व बोर्ड की किन्हीं शक्तियों का प्रयोग या कर्तव्यों का पालन किया जाना तात्पर्यित हो, तो ऐसा तात्पर्यित प्रयोग या पालन इस प्रकार वैध समझा जायगा मानो बोर्ड का कार्यकाल इस अधिनियम के प्रारम्भ होने तक बढ़ चुका है :

प्रतिबन्ध यह है कि मूल अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, मूल अधिनियम की धारा 10--क जैसा कि इस अधिनियम की धारा 2 द्वारा बढ़ायी गयी है में अभिविष्ट प्रशासक ऐसी शक्तियों तथा कर्तव्यों के तात्पर्यित प्रयोग या पालन में किये गये किसी कार्य अथवा लिये गये किसी निर्णय का जिसके अन्तर्गत विशेषतया कोई निष्पादित संविदा अथवा बोर्ड के किसी सेवक की नियुक्ति या पदोन्नति या सेवोन्मुक्ति या उसे हटाये जाने या अन्य दण्ड दिये जाने का कोई आदेश भी है पुनर्विलोकन कर सकता है ।

(ख) जिसमें जिला मैजिस्ट्रेट अथवा उसके द्वारा तदर्थ नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा बोर्ड की, जिसका कार्य-काल या बढ़ाया गया कार्य-काल इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व समाप्त हो गया हो, किन्हीं शक्तियों का प्रयोग या कर्तव्यों का पालन किया जाना तात्पर्यित हो, तो ऐसा तात्पर्यित प्रयोग या पालन इस प्रकार वैध समझा जायगा मानो जिला मैजिस्ट्रेट या उसके द्वारा तदर्थ नियुक्त अधिकारी, जैसी भी दशा हो, मूल अधिनियम की धारा 10—कक के खण्ड (क) के अधीन जैसी कि इस अधिनियम, की धारा 2 द्वारा बढ़ायी गयी है, सम्यक, रूप से प्रशासक नियुक्त किया गया हो, और वह ऐसे प्रशासक के रूप में तबतक कार्य करता रहेगा जब तक उक्त खण्ड के अधीन उसके स्थान पर कोई अधिकारी नियुक्त न कर दिया जाय ।

4—उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1972 एतदद्वारा निरस्त किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 22, 1972 का निरसन

उद्देश्य और कारण

यू0पी0 म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 में किसी ऐसे म्युनिसिपल बोर्ड का, जिसका कार्य-काल अथवा बढ़ाया गया कार्य-काल समाप्त हो गया हो और नया बोर्ड संघटित न किया गया हो, प्रशासन करने के लिये कोई उपबन्ध नहीं था। ऐसी विशेष परिस्थिति में न तो पूर्ववर्ती बोर्ड कार्य करना जारी रख सकता था और न सरकार द्वारा नियुक्त कोई प्रशासक बोर्ड को अपने अधिकार में ले सकता था। ऐसी परिस्थितियों में समुचित व्यवस्था करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1972 प्रख्यापित किया गया।

उक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

बेनी सिंह,

स्वायत्त शासन मन्त्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 246 एल०सी० 1973—835।